राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] दसवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का पन्द्रहवां दिवस [संख्या : 9

गुरुवार,

6 अप्रेल, 1995

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : आते ही मुस्कुराया करो, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आपको देख कर तो हो ही जाता हूं। श्रीमान गोविंदसिंह जी।

अप्रवासी भारतीयों द्वारा विभिन्न उद्योगों में पूंजी निवेश

261. **श्री गोविन्दसिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विदेशों तथा भारत के अन्य प्रांतों में रहने वाले अप्रवासी भारतीयों द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1990 से 31 दिसम्बर, 1994 तक राजस्थान में कितना पूंजी निवेश किस-किस उद्योग व क्षेत्र में किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ऐसे कितने प्रस्ताव 31 दिसम्बर, 1994 को सरकार के समक्ष विचाराधीन थे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अप्रवासी भारतीयों को राजस्थान में पूंजी निवेश हेतु प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन देने की योजना महाराष्ट्र, गुजरात व हरियाणा की भांति हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्योग मन्त्री (श्री हरिशंकर भाभड़ा) : (1) अप्रवासी भारतीयों द्वारा दिनांक 1.1.90 से 31.12.94 तक राजस्थान में किये गये पूंजी निवेश की उद्योग व क्षेत्रवार सूची "क" सदन के....

श्री परसादीलाल मीणा : सुनाई नहीं दे रहा है, मन्त्री महोदय। सुनाई नहीं दिया।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : फिर से बोलूं ?

एक माननीय सदस्य : माइक से बोलिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माइक के सामने ही बोल रहा हूं मैं।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आपकी आवाज तो बुलंद थी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : (1) अप्रवासी भारतीयों द्वारा दिनांक 1.1.90 से 31.12.94 तक राजस्थान में किये गये पूंजी निवेश की उद्योग व क्षेत्रवार सूची "क" सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

(2) ऐसे 3 प्रस्ताव 31.12.94 को राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन थे, जिनकी सूची "ख" सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार अपने आर्थिक संसाधनों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रख कर प्रोत्साहन सम्बन्धी नीति का निर्धारण करती है। वर्तमान में राज्य की औद्योगिक नीति, 1994 के अनुसार राजस्थान में अप्रवासी भारतीयों द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्योगों हेतु स्थाई पूंजी विनियोजन का 20 प्रतिशत (अधिकतम 25.00 लाख रुपए) अनुदान देने का प्रावधान है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया है गुजरात और महाराष्ट्र में जिस तरह की सुविधाएं और साधन दिये जा रहे हैं प्रोत्साहन के, आपने जवाब दिया है कि, जी नहीं। मैं यह जानना चाहूंगा; मन्त्री महोदय, कि वह क्या प्रोत्साहन है, क्या इंसेंटिव हैं और अगर हम उनको यहां हमारे प्रदेश में दें तो इसमे वित्तीय संसाधनों पर क्या भार पड़ेगा, क्या आपने इसका आंकलन किया है? नम्बर एक। दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता था कि यह जो इण्डस्ट्रियल पोलिसी आपने बनायी है इसके तहत अप्रवासी भारतीयों के लिये एक पैराग्राफ है दस, और उसमें आपने कहा है कि एक राज्य स्तरीय समिति उनकी समस्याओं के लिए, उनको सुलझाने के लिए बनायी गयी है। मैं जानना चाहूंगा कि इस समिति के समक्ष कितनी समस्याएं प्रस्तुत हुई और उनका क्या निस्तारण आपकी इस समिति ने किया है? तीसरा प्रश्न मेरा यह है।

श्री टीकमचंद कांत (सिवाना) : दो ही कर सकते हैं सप्लीमेंट्री, दो ही।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : आप ए और बी भी नहीं समझते।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : एक ही प्रश्न है, इसके तीन भाग हैं। मन्त्री महोदय, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि पूरे देश में एक दौड़ लगी हुई है, प्रतिस्पर्धा है कि ज्यादा से ज्यादा पूंजी निवेश हमारे राज्य में हो। कल मुख्य मन्त्रीजी ने भी यही कहा था कि हमारे यहां पूंजी निवेश के लिए बड़ी अच्छी परिस्थितियां हैं। लेकिन मुझे दुख है कि आपके जवाब से केवल 70 करोड़ का पूंजी निवेश एन. आर. आईज का हमारे यहां अभी 31.12 तक हो पाया है, क्या आप इसे संतोषजनक मानते हैं? और अंत में मैं यह पूछना चाहूंगा कि मुख्य मन्त्रीजी अभी चार–पांच देशों में होकर आये हैं, वह इंग्लैंड भी गये, अमरीका भी गये, बैंकाक और हांगकांग भी गये, वहां उन्होंने अप्रवासी भारतीयों से बातचीत करी और उनको न्यौता दिया कि आप हमारे राजस्थान में आकर उद्योग लगायें, मैं जानना चाहूंगा कि मुख्य मन्त्रीजी के आव्हान के ऊपर कितने अप्रवासी भारतीयों ने राजस्थान में उद्योग लगाने की इच्छा प्रकट की?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपने यह प्रश्न किया है कि गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा के समकक्ष हम भी सुविधाएं अप्रवासियों को दें। जैसा कि मैंने अपने मूल प्रश्न में यह

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

निवेदन किया है कि हम इस रेट रेस में नहीं हैं। इस सम्बन्ध में आपकी सूचना के लिए मैं बताऊं कि अभी उत्तरी मार्केट, हिन्दुस्तान का जो उपभोक्ता उत्तर का मार्केट है उसके प्रदेशों के सभी मुख्य मन्त्रियों की मीटिंग हुई थी और उसमें यह तय हुआ था कि बजाय इसके कि हम केवल प्रतिस्पर्धा करें, हम सहयोगात्मक रुख अपनायें और कुछ बातें आपस में तय कर लें, क्योंकि हर राज्य के संसाधन अलग–अलग हैं। यह आवश्यक नहीं है कि किसी एक राज्य के पास, जो विकसित है, उतने संसाधन दूसरे जो विकासशील राज्य हैं उसको प्राप्त हों। फिर भी मैं आपकी सूचना के लिये बताना चाहता हूं कि गुजरात में अप्रवासियों को कोई सब्सीडी नहीं दी जाती। हम दे रहे हैं यहां 25 लाख की। वहां सब्सीडी नहीं है, वहां पर केवल उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव का तो प्रश्न ही नहीं है, जमीन देते हैं, आथोरिटी से उनको बिजली मिलती है, गैस और डीजल आदि की सुविधाएं मिलती हैं, इसके सिवाय वहां और कोई सुविधा नहीं है। उस हिसाब से हमारे यहां सुविधाएँ ज्यादा हैं। इसी प्रकार से हरियाणा में भी अप्रवासी भारतीयों द्वारा राज्य में उद्योग स्थापना हेतु प्रभावी कदम उठाने पर उन्होंने इण्डस्ट्रियल एस्टेट में प्लाट आवंटन का अलग से आरक्षण किया हुआ है, हाउसिंग बोर्ड द्वारा उनके लिये मकानों की व्यवस्था है, उनको स्पेशली अलाट करते हैं, इससे ज्यादा और इंसेंटिव नहीं है। फिर भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो भी अधिकतम साधन हैं उन साधनों को देखते हुए आज राजस्थान भी केवल देश के नक्शे में नहीं, अन्तरराष्ट्रीय जगत में भी उद्योग के विकास के लिये एक पोटेंशियल स्टेट है। इस नाते से उसको मान्यता प्राप्त हो गयी है। और जैसा आपने अभी कहा कि....

श्री रामनारायण चौधरी : अन्तरराष्ट्रीय नक्शे पर हैं आप ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : बहुत कम पूंजी निवेश हुआ है, देखिये, जितने भी लार्ज या मीडियम साइज उद्योग आते हैं वह हठात् नहीं आते, वह अपनी शर्तों पर आते हैं। उनकी अपनी समस्याएं होती हैं इसलिए उनको नेगोसियेशन करने में समय लगता है और इसलिए अभी भी हमारे पास में, अभी आपने मुख्य मन्त्रीजी का हवाला देकर कहा, तो हमारे यहां पर जो ब्यूरो आफ इण्डस्ट्रियल प्रमोशन है वह बहुत अच्छा काम कर रहा है और न केवल हिन्दुस्तान के जो हमारे प्रवासी राजस्थानी हैं उनके, बल्कि विश्व से भी भिन्न–भिन्न जगहों से हमारे पास प्रस्ताव आ रहे हैं, प्रोजेक्ट डिस्कस किये जा रहे हैं वह एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस तरह के प्रस्ताव न्यूयार्क से हमारे पास आए हैं, इंग्लैंड से हमारे पास आये जर्मनी से हमारे पास आये हैं, आस्ट्रेलिया से, हमारे पास आये हैं और खाड़ी के देशों से भी हमारे पास प्रस्ताव आये हैं और उन सब पर निरन्तर पत्र–व्यवहार चल रहा है। वह जो भी इन्फार्मेशन हमसे चाहते हैं वह सारी इन्फार्मेशन उनको यहां से दी जा रही है और इसलिए जब भी उनका अपना इनवेस्टमेंट करने का मानस बनेगा तो निश्चित रूप से वह यहां पर इनवेस्टमेंट करेंगे। मैं समझता हूं कि फिलहाल जो अभी साल भर में हमने प्रयास किया है, भिन्न–भिन्न जगहों पर शिविर लगाये हैं। देश में भी लगाये है, मुख्य मन्त्री जी बाहर भी गये हैं, राज्यपाल महोदय भी कलकत्ते गये, वहां भी उन्होंने कहा है, मैं भी बेंगलोर और हैदराबाद गया

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

था, वहां पर अनेक लोग मिले, बहुत से लोगों ने वहां पंजीयन करा लिया, बहुत से लघु उद्योग वालों ने तो, तो इस सारी प्रक्रिया के अन्दर जो वातावरण बन रहा है उसमें राजस्थान में उद्योग आने की प्रक्रिया बड़ी तेजी से चल रही है, हमें विश्वास है कि बहुत शीघ्र ही यहां पर उद्योग-धन्धों का विकास होगा और अधिक से अधिक उद्योग-धन्धे यहां पर आयेंगे।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक प्रश्न, मेरा नाम है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं मूल प्रश्न-कर्ता हूं, आप बैठिये, बी.पी. सिंहजी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आपके दो खत्म हो गये, सर।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : तशरीफ रखिये आप।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : सप्लीमेंट्री तो पूछने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : मूल प्रश्नकर्ता।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से एक बात मैंने पूछी थी कि जो इसेंटिव महाराष्ट्र और गुजरात में दिये जा रहे हैं, अगर हमारी सरकार उनको दे तो कितना भार पड़ेगा, इसका आंकलन आपने किया क्या ? आपने जो इंसेंटिव बताये हैं कि वह कोई खास इसेंटिव नहीं दे रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि गुजरात और महाराष्ट्र में उन क्षेत्रों में, जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र नहीं हैं, हमारे यहां औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों को सुविधाएं दी जाती हैं लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में अप्रवासी भारतीयों को उन क्षेत्रों में भी, जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए नहीं, वह सुविधाएं दे रहे हैं। दूसरा, केवल एक रुपये की लीज के ऊपर, अगर सरकारी जमीन है तो, वह वहां दे रहे हैं। इसी तरह से, सारे बैंकों को और सारी इंस्टीट्यूशंस को टॉप–मोस्ट प्रायोरिटी के ऊपर ऋण देने की सुविधा दे रखी है और सबसे बड़ी बात यह है, मंत्री महोदय, कि अगर कोई प्रस्ताव आता है तो हमारी तरह नहीं कि वह यहां ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में घूमते फिरें, उस प्रस्ताव के पीछे वहां की सरकार का आदमी, चाहे वह लायजनिंग आफिसर हो या जो भी हो, उस आदमी को तब तक नहीं छोड़ता है जब तक कि उसका प्रस्ताव पूरी तरह से स्वीकार नहीं हो जाता। अभी आपने कहा कि हमारे पास कुछ इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं, आपसे जानकारी ले रहे हैं। कोई प्रस्ताव के प्रोजेक्ट आपके पास आये हों और आपने स्वीकृत कर दिये हैं एन.आर.आई. के तो वह बता दीजिये ? और मैंने जब पूछा, खास तौर से मुख्य मंत्रीजी 4–5 देशों की यात्रा करके आये हैं, उनके इस प्रयास से हमको कितना विदेशी पूंजी विनियोजन हुआ ? यह आप बता दीजिये ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपको एक बात तो पहले ही निवेदन कर दी कि हम इसेंटिव्ज की प्रतिस्पर्द्धा में उतरना नहीं चाहते। आप प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिये। बल्कि इसके विपरीत वातावरण पूरे देश में यह बन रहा है, सभी प्रान्तों के मुख्य मंत्री और

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

सब इस पर विचार कर रहे हैं कि बजाय इसमें प्रतिस्पर्द्धा करने के हम अपने–अपने स्थानों पर एक पैटर्न पर मदद करने की व्यवस्था करें। जैसा मैंने आपको उत्तरी क्षेत्र का बताया कि वहां के मुख्य मंत्री इस सम्बन्ध में सहमत हैं कि हम सहयोगात्मक रुख अपनायें, क्योंकि इसेंटिव्ज लार्ज और मीडियम इण्डस्ट्रीज के लिये कोई मायने नहीं रखता। लार्ज और मीडियम इण्डस्ट्रीज के लिये जो चीज आवश्यक है, वह है एक आधारभूत ढांचा, इन्फ्रास्ट्रक्चर और इसीलिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करने के लिये न केवल राजस्थान बल्कि जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्तरी हिन्दुस्तान के सभी स्टेट्स मिलकर आपस में एक दूसरे की मदद करके इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करें, वही लार्ज और मीडियम इण्डस्ट्री को आकर्षित करता है। उनको इसी की ज्यादा जरूरत होती है, 20–25 लाख रुपये देने से कोई मतलब नहीं। आपने मुझे पूछा कि भार कितना पड़ेगा, सवाल यह है कि यह तो ऐसा आन–गोइंग प्रोसेस है कि उसका एस्टीमेट हो ही नहीं सकता। कितने लोग आएंगे उसके आधार पर भार का पता चलता है लेकिन वह भार का प्रश्न ही नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि राजस्थान में हम इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करें और इसलिए उसको डवलप करने के लिये सड़क नीति बनायी है, उसके लिये पावर में हम काम कर रहे हैं, उसके लिये हमने इ'लेंड कन्टेनर की यहां व्यवस्था की है, उसके लिये हमने एग्रो बोंडेड ट्रेक्स की व्यवस्था की हैं, अधिक से अधिक इन्फ्रास्ट्रक्चर हम डवलप करें ताकि बड़े उद्योगपति उसकी तरफ आकर्षित हों, यह हमारी नीति का....

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : आप डवलप करोगे तब तक तो दूसरे प्रदेश बहुत आगे बढ़ जाएंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मेरे ख्याल से आप जिस तरह से समझ रहे हैं कि बात करते ही हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। देखिये आखिर जो भी उद्योगपति है वह अपने हिसाब से आता है, वह केवल आपके निमंत्रण से आ जाएगा, ऐसा नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : कोशिश तो करेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अब तक तो यह हालत थी, मुख्य मंत्रीजी के विदेशों में जाने के पहले हालत यह थी कि लोग यह पूछते थे कि राजस्थान है कहां? सिंगापुर में कहा, राजस्थान का क्या है, मालूम ही नहीं था उनको राजस्थान का। आज उनको हिन्दुस्तान में राजस्थान का....

श्री जगदीप धनखड़ : क्या बात करते हैं, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, दुनिया में पता ही नहीं राजस्थान कहां था।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप बैठिये, आप बैठिये। ....(व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, इतना गैर-जिम्मेदाराना बयान आप दे रहे हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं समझता हूं, आप जिम्मेदारी इस बात की कर रहे हैं क्या ?

श्री शीशराम ओला (झुंझुनू) : जिन्होंने हिन्दुस्तान की साख को जमाया है, खास तौर से राजस्थान के हैं, जिन्होंने हिन्दुस्तान में बहुत उपयोगी दृष्टि से काम

(श्री शीशराम ओला)

किया, आप कह रहे हैं कि राजस्थान को जानता ही नहीं था ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं उद्योग के विकास की दृष्टि से कह रहा हूं। उद्योग के विकास के लिये राजस्थान में पोटेंशियल है, इसका ज्ञान नहीं था। यह ज्ञान हमने करवाया है।

श्री शीशराम ओला : और राजस्थान के सिंगापुर में बहुत बसे हुए हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : राजस्थान की खिलाफत वह नहीं सुन सकते। ....(व्यवधान)....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आज राजस्थान उद्योग के लिये पोटेंशियल है और राजस्थान हिन्दुस्तान में एक महत्वपूर्ण स्टेट है, इस बात का ज्ञान करवा दिया। अब आपके ज्ञान को मैं सुधार नहीं सकता।

श्री जगदीप धनखड़ : मुख्य मंत्रीजी, सुधार लाइये....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : और इसलिये मेहरबानी करके मेरी बात सुन लीजिये, समझ लीजिये पहले आप। (व्यवधान) जब आप उद्योग के बारे में पूछ रहे हैं तो यह भूगोल की बात नहीं है....

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के वास्को-डिगामा कौन हैं ? यह तो बता दीजिये

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं ...

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, संसार प्रसिद्ध थार का रेगिस्तान राजस्थान का है, संसार का बच्चा-बच्चा जानता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उप-मुख्य मंत्रीजी, आप कह रहे हैं कि राजस्थान को कोई जानता ही नहीं है। आप राजस्थान को बदनाम कर रहे हैं।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : दुनिया के पर्यटक आते हैं राजस्थान में घूमने के लिये और आप कहते हैं राजस्थान का पता ही नहीं है।

श्री जगदीप धनखड़ : जैसा मैंने पूर्व में अनुरोध किया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो दोनों को मौका दे रहा हूं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आपने यह सही कहा कि इण्डस्ट्रियल क्लाइमेट बनाने के लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना बहुत जरूरी है, सही बात है। खाली यह नीति बनाने से नहीं, जो केपिटल इन्वेस्टमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये चाहिये, जैसा गुर्जर साहब कह रहे थे और सही कह रहे थे कि कच्छ के अन्दर एक्सपोर्ट कोरिडोर उन्होंने बनाया है और पांच सौ करोड़ रुपए खाली

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

इन्फ्रास्ट्रक्चर में डवलप कर रहा है गुजरात और ऐसे की ऐसे ही कर्नाटक के अन्दर हुसूर के अन्दर टाटा और सिंगापुर गवर्नमेंट दोनों मिलकर एक सिंगापुर कोरिडोर बना रहे हैं । हजार करोड़ रुपये इन्फ्रास्ट्रक्चर में डवलपमेंट करने के लिए खर्च कर रहे हैं । ऐसा भी कोई विचार आप रखते हैं या ऐसा ही विचार रखते हैं कि रीको एक कैटेलिस्ट एजेंट, हमारे आधे लोगों की समझ में नहीं आएगा कि यह केटेलिस्ट कोई खरगोश है या तीतर है या क्या है, ऐसा डवलपमेंट केटेलिस्टीजर करके आप एन.आर.आईज. को लाना चाहते हैं ? इसका जवाब दें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धनखड़ साहब, बोलिये ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत पांच वर्षों में राज्य में मात्र 70 करोड़ का पूंजी निवेश होना उस वर्ग से जिसने देश में इस समय में दूसरे प्रान्तों में अरबों का पूंजी निवेश किया है, मैं समझता हूं कि एक ऐसा चिन्ता का विषय है जिसके बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी सदन में कल कहा । माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कल सदन में जो बात कही कि राजस्थान का अहित नहीं होना चाहिये चाहे कोई किसी को क्रिटिसाइज करे, चाहे हम हमारी बात किसी भी तरीके से कहें । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब पूरे देश में एक ऐसा आर्थिक वातावरण बना है कि पूंजी निवेश अप्रवासी भारतीयों से अरबों में हो रहा है । माननीय उप मुख्य मंत्री बंगलौर गये, बम्बई गये और वहां जाकर उन्होंने राजस्थान के हित के विपरीत एक प्रमुख साप्ताहिक को यह कहकर साक्षात्कार दिया कि हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी की विदेशी यात्राएं पूरी तरह से असफल रहीं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि कम से कम सरकार के दो वरिष्ठ....(व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : उपाध्यक्ष महोदय, आगे भी प्रश्न हैं, केवल प्रश्न पूछवायें । भाषण नहीं चलेगा । उपाध्यक्ष महोदय, भाषण बंद कराओ, प्रश्न पुछवाओ ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पाइंटेड प्रश्न करिये ।

श्री जगदीप धनखड़ : नॉन-रेजिडेंट इण्डियंस को जब पता लगेगा कि मुख्य मंत्री एक बात कहते हैं, उप मुख्य मंत्री दूसरी बात कहते हैं, माननीय उप मुख्य मंत्री एक दिन कन्ट्राडिक्ट करेंगे तो मैं सदन के समक्ष उस डॉक्यूमेंट को रखने को तैयार हूं जिसमें इन्होंने कहा है हमारे मुख्य मंत्री की विदेश यात्राएं पूरी तरह से असफल रहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : पाइंटेड प्रश्न पूछें ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा इस सदन के नेता से अनुरोध है कि क्या वह इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे ? क्या कोई समिति का गठन करेंगे जो निश्चित अवधि में राजस्थान में अप्रवासी भारतीयों के पूंजी निवेश को ज्यादा से ज्यादा लाने में कार्यरत रहे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये ।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन है....(व्यवधान)....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिये बता दूं कि राजस्थान में पिछले 4 वर्षों में 6 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का पूंजी निवेश हो चुका है।

श्री जगदीप धनखड़ : अप्रवासियों का 70 करोड़ का रहा है। आपके काल में कितना हुआ है, 6 महीने में कितना हुआ है, 6 महीने का बता दीजिये ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : केवल पावर प्रोजेक्ट में, जो हम अगले 5 साल में कर रहे हैं, उसमें 20 हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। आप हवा में बात कर रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : आप पूर्ण रूप से असफल उद्योग मंत्री साबित हो गये, उद्योगों का विकास आपके आने से नहीं हो सकता। आप उदासीन हैं। आपकी नजर कहीं और है, आपकी नजर विकास पर नहीं है। अपने विभाग की आप बात ही नहीं कर रहे हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यदि ज्ञान नहीं है तो वह ज्ञान ले लें। जिस बात को समझना चाहें, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। प्लीज, आप बैठिये।

श्री जगदीप धनखड़ : आपने यह तो कह दिया रेट रेस है, यह काहे की रेट रेस है ? इस रेस में तो हमको जाना है, ज्वाइन करना है। यह कहते हैं कि रेट रेस में हमको ज्वाइन नहीं करना है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आज राजस्थान के जितने भी प्रवासी आन्ध्र में, कर्नाटक में, बंगाल में, आसाम में हैं उनमें से अधिकांश लोग राजस्थान में उद्योग धन्धा लगाने के लिये पूरी तौर से कोशिश कर रहे हैं और हमारे यहां भी, जिस तरह से गुजरात में आपने कहा, आज जयपुर लेवल पर कोई उद्योगपति आता है उसको सब सुविधाएं प्राप्त हैं। हमारे आफिसर्स उनके साथ में रहते हैं जो फीड बैक मुझे मिला है वह इस बात से संतुष्ट है कि उनकी हर बात का बराबर जवाब मिलता है। किसी को कोई शिकायत नहीं है कि यहां पर आये और उनको रेस्पोंस नहीं मिला, इसलिये उद्योग लगातार लगाये जा रहे हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि अभी 6000 करोड़ लग चुके हैं और 20000 करोड़ के और हमारे सामने प्रपोजल्स हैं। इसमें आप 75 करोड़ की बात कर रहे हैं....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कब की बात कर रहे हैं आप ? इसका ब्रेक-अप बता दीजिये। 6000 करोड़ रुपये कहां-कहां लगे ?

श्री जगदीप धनखड़ : आपके 6 महीने में क्या हुआ ? 6 महीने में क्या लगवाया, बताइये ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कौन-कौन से उद्योग में कितना-कितना पैसा इन 4 सालों में लगाया है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा जी। श्रीमती उजला अरोड़ा जी।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि माननीय प्रश्नकर्ता के प्रश्न संख्या 1 और 2 में आपने जो जानकारी दी है, इनमें अप्रवासी भारतीयों में कितनी मल्टी-नेशनल कम्पनीज हैं और यह अप्रवासी भारतीय किन-किन मल्टीनेशनल कम्पनीज से सम्बन्धित हैं ?

आयुर्वेद महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रतियोगी परीक्षा

262. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत तीन-चार वर्षों से आयुर्वेद कालेज में प्रवेश हेतु कोई प्रतियोगी परीक्षा आयोजित नहीं की जा रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर स्थित आयुर्वेद कालेज में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में एक भी विद्यार्थी अध्ययनरत नहीं है ?

(3) क्या सरकार निकट भविष्य में आयुर्वेद पाठ्यक्रम में प्रवेश देने हेतु प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं तो, क्यों ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्री अचलाराम मेघवाल) : (1) जी हां।

(2) राज्य सरकार का जयपुर में कोई आयुर्वेद कालेज नहीं है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर केन्द्र सरकार के अधीन संस्थान है। इनसे प्राप्त सूचना के अनुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः 26, 45 एवं 1 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

(3) राजस्थान विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके द्वारा आयुर्वेद पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश परीक्षा माह जुलाई के अन्तिम सप्ताह में आयोजित की जावेगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे प्रथम प्रश्न के उत्तर में कहा, जी हां। यह कोई उत्तर नहीं हुआ। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि मुझे कारण बतायें, यह परीक्षाएं नहीं कराने के क्या कारण रहे ? और आगे इन्होंने कहा कि अब यह जुलाई में परीक्षाएं करा देंगे, तो क्या वह कारण खतम हो गये ? आपको जानकारी कैसे मिली कि विश्वविद्यालय जुलाई में परीक्षाएं करा लेगा ? मुझे खेद है कि आपने जो उत्तर दिया है, कि 26, 45 और 1 विद्यार्थी प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में अध्ययनरत हैं, यह स्थिति आयुर्वेद की अच्छी नहीं। हालांकि उसमें आपका कोई दखल नहीं है। मैंने आपसे यह उत्तर पूछा भी नही था। पता नहीं आपने यह उत्तर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के बारे में क्यों दिया ? मैंने तो केवल राज्य की आयुर्वेद की स्थिति के बारे में आपसे प्रश्न किया था। मान्यवर मंत्री महोदय, मुझे उत्तर दें कि इन परीक्षाओं के न होने के क्या कारण रहे और क्या वह कारण दूर हो गये ?

श्री अचलाराम मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, योग्यता के विवाद को लेकर के, आयुर्वेद के प्रवेश हेतु जो योग्यता का विवाद हुआ, ये कोर्ट में चले गये और कोर्ट में जो समय लगा, 24–4–92 से 29–7–94 तक का माननीय न्यायालय में समय लगा। इसके बाद में इनकी योग्यता निर्धारण के बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय में जो समय लगा और उसके बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय ने हमें यह सूचना दी है। यह कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा सूचना प्राप्त हुई है।

"विषय : प्री–आयुर्वेद टेस्ट आयोजित कराने बाबत।

महोदय,

मैं आपके चाहे अनुसार उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं उच्चतम न्यायालय में पेश की गयी एस.एल.पी. की प्रतियां आपको दिनांक 4.4.95 को व्यक्तिगत रूप में प्रस्तुत की जा चुकी हैं। निर्देशानुसार लेख है कि विश्वविद्यालय प्री–आयुर्वेद टेस्ट जुलाई माह के अन्तिम सप्ताह में आयोजित की जायेगी।

भवदीय,

ह./–

(परीक्षा नियंत्रक)'

इस तरीके से यह मिली है। इसलिये मैं मानता हूं कि माननीय सदस्या इस पत्र से संतुष्ट होंगी।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। श्री हरिसिह जी।

महुआ (दौसा) के ग्रामों का विद्युतीकरण

263. **श्री हरिसिह (महुआ) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील महुआ जिला दौसा में वर्ष 1990-91 से 1994-95 तक कितने गांवों को विद्युतीकृत किया गया है? उक्त अवधि के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विद्युतीकृत किये गये गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तहसील महुआ में कुछ ऐसे ग्राम हैं जिनको विद्युतीकृत घोषित कर दिया गया है, परन्तु वास्तव में वहां बिजली नहीं पहुंचाई गयी है? यदि हां, तो ऐसे कुल कितने गांव हैं? सूची सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार इन गांवों को वास्तविक रूप में विद्युतीकृत किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री (श्री रघुवीर सिंह कौशल) :
(1) तहसील महुआ जिला दौसा में 1990-91 से लेकर 1994-95 तक कुल 22 गांवों को विद्युतीकृत किया गया है। उक्त अवधि के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विद्युतीकृत किये गये गांवों की सूची प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि तहसील महुआ में कुल 10 गांव हैं जिनको ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारी समिति, महुआ द्वारा विद्युतीकृत घोषित कर दिया गया था। सूची "ब" में संलग्न है। उक्त ग्रामों को वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

ही लाइनें डालकर आवेदकों को कनेक्शन देने की कार्यवाही की जावेगी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–2 देखें।)

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पहला प्रश्न तो यही करता हूं कि क्या वे अपने जवाब से संतुष्ट हैं? ....(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : जवाब दे देता हूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं दूसरा सवाल मुख्य मंत्रीजी से पूछता हूं कि राजस्थान में ग्रामीण विकास की जो परिकल्पना यह कर रहे हैं और जिस ढंग से ग्रामीण विकास कर रहे हैं, क्या इसी का नाम ग्रामीण विकास है कि 5 वर्ष में एक भी ग्राम को विद्युतीकृत नहीं किया गया? क्या इसी को ग्रामीण विकास कह रहे हैं?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आप बैठिये ना, सुनिये। मान्यवर, जो मैंने उत्तर दिया उससे तो मैं संतुष्ट हूं पर जो कार्यवाही है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं और यह खेद है कि 10 गांवों में बिजली के खम्भे भी खड़े नहीं हुए थे और इनको विद्युतीकृत घोषित कर दिया गया। यह महुआ की विद्युतीकृत सहकारी समिति ने किये थे, उन गांवों को विद्युतीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है। खम्भे खड़े कर दिये गये हैं। इस साल में इन 10 गांवों को विद्युतीकृत कर दिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मान्यवर, जिस समय महुआ की विद्युत सहकारी समिति समाप्त की गयी, मुख्य मंत्रीजी का हमने बड़ा आभार प्रकट किया था और उस समय विद्युत मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि जो बैक–लॉग है उसकी हम पहले पूर्ति करेंगे और नये जो गांव हम विद्युतीकृत करेंगे उसका इस के ऊपर कोई असर नहीं होगा। 5 साल हो गये बाट देखते–देखते, अभी 11 गांवों में खम्भे खड़े कर दिये गये और अभी तक तार नहीं खींचे। यह तो दुर्भाग्य की बात है और अभी तो मंत्रीजी कहते हैं कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर, तो वित्तीय संसाधन तो उपलब्ध नहीं होंगे, बोर्ड ढाई करोड़ के घाटे में जा रहा है हर साल। आप तो मना करते रहेंगे हमारे पास तो संसाधन नहीं हैं।

मैं दूसरा आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, मंत्रीजी, मैंने आप ही से एक प्रश्न पूछा था जिसका जवाब मेरे पास है जिसमें 1992–93 में आपने जो गांव बताये हैं वह हैं, जिनको विद्युतीकृत आपको करना था, ओंड मीणा, ओंड गुर्जर, अलीपुर, ढण्ड और समसपुर। इस साल का जो आप प्रश्न का जवाब दे रहे हैं वह कह रहे हैं 1992-93 में ओंड मीणा विद्युतीकृत हुआ यानि 5 में से 4 गांव, 4 को छोड़ दिया। एक गांव ओंड मीणा को आपने विद्युतीकृत किया। यहां भी आपके डिपार्टमेंट ने आपको धोखा दिया है, मान्यवर। ओंड मीणा में जो विद्युत कनेक्शन दिया गया है यह पी.एच.ई.डी. के नलकूप के लिये दिया गया है, उसका गांव के विद्युतीकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है। पी.एच.ई.डी. ने 1 लाख 65 हजार रुपया आपको जमा कराया है, विद्युतीकरण के लिये आपके आर.एस.ई.बी. की कोई लाइन वहां नहीं खींची हुई है। यह आपको आपके

(श्री हरिसिंह)

अधिकारियों ने गलत सूचना दी है। दूसरी बात, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने 1993-94 में जो गांवों की विद्युतीकृत करने की सूची दी है ओंड मीणा, अलीपुर और ढण्ड, यानि 1992–93 के जो गांव थे वह आपने 1993–94 में विद्युतीकृत किये जबकि 1993–94 में आप ही के एक प्रश्न में मुझे बताया है कि आपने 1993–94 में जो गांव स्वीकृत किये हैं उनमें सलीमपुर, नायला, जलालपुर, रतनपुर और सायड़ा हैं न कि ओंड मीणा और यह। और यही सलीमपुर, नायला, जलालपुर सायड़ा 1994–95 में ले गये और आज तक, 31 तारीख निकल चुकी है आपकी, पिछले 3 साल से लगातार यही गांव हमको भेज दिये जाते हैं और 31 तारीख निकल गयी अभी तो आपने एक खम्भा भी नहीं गाड़ा है। क्या आप कुर्सी पर बैठे हुए गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं? क्या इसी का नाम ग्रामीण विद्युतीकरण का विकास है? क्या आपके अधिकारियों पर आपकी इतनी ही है पकड़ है? या यह आप स्पष्ट कहिये कि आप राजनीतिक विद्वेषपूर्ण भावना से....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : क्योंकि वहां से कांग्रेस का एम.एल.ए. जीत कर आता है। आप वहां की जनता को विकास कार्यों से अपनी इच्छा से वंचित रखना चाह रहे हैं? मैं आपके ऊपर यह आरोप लगाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, बिराजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : इससे ज्यादा +++स्थिति कोई नहीं हो सकती....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : पांच साल से बाट देख रहे हैं, पांच साल से। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांच साल से मेरे क्षेत्र के गांवों को विद्युतीकरण से वंचित रखा जा रहा है। यही नहीं मैं आपको एक दूसरा और निवेदन करना चाह रहा हूं.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आपका प्रश्न पूरा हो गया।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय; मैंने विधान सभा क्षेत्र महुआ का पिछली बार एक प्रश्न पूछा था और विधान सभा क्षेत्र महुआ में जो टोडाभीम की 11 पंचायतें हैं उनके 20 गांव 1990 के बाद में अविद्युतीकृत हैं, जिनको विद्युतीकृत घोषित कर दिया लेकिन एक भी कनेक्शन रिलीज नहीं किया है....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या यह आपकी विद्वेषपूर्ण भावना को नहीं दर्शाता है? लेकिन मंत्रीजी, मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप हमारे एक भी गांव को विद्युतीकृत ना करें, एक भी कनेक्शन न दें, आपकी इन हरकतों से हरिसिंह चुनाव हारने वाला नहीं है।

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपने दो बार यह घटना कर दी और दोनों बार मैं चुनाव जीत कर आपके साथ यहां बैठा हुआ हूं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये ।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथ भी यही हुआ है । विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये ।

श्री रामस्वरूप : मेरे यहां भी, साहब (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आपका हो गया महुआ का ।

श्री रामस्वरूप : लेकिन आज तक उसको विद्युत नहीं दी गयी है । मैं भी कांग्रेस से जीत कर आया हूं इसलिये मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है और दो बार जीत कर आया हूं और दुबारा जीतूंगा । मत करो आप विद्युतीकरण मेरे गांव का । मेरा आपसे निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये माननीय सदस्य । माननीय शांतिकुमारजी बोल रहे हैं, एक मिनट, आप विराजिये (व्यवधान)

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय मंत्रीजी से मैंने यहां पर विधान सभा में प्रश्न किया था, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी जिन गांवों को इलेक्ट्रिफाइड कर दिया गया है, वह गांव आज इलेक्ट्रिफाइड नहीं हुए हैं और माननीय मंत्रीजी ने सदन में इस बात का आश्वासन दिया था कि जो गांव इलेक्ट्रिफाइड कर दिये गये हैं उनको इलेक्ट्रिफाइड करवा दूंगा । (व्यवधान) ...

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये ।

श्री रामगोपाल बैरवा : आज दिन तक उन गांवों में कोई कार्यवाही नहीं हुई है (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महुआ का प्रश्न है, सारे राजस्थान का प्रश्न नहीं है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : महुआ की बात हो रही है, माननीय सदस्य ।

श्री रामगोपाल बैरवा : माननीय मंत्रीजी अपनी बात को स्पष्ट करें कि कब तक उन गांवों को इलेक्ट्रिफाइ करवा दिया जायेगा । (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दौसा जिले में कोर्ट का स्टे लगा हुआ है । कोर्ट का स्टे इस बात का लगा हुआ है, पांचों तहसीलों में विद्युतीकरण नहीं होगा (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह सारा प्रश्न महुआ तक ही है ?

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, दौसा जिले का है, दौसा जिले का है, उपाध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये । आपने प्रश्न पूछ लिया, आप विराजिये ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला महुआ से सम्बन्धित है। मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं, स्टे दिया मुंसिफ दौसा ने और मेरे यहां सैपरेट एक्स.ईएन. का डिविजन है और महुआ के एक्स.ईएन. को इन्होंने बाध्य नहीं किया था। उनके खिलाफ कोई स्टे नहीं था, फिर महुआ का विद्युतीकरण क्यों रोका ?

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, आप जवाब सुनिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उन्होंने सिर्फ दौसा डिविजन को रोका था और महुआ में अलग से डिविजन है, उसको क्यों रोका ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो गांव विद्युतीकृत घोषित किये गये और जिनमें अभी तक खम्भे भी खड़े नहीं हुए थे और अभी सारे खम्भे खड़े कर दिये गये, और यह है जब वहां सहकारी समिति थी। एक गांव रायपुर, 1989 का उस वक्त राज हमारा नहीं था, मान्यवर, आपका राज था, 1989–90 यह दसों गांव जो विद्युतीकृत घोषित किये गये हैं....

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेरे पास सूची है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह सहकारी समिति द्वारा घोषित किये गये हैं और मैं अब एक गांव को भी विद्युतीकृत घोषित नहीं करने देता जब तब कि वहां ट्रांसफार्मर लग कर कनेक्शन नहीं हो जाता। मुझे मालूम है, बैकलॉग में ऐसे और कई गांव हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां खम्भे खड़े नहीं हैं और विद्युतीकृत घोषित कर दिये गये हैं। मैं सबका मूल्यांकन करवा रहा हूं और यह सब बैकलॉग पूरा करने का प्रयास मैं कर रहा हूं। माननीय सदस्य, आपकी भावनाएं आहत हुई हैं, यह सच है कि यहां ठीक कार्यवाही नहीं हुई कि खम्भा नहीं खड़ा और गांव विद्युतीकृत घोषित कर दिये गये हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन दस गांवों को इस साल निश्चित रूप से कनेक्शन दे दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, श्रीमती इन्दिरा मायाराम। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम लिया है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : महुआ की बात हो गयी है और माननीय मंत्रीजी ने पूरा कह दिया है कि दसों के दस गांव विद्युतीकृत कर दिये जायेंगे। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : वे तो 1994-95 के गांव हैं (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने मेरा नाम पुकारा था, एक सप्लीमेण्ट्री मेरा भी है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उन्हीं गांवों के नाम हैं, जिनको आपने घोषित किया था (व्यवधान) क्या यह भी कैरीफारवार्ड होंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, माननीय सदस्या को बोलने दीजिये। श्रीमती इन्दिरा मायारामजी। बैठिये, आपका परपज पूरा हो

(श्री उपाध्यक्ष)

गया। (व्यवधान) आपकी बात पूरी हो गयी, माननीय सदस्य, बिराजिये आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मेरी बात पूरी कहां हो गयी ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बात कर लेना उनसे।

श्री हरिसिंह (महुआ) : जवाब नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : दे दिया उन्होंने, पूरे के पूरे गांव विद्युतीकृत कर दिये जायेंगे।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1993–94 और 1994–95 में वही पांच गांव रिपीटेडली आ रहे हैं और आने वाले 10 वर्षों में भी उन्हीं गांवों का कहेंगे (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने पूरा उत्तर दे दिया। मान्यवर, बिराजिये आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह नुकसान हम कब तक भुगतते रहेंगे ? यह निवेदन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में हम हमारी समस्याओं के निराकरण के लिये आते हैं। यह जवाब तो यह इनके दफ्तर में ही दे देते। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : दौसा जिले में पांच में से चार जगह कांग्रेस जीत कर आयी है इसलिये जानबूझकर विद्युतीकरण नहीं करवाया जा रहा है और बदले की भावना से कार्य किये जा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गौर करने की बात है। (व्यवधान) मात्र एक जगह से ही भारतीय जनता पार्टी जीत कर आयी है इसलिये जानबूझ कर विद्युतीकरण को रोका जा रहा है।

श्री परसादीलाल मीणा : यह दौसा जिले का सवाल है। दौसा जिले में किसी कारणवश कोर्ट से स्टे हो गया। 1993-94 में जो गांव उन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन के लिये दिये हैं, (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह महुआ की बात हो रही है और महुआ की सारी बात कह दी गयी। (व्यवधान)....

श्री परसादीलाल मीणा : वही 1994-95 में दिये। फिर इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा क्यों नहीं हुआ। इससे इफेक्टेड पूरा जिला है उपाध्यक्ष महोदय, आपने चार साल में एक भी गांव का इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं किया। दौसा जिले में एक भी गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। मंत्रीजी, क्या आप इसका बैकलॉग 1993–94 का, 1994–95 का भरेंगे ? कोर्ट के स्टे के कारण उन्होंने कह दिया (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, बिराजिये। श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाया जाय कि बैकलॉग पूरा होगा या नहीं ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया जा रहा है, दौसा के साथ। दौसा के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, क्योंकि वहां से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार लौट कर नहीं आया इसलिये जानबूझकर सौतेला व्यवहार किया

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

जा रहा है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी दौसा जिले में आता है (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह पूरे दौसा जिले का सवाल है। आप मंत्रीजी से यह आश्वासन दिलवा दीजिये कि जो बैकलॉग है, वह पूरा किया जायेगा, पूरे जिले के बैकलॉग को पूरा किया जायेगा। यह तहसील का सवाल नहीं है, पूरे जिले का सवाल है। तीन साल में एक भी गांव का विद्युतीकरण नहीं किया गया है, एक भी गांव का नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये आप।

श्री परसादीलाल मीणा : आप बैकलॉग पूरा करने के लिये कहिये। उपाध्यक्ष महोदय, हम आपको बता सकते हैं, आप मंत्रीजी से कहिये (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने पूरी बात कह दी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से दौसा जिले के बारे में स्पेसिफिक घोषणा करवाइये। जानबूझकर दौसा के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, कोर्ट स्टे के कारण बैकलॉग रहा तीन साल का, क्या मंत्रीजी बैकलॉग को पूरा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश शर्मा : आगे प्रश्न नहीं आयेंगे तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आगे प्रश्न नहीं आने देंगे। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप कुछ भी कहें, हम आपकी + + + में नहीं आने वाले हैं (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह माननीय सदस्य द्वारा धमकी दिलाने से काम नहीं चलेगा। माननीय मंत्रीजी बतायें कि दौसा जिले के साथ सौतेला व्यवहार कब रुकेगा और दौसा जिला जो सम्पूर्ण विद्युतीकरण से हट रहा है, उसकी वापस कब क्रियान्विती होगी ? (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : दौसा जिले के बैकलॉग को क्या आप पूरा करेंगे जो कोर्ट स्टे के कारण रहा है ? (व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : न्यायालय का स्टे ला दिया गया है, जानबूझकर स्टे को प्रोलोंग किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी ने कहा है, महुआ का बैकलाग पूरा करूंगा।

श्री परसादीलाल मीणा : आप दिलवा दीजिये आश्वासन।

श्री शैलेन्द्र जोशी : स्टे हटने के बाद भी विद्युतीकरण नहीं किया जा रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बांदीकुई में एक भी जगह डेढ़-दो साल से नये कनेक्शन नहीं दिये हैं (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : क्या इस बैकलाग को मंत्रीजी पूरा करेंगे ?

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। श्रीमती इंदिरा मायाराम।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, बिराजने से नहीं होगा... (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : बहुत स्पेसिफिक माननीय मंत्रीजी ने जवाब दे दिया है, अब आप क्या चाहते हैं ?

श्री परसादीलाल मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, जनता ने हमको कोई यहां भजन करने के लिये नहीं भेजा है, हमको मंत्रीजी से सवाल पूछने के लिये भेजा है। मंत्रीजी, आप जवाब दीजिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अच्छा, तो आप बैठिये।

श्री उपाध्यक्ष : महुआ का तो जवाब दे दिया हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय हरिसिंहजी ने, जो जागरुक विधायक हैं, अपने विधान सभा क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रश्न किया है, जिसका मैंने जवाब दे दिया। अब आज उनके साथ सारे दौसा और अलग-अलग विधान सभा क्षेत्रों की मुझ से कोई जानकारी लेना चाहेंगे, तो मैं वह जानकारी देने की स्थिति में नहीं हूं। (व्यवधान).... आप अपना अलग से प्रश्न कर लीजिये। जागरूक विधायक ने अपना प्रश्न कर लिया, आपने अपना प्रश्न नहीं किया, मैं आपको उत्तर देने के लिये अभी तैयार नहीं हूं। (व्यवधान)....

श्री परसादीलाल मीणा : आप इनका तो बैकलाग पहले पूरा करो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप किसलिये यहां बैठे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : आप बैकलाग तो पूरा करिये....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आप जागरूक हो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : जनता से वाहवाही लूटना चाहते हैं। आपने दौसा जिले के एक भी गांव का विद्युतीकरण नहीं किया है.... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शैलेन्द्र जोशी, बिराजिये, अब बहुत हो गया। श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

पंचायत समिति सांगानेर में नयी पंचायतों का गठन

264. **श्रीमती इन्दिरा मायाराम** (सांगानेर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सांगानेर पंचायत समिति में दो नयी पंचायतों का गठन किया गया है ? यदि हाँ, तो उनके नाम क्या हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिस नाम से पंचायत का नोटिफिकेशन होता उसी नाम से गांव में पंचायत का हैड क्वार्टर भी होता है ? यदि हां, तो भापुरा पंचायत के पंचायत घर का निर्माण कार्य क्यों रोका गया है ?

राज्य मंत्री, पंचायती राज (श्री नाथू सिंह) : (1) सांगानेर पंचायत समिति में

Page No. 18

(श्री नाथू सिंह)

तीन नयी पंचायतों का गठन किया गया है उनके नाम निम्नलिखित हैं:-

(I) भापुरा
(II) देवलिया उर्फ हरचन्दपुरा।
(III) नृसिंहपुरा।

(2) जी हां। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जयपुर द्वारा "अपना गांव अपना काम" योजना के अन्तर्गत नयी ग्राम पंचायत, भापुरा के भवन निर्माण की स्वीकृति दिनांक 7.3.1995 को प्रदान की गयी थी, किन्तु सरपंच द्वारा यह अवगत कराये जाने पर कि पंचायत मुख्यालय परिवर्तन की कार्यवाही उनके द्वारा राज्य स्तर पर की जा रही है तथा जनता ग्राम सिरानी में पंचायत भवन बनाना चाहती है, के कारण अभिकरण द्वारा दिनांक 10.3.1995 को विकास अधिकारी से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट चाही गयी तथा अग्रिम आदेशों तक कार्य प्रारम्भ नहीं करने हेतु लिखा गया था। अब विकास अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर अब स्वीकृत ग्राम पंचायत मुख्यालय, भापुरा में ही भवन निर्माण कार्य पंचायत समिति के माध्यम से कराये जाने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि क्या सरकारी-तंत्र में भी आप अपनी पार्टी के द्वारा, किसी सदस्य द्वारा की गयी बात पर कार्यवाही करते हैं? सिरानी में किस बेसिस पर रोका गया, सिरानी में किस बेसिस पर मुख्यालय ले जा रहे थे? सरकार ने कैसे रोका?

दूसरी बात यह है कि राजस्थान में और किस-किस जगह, जहां आपके सरपंच आये वहां पर आप मुख्यालय बदलने की कार्यवाही करने की सोच रहे हैं? मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि आपने चुनावों में जो धांधली की वह तो ठीक है, मेरे यहां उपप्रधान के चुनाव में बिजली विभाग के जे.ईएन. सांगानेर ने हमारे धन्नी नाम की जो एक सदस्या थी, उसके बेटे नन्दा को बुलाकर धमकाया कि अगर तेरी मां ने वोट नहीं दिया उप-प्रधान के चुनाव में, तो हम तुम को यहां से नौकरी से हटा देंगे। इस तरह से धमका कर वोट लिये गये। वह जो की गयी वह तो की गयी....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप अपने प्रश्न तक सीमित रहिये। ....(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : प्रश्न पर ही बोल रही हूं मैं, मेरा प्रश्न है।....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, इस प्रश्न का इससे कोई रिलेशन नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप मुझे सुन लीजिये। मेरा सवाल यह है कि....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : पाइंटेड प्रश्न पूछें। माननीय सदस्या, पाइंटेड प्रश्न पूछिये आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनने की कोशिश करें। मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि सिरानी उठाकर ले जाने की अगर उन्होंने

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

आवेदन की थी, तो सरकारी तंत्र को क्या अधिकार था उस योजना को रोकने का ? मैं यह जानना चाहती हूं।

श्री नाथू सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कलक्टर के यहां एक एप्लीकेशन पेश हुई; गांव वालों की तरफ से और हमारे यहां एक्ट में प्रावधान है कि कोई मुख्यालय बदले जाने का यदि कोई कारण हो, तो उसके लिये एक सिस्टम है। एप्लीकेशन मिली और मिलने के बाद कलक्टर ने विकास अधिकारी की जानकारी प्राप्त करने के लिये दे दिया। तब तक उसको स्टे कर दिया। उसके बाद रिपोर्ट प्राप्त होते ही बनाने के आदेश दे दिये। इसमें क्या गलती हुई ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : इसमें गलती यह है कि आपके दल वालों ने चूंकि सिफारिश की इसलिये आपने रोक दिया।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। हो गया दल वाला अब। श्री भीमराजजी भाटी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमराज भाटी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो सप्लीमेंटी प्रश्न पूछने का अधिकार है और मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है इसलिये मैं प्रश्न पूछूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : भवन निर्माण कार्य पंचायत समिति के माध्यम से कराये जाने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मेरा कहना यह है कि आपके दल का कोई भी सरपंच अगर आपको यह कहेगा कि हमारे यहां बदल दीजिये तो क्या आप बदल देंगे ? आपका कौनसा ऐसा कानून है, नया सिस्टम है जिसके तहत आपने रोका है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपका प्रश्न था कि भापुरा में मुख्यालय होगा कि नहीं ? और इन्होंने कह दिया कि भापुरा में ही मुख्यालय होगा, पंचायत समिति उसका निर्माण करा रही है। अब प्रश्न यहीं खत्म हो गया।

श्री भीमराज भाटी।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह मेरे ऊपर कृपा नहीं की, आप कह रहे हैं कर दिया, यह तो कानून के तहत होना ही था।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, बिराजिये। (व्यवधान) ....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : एक मिनट मेरी पूरी बात सुनिये। (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये अब, माननीय सदस्या। श्री भीमराज जी भाटी।

श्री नाथू सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कानून में यह प्रावधान है, राज्य सरकार को पावर है कि यदि जेन्युइन शिकायत हो, जेन्युइन प्राब्लम हो....

एक माननीय सदस्य : कौनसे नियम हैं ?

श्री नाथू सिंह : नियम हैं मेरे पास एक्ट में, मैं आपको बता दूंगा । सेक्शन 9..

अनेक माननीय सदस्य : बताइये ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : और शिकायत क्या थी ? फिर उसमें कोई शिकायत तो थी नहीं वहां पर । सिर्फ सरपंच वहां का रहने वाला नहीं था, यह जरूर शिकायत थी और तो कोई शिकायत नहीं थी ।

श्री नाथू सिंह : यह कानून में प्रावधान है....

एक माननीय सदस्य : कौनसे कानून में ?

श्री नाथू सिंह : सेक्शन 9, एक्ट में, सेक्शन 9 में । आप सुन लीजिये, बिराजिये आप ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये । यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है ।....(व्यवधान) बिराजिये आप ।

श्री नाथू सिंह : अब अगर यह नहीं सुनना चाहते हैं तो....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, आप । दूसरों के प्रश्न आने दीजिये, माननीय सदस्य, बिराजिये आप ।

श्री नाथू सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कानून में प्रावधान है कि राज्य सरकार चाहे तो मुख्यालय बदल सकती है लेकिन उसके लिए हम एक महीने का नोटिस देते हैं, एक प्रोसीजर इसके लिये प्रेस्क्राइब्ड है, कोई उचित कारण हो तो । जनता कहीं भी शिकायत करती है, कोई एप्लीकेशन कलक्टर को, राज्य सरकार को मूव करती है, इस केस में भी एक एप्लीकेशन मूव की गयी । हमने उसकी जानकारी प्राप्त की, जानकारी प्राप्त करने के बाद...(व्यवधान).. एक मिनट, आप बैठे–बैठे मत बोलिये, आप सीनियर सदस्य हैं ।...जानकारी प्राप्त करने के बाद बी.डी.ओ. की रिपोर्ट आयी, उचित माना और वहां हमने बनने के आदेश दे दिये । जहां तक राजनीति का सवाल है, राजनीति तो कांग्रेस पार्टी ने की है, सांगानेर में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते हुए को ले जाकर प्रधान बना दिया कांग्रेस का समर्थन देकर के । इन्होंने राजनीति की है । (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य । मंत्रीजी, बिराजिये ।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : वह खुद आकर के बना, हमने नहीं बनाया । वह खुद आकर के बना है । (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमराज भाटी । (व्यवधान)....माननीय सदस्या, बिराजिये । (व्यवधान)....

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : जिला प्रमुख कितने रुपये देकर बनाया जयपुर में, यह भी बता दीजिये । (व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य :...जिला परिषद के सदस्य को लेकर....(व्यवधान).... +++ करो थोड़ी बहुत, नाथू सिंहजी ।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत हो गया, माननीय सदस्या, विराजिये। भीमराज जी भाटी। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पंचायत राज मन्त्री का दर्द सामने आ गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमराजजी भाटी।

नगर परिषद् पाली के ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं

265. **श्री भीमराज भाटी** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली नगर परिषद में किन-किन निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों को नगर परिषद में शामिल किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन ग्रामों में नगर की भांति बिजली, पेयजल, सड़क इत्यादि मूलभूत सुविधाओं के लिए परिषद क्या कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो ये सुविधाएं इन ग्रामों में कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) पाली नगर परिषद में जिन निकटवर्ती क्षेत्रों को शामिल किया गया है। उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) इन ग्रामों में बिजली, पेयजल, सड़क इत्यादि मूलभूत सुविधाएं नगर परिषद के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा सड़क व बिजली लाइनों के लिए सर्वे करवा लिया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

श्री भीमराज भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ही स्पेसिफिक सवाल पूछा था कि "इन ग्रामों में नगर की भांति बिजली, पेयजल, सड़क इत्यादि मूलभूत सुविधाओं के लिये परिषद क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो ये सुविधाएं इन ग्रामों में कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?" मुझे इसके जवाब में बताया गया है कि सर्वे करा लिया गया है और सड़क और बिजली लाइन है, इनमें न तो पेयजल का और न सफाई का है। तो मेरा सवाल यह है कि एक तो यह सारी मूलभूत सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

दूसरा, मेरा सवाल यह है कि इतने बड़े ग्रामीण क्षेत्र को इस पाली नगर परिषद में शामिल कर दिया गया। मुझे जो लिस्ट दी गयी है इसमें पाली चक नम्बर एक और चक नम्बर दो, मण्डली खुर्द का सम्पूर्ण क्षेत्र, मण्डिया का सम्पूर्ण क्षेत्र, पुनायता का सम्पूर्ण क्षेत्र, मानपुरा का सम्पूर्ण क्षेत्र, इतनी बड़ी जनसंख्या के इतने बड़े-बड़े गांव पाली नगर परिषद में शामिल कर लिये गये। नगर परिषद का एरिया भी क्षेत्रफल के हिसाब से इतना विस्तृत कर दिया गया तो शहर की सफाई व्यवस्था में जो सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, आप बिजली, पेयजल और सड़क के लिए तो बोल रहे हैं कि सर्वे करवा रहे हैं, उसकी तो मुझे एक निश्चित तारीख दें कि यह कब तक उपलब्ध करायेंगे ? और जिस हिसाब से जनसंख्या और क्षेत्रफल का दबाव शहर की नगर परिषद पर बढ़ा है

Page No. 22

(श्री भंवरलाल शर्मा)

इस हिसाब से सफाई कर्मचारियों की बढ़ोतरी करने के लिये आप कब नये सफाई कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं और कितने सफाई कर्मचारी आप नगर परिषद में लेना चाहते हैं ?

एक माननीय सदस्य : यह आप चाहते थे क्या लेना ?

श्री भंवर लाल शर्मा : वह तो आ गये, चाहते थे कि नहीं चाहते थे....

श्री रामनारायण चौधरी : यह गांव चाहते थे क्या नगर परिषद में आना ?

श्री भंवर लाल शर्मा : अब ही लिये हैं। ....(व्यवधान).... उपाध्यक्ष महोदय, मण्डली खुर्द, इसके लिए मैंने आपको निवेदन किया कि सर्वे हो चुका है और इनके कामों के लिए टेंडर इन्वाइट कर लिये गये हैं। यह टेंडर 17.4.95 को खोले जाएंगे और 24,000 रुपये के अमाउण्ट के हैं। मण्डिया में भी जो टेंडर कॉल किये हैं उनको खोलने की तारीख 17.4.95 है, मानपुरा में 6.4.95 को, यानि आज यह खोल दिये जाएंगे।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप से निवेदन करूंगा कि नगर परिषद का गठन अभी हुआ है और इतना जल्दी उन्होंने सर्वे करा कर टेंडर कॉल कर लिये और वह अभी खोले जा रहे हैं, तो इससे जल्दी तो अब हो नहीं सकता था। मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि यह टेंडर खोलते ही यह काम शुरू हो जाएंगे और इस बजट में ही इन सब कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री भीमराज भाटी : दूसरा, मेरा प्रश्न है जिसका आपने जवाब नहीं दिया। सफाई कर्मचारियों के लिये इतना बड़ा क्षेत्रफल आपने इन्वाल्व कर दिया, इतनी जनसंख्या को इन्वाल्व कर लिया तो सफाई कर्मचारियों की उन गांवों में सफाई की क्या व्यवस्था होगी ?

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय सदस्य, यह काम नगर परिषद करती है, नगर परिषद अपनी आवश्यकता के हिसाब से जो कर्मचारी रखना चाहे वह रखता है, हम से तो परिषद कभी स्वीकृति मांगेगा तो हम उस पर विचार करेंगे।

श्री भीमराज भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से...

श्री भंवर लाल शर्मा : एक मिनट, आप मेरी बात सुन लीजिये। आप खुद ही समझते हैं कि यह नगर परिषद का काम है, हम तो सफाई कर्मचारी यहां से लगायेंगे नहीं। नगर परिषद अपनी आवश्यकता के हिसाब से जितने कर्मचारी जहां लगाना चाहेगा वह लगायेंगे यदि उनका अधिकार बनेगा, हम से परमीशन लेंगे तो हम दे देंगे।

श्री भीमराज भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि नगर परिषद को सफाई कर्मचारी लगाने का कानून में अधिकार नहीं है तो यह राज्य सरकार से, यहां से परमीशन लेनी पड़ेगी, तो जब तक राज्य सरकार उन्हें परमीशन नहीं देगी, एक निश्चित संख्या की, क्या इतना क्षेत्रफल बढ़ा है, इतनी जनसंख्या बढ़ी है ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने तो आश्वासन दिया है कि हम दे देंगे परमीशन। बिराजिये।

श्री भीमराज भाटी : आश्वासन तो आश्वासन ही है, महोदय

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप। श्री ओम प्रकाशजी शर्मा।

श्री भीमराज भाटी : मैं तो बैठ जाऊंगा लेकिन कम से कम यह तो हो...(व्यवधान)...

देवस्थान भूमि पर अतिक्रमण

266. श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विभाग देवस्थान भूमि की रक्षा करता है एवं भूमि पर अतिक्रमण को जिला प्रशासन की मदद से हटवाता है ? यदि हां, तो दिनांक 16 अप्रैल, 1994 को हनुमान धर्मशाला, बूंदी शहर लंकागेट रोड के पीछे की भूमि पर हुए कब्जे के मामले पर विभाग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 1995 तक भी कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण रहे ?

(2) क्या यह सही है कि विभागीय अधिकारी एवं जिला प्रशासन अतिक्रमियों से मिले हुए हैं ? यदि नहीं, तो विभाग द्वारा अतिक्रमी को क्यों नहीं हटाया गया ?

(3) क्या यह सही है कि अतिक्रमण को बढ़ावा देने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु स्थानीय विधायक द्वारा कोई शिकायत की गयी ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

देवस्थान मन्त्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) : (1) जी हां, यह सही है कि देवस्थान विभाग अपने अधीनस्थ प्रबंधित एवं नियंत्रित मंदिरों/संस्थानों की सम्पदा (भूमि) की रक्षा करता है तथा सम्पदा पर अतिक्रमण होने पर राजस्थान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत सम्पदा अधिकारी के न्यायालय में बेदखली का वाद दायर किया जाकर बेदखली की कार्यवाही की जाती है तथा जिला प्रशासन से भी कानूनी आवश्यक मदद ली जाकर अतिक्रमी को हटाया जाता है।

हनुमान धर्मशाला मंदिर बाहर लकागेट रोड, बूंदी की भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में तत्कालीन अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिनांक 6.4.94 को प्रेषित शिकायत प्राप्त होते ही मामले की उपखण्ड अधिकारी, बूंदी से जांच करवायी गयी थी।

दिनांक 16.4.94 को मंदिर, श्री हनुमान जी धर्मशाला बूंदी शहर की भूमि पर अतिक्रमी निरंजन गुप्ता (लगभग 25×35 वर्ग फीट भूमि पर अतिक्रमण) निरीक्षक द्वारा अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों (अतिरिक्त जिलाधीश बूंदी) को अतिक्रमण से सम्बन्धित समस्त जानकारी दी एवं अतिक्रमी नहीं हटाने पर दिनांक 20.4.94 को पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट 118/94 दर्ज कराई गयी, जिस पर वाद तफतीश न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है।

फिर भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर विधि सम्मत प्रक्रिया के अन्तर्गत निरीक्षक, देवस्थान विभाग, बूंदी द्वारा सम्पदा अधिकारी, देवस्थान विभाग, कोटा के न्यायालय में वाद दायर किया गया। सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, कोटा द्वारा अतिक्रमी के

२९

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

विरुद्ध निर्णय पारित कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश प्रदान किये।

अधिक सतर्कता बरतते हुए निरीक्षक, देवस्थान बूंदी द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय, बूंदी में केवियट भी दिनांक 2.2.95 को दर्ज करा दिया। अतिक्रमी द्वारा दिनांक 6.2.95 को सम्पदा अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध जिला एवं सत्र न्यायालय, बूंदी में अपील प्रस्तुत कर दी। जिसमें अदालत में दिनांक 27.4.95 को बहस हेतु निश्चित की तथा यथास्थिति आदेश दिया।

(2) जी नहीं। विभाग के अधिकारियों ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के सहयोग से अतिक्रमी के विरुद्ध सभी सम्भव कार्यवाही त्वरित गति से की है। अतिक्रमी को अवैधानिक एवं अनुचित लाभ नहीं पहुंचाया गया है। अतिक्रमी को हटाने सम्बन्धी कार्य विधि सम्मत कार्यवाही करके ही सम्भव है।

(3) जी नहीं। विभाग के किसी भी अधिकारी ने अतिक्रमण को बढ़ावा नहीं दिया है। अतः वर्तमान में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि 16.4.94 को आपके विभाग के अधिकारियों ने उप खण्ड अधिकारी को सूचना दी। 20.4.94 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी और चालान पेश किया। मैं पूछना चाहूंगा कि जब इनको 16.4.94 को सूचना मिल गयी और उसके बाद में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी इस बीच में इनके अधिकारी क्या करते रहे? नम्बर दो; क्या अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाना आवश्यक था या अतिक्रमण का नोटिस दिया जाना? अप्रैल, 1994 से अक्टूबर, 1994 तक आपके विभाग ने इस अतिक्रमण को हटाने के लिये क्या किया? नम्बर तीन, 27.1.95 को सहायक आयुक्त ने अतिक्रमण हटाने के आदेश भी जारी कर दिये और केवियट भी 2.2.95 को पेश कर दी। इससे स्पष्ट है कि आपके विभाग के सहायक आयुक्त एवं अतिक्रमी मिले हुए हैं, इसलिये अतिक्रमण नहीं हटाया गया। 27.1.95 से 6.2.95 तक आपके विभाग के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने क्या किया? अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया? इसका जवाब मन्त्री महोदय दें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, जब इसके बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी, तुरन्त उसके साथ जितनी कानूनी कार्यवाही की जा सकती थी, एफ. आई. आर. दर्ज कराने का काम भी किया। सम्पदा अधिकारी के बिना आदेश के अतिक्रमी को नहीं हटाया जा सकता। उनका निर्णय भी 27.1.95 को हो गया। हमने एडवांस में यह सोचकर कि हो सकता है यह सैशन कोर्ट में जाकर स्टे ले लेगा तो हमने अपनी तरफ से एडवांस में केवियट भी फाइल कर दी। अब यह तो न्यायालय का जब तक 27.4.95 तक निर्णय नहीं होता है तब तक इस पर कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है। माननीय सदस्य को मालूम होगा कि यह सारी प्रक्रिया कानून के तहत हमको करनी पड़ती है, इसके बिना हम किसी भी अतिक्रमी को जबरदस्ती नहीं हटा सकते। राजस्थान पब्लिक प्रेमिसेज एक्ट, 1964 की धारा 5 (क) (दो) की पालना करनी पड़ती है और इसके तहत यह है कि

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हटाने के पहले अतिक्रमी को 30 दिन का समय दिया जाता है और वह तीस दिन में इसको नहीं हटाता है तो फिर हम किसी भी तरीके से फोर्स लगाकर भी उसके सारे सामान को हटा सकते हैं। तो कानून में जिस प्रकार की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की पालना करके ही हम इसके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री श्रोम प्रकाश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है। अप्रेल से अक्टूबर तक आपके विभाग के अधिकारियों ने क्या किया ? नम्बर दो, मंत्री महोदय ने जैसा बताया कि पहले नोटिस देंगे, इसका मतलब मैं ग्राम सड़क पर जाकर कब्जा कर लूं, कब्जा करके वहां रहूं, फिर मुझे नोटिस दें और नोटिस देने पर मैं कोर्ट में जाऊं और स्टे ले लूं, तब तक विभाग के अधिकारी बैठे रहेंगे ? इसका मतलब साफ-साफ है कि आपके विभाग के अधिकारियों ने वहां के लोगों से, अतिक्रमियों से मिलकर अतिक्रमण कराया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन अधिकारियों ने यह अतिक्रमण कराया है और देखते रहे हैं, उनको सस्पेण्ड करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि....

श्री कालूलाल गुर्जर (मांडल) : जितनी भी जमीनें हैं राजस्थान में, यह तो एक बूंदी का प्रश्न है लेकिन एक यह ही नहीं है, पूरे राजस्थान में (व्यवधान)....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह बूंदी का प्रश्न है, बूंदी तक ही सीमित रहने दें। आप टाइम क्यों खराब करवा रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री कालूलाल गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में....

श्री उपाध्यक्ष : कोई पाइंटेड प्रश्न पूछना चाहें आप।

श्री कालूलाल गुर्जर : हां, इससे सम्बन्धित सवाल है। पूरे राजस्थान में देवस्थान की जितनी भी जमीनें हैं, मंदिर हैं, उनके ऊपर कई जगह अतिक्रमण हैं। माननीय मन्त्री महोदय, यह बतायें कि क्या आप ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे जिन-जिन मन्दिरों की जमीनों पर, देवस्थान की जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं, उनके कब्जे हटाने की कोई पुख्ता व्यवस्था करेंगे या ऐसी कोई कार्यवाही करेंगे ? क्योंकि भीलवाड़ा जिले में भी आसीन्द में एक मंदिर है, उसकी ढाई सौ बीघा जमीन पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं और वह आज दिन तक नहीं हटे। कई बार शिकायतें भी हो गयीं। लेकिन आज तक देवस्थान विभाग ने उनके कब्जे नहीं हटाये। ऐसे और जगह भी उदाहरण हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, बूंदी में, विशेषकर के जिला कलक्टर के दफ्तर के लोगों द्वारा भी यही देवस्थान विभाग की जमीनें हड़पने के कई मामले पहले भी आये हैं, मैंने भी कई मामले यहां उठाये हैं, विशेषकर धर्मशाला का। क्या सरकार इस तरह के मामलों को सुलझाने के लिये या अतिक्रमण हटाने के लिये कोई स्थानीय स्तर पर

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

(व्यवधान) जांच करवाने का निवेदन कर रहा हूं मैं। वहां षड़यंत्र किये जा रहे हैं ऐसे, कई लोग मिले हुए हैं वहां।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, नहीं तो जवाब नहीं सुन पाएंगे आप।

श्री मांगीलाल मेघवाल : कई लोग मिले हुए है वहां, जांच करवाने की बात है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय ओम प्रकाश जी का जो सवाल था, इसी के मुत्तलिक मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि विवादग्रस्त भूमि, पहले तो यह बताया जाए कि देवस्थान विभाग किस प्रकार अपनी मानता है ? राजस्व विभाग तो लिखकर देता है कि यह भूमि नगर–पालिका की है और आप अपनी भूमि मानते हैं। जो अतिक्रमी बताया गया है वह देव-स्थान विभाग का बाकायदा किरायेदार है। रसीदें हैं और आज की तारीख में उसका किराया हर वर्ष जमा होता है, हर महीने जमा होता है। आप उसको अतिक्रमी बता-कर देवस्थान विभाग के जरिये निकालना चाहते हैं। वह जमीन आपकी है ही नहीं और स्टेट्स को का....(व्यवधान) जितना मकान देवस्थान विभाग का था, जो बिल्डिंग थी, वह उसके नाम पर किराये पर है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बाकी विवादग्रस्त भूमि के बाबत जो स्टे दिया गया, क्या मंत्री महोदय उस आपरेटिव मोशन को पढ़कर सुनायेंगे ? देवस्थान विभाग वाले मालिक भी हैं या नहीं, वह जमीन नगरपालिका की है। उस पर देव–स्थान विभाग का कोई हक ही नहीं हैं.... (व्यवधान) आप एक सम्प्रदाय को, चूंकि वह लोग आपके +++ की तरह है इसलिये उस पर कब्जा देना चाहते हैं....

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य, इसके वकील हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप। उसको सबक सिखाना चाहते हैं और हम यह नहीं हटने देंगे। वह जमीन आपकी नहीं है (व्यवधान) मान्यवर, देवस्थान विभाग का कोई लेना–देना नहीं है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर तो सुनिये, आप बिराजिये आप।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, वह अतिक्रमी इसलिये है कि उसने पहले हमारे पास से किराये की कुछ जमीन ले रखी है जिस पर वह (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जमीन नहीं ले रखी है, आप गलत कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप मंत्रीजी का उत्तर आने दीजिए, बिराजिये आप। ..(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि उस अतिक्रमी के माननीय सदस्य वकील हैं ? आप बताइये, क्या वकील हैं आप उसके ?

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां, बोलिये क्या पूछना चाहते हो ?

श्री कालीचरण सराफ : इसीलिये पक्ष ले रहे हो उसका....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य में प्रधानमंत्री रोजगार गारण्टी योजना की क्रियान्विति

385. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) **एवं श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) :– क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) प्रधान मंत्री रोजगार गारण्टी स्कीम राज्य में कब से लागू है और इसमें अब तक क्या प्रगति हुई ?

(2) इस योजना के अन्तर्गत किस-किस जिले में गत 1 वर्ष में कितने बेरोजगारों को ऋण उपलब्ध कराया गया ?

(3) ऋण हेतु प्रार्थना–पत्र कब–कब आमंत्रित किये गये थे और ऋण वितरण कब किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) नागौर जिले में वर्ष 1994-95 में कितने लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य था ? कितने लोगों को लाभान्वित किया गया ?

(5) जिले में किस–किस बैंक शाखा को कितना-कितना लक्ष्य दिया गया जिसमें से कितना–कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया ?

(6) जिले की किन-किन बैंक शाखाओं ने किस–किस को किस–किस कार्य हेतु कितना-कितना ऋण व अनुदान उपरोक्त अवधि में दिया तथा किन किन के आवेदन-पत्र को किन-किन कारणों से अस्वीकृत किया गया ?

(7) किन लोगों के आवेदन-पत्र बैंकों द्वारा अस्वीकृत किये गये है, उनको लाभान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी और क्या की जाएगी ?

उत्तर

(1) माननीय सदस्य, विधान सभा का आशय प्रधानमंत्री रोजगार योजना से प्रतीत होता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना राज्य में 2 अक्टूबर, 1993 से आरम्भ की गई है। इस योजना की अब तक की प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:—

(उद्योग मंत्री)

वर्ष	लक्ष्य लाभान्वित किये जाने वाले युवाओं की संख्या	बैंकों को प्रायोजित आवेदन–पत्रों की संख्या.	ऋण स्वीकृत युवाओं की ख्या	ऋण वितरित युवाओं की संसंख्या (फरवरी, 95 तक)
1993–94	1,410	3,251	1,257	775
1994–95	8,300	16,509 (फरवरी, 1995 तक)	6,400	821

शेष युवाओं को ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है।

(2) राज्य में गत वर्ष 1993–94 में प्रधानमंत्री रोजगार योजनान्तर्गत विभिन्न बैंकों द्वारा 1257 युवाओं को ऋण स्वीकृत किया गया है जिसमें से मार्च, 1994 तक 32 युवाओं को ऋण वितरण किया गया था। भारत सरकार से योजनान्तर्गत प्राप्त निर्देशों के अनुसार बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत शुदा समस्त युवाओं को ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उपरोक्त 1257 युवाओं में से फरवरी, 1995 तक 775 युवाओं को ऋण वितरण किया जा चुका है। जिलेवार सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) यह योजना 2 अक्टूबर, 1993 से प्रारम्भ की गयी है। गत वर्ष (1993–94) में इस योजनान्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 31.10.93 निर्धारित की गई थी परन्तु अपेक्षित संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि 20.11.93 तक बढ़ा दी गई थी। तत्पश्चात जिला टास्कफोर्स द्वारा पात्र युवाओं का चयन कर उनके प्रार्थना पत्र बैंकों को प्रायोजित कर दिये गये और इनमें से ऋण स्वीकृत युवाओं को चार सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान किया गया और प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त ऋण वितरण की कार्यवाही आरम्भ की गयी। ऋण वितरण की सूचना "अ" परिशिष्ट संलग्न है।

(4) नागौर जिले में वर्ष 1994–95 में इस योजनान्तर्गत 404 युवाओं को लाभान्वित कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बैंकों को 792 प्रार्थना पत्र स्वीकृति हेतु भेजे गये जिसमें से 20 मार्च, 1995 तक 278 युवाओं को ऋण स्वीकृत कर 40 युवाओं को ऋण वितरण किया जा चुका है।

(5) जिले में बैंकवार आबंटित लक्ष्यों एवं लक्ष्य प्राप्ति की प्रगति की सूचना परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(6) जिले में बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण

(उद्योग मंत्री)

की सूचना परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। योजनान्तर्गत लाभार्थी को 15 प्रतिशत (अधिकतम 7500 रुपये) अनुदान दिया जाता है जो बैंकों को सीधे ही भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त होता है। बैंकों द्वारा अभी तक किसी भी युवा का आवेदन पत्र निरस्त नहीं किया गया है।

(7) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

किशनगढ़ में मार्बल उद्योग हेतु भूमि की अवाप्ति

386. **श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिंडोली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मदनगंज-किशनगढ़ में नये मार्बल उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रीको ने 1755 बीघा जमीन के अधिग्रहण की स्वीकृति के लिये सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया है ?

(2) क्या यह सही है कि किशनगढ़ में नये उद्योग स्थापित करने वालों को भूमि अवाप्ति की स्वीकृति जारी न होने से भूमि प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार रीको को भूमि अवाप्ति की स्वीकृति शीघ्र जारी करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि रीको द्वारा किशनगढ़ भीलवाड़ा बाई पास पर ग्राम सलोरा के निकट राजस्व ग्राम किशनगढ़ "ए" की 1210–05 बीघा राजकीय चरागाह भूमि का नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु चयन किया है।

(2) प्रस्तावित भूमि किशनगढ़ के मास्टर प्लान में हरित पट्टी (ग्रीन बेल्ट) दर्ज है। अतः उद्योग हेतु इसका भू–उपयोग परिवर्तित करने का प्रस्ताव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पास विचाराधीन है। प्रस्तावित भू–उपयोग में परिवर्तन के पश्चात् रीको प्रस्तावित भूमि को उद्योग हेतु आवंटन कर सकेगा। इस बीच रीको ने राजस्व विभाग/जिला कलक्टर, अजमेर को प्रस्तावित भूमि को चरागाह से मुक्त करने और औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित करने के लिये अनुरोध किया है।

राज्य में अप्रवासी भारतीयों द्वारा उद्योगों की स्थापना

387. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राजस्थान में उद्योग लगाने हेतु अप्रवासी भारतीयों ने प्रार्थना–पत्र दिये हैं ? यदि हां, तो किन्होंने तथा कौनसे उद्योग स्थापित करने हेतु ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में उद्योग लगाने हेतु अप्रवासी भारतीयों द्वारा दिये गये प्रार्थना–

(उद्योग मंत्री)

पत्रों का इकाईवार विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) उक्त इकाईयों में से रीको द्वारा वित्त पोषित इकाईयों को रीको के माध्यम से भूमि आवंटन एवं वित्तीय सहायता प्रदान कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त राजस्थान वित्त निगम द्वारा वित्त पोषित इकाईयों को वित्तीय सहायता दी गयी है/दी जा रही है। साथ ही उक्त इकाईयों द्वारा अपेक्षित अन्य मार्गदर्शन/सुविधाएं राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं यथा–उद्योग निदेशालय, रीको, राजस्थान वित्त निगम एवं ब्यूरो आफ इण्डस्ट्रीयल प्रमोशन आदि द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–5 देखें।)

शहरों को बी–2 श्रेणी में लेने के मापदण्ड

388. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राज्य के प्रमुख शहरों को बी-2 श्रेणी में लेने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित हैं ?

(2) उदयपुर शहर तथा उदयपुर शहर के 8 किलोमीटर परिक्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार कितनी थी और मानदण्ड के अनुसार दिसम्बर, 1994 में यह जनसंख्या कितनी होती है ? क्या यह बी-2 श्रेणी के मानदण्डों के अनुकूल नहीं है ?

(3) क्या राज्य सरकार उदयपुर शहर को बी-2 श्रेणी घोषित करने के लिये अपनी संस्तुति भेजने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) शहरों की आबादी के आधार पर वर्गीकृत केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। यह कार्य राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता है।

(2) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार उदयपुर शहर से 8 कि.मी. परिक्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या 3,37,901 थी और दिसम्बर, 1994 में यह अनुमानित 3,63,273 होती है। शहरों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में प्रश्न के उत्तर भाग एक में स्पष्ट किया जा चुका है।

(3) प्रश्न के उत्तर भाग एक एवं दो में इसका उत्तर भी सम्मिलित है।

नगरपालिका जहाजपुर के कर्मचारियों की प्रोविडेन्ट फण्ड एवं जी.पी.एफ. राशि

389. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि जहाजपुर नगरपालिका के कर्मचारियों की प्रोविडेंट फण्ड एवं जी.पी.एफ. की राशि 1985 से जमा नहीं करायी गयी है ? यदि हां, तो वर्षवार, कर्मचारीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

(2) क्या यह सही है कि राशि कटौती के बाद जमा नहीं कराना कानूनी अपराध है? क्या इस बाबत शिकायतें प्राप्त होने पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही कराई गयी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार इस गम्भीर मामले की जांच करा कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब व क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार जमा राशि विभागों में जमा कराने के लिये कोई अनुदान की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। इस बारे में नगरपालिकाओं को दिनांक 16.11.94 को एक परिपत्र जारी किया जा चुका है।

(3) जी हां। इस बारे में नगरपालिका से पूर्ण स्थिति की जानकारी मंगवाई जा रही है। इसके बाद आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(4) जी नहीं। इस प्रकार बकाया राशि के लिए नियमों के अन्तर्गत ग्रान्ट नहीं दी जाती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

नगरपालिका सागवाड़ा के पार्षदों के के विरुद्ध शिकायतें

390. श्री भीखाभाई (सागवाड़ा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या नगरपालिका, सागवाड़ा के सदस्यों के खिलाफ अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो इनकी जांच किस एजेन्सी के माध्यम से करवाई गयी? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच किसी तटस्थ गुप्त एजेन्सी से कराने का विचार रखती है?

उत्तर

जी हां। इनकी जांच उप खण्ड अधिकारी सागवाड़ा द्वारा करवाई गयी। एक प्रकरण की सतर्कता समिति में पंजीकृत किया जाकर जांच कार्यवाही की जा रही हैं। इसके अलावा एक शिकायत पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव जिला परिषद, डूंगरपुर से जांच करवायी गयी हैं।

नगरपालिका जोबनेर के सुलभ शौचालय

391. श्री गोपीराम जाट (आमेर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर पालिका क्षेत्र जोबनेर, जिला जयपुर में कितने सुलभ शौचालय निर्माणाधीन हैं?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बजट स्वीकृति के बाद भी इन सुलभ

(श्री गोपीराम जाट)

शौचालयों को पूर्ण नहीं कराया जा रहा है ? यदि हां, तो इनको पूर्ण न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार इन सुलभ शौचालयों को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगरपालिका, जोबनेर में 1 सार्वजनिक शौचालय सुलभ काम्पलेक्स निर्माणाधीन है।

(2) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1992 में सार्वजनिक शौचालय/मूत्रालय बनाये जाने हेतु 3.00 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया था परन्तु नगरपालिका ने इसके निर्माण में गम्भीर अनियमितताएं कीं। इस कारण जांच के बाद इसे आगे स्वीकृति नहीं दी है।

(3) नगरपालिका द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किये जाने पर सरकार द्वारा सुलभ शौचालय के निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय लिया जावेगा।

नगरपालिका भीलवाड़ा द्वारा आमंत्रित निविदाएं

392. **श्री कालूलाल गूर्जर** (माण्डल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर परिषद्, भीलवाड़ा में अगस्त, 1990 से फरवरी, 1995 तक कुल कितनी-कितनी लागत के कितने निर्माण कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की गयीं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निविदाओं में से किस-किस निविदा के बारे में नेगोसियेशन किए गए और किस-किस में नहीं ? नेगोसियेशन करने और नहीं करने के क्या-क्या कारण रहे ?

(3) उक्त निविदाओं की स्वीकृति के बाद कार्यानुमति कब-कब दी गयी ? किस-किस निविदा की कार्यानुमति नहीं दी गयी ? कार्यानुमति नही देने के क्या कारण रहे ? देरी से कार्यानुमति देने के क्या कारण रहे ? कार्यानुमति नहीं देने के कारण कौन सी निविदाएं निरस्त हो गयीं और किस-किस की दुबारा निविदाएं आमंत्रित की गयीं ? दुबारा निविदाएं आमंत्रित करने के कारण दर में कितना अन्तर आया ?

(4) टेन्डर्स की कार्यानुमति देने के अधिकार किसको हैं ?

उत्तर

(1) नगर परिषद्, भीलवाड़ा में अगस्त, 1990 से फरवरी, 1995 तक निर्माण कार्यों की आमंत्रित की गयीं निविदाओं की वर्षवार मय लागत के सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) प्रश्न के उत्तर भाग 1 में प्रस्तुत सूची में जिन-जिन कार्यों के बारे में नेगोसियेशन किये गये हैं और जिनमें नेगोसियेशन नहीं किये गये हैं प्रस्तुत हैं। जिन निविदाओं में दरें अधिक प्रतीत होती हैं, उन्हीं कार्यों के नेगोसियेशन कराये जाते हैं।

(3) निविदाओं की स्वीकृति के बाद

(स्वायत्त शासन मंत्री)

कार्यानुमति की दिनांक प्रश्न के भाग एक में प्रस्तुत सूची में अंकित कर दी गयी है। जिन कार्यों की अनुमति नहीं दी गयी है उन कार्यों का विवरण भी सूची में दर्शाया गया है। कार्यानुमति नहीं देने के कारण भी उपरोक्त सूची में दर्शाये गये हैं।

(4) सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् कार्य की सभापति एवं आयुक्त द्वारा अनुमति देने के पश्चात् अधिशाषी अभियन्ता द्वारा कार्यादेश जारी किया जाता है एवं कार्य की अनुमति के अधिकार आयुक्त एवं सभापति महोदय को हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय मे रखी गयी।)

नगरपालिका मांगरोल का चुंगी वसूली प्रकरण

393. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा), **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगरपालिका मांगरोल, जिला बांरा द्वारा वर्तमान में माल पर कितने प्रतिशत चुंगी वसूली की जा रही है? चुंगी दरों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त नगरपालिका द्वारा निर्धारित दरों से अधिक चुंगी वसूल करने के मामले ध्यान में आए हैं? यदि हां, तो दर से अधिक चुंगी वसूल करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगर पालिका मांगरोल जिला बांरा द्वारा आयातित माल पर नग/तौल व प्रतिशत से चुंगी वसूल की जा रही है। चुंगी दरों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) चुंगी अनुसूची के मुताबिक चुंगी वसूल की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

नगर निगम, जोधपुर की आय

394. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जोधपुर नगर निगम को इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रोनिक्स गुड्स पर अप्रेल, 1994 से फरवरी, 1995 तक माहवार कितनी आय हुई?

(2) वर्ष 1993-94 में इस मद में कितनी आय हुई? क्या यह आय वर्ष 1994-95 की अब तक हुई आय से कम है या ज्यादा?

(3) उपरोक्त प्रकार के गुड्स पर वजन के आधार पर चुंगी वसूलने की प्रक्रिया किन-किन शहरों में लागू है और कब से?

उत्तर

(1) जोधपुर नगर निगम को इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रोनिक्स गुड्स पर अप्रेल, 1994 से फरवरी, 1995 तक हुई आय का विवरण संलग्न है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) वर्ष 1993-94 में इस मद से कुल आय 41,76,502.00 रुपये हुई। यह आय वर्ष 1994-95 में हुई कुल आय से कम है।

(3) उपरोक्त प्रकार के गुड्स पर राज्य की लगभग सभी नगर निगम/परिषद् व पालिकाओं में चुंगी कर वजन एवं प्रतिशत अथवा दोनों के आधार पर वसूल किया जा रहा है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें।)

नगर परिषद्, जोधपुर का भूमि प्रकरण

395. **श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जोधपुर नगर के परकोटे के बाहर जोधपुर नगरीय क्षेत्र में वर्ष 1984 से 1986 तक, जो सार्वजनिक भूमियां व भूखण्ड नगर परिषद्, जोधपुर द्वारा आबंटित, नियमित अथवा विक्रय की हैं, उनके सम्बन्ध में निम्न सूचनाएं अलग-अलग कालम्स में सदन की मेज पर रखें:-

(क) भूमि व भूखण्ड का स्थान,

(ख) भूमि व भूखण्ड का क्षेत्रफल,

(ग) भूमि व भूखण्ड के आबंटी या क्रेता का नाम,

(घ) भूमि व भूखण्ड से प्राप्त विक्रय मूल्य।

(2) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर के परकोटे के बाहर जोधपुर नगरीय क्षेत्र सीमा में सार्वजनिक भूमि व भूखण्ड का आबंटन, नियमन अथवा विक्रय नगर सुधार न्यास, जोधपुर के अधिकार क्षेत्र में ही आता है ?

(3) यदि हां, तो उपरोक्त भूमियों व भूखण्डों का अवैधानिक आबंटन, नियमन अथवा विक्रय कब तक निरस्त किया जायेगा एवं सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कब तक, क्या दण्ड की कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जोधपुर नगर निगम द्वारा वर्ष 1984 से 1986 तक जो भूखण्ड आबटित, नियमित अथवा विक्रय किये हैं उनके सम्बन्ध में चाही गयी सूचना सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां।

(3) नगर निगम जोधपुर की सीमा में जो भूमि निगम के स्वामित्व की है, का विक्रय किया गया है। इसलिए कोई कार्यवाही का प्रश्न नहीं है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें।)

नगर निगम, जोधपुर तथा नगरपालिका बिलाड़ा, पीपाड़ एवं फलौदी के विकास कार्य

396. **श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

नगर निगम, जोधपुर एवं नगरपालिका, बिलाड़ा, पीपाड़, फलौदी में पिछले पांच वर्षों

Page No. 35

35

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

में कन-कौन से विकास कार्य कराये गये ? इनकी स्वीकृति के क्या–क्या आधार रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नगर निगम, जोधपुर एवं नगर पालिका बिलाड़ा, पिपाड़, फलौदी में पिछले पांच वर्षों में किये गये विकास कार्य एवं स्वीकृति के आधार का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नगर परिषद्, ब्यावर की दुकानें

397. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ब्यावर नगर परिषद् द्वारा शहर के विभिन्न हिस्सों में व्यावसायिक प्रयोजनार्थ जिन दुकानों का निर्माण कराया हुआ है उनकी छतों पर दुकानें एवं कमरों के निर्माण कराने के लिए 99 वर्ष की लीज पर आवंटन करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) परिषद् की माली हालत सुधारने के लिए सरकार द्वारा ऐसी योजना अब तक नहीं बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार अब ऐसी योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) नगर परिषद द्वारा तकनीकी जांच करवाई जा रही है। तत्पश्चात् नगर परिषद मण्डल द्वारा कोई निर्णय लिया जावेगा। माली हालत सुधारने के लिए बकाया वसूली हेतु कारगर कदम अब तक नहीं उठाये जाने के लिए सम्बन्धित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।

(3) प्रश्न के उत्तर भाग दो में इसका उत्तर भी सम्मिलित है।

नगर निगम, जयपुर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लम्बित प्रकरण

398. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नगर निगम जयपुर में वर्ष 1986 से 1987 के मध्य कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए तथा कितने कर्मचारियों के पेंशन, ग्रेच्यूटी के मामले लम्बित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सेवानिवृत्त कर्मचारियों में से ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें अभी तक भी पेंशन, ग्रेच्यूटी की राशि का भुगतान नहीं किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारियों की पेंशन, ग्रेच्यूटी राशि के भुगतान से पूर्व मृत्यु भी हुई है ? यदि हां तो उनमें से किस–किस कर्मचारी के आश्रितों ने पेंशन, ग्रेच्यूटी की मांग की हैं ? सूची सदन की मेज पर पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में कार्यरत कर्मचारी जिनकी सेवानिवृत्ति के

(श्री हीरालाल)

उपरान्त मृत्यु हो चुकी है, के आश्रितों को अभी तक भी ग्रेच्युटी एवं पेंशन की राशि का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) अब कब तक आश्रितों को पेंशन, ग्रेच्यूटी राशि का भुगतान कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) नगर निगम, जयपुर में वर्ष 1986-87 में केवल एक ही कर्मचारी श्री नाथू पुत्र गुल्या, गाड़ीवाला सेवानिवृत्त किया गया था। चूंकि नगरपरिषद के कर्मचारियों को पेंशन तथा ग्रेच्यूटी देने के नियम जारी नहीं किये गये थे। अतः निगम के पास वर्ष 1986-87 का पेंशन एवं ग्रेच्यूटी का कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

(2) वर्ष 1986-87 से सेवानिवृत्त कर्मचारियों का प्रकरण लम्बित नहीं है।

(3) वर्ष 1986-87 से सेवानिवृत्त कर्मचारियों में से ऐसे किसी भी कर्मचारी का प्रकरण लम्बित नहीं है।

(4) वर्ष 1986-87 का ऐसा कोई प्रकरण निगम कार्यालय में लम्बित नहीं है।

(5) चूंकि वर्ष 1986-87 का कोई प्रकरण निगम के पास लम्बित नहीं है। अतः पेंशन एवं ग्रेच्यूटी का भुगतान किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

नन्दपुरी एवं गोविन्दपुरी (जयपुर) में नालियों एवं सड़कों का निर्माण

399. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सोडाला स्थित नन्दपुरी व गोविन्दपुरी तथा राम नगर कालोनी, जयपुर में नालियों का निर्माण कराया हुआ है ? यदि हां, तो इन नालियों की सफाई नियमित रूप से की जा रही है ? यदि नहीं, तो अब कब तक इन नालियों की नियमित सफाई कराने की व्यवस्था करा दी जायेगी ?

(2) क्या यह सही है कि अभी इन कालोनियों में सड़क पर सफाई की नियमित व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो इन कालोनियों में सड़क की नियमित सफाई व्यवस्था कब तक करायी जायेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में इन कालोनियों में विभिन्न स्थानों पर कचरा पात्र नहीं रखवाये हुए हैं जिससे कचरा सड़कों पर फैलता रहता है तथा नालियां भी अवरुद्ध हो जाती हैं ? यदि हां, तो क्या इसके निराकरण हेतु इन कालोनियों में कचरा पात्र रखवाने तथा समय पर कचरा उठाने की सरकार व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) सोडाला स्थित नन्दपुरी, गोविन्दपुरी व रामनगर कालोनी में वित्तीय उपलब्धता के अनुसार आंशिक रूप से नालियों का निर्माण किया गया है। इन कालोनियों में सफाई कार्य हेतु सफाई कर्मचारियों के कम होने के उपरान्त भी नालियों की सफाई करवाई जा रही है।

(2) सड़क सफाई हेतु नियमित गैंग नहीं है। आवश्यकतानुसार कुछ कर्मचारियों को लगाकर सफाई कराई जा रही है।

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

(3) जी नहीं। इन कालोनियों में आवश्यकतानुसार कचरा पात्र रखवा दिये गये हैं। यह भी सही नहीं है कि कचरे की वजह से नालियां अवरुद्ध हो जाती हैं। कालोनी का एकत्रित कचरा समय पर वाहन द्वारा रोजाना उठवा दिया जाता है।

जोधपुर शहर की लिफ्ट केनाल योजना

400. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) शेरगढ़ तहसील के आस-पास जोधपुर लिफ्ट केनाल जहां खुली है, क्या उसमें जगह-जगह मिट्टी भरी हुई है? आगामी गर्मियों के मौसम में रेतीली आंधियां चलने से खुली नहर में मिट्टी जमा न हो, इस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है?

(2) आगामी गर्मियों के मौसम में जोधपुर शहर को पानी लिफ्ट केनाल से उपलब्ध कराने बावत सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

(1) रेगिस्तानी क्षेत्रों में आंधियों के कारण इस प्रकार मिट्टी भर जाना एक प्राकृतिक क्रिया है जिसको समय-समय पर हटवाना विभाग की संधारण समस्या है। समस्या के बेहतर समाधान हेतु वर्तमान में मुख्य रूप से वन विभाग के माध्यम से सघन वृक्षारोपण का कार्य भी प्रगति पर है।

(2) आगामी गर्मियों में जोधपुर लिफ्ट कैनाल से 40 लाख गैलन प्रतिदिन जोधपुर शहर को उपलब्ध कराया जाएगा।

नौसरिया, रामसिया (मकराना) की पेयजल योजना

401. **श्री रूपाराम** (मकराना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि निर्वाचन क्षेत्र मकराना के ग्राम नौसरिया, रामसिया में सरकार द्वारा ग्रामवासियों को पीने का पानी उपलब्ध करवाने की कोई नियमित व्यवस्था की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक नियमित व्यवस्था करने का सरकार विचार रखती है?

(2) क्या उक्त समस्या से विभागीय अधिकारी अवगत हैं? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) उल्लेखित क्षेत्र के ग्राम नौसरियां एवं रामसिया को क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना जाखेड़ा एवं क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना गच्छीपुरा द्वारा वर्तमान में पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। यदा-कदा बिजली आपूर्ति में कटौती होने पर इन ग्रामों हेतु पानी के उत्पादन एवं वितरण में व्यवधान आ जाता है?

(2) जी हां। पूर्व में निर्मित क्षेत्रीय जल योजनाओं के संचालन हेतु मुख्य समस्या अनवरत विद्युत आपूर्ति सप्लाई (16 घंटे प्रतिदिन) के डिजायन सम्बन्धी थी, जिसे अब संशोधित कर आधा कर दिया गया था। बजट उपलब्धता एवं तकनीकी औचित्यता के आधार पर संवर्द्धन प्रयास किये जाएेंगे।

पादरड़ी खुर्द (बाड़मेर) की निजी भूमि पर अतिक्रमण

402. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पादरड़ी खुर्द तहसील गुढ़ामालानी, जिला बाड़मेर के खसरा नं. 589 में विभाग ने ट्यूबवैल, बड़ा हौद तथा पम्प रूम का निर्माण कार्य कराया है ? यदि हां, तो कब तक तथा कितनी लागत का, उक्त भूमि किस व्यक्ति की है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त भूमि में निर्माण कराये जाने से पूर्व विभाग द्वारा भूमि की नियमानुसार अवाप्ति की कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो कब एवं यदि नहीं, तो क्यों ? आदेशों की प्रतियां तथा की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या विभाग द्वारा उक्त भूमि के स्वामी को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो कब एवं कितना तथा इसका मूल्यांकन का क्या आधार रहा ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह भी सही है कि विभाग ने न तो उक्त भूमि की नियमानुसार अवाप्ति की कार्यवाही की और न ही मुआवजा राशि का ही भुगतान किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार दोषियों को दंडित करने तथा मुआवजा राशि का पीड़ित पक्षकार को अविलम्ब भुगतान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस आधार पर एवं कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उल्लेखित क्षेत्र में खसरा नं. 589 में सम्प हौद व दो फेब्रिकेटेड पम्प रूम बनाये गये थे जिनकी अनुमानित लागत 75,000 रुपये थी । यह जमीन श्री छोगाराम विश्नोई की थी जो उन्होंने विभाग को निःशुल्क दी थी । यह निर्माण कार्य वर्ष 1993 में पूर्ण हुए थे ।

(2) जी नहीं । क्योंकि श्री छोगाराम ने यह जमीन विभाग को निःशुल्क ग्रामवासियों के समक्ष दी थी इसलिए भूमि अवाप्ति की किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठा ।

(3) उक्त (1) एवं (2) के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(4) वर्तमान सूचना के अनुसार यह जमीन भूमि के मालिक द्वारा निःशुल्क दी गयी थी । यदि किन्हीं अन्य विशिष्ट तथ्यों/साक्ष्यों को उद्धृत किया जायेगा, तभी उन पर नियमानुसार कार्यवाही करना सम्भव हो सकेगा ।

सातलखेडी श्रमिक बस्ती, रामगंजमंडी की पेयजल योजना

403. श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मंडी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि रामगंज मंडी कस्बे की सातलखेडी श्रमिक बस्ती में पेयजल की गम्भीर समस्या बनी हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि पिछली गर्मियों में पेयजल के लिए कुएं पर अत्यधिक

(श्री रामकिशन वर्मा)

भीड़ के कारण पानी की लालसा में एक महिला के गिर जाने से मृत्यु हो गयी थी ?

(3) क्या सरकार रामगंज मंडी की अन्य बस्तियों के समान इस श्रमिक बस्ती में भी नल योजना चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्रीष्मकाल के दौरान पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण सातलखेड़ी कस्बे की श्रमिक बस्ती खान सातल खेड़ी में लगे हुए कुछ विभागीय हैण्डपम्पों के सूखने की समस्या से पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो जाती है इस प्रकार की समस्या आने पर आवश्यकतानुसार पेयजल टैंकरों द्वारा परिवहन कर आपूर्ति बढ़ाई जाती है।

(2) विभाग द्वारा संकलित सूचना के आधार पर पिछले वर्ष एक खान के कोने से पाने भरते समय एक महिला की मृत्यु गिरकर हो गई। जिस पानी के स्रोत पर यह दुर्घटना हुई थी वह पेयजल स्रोत विभागीय स्रोत नहीं था।

(3) जी हां, राणा प्रताप सागर बांध से पानी लाने की जो योजना निर्माणाधीन है उसमें इस कस्बे की श्रमिक बस्ती सातल खेड़ी में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान है। वर्तमान में यह योजना वर्ष 1997 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है तात्कालिन समाधान के लिये एक खुले कुएं का कार्य प्रगति पर है एवं एक नलकूप भी बन चुका है जिसको इस वर्ष ही अप्रेल माह के अन्त तक चालू करना लक्षित है।

सिकराय (दौसा) में सहायक अभियन्ता कार्यालय की स्थापना

404. श्री महेन्द्र मीणा (सिकराय) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सिकराय, जिला दौसा में सहायक अभियन्ता, जलदाय विभाग का कार्यालय नहीं है ? यदि हां, तो अब कब तक सरकार खोलने का विचार रखती है ?

(2) सिकराय विधान सभा क्षेत्र के किन–किन कस्बों एवं ग्रामों में नल योजना चालू है ? किस–किस जगह नल योजना स्वीकृत है जो आरम्भ होना बाकी है एवं कब तक आरम्भ हो जावेगी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इस क्षेत्र में गत वर्ष कितने हैण्डपम्प किस–किस जगह लगाये गये एवं वर्तमान में कितने हैण्डपम्प लगाने हेतु स्वीकृत हुए हैं ?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम कालाखो में पानी का वितरण सुचारू रूप से नहीं है ? यदि हां, तो क्यों एवं कब तक सरकार सुचारू रूप से पानी का वितरण प्रारम्भ कर देगी ?

उत्तर

(1) वर्तमान में, सिकराय में सहायक अभियन्ता कार्यालय नहीं है और नया कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन भी नहीं है।

(2) सिकराय विधानसभा क्षेत्र में जनगणना के आधार पर कोई कस्बा (शहर)

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

नहीं है। वांछित ग्रामीण योजनाओं का विवरण परिशिष्ट "क" एवं "ख" में दिया गया है।

(3) विधानसभा क्षेत्र सिकराय में गत वर्ष 1993–94 में 28 हैण्डपम्प लगाये गये थे। वर्ष 1994–95 में 59 हैण्डपम्प स्वीकृत हुए हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ग" व "घ" में दिया गया है।

(4) जी नहीं। ग्राम कालाखों में पानी का वितरण सुचारू रूप से विभागीय माप–दण्ड के अनुसार किया जा रहा है परन्तु यदाकदा विद्युत कटौती होने पर जल उत्पादन एवं वितरण प्रभावित हो जाता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

नगर न्यास भीलवाड़ा के कार्यालय में राष्ट्रीय नेताओं के चित्रों का अपमान

405. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि इसी वर्ष में भीलवाड़ा नगर न्यास कार्यालय में लगे भारत के पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी व स्व. श्री राजीव गांधी के चित्रों को किसी न्यासी द्वारा फाड़कार नष्ट किया गया? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

(2) क्या यह सही है कि इस घटना का विरोध नगर न्यास के वरिष्ठ कर्मचारी श्री कैलाश बिड़ला द्वारा किया गया?

(3) क्या यह सही है कि इस घटनाक्रम के कारण ही न्यास कर्मचारी श्री कैलाश बिड़ला का श्रीगगानगर स्थानान्तरण कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय नेताओं के चित्रों के अपमान को रोकने वाले न्यास के वरिष्ठ कर्मचारी को दण्ड स्वरूप स्थानान्तरण सजा दी जानी उचित है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस स्थानान्तरण को निरस्त कर राष्ट्रीय मूल्यों की रक्षा करेगी?

उत्तर

(1) यह सही है कि वर्ष 1994 में न्यास भीलवाड़ा के कार्यालय में एक कमरे के किवाड़ पर लगे कांच पर चिपके पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी एवं स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्रों को किसी न्यासी द्वारा हटाया गया था। इस सम्बन्ध में जिला पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट को पत्र सचिव द्वारा लिखा गया था। इस सम्बन्ध में एफ.आई.आर. 11/94 भी कुछ व्यक्तियों द्वारा थाना सुभाष नगर में दर्ज करवाई गयी थी। न्यास मण्डल का कार्यकाल समाप्त होने से यह अब न्यासी नहीं रहे हैं।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। श्री कैलाश बिड़ला कार्यालय सहायक का स्थानान्तरण प्रशास–निक कारणों से किया गया।

नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा स्वीकृत कार्य

406. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

जोधपुर नगर सुधार न्यास में पिछले पांच वर्षों में कौन-कौन से विकास कार्य स्वीकृत किये गये ? उनकी स्वीकृति के क्या-क्या आधार रहे ?

उत्तर

जोधपुर नगर सुधार न्यास से पिछले 5 वर्षों से जो स्वीकृत कार्य करवाये गये हैं। वर्षवार परिशिष्ट 1 से 5 संलग्न है। विकास कार्यों की स्वीकृति नगर सुधार न्यास क्षेत्र की आवश्यकता, जनता व जन प्रतिनिधियों की मांग व बजट के प्रावधान को आधार मानकर की जाती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

पुराना मोटर गैराज, जयपुर का विक्रय प्रकरण

407. **श्री गोपीचन्द** (नगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर नगर की मिर्जा इस्माइल रोड स्थित राज्य सरकार की पुरानी मोटर गैराज मूलत: किसकी सम्पत्ति थी और वर्तमान में किसकी सम्पत्ति है ?

(2) पुराने मोटर गैराज का विक्रय क्यों एवं किस उपयोग के लिए किया गया ? भू-खण्ड के उपयोग के लिए क्या शर्ते थी ?

(3) इस भूमि पर निर्माण हेतु आवेदन किसने एवं कब किया ? आवेदन की प्रति नक्शे सहित सदन की मेज पर रखें।

(4) भूमि पर निर्माण स्वीकृति किन शर्तों के साथ कब दी गई ? निर्माण स्वीकृति की प्रति मय नक्शे के सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या आवेदक द्वारा निर्माण कार्य स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही करवाया गया ? यदि नहीं, तो आवेदक के विरुद्ध कब क्या कार्यवाही की गयी ?

(6) क्या यह सही है कि आवेदक ने जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से मिली भगत करके मनमर्जी से निर्माण किया ? यदि हां, तो इस प्रकरण में दोषी अधिकारियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) वर्तमान में उक्त भू-खण्ड पर निर्माणाधीन भवन का कौन-कौन सा हिस्सा स्वीकृत नक्शे के अनुसार नहीं है ? निर्माणाधीन भवन का नक्शा सदन की मेज पर रखें।

(8) आवेदक भविष्य में अवैध निर्माण नहीं कर सके इसके लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किये हैं ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर की मिर्जा इस्माईल रोड स्थित राज्य राज्य सरकार की पुरानी मोटर गैराज मूलत: राज्य सरकार की सम्पत्ति थी। वर्तमान में मैसर्स के.के. काम्पलेक्स प्राइवेट लिमिटेड की सम्पत्ति है।

(2) जयपुर के विकास कार्य हेतु राजस्व प्राप्त करने हेतु विक्रय किया गया, पुराने मोटर गैराज का विक्रय होटल एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ गया था। नीलामी

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

के समय रखी गई शर्तों की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) निदेशक श्री किशोरी शरण गर्ग मैसर्स के.के. काम्पलेक्स प्रा.लि. ने मानचित्र अनुमोदन हेतु दिनांक 23.3.93 को आवेदन किया था। आवेदन पत्र की फोटो प्रति परि "ख" पर संलग्न हैं। मानचित्र अनुमोदन पत्रावली लोकायुक्त सचिवालय दिनांक 31.10.94 को भेजी गयी थी अतः मानचित्र पत्रावली आने पर ही प्रस्तुत की जा सकती है।

(4) स्वीकृत पत्र की प्रति परिशिष्ट 'ग" पर संलग्न है। जिसमें सभी शर्तें दर्शाणी गयी हैं। मानचित्र पत्रावली लोकायुक्त सचिवालय में है अतः अनुमोदित मानचित्र की प्रति उपलब्ध नहीं है।

(5) निर्माण कार्य स्वीकृत नक्शे के अनुसार नहीं करवाया गया। अतः अनधिकृत निर्माणकर्ता को जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 33 व 32 का नोटिस दिनांक 22.7.94 को दिया गया। प्रशासनिक निर्णय होने पर दिनांक 7.9.94 को मौके पर ध्वस्त करने की कार्यवाही आरम्भ की गयी। निर्माणकर्ता द्वारा लोअर बेसमेंट एवं पांचवीं मंजिल का निर्माण बिना अनुमति के किया गया था।

(6) अतिरिक्त सचिव (प्रशासन) की प्राथमिक जांच के आधार पर प्रथम दृष्ट्या जिन अधिकारियों को दोषी पाया गया उनमें श्री एस. एस. खुराना जोनल अधिकारी, श्री हरीशंकर शर्मा प्रवर्तन अधिकारी तथा निर्मल कुमार माथुर कनिष्ठ अभियन्ता को निलम्बित किया गया है। श्री गिर्राज अग्रवाल जोनल अधिकारी एवं उप नगर नियोजक श्री शशांक महागावकर का स्पष्टीकरण मांगा गया था जो विचाराधीन है।

(7) वर्तमान में लोअर बेसमेंट नक्शे के अनुसार नहीं था। जिसको बन्द करवा दिया गया है तथा पांचवीं मंजिल का अधिकांश निर्माण तोड़ दिया है तथा कुछ तोड़ा जाना शेष है। मानचित्र अनुमोदन पत्रावली लोकायुक्त सचिवालय में है अतः मानचित्र की प्रति पत्रावली आने पर ही प्रस्तुत की जा सकती है।

(8) भविष्य में अवैध निर्माण न हो इसके लिये जिस आर्किटेक्ट की देखरेख में निर्माण होगा उस आर्किटेक्ट को भी दोषी माना जावेगा तथा प्राधिकरण ऐसे आर्किटेक्ट को ब्लेक लिस्ट करवाने हेतु कौंसिल फार आर्किटेक्ट को लिखेगा तथा भविष्य में ऐसे आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत मानचित्रों पर प्राधिकरण विचार नहीं करेगा। इसके अलावा प्राधिकरण के सम्बन्धित अधिकारी समय-समय पर निरीक्षण करते रहते हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

राज्य में भूमिगत जल-स्तर

408. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1984 से वर्ष 1994 तक राज्य के किन-किन जिलों में भूमिगत जल स्तर किन-किन वर्षों में मापा गया है ?

(श्री विष्णु मोदी)

(2) क्या उपरोक्त वर्षों में किन्हीं ज़िलों में भूमिगत जल स्तर में गिरावट पायी गयी है ? यदि हां, तो किस-किस जिले के कौन-कौन से खण्डों में जल स्तर में कितनी-कितनी गिरावट पायी गयी ?

(3) क्या सरकार ने उक्त वर्षों में भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए कोई कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(4) भूमिगत जल स्तर में गिरावट के मुख्य कारण क्या रहे हैं ?

उत्तर

(1) वर्ष 1984 से वर्ष 1994 तक राज्य के सभी जिलों में भूमिगत जल स्तर वर्षा पूर्व व वर्षा उपरांत मापा जाता है।

(2) जी हां, उपरोक्त वर्षों में जिलेवार व पंचायत समितिवार जल स्तर में गिरावट संलग्न परिशिष्ट "अ" (पृष्ठ 1 से 7) में दर्शायी गयी है।

(3) जी हां, उक्त वर्षों में भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए विभाग द्वारा उपयुक्त क्षेत्रों में परीक्षण तौर पर सब सरफेस बेरियर का निर्माण कराया गया है।

(4) भूमिगत जल स्तर में गिरावट का मुख्य कारण "आवक" से अधिक भू-जल का "दोहन" किया जाना है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

राज्य का "डार्क जोन"

409. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान में "डार्क जोन" कुल काबिले काश्त भूमि का कितना प्रतिशत है ?

(2) प्रत्येक जिले में कितना भू-भाग "डार्क जोन" से प्रभावित है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) "डार्क जोन" वाले इलाके में नाबार्ड द्वारा ऋण उपलब्ध न कराने से गरीबों को भू-जल उपलब्ध कराने की योजनाओं पर क्या असर पड़ा है ?

(4) सरकार "डार्क जोन" क्षेत्र में रहने वाले कृषकों को भू-जल हेतु ऋण उपलब्ध कराने की क्या वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान में कुल डार्क जोन क्षेत्रफल काबिल काश्त भूमि का 31.5 प्रतिशत है।

(2) राज्य के सभी जिलों में ज़िलेवार डार्क जोन परिशिष्ट "अ" पर संलग्न सूची अनुसार है।

(3) डार्क जोन क्षेत्र में और अधिक भू-जल उपलब्ध कराने की योजना बनायी ही नहीं जा सकती। अतः योजना पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ने का प्रश्न नहीं उठता ऐसे क्षेत्रों में पानी का अतिरिक्त दोहन करने

(भू-जल मंत्री)

से मौजूदा कृषकों पर भी विपरीत असर पड़ेगा।

(4) जी नहीं। ऐसे क्षेत्र में अधिक दोहन के लिए भू-जल उपलब्ध ही नहीं है। जिन क्षेत्रों में भू-जल उपलब्ध नहीं है वहां इसके दोहन के लिए ऋण स्वीकृत करना जनहित में नहीं होगा अतः वहां सिंचाई सम्बन्धी कार्य हाथ में लिया जाना निरर्थक होगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

राज्य के जिला स्तर के खिलाड़ियों को देय दैनिक भत्ता

410. **श्री रामेश्वर लाल भाटी** (सुजानगढ़) : क्या युवा एवं खेलकूद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य एवं जिला स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों को दैनिक भत्ता दिया जाता है ? यदि हां, तो कितना-कितना ?

(2) क्या आज की आवश्यकताओं को देखते हुए उक्त देय भत्ता कम नहीं पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार इस भत्ते को कब तक बढ़ाने का विचार रखती है एवं नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार राज्य एवं जिला स्तर पर चयनित खिलाड़ियों को प्रोत्साहन अथवा अन्य किसी प्रकार से सुविधाएं प्रदान करती है ? यदि हां, तो क्या-क्या तथा नहीं, तो क्यों ?

(4) वर्ष 1990 से अब तक प्रति वर्ष खेल बजट में से खेल सामग्री पर कितना-कितना धन खर्च किया गया ?

(5) सरकार ने राज्य में खेलों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से किस-किस स्तर पर कौन-कौन सी योजनाएं प्रारम्भ कर रखी हैं ? क्या यह योजनाएं अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रही हैं ? यदि नहीं, तो अब इनके बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य स्तर तक की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 20/- रुपये प्रति दिन की दर से दैनिक भत्ता दिया जाता है।

(2) जी हां। खिलाड़ियों को देय इस दैनिक भत्ते में वृद्धि का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) जी हां। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ी को आने जाने का रियायती रेल/बस किराया, अनुषांगिक व्यय तथा दैनिक भत्ता दिया जाता है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को क्रमशः 10,000/-, 5,000/- एवं 2,000/- रुपये तक की सीमा में नकद प्रोत्साहन राशि भी स्वीकृत की जाती है।

(4) वर्ष 90-91 से अब तक खेल सामग्री पर खेल विभाग एवं क्रीड़ा परिषद द्वारा निम्न प्रकार राशि व्यय की है:—

(युवा एवं खेलकूद मंत्री)

वर्ष	खेल विभाग द्वारा विभिन्न संस्थाओं को खेल सामग्री हेतु दिया गया अनुदान	परिषद द्वारा क्रय खेल सामग्री	कुल राशि
90–91	75,000/– रू.	5,40,292/–	6,15,292/–
91–92	104,646/–	7,26,360/–	8,31,006/–
92–93	91,000/–	8,53,316/–	9,44,316/–
93–94	3,21,100/–	1,21,540/–	4,42,640/–
94–95	6,34,875/–	24,33,421/–	30,68,296/–

(5) राज्य में खेल एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु निम्न योजनाएं चलायी जा रही हैं:–

पंचायत स्तर पर–

1. ग्रामीण खेलकूद केन्द्र
2. पंचायत स्तरीय प्रतियोगिताएं (महिला/ग्रामीण/जनजाति)
3. बाल प्रशिक्षण शिविर

जिला स्तर पर–

1. निःशुल्क खेल प्रशिक्षण
2. प्रतिभा खोज प्रशिक्षण शिविर
3. खेल प्रतियोगिताएं (ग्रामीण/महिला/जनजाति)

राज्य स्तर पर–

1. चयनित खिलाड़ियों को 21 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर
2. राष्ट्रीय प्रतियोगिता पूर्व चयनित दल का प्रशिक्षण शिविर
3. ग्रामीण/महिला/जनजाति राज्य प्रतियोगिताएं
4. जनजाति के चयनित कनिष्ठ खिलाड़ियों को छात्रावास

इनके अतिरिक्त निम्न योजनाएं और चलायी जा रही हैं:–

(i) खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नकद पुरस्कार योजना

(ii) खिलाड़ी कल्याण कोष

(iii) राज्य में खेल प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु खेल संस्थाओं को आर्थिक सहायता

(iv) राज्य में खेल मैदान, स्टेडियम, तरणताल के निर्माण हेतु खेल संस्थाओं/विद्यालयों/स्वयंसेवी संस्थाओं को आर्थिक सहायता

उपरोक्त योजनाएं अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल रही हैं।

जिला सवाई माधोपुर की अनुदानित शिक्षण संस्थाएं

411. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(90)

(श्री रामस्वरूप)

(1) सवाईमाधोपुर जिले में किस-किस स्तर की अनुदान प्राप्त कितनी शिक्षण संस्थाएं हैं ? उनको कितना प्रतिशत वार्षिक अनुदान दिया जाता है ?

(2) वर्ष 1992 से 1995 तक अनौपचारिक शिक्षा पर कुल कितनी राशि प्रति वर्ष खर्च की गयी ? इसमें से गैर सरकारी विद्यालयों को सहायता/अनुदान के रूप में कितनी राशि दी गयी ?

उत्तर

(1) सवाईमाधोपुर जिले में निम्नांकित अनुदान प्राप्त संस्थाएं हैं। जिनका स्तर व अनुदान प्रतिशत उनके नाम के सम्मुख अंकित है:-

	स्तर	अनुदान प्रतिशत
1. बापू उ.प्रा.वि. करौली	उ.प्रा.	70
2. रेलवे सी.उ.मा. गंगापुर सिटी	सी.उ.मा.	25
3. रेलवे प्रा.वि. (हिन्दी माध्य.) गंगापुरसिटी	प्रा.वि.	50
4. रेलवे प्रा.वि. (अंग्रेजी) गंगापुरसिटी	प्रा.वि.	50
5. रेलवे प्रा.वि सवाई-माधोपुर	प्रा.वि.	50
6. विजयपति श्री हरिश्चन्द्र शाला, टोडाभीम		70
7. पीतांबर प्रा.वि. सवाई-माधोपुर	प्रा.वि.	60
8. रवीन्द्र बाल नि. उ.प्रा. वि. सवाईमाधोपुर	उ.प्रा.वि.	60
9. श्री दिगम्बर जैन महिला महाविद्यालय, श्री महावीर जी (सवाई माधोपुर	प्रवेशिका	90
10. विद्या मन्दिर स्कूल, सवाई माधोपुर	पूर्व प्रवेशिका (उ.प्रा.)	50

(2) वर्ष 1992 से 1995 तक अनौपचारिक शिक्षा पर हुए कुल खर्च और गैर सरकारी क्षेत्र की सहायता/अनुदान के रूप में दी गयी राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	अनौपचारिक शिक्षा पर व्यय (लाखों में)	गैर सरकारी संस्थाओं को दी गई अनुदान/सहायता (रु. (लाखों में)
1991-92	533.06	42.00
1992-93	430.30	52.00
1993-94	759.51	53.00
1994-95	1484.69	89.00
योग:	3207.56	236.00

बामनवास विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

412. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बामनवास विधान सभा क्षेत्र में उच्च प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों के कितने-कितने पद किन-किन शालाओं में रिक्त हैं ? इन रिक्त पदों को कब तक भरने का सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) सीनियर हायर सैकण्डरी, बौंली व बामनवास तथा सैकण्डरी स्कूल बामनवास, बिछोछ, बरनाला, मौरप्पा, लिवाली, रिवाली, मलारना चौड, खिरनी, मित्रपुरा, लाखनपुर, भेडोली, पीपलंदा, कोडयाई में कितने समय से अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? इन शालाओं में अब तक रिक्त पद रहने के क्या कारण हैं तथा अब कब तक सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) बामनवास विधानसभा क्षेत्र की निम्नलिखित उच्च प्राथमिक विद्यालय में 2 वरिष्ठ अध्यापक के पद रिक्त हैं:–

1 राज. बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, मित्रपुर — 1 पद

2. राज. उच्च प्राथमिक विद्यालय, कोयेला — 1 पद

3. राज. उच्च प्राथमिक विद्यालय, भूतेश्वर — 1 पद

रिक्त पदों की पूर्ति करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

निम्नलिखित विद्यालयों में निम्नानुसार वर्तमान में पद रिक्त चल रहे हैं:–

राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, बौंली	व्याख्याता	हिन्दी	5/93
		भूगोल	9/93
		संस्कृत	7/92
		राजनीति शास्त्र	2/94
राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, बामनवास	,,	अंग्रेजी	6/94
		संस्कृत	4/94
		गणित	7/94
		भौतिक	7/94
		जीव विज्ञान	7/94
राजकीय माध्यमिक विद्यालय मित्रपुरा	वरिष्ठ अध्यापक	सामान्य	7/94

(2) राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बिछोछ, बरनाला, मौरप्पा, लिवाली, रिवाली, मलारना, चौड, खिरनी, लाखनपुर, भेडोली, पीपल्दा, कोडयाई में कोई पद रिक्त नहीं है, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, बामनवास में कोई अध्यापक का पद रिक्त नहीं है ।

व्याख्याताओं के पद रिक्त रहने का कारण निम्न है:–

1. विभागीय चयन समिति एवं लोक सेवा आयोग से चयनित प्रत्याशी उपलब्ध न होना ।

(शिक्षा मंत्री)

2. पदोन्नति, परित्याग, सेवानिवृत्ति, नियुक्ति पर कार्यग्रहण न करना तथा उच्च पद पर पदोन्नति पद रिक्त रहने के मुख्य कारण रहे हैं ।

व्याख्याताओं के 622 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्चना भिजवायी जा चुकी है । आयोग एवं विभागीय चयन समिति से चयनित प्रत्याशी उपलब्ध होने पर ही पदों को भरा जाना सम्भव होगा ।

छात्रों के अध्यापन व्यवस्था हेतु वैकल्पिक व्यवस्था विद्यालय में उपलब्ध योग्यताधारी अध्यापकों से कर दी गयी है ।

वरिष्ठ अध्यापक के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

वर्ष 1994–95 में शिक्षा क्षेत्र में संख्या व गुणवत्ता परिवर्तन

413. **श्री शान्ति कुमार धारीवाल** (हिण्डोली) : एवं
श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि वर्ष 1994–95 का प्रदेश का बजट शिक्षा को समर्पित था ? यदि हां, तो इस वर्ष के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में संख्या एवं गुणवत्ता के तौर पर किस–किस रूप में और किस–किस सीमा तक परिवर्तन हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी हां । "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986" के निर्धारित लक्ष्यों तथा सन् 2000 तक सबके लिए शिक्षा एवं साक्षरता के संकल्प को पूरा करने के लिए वर्ष 1994–95 के प्राथमिक शिक्षा के बजट में 105% की उल्लेखनीय वृद्धि की है । वर्ष 94–95 में शिक्षा के क्षेत्र में किये गये प्रमुख कार्यों का विवरण निम्नानुसार है–

–वर्ष 1994–95 में 2318 नवीन प्रा. विद्यालय खोले गये । 1192 प्रा. विद्यालयों को उ. प्रा. विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया जिनमें से अधिकांश ऐसी ग्राम पंचायत है जहां पूर्व में उ. प्रा. विद्यालय की सुविधा नहीं थी । वर्ष 1993–94 की तुलना में क्रमोन्नत उ. प्रा. वि. की संख्या 10 गुनी है । राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के 4003 एकल अध्यापकीय प्रा. विद्यालयों में दूसरा अध्यापक स्वीकृत किया है ।

–6–14 आयुवर्ग के बालक–बालिकाएं जो किन्हीं कारणों से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाये हैं को शिक्षा सुविधा सुलभ कराने हेतु 3200 नवीन अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र स्वीकृत किये है ।

–माध्यमिक एवं उ. मा. विद्यालय स्तर के विद्यालयों की मांग तथा शैक्षिक सुविधाओं के निकटतम उपलब्धता की दृष्टि से 148 उ. प्रा. विद्यालयों को मा. विद्यालयों में तथा 165 मा. विद्यालयों को सी. मा. वि. में क्रमोन्नत किया गया है । इसके अतिरिक्त 10 नवीन संकाय एवं 11 नये विषय प्रारम्भ किये गये ।

–राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 5 तक के समस्त बालकों तथा कक्षा 1 से 8 तक समस्त बालिकाओं को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी गयी हैं । इस योजनान्तर्गत 46 लाख विद्यालयों

(शिक्षा मंत्री)

को लाभान्वित किया गया है। इस योजना क्रियान्विति के फलस्वरूप प्रा. शिक्षा में नामांकन में आशातीत वृद्धि हुई है।

—बालिकाशिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 1.00 करोड रुपये से बालिका शिक्षा फाउण्डेशन की स्थापना की है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षित महिलाओं के लिए 8 जिलों में सरस्वती शालाएं प्रारम्भ की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को माध्यमिक एवं उ. मा. विद्यालय स्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 6 सम्भागीय मुख्यालयों पर 50-50 की क्षमता के बालिका छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 210 अनुदानित बालिका एवं विकलांग संस्थाओं की अनुदान राशि में 90% तक की वृद्धि की गयी है तथा 43 नवीन विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिया गया है।

—सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम हेतु वर्ष 94-95 में 8 जिलों के लक्ष्य के विरुद्ध 9 जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। वर्तमान में राज्य के 14 जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता तथा 2 जिलों में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम विभिन्न चरणों में क्रियान्विति किया जा रहा है।

—राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में प्रा. शिक्षा के सुधार हेतु सीडा के सहयोग से संचालित शिक्षाकर्मी परियोजना का 1230 गांवों में प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है।

—प्रा. शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु लोक जागरण एवं सहभागिता द्वारा सीडा के सहयोग से संचालित लोक जुम्बिश परियोजना राज्य के 25 पंचायत समितियों में क्रियान्विति की जा रही है। इस योजना में प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार पर विशेष ध्यान दिया रहा है।

शिक्षा विभाग की उपरोक्त प्रमुख गतिविधियों से स्पष्ट है कि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में संख्यात्मक एवं गुणात्मक दृष्टि से अपेक्षित सुधार हुआ है।

मान्यता प्राप्त विद्यालयों में छात्र-अध्यापक अनुपात

414. **श्री उगम राज मेहता (ब्यावर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं सरकारी पाठशालाओं में छात्र-छात्राओं की संख्या के अनुपात में शिक्षक/शिक्षिकाओं की कमी है? यदि हां, तो क्यों? इन कमियों/रिक्तियों की पूर्ति कब तक करने का सरकार विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि ब्यावर में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गुरुनानक कन्या रिपब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं की संख्या लगभग 500 है इसके अनुपात में प्रधानाध्यापक सहित मात्र 6 शिक्षक ही कार्यरत हैं?

(3) क्या यह सही है कि इन संस्था में शिक्षा विभाग से बार-बार मांग करने के उपरान्त शिक्षकों की पूर्ति हेतु आज तक स्वीकृति जारी नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। अनुदानित विद्यालयों में छात्र संख्या के आधार पर शिक्षक/शिक्षिकाओं के पदों की पूर्ति उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर की जाती है। सरकारी विद्यालयों में मंगल बिहारी समिति की रिपोर्ट में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पद आबंटन एवं पदों के समानीकरण, समायोजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां।

(3) संस्था से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार अतिरिक्त पदों का आबंटन वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही किया जाना सम्भव होगा।

तहसील लूणकरणसर (बीकानेर) के विद्यालय भवन

415. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

सरकार द्वारा ग्राम अर्जुनसर, तहसील लूणकरणसर व ग्राम उदासर (कन्या व छात्र) नालवड़ी, कालू (कन्या) लूणकरणसर (कन्या) व नापासर (कन्या) की शालाओं की छात्र संख्या कमरों की संख्या आदि को ध्यान में रखते हुए क्रमोन्नत करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर

वर्ष 1995–96 में विद्यालय क्रमोन्नति हेतु प्रस्ताव प्राप्त किये जा रहे हैं। उपलब्ध बजट प्रावधान की सीमा में निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने की स्थिति में राज्य के उच्च प्रस्तावों के साथ ग्राम अर्जुनसर, उदासर, नालवडी, नापासर, कालू लूणकरणकर जिला बीकानेर के विद्यालयों की क्रमोन्नति पर गुणावगुण के आधार पर उचित निर्णय लिया जा सकेगा।

पाली जिले के विद्यालय

416. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पाली जिले में ऐसे कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पर स्वीकृत पदों के अनुसार अध्यापक नहीं लगाये गये हैं ? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जैतारण उपखण्ड में ऐसे कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जहां भवन आवश्यकता से कम जर्जर तथा अधूरे कक्षों वाले हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इन भवनों के निर्माण की सरकार की क्या योजना है और इन्हें कब तक पूरा करवाया जायेगा ?

उत्तर

(1) पाली जिले में 8 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक द्वितीय श्रेणी के पद तथा 8 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद रिक्त हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(2) जैतारण उपखण्ड में 7 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कमरों की संख्या आवश्यकता से कम हैं तथा 11 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन जीर्ण–शीर्ण एवं अधूरे कमरे वाले हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(शिक्षा मंत्री)

(3) वर्ष 1994-95 में जवाहर रोजगार योजना के तहत 7 विद्यालयों में दो-दो कमरों के निर्माण हेतु राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पाली के द्वारा आबंटित कर दी गयी है शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारम्भ होने की संभावना है। जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत का कार्य उपलब्ध होने वाले वित्तीय संसाधनों एवं जनसहयोग से करवाने की कार्यवाही की जायेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें।)

जोधपुर शहर के विद्यालयों में छात्र-अध्यापक अनुपात

417. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जोधपुर शहर में सैकण्डरी, सीनियर सैकण्डरी, मिडिल सरकारी स्कूल कुल कितने हैं ? प्रत्येक विद्यालय में कितने-कितने छात्र हैं एवं कितने-कितने अध्यापक हैं ?

(2) क्या यह सही है कि कहीं छात्रों के अनुपात में अध्यापक कम हैं और कहीं अध्यापकों के अनुपात में छात्र कम हैं ? यदि हां, तो ऐसे प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें व इनका समायोजन अनुपात में क्यों नहीं किया जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि एक ही विद्यालय भवन में दो-दो एवं तीन-तीन स्कूल चल रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसे विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें व इनके निराकरण हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जोधपुर शहर में राजकीय विद्यालयों की स्तरवार संख्या निम्नानुसार है:-

स्तर	विद्यालय संख्या		
	छात्र	छात्रा	योग
राज. सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय	05	09	14
राज. माध्यमिक विद्यालय	11	03	14
राज. उच्च प्राथमिक विद्यालय	37	13	50
योग	53	25	78

विद्यालय अनुसार छात्रों एवं अध्यापकों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है। मंगलबिहारी समिति की अभिशंषाओं के आधार पर समानीकरण की प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण की जायेगी जिसमें इन विद्यालयों के पदों का भी समानीकरण किया जायेगा।

(3) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है। अतिरिक्त भवन व्यवस्था हेतु प्रयास जारी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

सोयाबीन काम्पलेक्स, कोटा का नवीनीकरण

418. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा में सहकारी क्षेत्र में सोयाबीन काम्पलेक्स कार्यरत है ? यदि हां, तो यह कब से प्रारम्भ हुआ, कितने सदस्य हैं तथा संचालन मंडल में कौन-कौन सदस्य हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस संस्थान व राजस्थान सहकारी तिलम संघ का पारस्परिक विलीनीकरण हुआ है ? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या इस संस्थान के नवीनीकरण, विस्तार, विकेन्द्रीकरण आदि की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

(4) प्रारम्भ से अब तक लाभ-हानि उत्पादन लाभांश वितरण आदि का वर्षवार विवरण सदन की मेज रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजफैड द्वारा वर्ष 1984 में कोटा के लिए इस परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करायी गयी जो मार्च, 1985 में स्वीकृत हुई एवं वर्ष 1988-89 में उत्पादन में आयी। वर्ष 1990-91 में तिलम संघ के गठन के बाद यह तिलम संघ की इकाई के रूप में उत्पादनरत है। सोयाबीन काम्पलेक्स अलग सहकारी समिति नहीं है अपितु तिलम संघ की इकाई है। अतः इस इकाई के सदस्य या पृथक संचालक मण्डल का प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी नहीं। पूर्व में यह राजफैड की इकाई थी जो तिलम संघ के गठन के बाद तिलम संघ की इकाई बनी।

(3) जी नहीं। क्योंकि वर्तमान में विस्तार अथवा विकेन्द्रीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।

(4) कोटा सोयाबीन काम्पलेक्स की लाभ/हानि का ब्योरा निम्न प्रकार रहा है :-

वर्ष	राशि
1988-89	288.80 लाख शुद्ध हानि
1989-90	222.91 ,, ,,
1990-91	107.78 ,, शुद्ध लाभ
1991-92	390.56 ,, हानि
1992-93	696.24 ,, हानि
1993-94	65.26 ,, शुद्ध लाभ
1994-95 (फरवरी, 95 तक)	506.70 ,, अनुमानित हानि

कोटा सोयाबीन संयंत्र में निम्न अनुसार सोयाबीन प्रोसेसिंग किया गया है:-

वर्ष	प्रोसेसिंग किये गये सोयाबीन की मात्रा
1	2
1988-89	6869.51 मै. टन
1989-90	20342.40 ,,
1990-91	42406.22 ,,

(सहकारिता मंत्री)

1	2
1991–92	29953.00 मै. टन
1992–93	28077.00 ,,
1993–94	32745.00 ,,
1994–95 (फरवरी, 95 तक)	35463.00 ,,

तिलम संघ स्वच्छंद समिति नहीं है। अत: लाभांश वितरण तिलम संघ के लाभ में आने जुड़ा हुआ है।

लाडनूं रेंज में वृक्षारोपण

419. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नागौर जिले की लाडनूं रेंज में कितने–कितने क्षेत्रफल में वर्ष 1986 से अब तक कब–कब वृक्षारोपण का कार्य किस–किस योजना में किया गया ?

(2) उक्त वृक्षारोपण के सारे क्षेत्र वन विभाग के पास हैं या पंचायतों को सौंपा गया है ? यदि पंचायतों को सौंपा गया है तो कौन–कौनसा, कितना–कितना क्षेत्रफल कब-कब पंचायतों को सौंपा गया ?

(3) अब जो भी क्षेत्र वन विभाग के पास है वो वन विभाग के पास ही रहेगा या अन्य किसी को सौंपा जाएगा ?

(4) उक्त वन क्षेत्रों के सम्बन्ध में विभाग की आगे क्या योजना है तथा उनका किस प्रकार से क्या उपयोग किया जाएगा ?

उत्तर

(1) नागौर जिले की लाडनूं रेंज में वर्ष 1986 से अब तक कराये गये वृक्षारोपण कार्यों का योजनावार, वर्षवार एवं क्षेत्रफलवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) उक्त वृक्षारोपण कार्यों में से जिन वृक्षारोपण क्षेत्रों को पंचायतों को सौंपा गया है उनका क्षेत्रफलवार एवं दिनांकवार विवरण परिशिष्ट–"ख" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) पंचायत क्षेत्र में कराये गये वृक्षारोपण कार्यों को सम्बन्धित पंचायत को सौंपा जायेगा। शेष अन्य भूमियों पर कराये गये वृक्षारोपण क्षेत्र वन विभाग के पास रहेंगे।

(4) अन्य क्षेत्रों में किये गये वृक्षारोपण कार्यों का प्रबन्धन वन विभाग द्वारा किया जाता रहेगा तथा इनका वन विकास हेतु उपयोग किया जावेगा।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें।)

जापानी सहायता से प्रदेश में वनीकरण

420. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जापानी सहायता से प्रदेश में वनीकरण की योजना के लिए किन–किन जिलों का चयन किया गया है और किस आधार पर ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बूंदी की पहाड़ियों पर बाइलोजिकल गार्डन बनाने की योजना बनायी गयी थी ?

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

यदि हां, तो इस योजना की क्रियान्विति के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी एवं इस कार्य में यदि कोई प्रगति नहीं हुई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान में जापानी सहायता से वनीकरण की दो योजनाएं, अरावली वृक्षारोपण परियोजना एवं इन्दिरा गांधी नहर के किनारे वनीकरण योजना क्रियान्वित की जा रही है। अरावली वृक्षारोपण परियोजना के अन्तर्गत अलवर, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनूं, नागौर, पाली, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिले जिनमें अधिकांशतः अरावली पहाड़ियां हैं, में क्रियान्वित की जा रही हैं।

इन्दिरा गांधी नहर के किनारे वनीकरण योजना बीकानेर, जोधपुर एवं जैसलमेर जिलों में जहां इन्दिरा गांधी मुख्य नहर स्टेज द्वितीय एवं वितरिकाएं हैं, वहां क्रियान्वित की जा रही हैं।

वर्ष 95–96 से क्रियान्वित की जाने वाली वानिकी विकास परियोजना धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमन्द, डूंगरगढ़, कोटा, बूंदी, बारां एवं झालावाड़ जिलों में क्रियान्वित की जावेगी।

(2) बूंदी की पहाड़ियों पर बाइलोजिकल गार्डन बनाने की कोई योजना विभाग में विचाराधीन नहीं है।

ग्राम राजपुरा (बूंदी) में खनन लीज

421. **श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :** क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम राजपुरा जिला बूंदी में खनिज विभाग द्वारा वन भूमि में खनन लीजें स्वीकृत की हुई हैं ? यदि हां, तो लीज धारक के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त वन भूमि की सुरक्षा के संबंध में सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वन भूमि में स्वीकृत खनन लीजों को कब तक निरस्त करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, लीज धारक का नाम मय विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) वन भूमि की सुरक्षा इस क्षेत्र में पदस्थापित वनकर्मियों द्वारा की जा रही है, इनकी इमदाद के लिए उड़नदस्ता भी कार्यरत है।

(3) वन भूमि में स्वीकृत खनन लीजों का नवीनीकरण नहीं करने हेतु खनि अभियन्ता बूंदी को लिखा गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें।)

प्रदूषण बोर्ड का गठन

422. **श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :** क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(1) सरकार द्वारा राज्य में प्रदूषण को रोकने के क्या-क्या उपाय किये गये हैं ?

(2) क्या प्रदूषण बोर्ड का गठन कर दिया गया है ? यदि हां, तो सदस्यों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जयपुर शहर में वायु, ध्वनि और जल प्रदूषण को रोकने के कौन-कौन से प्रभावी उपाय किये गये हैं ?

उत्तर

(1)-(अ) प्रदेश की जनता में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण से सम्बन्धित जनचेतना जागृत करने के उद्देश्य से पर्यावरण विभाग द्वारा वर्ष भर अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, पारिस्थितिक विकास शिविर, फिल्म प्रदर्शन, प्रदर्शनियां कठपुतली शो, नाटक आदि प्रमुख हैं।

प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण व वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु जिला प्रशासन व यातायात विभाग से सम्पर्क रख प्रभावी कार्यवाही की जाती है। प्रदेश में सभी जिलों में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा दस सदस्यीय जिला पर्यावरण समिति का गठन किया गया है। (फोटो प्रति संलग्न है परिशिष्ट-1)

प्रदेश के छह जिलों अलवर, कोटा, डूंगरपुर, उदयपुर, पाली व चित्तौड़गढ़ में पर्यावरण वाहिनी का गठन किया गया है। पर्यावरण वाहिनी में गैर सरकारी संस्थाओं के सदस्य छात्र-छात्राओं व युवकों को सम्मिलित किया जाता है। इसका शत-प्रतिशत व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

(ब) वन विभाग द्वारा राज्य में वृहत स्तर पर वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है जिसका प्रदूषण नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान है।

(स) राज्य सरकार का राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत कानून सम्मत एवं प्रदूषण की प्रभावी कार्यवाही करता है।

पर्यावरण विभाग द्वारा उद्योगों को पर्यावरणीय साइट क्लियरेंस जारी करते समय एक यह शर्त भी लगायी जाती है कि उद्योग अपने परिसर के एक तिहाई भाग में सघन वृक्षारोपण कराएंगे। इसी प्रकार की शर्त राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा उद्योगों को जल अधिनियम, 1974 व वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र/सम्मति जारी करते समय लगायी जाती है। इससे भी प्रदूषण नियंत्रण में काफी सहयोग मिलता है।

(द) वाहनों जनित प्रदूषण की रोकथाम के लिए परिवहन विभाग द्वारा निम्नांकित उपाय किये गये हैं:-

1. मोटर यान अधिनियम, 1988 व केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1989 के प्रावधानों की पालना में विभाग में स्मोक मीटर डीजल चलित वाहनों की जांच व गैस एनेलाइजर पेट्रोल चलित वाहनों की जांच हेतु क्रय किये गये है। विभाग द्वारा परिवहन वाहनों के लिए फिटनेस के समय

(पर्यावरण मंत्री)

वाहन प्रदूषण की जांच अनिवार्यत: किये जाने के साथ–साथ मोबाइल चैकिंग भी की जाती है।

2. मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत निर्धारित मानकों से अधिक उत्सर्जन देने वाले वाहनों का चालान किया जाकर 2000/– रु. तक जुर्माना किया जा सकता है।

3. विभाग द्वारा समय–समय पर विशेषकर सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान वाहन चालकों को प्रदूषण की रोकथाम विषयक लिखित सामग्री का वितरण भी किया जाता है।

(2) राज्य सरकार ने अपने आदेश संख्या एफ. 27 (31) पर्या/78 दिनांक : 1.4.95 द्वारा राजस्थान, प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन कर दिया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(3) जयपुर शहर में उद्योगों से संभावित जल/वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण हेतु सम्बन्धित उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित करने एवं उन्हें सुचारू रूप से कार्यरत रखने हेतु राज. प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा कार्य किया जाता है एवं दोषी उद्योगों के विरुद्ध जल/प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण (अधिनियम, 1974 एवं वायु) प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत कानूनी सम्मत कार्यवाही की जाती है।

जयपुर शहर में जिला कलक्टर द्वारा राज. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1963 की धारा 4 (क) सपठित राज. कोलाहल नियंत्रण नियम, 1964 के नियम 4 के अनुसरण में ध्वनि प्रसारण यंत्रों के सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रति संलग्न है (परिशिष्ट–3–4)

ध्वनि प्रसारण यंत्र का उपयोग शोभा यात्रा, धार्मिक कार्यक्रमों आदि में पुलिस अधीक्षक जयपुर शहर से विचार विमर्श के पश्चात् ही अनुमति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त आदेशों की कड़ाई से पालना किये जाने के सम्बन्ध में समस्त थानाधिकारियों को समय–समय पर निर्देश भी जारी किये गये हैं।

जयपुर शहर में वायु व जल प्रदूषण को रोकने हेतु नगर निगम, जयपुर द्वारा शहर की सीवर लाइन, नालियां, बड़े नालों की सफाई समय–समय पर कराई जाती है ताकि नालों, नालियों, सीवर लाइन अवरुद्ध होने से वायु व जल प्रदूषण न हो। इसके अलावा शहर की नालियों व नालों में कीटनाशक दवाइयां (डी.डी.टी.) नुवान, फिनायल आदि का छिड़काव किया जाता है। नगर निगम, जयपुर द्वारा वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु वृक्षारोपण का कार्य किया है। जगह-जगह वृक्ष लगाकर प्रदूषण को रोकने में सहायक होंगे इसके अलावा शहर में कचरे को समय पर उठवाकर निर्धारित स्थान पर डलवा दिया जाता है ताकि कचरे से वायु प्रदूषण न हो सकें। यदि किसी नागरिक से शिकायत प्राप्त होने पर किसी औद्योगिक फैक्ट्री से वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण होता है तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत उस फैक्ट्री अथवा व्यावसायिक कर्ता के विरुद्ध आवश्यक

(पर्यावरण मंत्री)

कार्यवाही कर बन्द करवा दिया जाता है तथा नियमानुसार चालान की कार्यवाही की जाती है।

वाहनों से जनित ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिये केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 119(2) में विभिन्न क्रमिक स्वरों वाले मल्टी बोन्ड हॉर्न अथवा कर्कश, बहुत ऊंची अथवा चौंका देने वाली ध्वनि उत्पन्न करने वाले हॉर्न को मोटर वाहनों में लगाये जाने की पाबन्दी है। इन नियमों के नियम 120 में निर्धारित नोमर्स के साइलेन्सर लगाये जाने का भी प्रावधान है।

केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190(2) के तहत् वायु तथा ध्वनि प्रदूषण की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा प्रथम अपराध के लिये 1000/– रु. तथा द्वितीय एवं पश्चात्-वर्ती अपराध के लिये 2000/– रु. जुर्माना किये जाने का प्रावधान है।

जयपुर नगर में चलने वाले टेम्पो से होने वाले प्रदूषण हेतु अलग से निम्नांकित कदम उठाये गये :–

(अ) आठ सीट बॉडी निर्धारित की गई है एवं यह प्रतिबन्ध जुलाई, 1995 से प्रभावी हो जावेंगे।

(ब) विभाग द्वारा टेम्पो को संविदा वाहन परमिट जारी किये जाने बन्द कर दिये गये है जिसके परिणामस्वरूप अक्टूबर, 1997 तक यह सम्भव हो पायेगा कि टेम्पों कुछ निर्धारित मार्गों पर ही संचालित हो सकें।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

निर्वाचन क्षेत्र पुष्कर के कृषि कुओं के विद्युतीकरण के लक्ष्य

423. **श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र पुष्कर में पंचायत समिति श्रीनगर एवं पीसांगन में कृषि कुओं को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य वर्ष 1993-94 के लिए क्या था और क्या निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?

(2) उपरोक्त क्षेत्र के लिए वर्ष 1994–95 में कृषि कुओं के विद्युतीकरण का लक्ष्य क्या था और लक्ष्य की प्राप्ति अब तक किस सीमा तक हो सकी है ?

उत्तर

(1) पुष्कर विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति श्रीनगर एवं पीसांगन में वर्ष 1993–94 में क्रमशः 90 एवं 146 कृषि कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित था। इसके सापेक्ष पंचायत समिति श्रीनगर व पीसांगन में क्रमशः 63 व 157 कृषि कनेक्शन दिये गये। श्रीनगर पंचायत समिति में लक्ष्य से कम व पीसांगन पंचायत समिति में लक्ष्य से अधिक उपलब्धि रही है।

(2) पंचायत समिति श्रीनगर एवं पीसांगन में वर्ष 1994–95 में क्रमशः 92 व 273 कृषि कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य

(ऊर्जा मन्त्री)

प्रस्तावित किया गया है। इसके सापेक्ष अभी तक क्रमशः 73 एवं 205 कृषि कनेक्शन दिये गये हैं। कण्डक्टर की देशव्यापी कमी के कारण उपलब्धि में कुछ कमी रही है।

ग्रामों के विद्युतीकरण के मानदण्ड

424. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नये गांवों को विद्युतीकृत घोषित करने हेतु किन–किन बातों का ध्यान रखा जाता है ?

(2) वर्ष 1994–95 में किन–किन बिन्दुओं को ध्यान में रखकर नये ग्राम विद्युतीकृत घोषित किये गये ?

उत्तर

(1) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित ग्रामों को राज्य सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अनुसार वार्षिक विद्युतीकरण कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। इसके पश्चात् आवश्यकतानुसार 11 के. वी. लाइन खींचकर ट्रांसफार्मर लगाने हेतु डी. पी बनाकर ग्राम को विद्युतीकृत घोषित कर दिया जाता है तथा कनेक्शन की मांग राशि जमा हो जाने पर ट्रांसफार्मर स्थापित कर, कनेक्शन जारी कर दिये जाते हैं। जिन गांवों (नान पोटेंशियल) में विद्युत कनेक्शनों की मांग संभावित नहीं होती, उनमें लाइन कार्य मांग आने पर पूर्ण किया जाता है।

(2) वर्ष 1994–95 में वार्षिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में राज्य सरकार की नीति अनुरूप उत्पादकता बाहुल्य अधिक आबादी विभिन्न जिलों में विद्युतीकरण के स्तर व तकनीकी दृष्टि से साध्यता वाले ग्रामों को प्राथमिकता के आधार पर चयनित कर उपरोक्त बिन्दु एक में वर्णनानुसार विद्युतीकृत घोषित किये गये हैं।

तहसील लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के ग्रामों का विद्युतीकरण

425. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ग्राम अन्त:पाड़ा, ग्राम पंचायत गोठड़ा, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर के काश्तकारों ने विद्युत कनेक्शन हेतु फाइल लगा रखी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। उक्त फाइलों पर आज तक घरेलू एवं कृषि कनेक्शन नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं ? सरकार इन आवेदकों को कब तक कनेक्शन दे देगी ?

(2) क्या सरकार ने घरेलू कनेक्शनों की स्वीकृति प्रदान कर दी है ? क्या स्वीकृति के बाद लट्ठे भी दे दिये फिर भी कनेक्शन नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम अन्त:पाडा ग्राम पंचायत गोठडा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर के 48 घरेलू व 13 कृषि आवेदन पत्र पंजीकृत हैं। सूची प्रपत्र "अ"–"ब" में संलग्न है। घरेलू कनेक्शन आवेदन कर्ताओं द्वारा नियमानुसार औपचारिकताएं, फिटिंग पूर्ण नहीं पाये जाने के कारण नहीं दिये गये। आवेदकों द्वारा फिटिंग पूर्ण करने एवं नियमा-

(ऊर्जा मन्त्री)

नुसार औपचारिकताएं पूर्ण करने पर कनेक्शन दे दिये जावेंगे। 13 कृषि कनेक्शन के आवेदन-पत्र पंजीकृत हुए थे उनमें 5 को कनेक्शन दिया जा चुका है, शेष 8 आवेदन-पत्रों का निस्तारण आगामी वर्षों में ग्रामवार आवंटित लक्ष्यों व राज्य सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) जी हां। घरेलू कनेक्शन दिये जाने हेतु खम्भे खड़े किये जा चुके हैं लेकिन आवेदनकर्ताओं द्वारा फिटिंग पूर्ण नहीं किये जाने के कारण विलम्ब हो रहा है। आवेदकों को फिटिंग पूर्ण कर नया "एल" फार्म देने हेतु नोटिस दिये जा चुके हैं। "एल" फार्म प्राप्त होने व फिटिंग पूर्ण पाये जाने पर कनेक्शन जारी कर दिये जावेंगे।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

ग्राम पंचायत दुगारी (बूंदी) द्वारा जारी किये गये अवैध पट्टों का निरस्तीकरण

426. **श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार)** : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या ग्राम पंचायत दुगारी (जिला बूंदी) द्वारा नियम विरुद्ध जारी किये गये भूमि के पट्टों के निरस्तीकरण हेतु विधि अनुसार निगरानी, जिला कलक्टर, बूंदी के न्यायालय में पेश करने के लिये विकास अधिकारी, नैनवां को पत्रांक 266 दिनांक 15.7.1992 से निर्देशित किया गया था ? यदि हां, तो उक्त पत्र तथा नियम विरुद्ध जारी किये गये पट्टों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त पट्टों के निरस्तीकरण हेतु जिला कलक्टर, बून्दी के यहां निगरानी पेश की जा चुकी है ? यदि हां, तो प्रदत्त फैसले के विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नैनवां ने पत्र दिनांक 3.10.91 के द्वारा जिला कलक्टर, बून्दी को ग्राम पंचायत दुगारी के तत्कालीन सरपंच श्री मोती लाल धाबाई के विरुद्ध अनियमित पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में पूर्व सरपंच के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने व अनियमित भूमि विक्रय की 15 पत्रावलियां निगरानी हेतु भिजवायी। जिस पर प्रभारी अधिकारी जिला कलक्टर कार्यालय, बून्दी ने पत्र संख्या 266 दिनांक 15.7.92 के द्वारा विकास अधिकारी, नैनवां को पूर्व सरपंच के विरुद्ध पूर्व पंचायत अधिनियम की धारा 17 (4) की कार्यवाही हेतु आरोप पत्र भिजवाने हेतु निदेशित किया जारी पत्र तथा नियम विरुद्ध पट्टों की सूची सदन के पटल हर रख दी गयी है।

(2) जी हां। जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा प्राप्त 15 निगरानियों पर निर्णय दिया जा चुका है। फैसले की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(पंचायती राज राज्य मन्त्री)

(3) जी हां। जिला कलक्टर, बूंदी के पत्र संख्या 136 दिनांक 26.8.93 के द्वारा दोषी पूर्व सरपंच श्री मोतीलाल धाबाई ग्राम पंचायत दुगारी के विरुद्ध पूर्व पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 17 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की। जिस पर पूर्व सरपंच के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होने के कारण पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (1) के अन्तर्गत परिनिर्णय लेखबद्ध करने हेतु नोटिस दिया गया है जिसमें सुनवाई दिनांक 16.5.95 निश्चित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति मकराना के विद्यालयों में रिक्त पद

427. **श्री रूपाराम (मकराना)** : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति मकराना में अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो रिक्त पदों का विवरण स्कूलों के नाम, ग्राम व पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या जिला समिति जिला परिषद्, नागौर द्वारा इससे पूर्व में चयनित सभी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां दे दी गयीं ? यदि नहीं, तो सरकार कब तक नियुक्तियां देने का विचार रखती है ?

(4) क्या विद्यालयों में अध्यापक नियमित रूप से पढ़ायें, इसकी उचित देख–भाल की व्यवस्था सरकार द्वारा की हुई है ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति मकराना में 66 तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद रिक्त हैं। रिक्त पदों का विवरण, स्कूलों के नामों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। माननीय न्यायालय द्वारा नियुक्ति पर स्टे जारी किया गया है। न्यायालय द्वारा स्टे हटाने के तुरन्त पश्चात नियमानुसार नियुक्ति कर रिक्त पद भर दिये जाएंगे।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

पंचायत समिति डग (झालावाड़) में अध्यापकों के रिक्त पद

428. **श्री बाबूलाल वर्मा (डग)** : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) डग (झालावाड़) पंचायत समिति में वर्तमान में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं एवं इनमें कितने शिक्षक कार्यरत हैं ?

(2) क्या स्वीकृत मानदण्ड के अनुसार शिक्षक पदस्थापित हैं ?

(3) झालावाड़ जिले की 6 पंचायत समितियों में कितने–कितने शिक्षकों की आवश्यकता है एवं वर्तमान में कितने–कितने शिक्षक कार्यरत हैं ?

(श्री बाबूलाल वर्मा)

(4) सरकार डग पंचायत समिति में शिक्षकों के रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति डग जिला झालावाड़ में 169 प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें 393 तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं। जिनमें वर्तमान में 252 अध्यापक कार्यरत हैं।

(2) जी नहीं।

(3) झालावाड़ जिले की 6 पंचायत समितियों में वर्तमान में 2236 तृतीय श्रेणी अध्यापकों की आवश्यकता है। जिनमें से 1950 अध्यापक कार्यरत हैं।

(4) पंचायत समिति डग में रिक्त पदों के शीघ्र भरने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम पंचायत लोहर्रा (करौली) द्वारा लिया जाने वाला यात्री कर

429. **श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर)** : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत लोहर्रा, पंचायत समिति, करौली द्वारा प्राइवेट जीप व कार जो कैलादेवी जाती है, से प्रति वाहन दस रुपया वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो इस कर का नाम क्या है तथा यह किस अधिकार के अन्तर्गत वैध या अधिकृत है ?

(2) उक्त वसूली यात्री कर के नाम से की जाती है तो यह यात्रियों की संख्या पर आधारित न होकर प्रति वाहन क्यों होती है ?

(3) क्या उक्त वसूली वैध है ? यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम पंचायत, लोहर्रा (अब कैलादेवी) द्वारा जीप व कार से 5/– रुपये प्रति वाहन व बस आदि बड़े वाहनों से 10/– प्रति वाहन वसूल किया जाता है यह यात्री कर प्राइवेट व रोडवेज सभी वाहनों से वसूल होता है। इस कर का नाम तीर्थ यात्री कर है। यह कर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 65 की उप धारा 1 (घ) के अन्तर्गत अधिकृत है।

(2) कैलादेवी मेले में लाखों यात्री आते हैं तथा हजारों वाहन एक साथ आते हैं जिनमें यात्रियों की संख्या ज्ञात करना अर्थात् गणना करना संभव नहीं होता है। यदि वाहनों में यात्रियों की गणना की जाती है तो ट्राफिक जाम हो जाता है और करीब 10 किलोमीटर की दूरी तक वाहनों की लाइन लग जाती है जिससे यात्रियों की गणना करना संभव नहीं होता और प्रशासन भी नहीं चाहता कि मेले में ट्रैफिक जाम हो तथा यात्रियों को असुविधा हो, इस कारण यात्रियों की संख्या पर कर निर्धारित न होकर प्रति छोटे वाहन से 5/– रुपये प्रति वाहन तथा बड़े वाहन से 10/– प्रति वाहन पंचायत प्रस्तावानुसार वसूल किया जाता है।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री)

(3) जी हां। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 65 की उपधारा 1 (घ) के अन्तर्गत वसूली वैध है।

निर्वाचन क्षेत्र बामनवास (सवाईमाधोपुर) के ग्रामों को बस सेवा से जोड़ना

430. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार बामनवास विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बिछोछ, बाटोदा, बरनाला आदि गांवों को बस सेवा से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार को जयपुर से ग्राम बिछोछ (वाया खेड़ली) बस सेवा से जोड़ने हेतु कोई प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार बौंली व बामनवास में परिवहन निगम की कितनी बसें चला रही है एवं इनकी समय सारणी क्या है ?

(4) क्या सरकार टौंक से महावीरजी वाया बौंली गंगापुर तक बस सेवा चालू कर जनता को यातायात सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) परिवहन विभाग इस रूट पर बस सेवाएं चलाने के इच्छुक वाहन मालिकों को नियमानुसार परमिट देने पर विचार कर सकता है।

(2) जी नहीं।

(3) बौंली व बामनवास विधान सभा क्षेत्रों में निगम द्वारा अस्थाई 'अनुज्ञापत्र' लेकर यात्रियों को सीधी बस सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये 22 बसों का संचालन किया जा रहा है। समय सारणी परिशिष्ट–1 पर है।

(4) इस मार्ग पर सीधे यात्रियों की सुविधार्थ निगम द्वारा दिनांक 25.3.95 से सीधी बस सेवा का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

(समय सारणी के लिये कृपया परिशिष्ट–14 देखें।)

परिवहन निगम कर्मियों को परिलब्धियां

431. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य कर्मचारियों की भांति राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा अवधि का लाभ चयनित वेतन शृंखला में देते समय सेवा अवधि की गणना के समय अवैतनिक सेवा अवधि को भी सम्मिलित किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि निगम में चालक/परिचालकों (दुर्घटना में मृत्यु होने पर) दुर्घटना बीमा योजना का प्रावधान रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री कुबेर सिंह)

(3) क्या सरकार द्वारा गुजरात की भांति पैसेन्जर फाल्ट प्रणाली को अपनाये जाने पर विचार किया जा रहा है ?

(4) क्या सरकार निगम के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति समर्पित अवकाश का लाभ देने का विचार रखती है ?

(5) क्या राज्य कर्मचारियों की भांति निगम के कर्मचारियों को उपार्जित/रूपांतरित एवं अन्य अवकाश सुविधा देय है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सेवा विनियमों के अन्तर्गत चयनित वेतन शृंखला देते समय अवेतनिक सेवा अवधि जिससे वार्षिक वेतन वृद्धि के दिनांक पर प्रभाव पड़ता है, सेवा अवधि में शामिल नहीं की जाती है।

(2) जी नहीं। चालक व परिचालक के ऑन ड्यूटी दुर्घटना होने पर कर्मचारी को ई.एस.आई. स्कीम के तहत मुआवजा राशि देय है। जो कर्मचारी ई.एस.आई. स्कीम की सुविधा में नहीं आते हैं उन्हें कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजा निगम द्वारा दिया जाता है।

(3) निगम में पैसेंजर फाल्ट प्रणाली पूर्व से लागू है।

(4) जी नहीं।

(5) निगम कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सेवा विनियमों के अनुरूप उपार्जित/स्थान्तरित एवं अन्य अवकाश की सुविधा देय है।

प्रदेश में कार्यरत कृषि उपज मण्डी समितियां

432. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में कुल कितनी कृषि उपज मण्डी समितियां कार्यरत हैं तथा उनमें पिछले 5 वर्षों में कितना कारोबार हुआ तथा समितियों को कुल कितनी आमदनी हुई ?

(2) छतरगढ़ व कस्बा नापासर जिला-बीकानेर में कृषि उपज मण्डी समिति या सब-यार्ड बनाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में कुल 133 कृषि उपज मण्डी समितियां कार्यरत हैं जिनमें पिछले 5 वर्षों में 19,088 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ तथा 275.79 करोड़ रुपये की कुल मंडी शुल्क से आमदनी हुई है।

(2) छतरगढ़ कृषि उपज मण्डी समिति, बीकानेर का गौण मण्डी यार्ड दिनांक 19.10.89 से घोषित है। कस्बा नापासर में मण्डी समिति या सब यार्ड बनाये जाने हेतु कोई प्रस्ताव मण्डी समिति से प्राप्त नहीं हुए हैं।

जिला बूंदी के ग्रामीण क्षेत्र के हाट बाजार

433. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि करवार, पीपल्या, तलवास एवं खटकड़ में हाट बाजार योजनान्तर्गत करवाये गये निर्माण कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के अधीन हैं तथा रख-रखाव की जिम्मेदारी भी सम्बन्धित ग्राम पंचायतों की ही है ? यदि हां, तो ग्राम पंचायतों द्वारा हाट बाजार कब्जे में लेने एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी लेने सम्बन्धी कागजात की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या संभाल एवं रख–रखाव के अभाव में क्षत--विक्षत होते जा रहे हाट बाजार के उपयोग बाबत अलग से कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो अब कब तक योजना बना दी जावेगी ?

(3) क्या उक्त हाट बाजारों के सही उपयोग के लिए समीप में बस स्टैण्ड की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचारा–धीन है ? यदि नहीं, तो अब कब तक विचार कर निर्णय लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। हाट बाजार कब्जे में लेने एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धी कागजात की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। ग्रामीण हाट बाजारों में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जैसे हैण्डपम्प, जानवरों के लिए पानी की खेली उपलब्ध कराकर दो वर्ष तक सरकारी सहायता दिये जाने की योजना प्रस्तावित है। भारत सरकार की योजना अनुसार हाट बाजारों को ग्राम पंचायतों को स्थानान्तरित किया जाना है। इन हाट बाजारों को ग्राम पंचायतों को सुपुर्द करने सम्बन्धी योजना अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य भी प्रक्रियाधीन है।

(3) जी नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर द्वारा सड़कों की मरम्मत

434. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जयपुर जिले में पिछले 5 वर्षों में सड़क मरम्मत हेतु कितनी राशि आबंटित की गयी एवं किस–किस सड़क पर कितनी राशि व्यय की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सड़क मरम्मत के लिये राशि आबंटन के सम्बन्ध में कोई मानदण्ड निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) क्या निर्धारित मानदण्डों की पालना की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जयपुर जिले में पिछले पांच वर्षों में सड़क मरम्मत

(कृषि राज्य मंत्री)

हेतु आवंटित की गयी राशि एवं सड़कों पर व्यय की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। जो सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। 5000/- रुपये प्रति किलोमीटर गैर नहरी क्षेत्र एवं 8000/- रुपये प्रति किलोमीटर नहरी क्षेत्र के लिए वार्षिक सड़क मरम्मत हेतु राशि खर्च करने का मापदण्ड निर्धारित है।

(3) मापदण्डों के अनुसार राशि स्वीकृत की जाती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर जिले के विभागीय कार्यालयों में स्वीकृत पद

435. **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उदयपुर जिले में कृषि विभाग के कौन-कौन से कार्यालय कार्यरत हैं एवं उनमें कितने पद सृजित हैं ? विवरण कार्यालय व फील्ड स्टाफ सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सृजित सभी पद भरे हुए हैं ? यदि नहीं, तो कितने पद किस श्रेणी के कब से रिक्त हैं ?

(3) कार्यरत एव सृजित पदों के अधिकारियों के कार्य के क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित हैं ?

(4) क्या निर्धारित मानदण्ड के अनुसार सभी अधिकारियों के लिए पर्याप्त कार्य उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या मानदण्ड के अनुसार कार्य किया जा रहा है ?

(5) कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए विभाग में क्या-क्या प्रस्ताव हैं एवं उन प्रस्तावों की क्रियान्विति हेतु विभाग ने पिछले दो वर्षों में क्या कार्यवाही की है ? सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में कृषि विभाग के निम्नलिखित कार्यालय है :—

1- संयुक्त निदेशक, कृषि
2- उप निदेशक, कृषि (विस्तार)
3- उप निदेशक, कृषि (गुण नियंत्रण)
4- सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) गिर्वा
5- सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) बडगांव
6- सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) सलूम्बर

उक्त कार्यालयों में विभिन्न कुल संवर्गों के 540 पद सृजित हैं। विस्तृत विवरण कार्यालयवार/संवर्गवार परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। श्रेणीवार रिक्त पदों की सूचना परिशिष्ट-क पर संलग्न है। रिक्त पद 5-6 माह से चले आ रहे हैं।

(3) कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य के मानदण्ड विभागीय बुकलेट में विस्तार से वर्णित किये गये हैं। प्रमुखतः उनका कार्य कृषि विस्तार की योजनाओं को क्रियान्वित करना एवं कृषकों

(कृषि राज्य मंत्री)

को नवीन तकनीकी का ज्ञान कराना एवं उनकी समस्याओं का निदान करना है।

(4) सभी अधिकारियों के लिए निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कार्य उपलब्ध है तथा मापदण्ड के अनुसार कार्य किया जा रहा है।

(5) कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु विभाग के प्रस्ताव में मुख्यतः उपलब्ध जल के कुशलतम व उचित उपयोग, कृषि आदानों की गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाना, लवणीय क्षारीय व ऊसर भूमि का सुधार, नवीनतम उन्नत कृषि तकनीकी का हस्तान्तरण व कृषि में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किया जाना है। इस प्रस्तावों की क्रियान्विति हेतु निम्नांकित कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं:—

1. कृषि प्रदर्शन:—उन्नत कृषि विधियां तथा अन्य कृषि आदानों यथा बीज, खाद और उर्वरक के प्रभावी बिन्दुओं को दर्शाने तथा वृहत प्रदर्शन कृषकों के खेतों पर आयोजित किये जाते हैं, जिस हेतु कृषि आदानों पर अनुदान दिया जाता है।

2. जैविक खाद व उर्वरक:—कृषि उपज में बढ़ोतरी किये जाने हेतु जैविक खाद को बढ़ावा दिया जा रहा है एवं इसके प्रचलन हेतु मिनी किट्स का निशुःल्क वितरण किया जाता है। कृषकों की विषम आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टिगत कर भारत सरकार कृषकों को रियायती दर पर उर्वरक उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुदान दे रही है।

3. पौध संरक्षण:—कृषि पैदावार को कीड़ों व बीमारियों के प्रकोप से बचाने हेतु मुख्यतः विभिन्न केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत कीटनाशक औषधियों व पौध संरक्षण उपकरणों पर कृषकों को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त रासायनिक कीटनाशक औषधियों के उपयोग को शनैः शनैः कम किये जाने हेतु समन्वित कीट नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया जा रहा है।

4. तकनीकी ज्ञान का हस्तान्तरण:—
(i) कृषक मण्डल/प्रशिक्षण:—कृषकों में कृषि की नवीनतम उन्नत विधियों के प्रचार/प्रसार हेतु गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। चूंकि इस कार्य हेतु ग्रा.वि.का. द्वारा समस्त कृषकों से समयानुसार संपर्क किया जाना संभव नहीं है अतएव 20–20 प्रगतिशील अनुभवी सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले कृषकों का समूह गठित किया जाता है तथा इनको प्रशिक्षित किया जाता है जो कि अपने–अपने क्षेत्र के अन्य कृषकों को तकनीकी ज्ञान हस्तान्तरित करते हैं।

(ii) किसान सेवा केन्द्र:— कृषकों को पखवाड़े की मध्यावधि के दौरान आने वाली समस्याओं आदान पूर्ति एवं अन्य समस्याओं के निदान हेतु निश्चित समय पर निश्चित रूप से उपलब्धि सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से प्रत्येक ग्रा.वि.का. के मुख्यालय पर एक किसान सेवा केन्द्र स्थापित किया गया है। इन किसान सेवा केन्द्रों पर प्रत्येक गुरुवार को कृषकों को वैज्ञानिक खेती, सामाजिक वानिकी, भू-संरक्षण, बागवानी, डेयरी/पशुपालन आदि की नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

(iii) कृषि महिला प्रशिक्षण कार्यक्रम:— चूंकि कृषि में महिलाओं की भागीदारी 60 प्रतिशत से अधिक है। अतः महिलाओं को

(कृषि राज्य मंत्री)

पृथक रूप से एक दिवसीय, छः दिवसीय साथीन कृषकों को 2 सप्ताह व महिला ग्राम-साथिनों का 1 सप्ताह का मौसम पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है।

5. जल बजट:- कृषकों के पास उपलब्ध सिंचाई जल के अधिक से अधिक कुशलपूर्वक उपयोग किये जाने हेतु योजनांतर्गत फव्वारा सिंचाई पद्धति व पक्की नालियों को किसानों द्वारा काम में लाये जाने को प्रचलित किया जा रहा है, जिससे कि सिंचाई के दौरान नष्ट हुए जल को उपयोग कर उपज बढ़ाई जा सके। इसके अतिरिक्त बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति को भी प्रचलित किया जा रहा है। कृषकों द्वारा इन यंत्रों को क्रय किये जाने हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

6. ऊसर भूमि का सुधार:- कृषकों की लवणीय, क्षारीय व ऊसर भूमि को सुधारने हेतु, जिससे कि इस भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सके, जिप्सम पर अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

7. भूमि परीक्षण, बीज परीक्षण एवं आदान गुणवत्ता की जांच:-कृषि पैदावार में बढ़ोतरी किये जाने हेतु बीज, खाद व उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों का कृषकों द्वारा अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है, जिससे इनकी खपत भी काफी बढ़ गयी है जिससे किन्हीं व्यापारियों द्वारा अनुचित तरीके भी अपनाये जाते हैं। अतः कृषकों को गुणवत्ता कृषि आदान की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु बीज जांच, उर्वरक व कीटनाशक रसायन गुणवत्ता की जांच हेतु प्रयोगशालाएं स्थापित की गयी हैं। कृषकों के खेती की मिट्टी की जांच की जाती है एवं भूमि में उपलब्ध तत्व की मात्रा एवं देय मात्रा के आधार पर उर्वरक/तत्व की मात्रा की सिफारिश की जाती है।

उपरोक्त समस्त कार्यक्रम राज्य योजना व विभिन्न केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत क्रियान्वित किया जाता है। इन योजनाओं के अन्तर्गत दो वर्षों में व्यय की गई राशि एवं इस वर्ष की संभावित व्यय की जाने वाली राशि परिशिष्ट-ख पर संलग्न की जा रही है। उल्लेखित है कि विधान सभा के बजट सत्र में विभाग द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रमों/कार्यकलापों का प्रगति विवरण समस्त माननीय सदस्यों को वितरित किया जाता है, जिसमें विस्तृत जानकारी दी जाती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

ग्राम पंचायत खोडीया (सोजत) में "तिर्यों की नाल" एनीकट

436. **श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर):** क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

भू-संरक्षण कार्यों के अन्तर्गत पाली जिले की ग्राम पंचायत खोडीया तहसील सोजत में तिर्यों की नाल एनीकट की कितनी राशि की स्वीकृति कब जारी हुई ? स्वीकृत राशि में से कितनी राशि खर्च हुई एवं अब अधूरा कार्य कब तक पूरा कराने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

पाली जिले की ग्राम पंचायत खोडीया

(कृषि राज्य मंत्री)

तहसील सोजत में तिर्थों की नाल एनीकट की राशि रुपये 4.232 लाख की स्वीकृति संवत् 2042 एवं 2044 में जारी की गयी। एनीकट पर रुपये 2.79 लाख व्यय कर निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।

टाडा एवं माडा क्षेत्र का विकास

437. **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या सरकार टाडा व माडा क्षेत्र के विस्तार का विचार रखती है ? यदि हां, तो अब तक किस-किस जिले व तहसीलों के प्रस्ताव तैयार किये जा कर स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजे गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन प्रस्तावों में वर्ष 1991 की जनसंख्या का ध्यान रखा गया है ?

(3) प्रस्तावित क्षेत्र के विस्तार हेतु विभाग ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) टाडा (उपयोजना) क्षेत्र के विस्तार हेतु पांच जिलों की दस तहसीलों को जनजाति उपयोजना क्षेत्र में शामिल करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं। विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। माडा क्षेत्र के विस्तार के प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं होने के कारण नहीं भेजे गये हैं।

(2) टाडा क्षेत्र के प्रस्तावों को वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर ही तैयार किया गया है।

(3) टाडा (उपयोजना) क्षेत्र के विस्तार हेतु जो प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये गये हैं, वे अभी भारत सरकार में विचाराधीन हैं, जिन्हें स्वीकृत कराये जाने के प्रयास जारी हैं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-15 देखें।)

बोइलर अधिकारियों द्वारा कोटा डिवीजन के उद्योगों का निरीक्षण

438. **श्री ओम प्रकाश शर्मा** (बूंदी) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि उद्योगों में बोइलर लगाये जाते हैं ? यदि हां, तो इनका निरीक्षण करने के लिये जो अधिकारी हैं उन्होंने कोटा डी. सी. एम (फर्टीलाइजर्स श्रीराम रेयन्स) जे. के. ताम्बा फैक्ट्री, (चम्बल फर्टीलाइजर), झालावाड़ में बारां में अन्ता गैस आधारित एवं बून्दी जिले की लाखेरी एवं बून्दी नगर की फैक्ट्रियों का कब-कब निरीक्षण किया ? अप्रैल, 1991 से 31 मार्च, 1995 तक की अवधि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बोइलर अधिकारी कभी इन उद्योगों का निरीक्षण ही नहीं करते ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। निरीक्षण की वर्षवार

(श्रम राज्य मंत्री)

तारीखें संलग्न परिशिष्ट "क" में दी गयी है।

(2) जी नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

समाचार-पत्रों की विज्ञापन दरें

439. **श्री बनवारीलाल शर्मा** (धौलपुर) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार ऐसे समाचार-पत्र जिनके प्रकाशन को 25 वर्ष से अधिक की अवधि हो चुकी है तथा जो किसी कारण से डी.ए.वी.पी. से मान्यता प्राप्त नहीं कर सके हैं तथा जिनकी प्रसार संख्या भी दो हजार से अधिक है, की विज्ञापन दरें बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

(2) क्या सरकार ऐसे समाचार-पत्रों की विज्ञापन दरों के लिये श्रेणी बढ़ाने पर भी विचार कर रही है जिनकी श्रेणी में गत 15 वर्ष से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

निर्वाचन क्षेत्र खण्डार के पर्यटन स्थल

440. **श्री हरिनारायण बैरवा** (खण्डार) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खण्डार में शिवाड़, चौथ का बरवाड़ा, कमलेश्वर महादेव, रामेश्वरम् आदि धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल घोषित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

पर्यटन विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जाता है, अपितु जिन स्थलों पर वर्ष पर्यन्त पर्यटकों का आगमन रहता है वे स्थल स्वतः ही पर्यटन स्थल हो जाते हैं।

ग्राम खटवा (दौसा) में आयुर्वेदिक औषधालय

441. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार दौसा जिले की लालसोट तहसील के ग्राम खटवा में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। दौसा जिले की लालसोट तहसील के ग्राम खटवा में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

निर्वाचन क्षेत्र धौलपुर के औषधालयों को औषधि

442. **श्री बनवारीलाल शर्मा** (धौलपुर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले आयुर्वेदिक औषधालयों में मरीजों को देने के लिए कितनी मात्रा में दवाइयां दी जाती हैं ?

(2) धौलपुर जिला विधान सभा क्षेत्र के आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधालयों में वर्ष 1993–94 एवं 1994–95 (माह फरवरी, 1995 तक) में कितना-कितना धन दवाइयों पर व्यय किया गया ? विवरण औषधालयों के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रत्येक औषधालय में उक्त अवधि में कितने मरीजों ने चिकित्सा प्राप्त की ? सूची वर्ष एवं औषधालय वार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभागान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित आयुर्वेदिक औषधालयों में मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1994–95 तक निम्न मापदण्ड के आधार पर सीमा निर्धारित कर आनुपातिक रूप में दवाइयां सप्लाई की जाती रही हैं:–

बहिरंग विभाग–1.00 रुपया प्रति रोगी प्रतिदिन

अन्तरंग विभाग–3.00 रुपया प्रति रोगी प्रतिदिन

अब राज्य सरकार ने औषध बजट को दुगुना कर वर्ष 1995–96 से विभागीय औषधालयों को रोगियों के लिए निम्न आनुपातिक रूप में दवाइयां सप्लाई की जावेगी:—

बहिरंग विभाग–2.00 रुपया प्रति रोगी प्रतिदिन

अन्तरंग विभाग–6.00 रुपया प्रति रोगी प्रतिदिन

(2) धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में संचालित आयुर्वेदिक व यूनानी औषधालयों को वर्ष 1993–94 व 1994–95 (माह फरवरी, 95 तक) में सप्लाई की गयी औषधियों का विवरण (परिशिष्ट–1) सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में संचालित विभागीय आयुर्वेद व यूनानी औषधालयों/चिकित्सालयों से चिकित्सा लाभ प्राप्त रोगियों की संख्या का विवरण (परिशिष्ट–1) सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–16 देखें।)

(12.00)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:–

(2) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुंझुनूं जिले के निर्वाचन क्षेत्र मंडावा के कतिपय गांवों में पेयजल का गम्भीर संकट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामनारायण मीणा एवं तीन अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से....

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, देखिए आप किस तरह से उठ उठकर जा रहे हैं। जब आसन पैरों पर हैं उसके बावजूद....

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए आप। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : जब आसन पैरों पर है उसके बावजूद भी जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विराजें आप। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब ऐसा आदेश दिया जा चुका है लेकिन आपके आदेशों की पालना नहीं होती है....(व्यवधान).... सदन की गरिमा को गिराया जा रहा है। जब ऐसे आपने निर्देश दे दिये हैं, लेकिन आपके निर्देशों को इन्होंने नहीं माना।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराज जाइए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सदन की गरिमा को गिराया जा रहा है। अभी भी जा रहे हैं, बुलाइये उनको बाहर से... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आई.ए.एस. को सबको बुलाओ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट विराजिए, आप ..(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अफसरशाही की भी हद हो गयी।

श्री जगदीप धनखड़ : अधिकारियों के अलावा मंत्री महोदय भी गये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के उच्चाधिकारियों को आसन से मर्यादित कीजिए (व्यवधान) आगे के लिये इनको प्रताड़ना दीजिए और मर्यादित कीजिए।

कई माननीय सदस्य : बुलाइये उन सबको।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, आसन पैरों पर हो जब तक वह मर्यादा में रहें और जाएं नहीं....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनको प्रताड़ित किया जाए।

एक माननीय सदस्य : यह अधिकारी उठ-उठकर चले जाते हैं, बुलाइए इन सबको।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सभी अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूं जब तक आसन पैरों पर हो, आप उठकर के बाहर नहीं जाएं और न खड़े होने की चेष्टा करें। भविष्य में ध्यान रखें।

श्री जगदीप धनखड़ : सरकार के मंत्री पहले गये हैं। सरकार के कृषि मंत्री भी गये, उनको भी चेतावनी दें।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप। मैं खड़ा हूं और आप खड़े हो रहे हैं, मैं आपको भी चेतावनी थोड़े ही दे सकता हूं। विराजिये आप।

श्री पूनम चन्द विश्नोई (फलौदी) : पॉइंट आफ आर्डर।। माननीय उपाध्यक्ष

(72)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई)

महोदय, आपने अभी यह व्यवस्था दी है, पहले भी ऐसी व्यवस्थाएं दी जा चुकी हैं। लेकिन मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि उठने के, बैठने के मामले जब आसन पैरों पर हो तो कोई सदन का सदस्य न उठेगा, न हिलेगा लेकिन दीर्घाओं में बैठे हुए आफिसर्स गैलरी में बैठे हुए हैं इस सदन के मेम्बर की हैसियत से उनको हिदायत नहीं दी जा सकती। इसलिए उनका उठना, आना जाना (व्यवधान) यह परम्परा है। कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि वहां साधारण नागरिक बैठे हैं। वह उठते रहेंगे, बैठते रहेंगे तो उनको वह हैसियत प्रदान नहीं की जा सकती कि जब अध्यक्षजी अपने पैरों पर हों तो उठें। यह तो मंत्रियों पर और सदन के सदस्यों पर यह व्यवस्था लागू होती है। जो दूसरी दीर्घाओं में, वगैरह–वगैरह प्रेस दीर्घा में बैठे हुए लोगों के लिये यह व्यवस्था लागू नहीं होती। यही मेरा नम्र निवेदन है।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, इसी बिन्दु पर पूर्व अध्यक्ष महोदय ने रूलिंग दी थी। पांच वर्ष पूर्व जब यहां पर गवर्नर महोदय अभिभाषण के लिये आये थे तो अभिभाषण के पश्चात अधिकारीगण वहां से उठकर जा रहे थे और यहां पर प्रिविलेज मोशन लाया गया था। उस समय इस प्रकार की रूलिंग दी गयी है कि जो ऊपर पत्रकार बंधु बिराजते हैं या दर्शक गैलरी में दर्शक बैठते हैं वह तो स्ट्रिक्टली स्वीपिंग हाउस के पार्ट नहीं हैं लेकिन अधिकारीगण जो यहां पर आते हैं वह गवर्नमेंट को यहां पर हैल्प करने के लिये आते हैं और परोक्ष रूप से वह हाउस के पार्ट नहीं होते हुए भी हाउस के एक अंग माने जाते हैं। तो इसलिए अधिकारीगण से यह अपेक्षा की गयी थी, जब भी अध्यक्ष पैरों पर हों तो उस वक्त वह सीट छोड़कर नहीं जाएं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : मुझे एक निवेदन करना है। उपाध्यक्ष जी, आपने रूलिंग दे दी, चेतावनी दे दी। यह एक समस्या है। जैसे ही प्रश्नकाल समाप्त होता है, जो अधिकारीगण यहां गैलेरी में आते हैं, बैठते हैं, उनका काम समाप्त हो जाता है। ठीक प्रश्नकाल के बाद में माननीय अध्यक्षजी, माननीय उपाध्यक्ष–जी या आसन पैरों पर खड़ा होता है, तो या तो आसन इतनी निगाह रखे कि दो–तीन मिनट का टाइम उन अधिकारियों को बाहर निकल जाने के लिये दे दें या फिर ऐसी व्यवस्था हो कि यहां आसन खड़ा होने के बाद आधा घंटा, बीस मिनट तक अपनी रूलिंग देते हैं, व्यवस्था देते हैं, उतने समय तक मेरे ख्याल से बहुत उचित नहीं होगा अधिकारीगण को यहाँ रोके रखना। इन दोनों बातों में एक सामंजस्य बैठाया जाए और उसके लिये हम इतने टची नहीं बनें कि अधिकारीगण उठकर चले गये इसलिए सदन का या आसन का अपमान हो गया। हम इतने टची नहीं हों, वह अपना काम करते हैं, चलते हैं, एक घन्टे तक उनको रोकने का कोई तुक नहीं बनता है। यही मेरा निवेदन है।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब आसन पैरों पर था, माननीय कृषि मंत्रीजी गए। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पूर्व माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, जब आसन पैरों पर था, उधर से इधर आये। इस प्रकार के गम्भीर संसदीय

(श्री जगदीप धनखड़)

दुराचरण के प्रति आसन को कठोर रुख अपनाना चाहिए और मंत्रीगण और सदस्यगण यदि इस प्रकार की परम्परा का उल्लघंन करते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि माननीय कृषि मंत्रीजी को चेतावनी दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय कृषि मंत्रीजी को चेतावनी दी जाए, क्योंकि माननीय कृषि मंत्रीजी ने आसन पैरों पर रहते हुए सदन से बहिर्गमन किया है। कृषि मंत्रीजी को चेतावनी दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उद्योग मंत्री) : आसन पैरों पर है और आप बार बार खड़े होते हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : आप इधर से उधर आ गये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप स्वयं नियमों का पालन करना सीखें और फिर उपदेश दें। ज्यादा बढ़–बढ़ कर बात नहीं करें।

श्री उपाध्यक्ष : (2) श्री रामनारायण मीणा एवं तीन अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य विद्युत मंडल में स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण वर्कचार्ज कनिष्ठ लिपिकों को नियमित वेतन श्रृंखला नहीं दिये जाने से उत्पन्न के स्थिति सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

नियम 295 के तहत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री हरिश चन्द्र पल्लीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगापुर पंचायत समिति के प्रधान पद पर पदासीन श्रीमती अल्का बजाज का नाम ग्राम पंचायत, चूली की निर्वाचित नामावली से जांचे जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री बनवारी लाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से हाइटेक प्रशीसन ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर को पुनः चालू करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामनारायण डूडी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के चिकित्सालयों में डाक्टर व स्टाफ की कमी होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री किशनाराम नाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से धौलपुर जिले के ग्राम मरैना में दिनांक 3.3.95 को श्री सुन्दर सिह की कथित हत्या के हत्यारों को तुरन्त गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री महावीर भगोरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जनजाति विकास विभाग, उदयपुर द्वारा "हमेलो" उत्सव में किये गये धन के दुरूपयोग के सम्बन्ध में।

(6) श्री रामकिशन वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से स्वतत्रता सेनानियों की पेंशन में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(7) श्री भीमराज भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाली शहर में रसोई गैस व कैरोसिन की किल्लत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य, विधान सभा की ओर से सन् 1979 में राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा द्वारा मकान आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित कर रजिस्ट्रेशन करने के उपरान्त भी भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण उनके लिए आवासों का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री जगदीप धनखड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर में विश्व स्तर रत्न आभूषण हाट विकसित करने की योजना के क्रियान्वयन से सम्बद्ध मुद्दों के सम्बन्ध में।

(10) श्री मोहन लाल बारूपाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील जायल के ग्राम सुरपलिया से हुडास तक 10 किलो-मीटर की सड़क के कच्चा होने से आवा-गमन में हो रही असुविधा के सम्बन्ध में।

(11) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम पंचायत सरेरा एवं बाड़ावास के गांवों का भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा काश्तकारों के कब्जा काश्त के आधार पर राजस्व रेकार्ड तैयार न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

माननीय रामनारायण जी चौधरी।

श्री जगदीप धनखड़ : शून्यकाल के लिए दिया हुआ है।

श्रीमती कमला : पहले शून्यकाल।

श्री उपाध्यक्ष : शून्यकाल के लिये भी कुछ आई हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : शून्यकाल के लिए मैंने एक बात के लिए दिया हुआ है। पहले शून्यकाल हो, शून्यकाल को खत्म मत कीजिए आप।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री उपाध्यक्ष : मैं शून्यकाल लूंगा पर जैसे ही शून्यकाल चालू किया गया, बीस-बीस स्लिप आने लग गयीं। मैं उनको अभी छांट रहा हूं।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : जो टाइम से आयीं, जो पहले आयीं, 10.50 पर मैंने दी है।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके पास मेरे मण्डावा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सौ गांवों के पीने के पानी की समस्या को लेकर वहां उत्पन्न हुए संकट के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। मान्यवर, मेरे इस क्षेत्र में सौ गांव हैं और सौ के सौ गांव सरकार की जल सप्लाई योजनाओं से, या तो क्षेत्रीय योजनाएं हैं या वहां की लोकल योजनाएं हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। पिछले एक महीने से वहां बिजली नहीं मिल रही है और उसकी वजह से न गांवों को पीने का पानी मिल रहा है। पिछले दिनों, गर्मियों में माननीय मन्त्रीजी खुद पधारे थे। उनके जाने का नतीजा यह हुआ था कि उस वर्ष व्यवस्था में सुधार रहा। लेकिन अब ज्यों ही गर्मी

(श्री रामनारायण चौधरी)

आयी है, पिछले एक महीने से निरादनूं, कबीरसर, गांगियासर इन गांवों के अन्दर लुट्ठ स्कीम का पानी और वहां की स्थानीय योजनाएं, बिजली नहीं मिलने से पूरी पानी की योजनाएं ठप्प हो गयी हैं। गांव वाले पानी के लिये बहुत परेशान हैं। पुरानी जो परम्परागत व्यवस्था थी, वह खतम हो गयी और जो सरकारी योजनाएं अभी चालू हुयी थीं वह योजनाएं बिजली की वजह से और वहां के पी.एच.ई डी. के कार्यकर्ताओं की अकर्मण्यता की वजह से, अव्यवस्थाओं की वजह से पानी का बड़ा भारी संकट पैदा हो गया है। मैं आपके द्वारा राज्य सरकार का, खास तौर से जलदाय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भरत सिंह जी।

श्री भरत सिंह (खानपुर) : उपाध्यक्ष जी, दिनांक 3.2.95 को सांगोद पंचायत समिति के गांव मोइखुर्द में शाम 6 बजे नरेन्द्र शर्मा की हत्या की गयी। नरेन्द्र शर्मा की हत्या क्यों की गयी ? उनका क्या कसूर था ? उनका कसूर यह था कि वह सरपंच का चुनाव जीत गये थे और कांग्रेस पार्टी के सरपंच थे।

साढ़े पांच बजे नरेन्द्र शर्मा सांगोद से अपने गांव मोइखुर्द मोटर साइकिल पर अकेले जाते हैं। उनके पीछे कुछ गुण्डे मोटर साइकिल पर मोइखुर्द गांव पहुंचते हैं और वहां सुनियोजित तरीके से नरेन्द्र शर्मा का गांव में घुसते समय रास्ता रोक लिया जाता है और तलवार से उनके ऊपर वार किया जाता है। नरेन्द्र शर्मा नीचे गिर जाते हैं और उठकर आगे जाने की कोशिश करते हैं, तो पुन: धनराज और बृजमोहन नाम के व्यक्ति उन पर कुल्हाड़ी से वार करते हैं और उसके बाद 10–15 आदमी मिलकर निर्मम तरीके से नरेन्द्र मोहन की हत्या कर देते हैं। साढ़े आठ बजे थाना सांगोद में रिपोर्ट दर्ज होती है और उसके बाद उसी रात को डीवाई.एस.पी. रामगंजमंडी, जो कि सांगोद के सी.ओ. हैं, वह तथा पुलिस के थानेदार और सिपाही मोइखुर्द गांव में आते हैं और जिस स्थान पर यह हत्या हुई है, जितना मेरे और आसन के बीच फासला हैं, इतना–सा ही फासला है जहां से नरेन्द्र मोहन शर्मा की हत्या हुई और जहां पर अभियुक्त छिपे बैठे थे। मकान के सामने ताला लगा हुआ है। पुलिस को इत्तला होती है मुल्जिम इसी मकान में घुसे हुए हैं और रात को मकान के पीछे से कूद कर पुलिस घर के अन्दर घुसती है। बाहर ताला लगा हुआ है और पुलिस मकान में से हत्यारों को गिरफ्तार करती है, जो हत्यारे हत्या करने के बाद उस मकान में घुसे हुए हैं। घटनास्थल से मकान का फासला कोई मुश्किल से 20-25 फुट दूर है। उसके बाद इस घटना की, कि मुल्जिमों को पकड़ लिया है, पुलिस अखबारों में खबर देती है और दस दिन तक उनको गिरफ्तार करके रखा और बाद में जो हत्या में नाम दर्ज मुल्जिम है, जिनके चश्मदीद गवाह हैं, उन लोगों को पुलिस ने उस रिपोर्ट में से निकाल दिया। 19 व्यक्तियों ने 19 धारदार हथियारों से वार किये हैं, किसी साधारण व्यक्ति पर नहीं, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री भरत सिंह : निर्मम तरीके से हत्या की है। उसके बाद नाम दर्ज मुल्जिम, जिसकी एफ.आई.आर. यह मौजूद है, नाम दर्ज मुल्जिम जिनको घर में से ताला खोलकर, अन्दर कूदकर ताला खोला है और इसमें जो गिरफ्तार हैं, अब मैं आपसे पूछता हूं कि जब इस मुल्जिम के बाप और दूसरे भाई इसमें शामिल थे तो क्या यह लोग तालियां बजा रहे थे, या घर में घुसकर टेलीविजन देख रहे थे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, स्पेसिफिकली, जरा जल्दी करिये बिजनस....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह हत्या का मामला है, बहुत गंभीर मामला है.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभी यहां डिबेट नहीं हो रही है, माननीय विधायक, आप....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जिनको दस रोज तक....

श्री उपाध्यक्ष : जीरो आवर में दो मिनट, तीन मिनट का समय दिया जाता है। आप कोई (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उनको किसके कहने से छोड़ दिया और लोगों में यह अफवाह है वह किसी न किसी के....

श्री उपाध्यक्ष : धारीवाल साहब अभी कोई डिबेट नहीं हो रही है। आप थोड़ा जल्दी करें।

श्री कालीचरण सराफ : उपाध्यक्ष महोदय, धारीवाल साहब को हर कहीं से बोलने का अधिकार है क्या ?

श्री भरत सिंह : उपाध्यक्ष जी, मामला गंभीर इसलिए है कि क्षेत्र के लोग यह कहते हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री भरत सिंह : देखिये, आप इस गंभीर विषय को इस तरह नहीं टालें। मैं एक सरपंच की हत्या की बात कर रहा हूं और जिसमें गंभीर आरोप हैं। क्षेत्र की जनता यह कहती है कि मुल्जिम क्षेत्रीय विधायक के घर में छिपे हुए हैं और पुलिस वहां की तलाशी नहीं करती।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, बिराजिये।

श्री भरत सिंह : और क्षेत्रीय विधायक कौन हैं ? क्षेत्रीय विधायक राजस्थान के एक मंत्री हैं। क्षेत्र की जनता यह कह रही है पुलिस उनके घर में तलाशी नहीं लेती। उनके यहां लगातार तलाश करें तो वह हत्यारे बाहर निकलकर आयेंगे और पकड़े जाएंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री भरत सिंह : मैं आसन से यह आश्वासन चाहता हूं कि इन मुल्जिमों को पकड़ा जाएगा....

श्री रामनारायण मीणा (नैनवा) : मंत्री का नाम क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री भरत सिंह : नाम दर्ज मुल्जिमों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री भरत सिंह : नाम दर्ज मुल्जिम पकड़े हैं उनको पकड़ने के बाद छोड़ देना, इससे बड़ी+++घटना कोई और हो नहीं सकती....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। बहुत हो गयी आपकी बात....

श्री भरत सिंह : और उन क्षेत्रीय विधायक के घर में तलाशी ली जाए....

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम जी बुरडक।

श्री भरत सिंह : यह तलाशी लेंगे तो मुल्जिम बाहर निकलेंगे, नहीं तो वह बाहर नहीं निकलेंगे।

श्री रामनारायण मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गम्भीर है। एक मंत्री का नाम सदन में आया है। यह स्थिति ऐसी पैदा होती है कि लॉ एण्ड आर्डर सिचुएशन की बात नहीं। कल भी एक मंत्री का नाम आया, परसों भी हत्या में एक मंत्री का नाम आया....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : रोज मंत्री का नाम आ रहा है। क्या इस मामले में गृह मंत्रीजी अपना वक्तव्य देंगे ? क्योंकि यह मामला सरकार में शामिल एक मंत्री का है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये....(व्यवधान) रामनारायणजी, बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : आप इनसे जानकारी लेंगे....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह राज–नीति का अपराधीकरण हो रहा है.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हर मामले में वक्तव्य देंगे....(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : यह साधारण मामला नहीं है, उपाध्यक्षजी।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। माननीय बुरडक साहब।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : होम मनिस्टर कुछ बोल ही नहीं रहे, रोज हत्याएं हो रही हैं....(व्यवधान)....

श्री रामनारायण मीणा : उपाध्यक्षजी, यह साधारण मामला नहीं है। यह +++ हत्या करा रहे हैं। सरपंचों को मरवा रहे हैं, अपने राजनीतिक विरोधियों की हत्या करवा रहे हैं। इस तरह की....

श्री उपाध्यक्ष : मुझे यह लगता है कि अब यह जीरो आवर....

श्री रामनारायण मीणा : जीरो आवर है, उपाध्यक्ष महोदय। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। एक सदस्य आरोप लगा रहे हैं, आप सुनिये....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये ना, बात कह दी उन्होंने अपनी, मंत्रीजी ने ध्यान रख लिया। बिराजिये आप।

श्री रामनारायण मीणा : कहने से नहीं, मंत्री का वक्तव्य होगा ...(व्यवधान)

श्री भरत सिंह : आप मेरी बात सुनिये। मैं तो गृह मंत्रीजी से वही कहता हूं कि वह

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री भरत सिंह)

क्षेत्र विधायक के घर की तलाशी लेंगे क्या ? वहीं छिपे हुए हैं, लोग–बाग कहते हैं । आप मुझे यह जवाब दें ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप ।

श्री भरत सिंह : वह जवाब दे दें । वह तलाशी तो लें, वहीं बैठे हुए हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : यहां का यहां जवाब नहीं होता, बिराजिये आप ।

श्री रामनारायण मीणा : मंत्री का नाम आया है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, देखिये आप बार–बार खड़े हो रहे हैं, यह ठीक नहीं है ।

श्री रामनारायण मीणा : यह बाहर का सवाल नहीं है, मंत्री का नाम आया है....

श्री भरत सिंह : यह मदन दिलावर मंत्री के घर की तलाशी लेंगे क्या ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कितना जबरदस्त आरोप है, उपाध्यक्ष महोदय, हत्यारे मंत्री के घर में घुसे हुए हैं ।

श्री रामनारायण मीणा : मंत्री का नाम आया है....

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो । अंकित नहीं हो ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप एक घंटे तक बोलिये, मैं अंकित नहीं करवाऊंगा ।

श्री जुबैर खान : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अब आप सब एक साथ खड़े होकर बोलने लग जाएं तो क्या करें हम ? सदन तो चलाना नहीं है ? दूसरों का तो नम्बर लेना नहीं है ? जिसका नम्बर शून्यकाल में आ गया वह चाहता है दूसरों का नम्बर आये नहीं कहीं ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : वरिष्ठ माननीय विधायक हरजीराम जी बुरडक का नाम पुकारा और आप बार–बार खड़े हो रहे हैं ।

श्री भरत सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप अन्य माध्यमों से बात रखिये । अब बिराजिये, आप । श्री हरजीरामजी ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ×××

श्री भरत सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : शून्यकाल समाप्त करता हूं फिर । आपको कुछ कहना है, मोटवानी जी ।

श्री किशन मोटवानी : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगर सुधार न्यास कर्मचारियों ने....

श्री भीमराज भाटी : पाइंट आफ इनफार्मेशन । हमारे यहां आग लग गयी । अभी–अभी जब मैं बाहर गया तो मुझे सूचित किया गया कि हमारे पाली विधान सभा क्षेत्र के मांडावास गांव में आग लग

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री भीमराज भाटी)

गयी है और वहां पर 24 खलियानों में बहुत जबरदस्त आग लगी। कई झोंपड़े भी जलकर नष्ट हो गये और इसी तरह पाली में और चार जगह भी आग लगी है। एक जगदीश डेयरी फार्म है, एक कोई गूंदोच जगह है, दो जगह और है, चार जगह एक साथ जबरदस्त आग लगी है, उसमें जबर–दस्त नुकसान हुआ है। मैं, उपाध्यक्ष महो–दय, आपके माध्यम से सम्बन्धित मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस आग से हुए नुकसान के सम्बन्ध में सहायता की तुरन्त कुछ न कुछ व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री भीमराज भाटी : और जो गरीब परिवार हैं शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोटवानीजी।

श्री भीमराज भाटी : माननीय उपा–ध्यक्ष महोदय, कुछ उनको राहत दिलाने के लिये या जो भी नुकसान हुआ है उसके बारे में....

श्री उपाध्यक्ष : वह पता लगा लेंगे, आप बिराजिये।

श्री किशन मोटवानी : माननीय उपा–ध्यक्षजी, व्यवस्था दें, बुरडक साहब बोलें या मैं बोलूं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बुरडक साहब को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। माननीय बुरडक साहब।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जलदाय मंत्रीजी का ध्यान लाडनूं में पानी की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। लाडनूं से आसपास के करीब 50 गांवों में और कई शहरों में पानी दिया जाता हैं। पानी की कमी का मुख्य कारण जब सरकार ने यह समझा कि बिजली की कमी है तो पिछले साल से जलदाय विभाग ने सुजानगढ़ को पानी देने के लिये जो कुएं थे उनके लिये अलग बिजली की लाइन डालने के पैसे बिजली विभाग को दिये। तो एक ही स्थान पर कुएं बने हुए हैं और एक ही स्थान से कम से कम 50 गांव और कई शहरों को पानी जाता है। तो केवल लाडनूं के और दूसरे गांवों को छोड़ करके सुजानगढ़ के लिये जो नलकूप बना हुआ है उसके लिये पी.एच.ई.डी. से बिजली की लाइन अलग से डालने के लिये जो व्यवस्था की जा रही है उसके लिये विद्युत विभाग को पैसे दिये जा रहे हैं, उसी प्रकार से दूसरे जो कुएं हैं, जिनसे लाडनूं और दूसरे शहरों को और गांवों को पानी जाता है उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिये। मैं माननीय मंत्रीजी से आशा करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोटवानीजी।

श्री किशन मोटवानी : माननीय उपा-ध्यक्षजी, मैं शून्यकाल के माध्यम से इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान के नगर सुधार न्यास कर्मचा–रियों में रोष व्याप्त है और गत वर्ष दिनांक 22.3.94 को इसी सदन में माननीय भंवर-लालजी ने आश्वासन दिया था कि उनकी पेंशन का मामला तुरन्त वेटेज के बाद लागू कर दिया जायेगा। परन्तु उस वेटेज को

(श्री किशन मोटवानी)

कराते-कराते आज एक वर्ष पूरा हो गया। आज मेरे पास एक पत्र आया है कर्मचारियों का कि अगर कुछ दिनों में इसकी घोषणा नहीं की गयी तो वे शायद स्ट्राइक पर भी चले जाएं। इस ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आपने मानवीय दृष्टिकोण से इसको माना था कि यह उचित है कि नगर सुधार न्यास कर्मचारियों को 1992 से पेंशन देय होगी। किन्तु रूल्स के बनाने-बनाने में आज 1995 हो रहा है और एक साल में वेटेज नहीं हो पाया है। इसलिए मैं माननीय भंवरलालजी शर्मा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और चाहता हूं कि तुरन्त इसमें घोषणा करें कि वेटेज शीघ्र हो जाएगा और रूल्स बन जाएंगे और पेंशन देय हो जाएगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। माननीय श्री रामचन्द्रजी रावत।

श्री किशन मोटवानी : बोल रहे हैं। माननीय मंत्रीजी कुछ बोलना चाहते हैं, कांइडली स्पीक आउट, प्लीज। हां, बोलें भंवरलालजी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य, आपका प्रश्न बिलकुल वाजिब है, मैं भी निश्चित रूप से इस मत का हूं और मैंने घोषणा भी की थी। नियम इसके करीब-करीब बन गये हैं और कोशिश करके मैं समझता हूं जल्दी ही लागू कर देंगे।

श्री किशन मोटवानी : मतलब, एक साल तो हो गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : आई एग्री।

श्री किशन मोटवानी : तो इसी सत्र में करा देंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : आई एग्रीड, एक साल तो लग गया इसमें।

एक माननीय सदस्य : एक सप्ताह में हो जाएगा।

श्री किशन मोटवानी : सप्ताह नहीं; इसी सत्र में।

श्री भंवरलाल शर्मा : जल्दी करेंगे।

श्री किशन मोटवानी : थैंक्यू।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्रजी रावत। आप बहुत कम बोलते हैं।

श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र कोटपूतली में ही नहीं बल्कि बिजली की समस्या पूरे राजस्थान में है और माननीय सदस्यों के लिए समस्या है। यह एक सामान्य समस्या तो सब जगह है ही मगर कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में एक निराली समस्या है। कोटपूतली के अन्दर पहले बिजली की एक सोसायटी थी, सहकारी समिति थी; सरकार ने एक आदेश जारी किया तीन साल पहले कि सोसायटी को खतम करते हैं। सोसायटी को खतम किया लेकिन उन कर्मचारियों को, उन अधिकारियों को जो सोसायटी के थे, उनको न तो बिजली बोर्ड ने कर्मचारी माना और न ही उन अधिकारियों को माना है और राज्य सरकार ने उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया है कि उन कर्मचारियों को, उन अधिकारियों को बिजली बोर्ड का कर्मचारी/अधिकारी

Page No. 81

(81)

(श्री रामचन्द्र रावत)

माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। हमारे कोटपूतली में जो बिजली की समस्या उत्पन्न हो रही है वह इस तरह से हो रही है कि दोहरी नीति चल रही है न तो बिजली बोर्ड काम कर रहा है न सोसायटी काम कर रही है। बिजली बोर्ड के अधिकारी, ए.ईएन. और जे.ईएन. डेपुटेशन पर लगाये जाते हैं वह कोई काम नहीं करते। यहीं तक ही नहीं, मैं तो यह भी कहता हूं, मैंने यह सुना है कि जो पहले सोसायटी के एम.डी. हुआ करते थे उनकी बजाय एक्स.ईएन. का दफ्तर बिजली बोर्ड का कोटपूतली से अलग करे दूसरी जगह खोले जाने के आदेश सरकार कर रही है। मैं इस मामले में चेयरमैन साहब से भी मिला हूं। चेयरमैन साहब भी अभी तक इसमें कोई फैसला नहीं कर पाये हैं और उन कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय है। उनका क्या होगा? इसलिए मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि इस समस्या को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक। (अनुपस्थित)। श्री आर.पी. शर्मा।

श्री आर.पी. शर्मा (भरतपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से....

श्री किशना राम नाई (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा छोटा सा निवेदन है कि 295 का मेरा एक प्रश्न था और आपने....

श्री उपाध्यक्ष : 295 का है। हां, बुलवा देंगे।

श्री आर.पी. शर्मा : जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी दोनों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक्स.ईएन., पी.एच.ई.डी., डीग की मिलीभगत से मदन पुत्र पूरण जो कबाड़ी है उसने सरकार के पांच लाख रुपये का चूना लगाया है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि एक्स.ईएन., पी.एच.ई.डी., डीग ने एक विज्ञप्ति जारी की उसमें उन्होंने डेगसार, जी.आई. पाइप, कापर कास्टिंग, ब्रास एल्युमिनियम तथा नट बोल्ट और टायर इत्यादि के 6 कैटेगिरी के सामान की नीलामी की घोषणा की। उसके तहत नीलामी के विभिन्न ठेकेदार नीलामी के लिये आये और करीब 44 ठेकेदारों ने उसमें हिस्सा लिया, पांच-पांच हजार रुपये की सिक्योरिटी जमा करायी। लेकिन एक मदन पुत्र पूरण नाम का ठेकेदार, जिनको कि मात्र 2 टन 63 किलो का डेगसार का कांट्रेक्ट हुआ था उसके 11 हजार रुपये जमा करवाये जाने के बाद एक्स.ईएन., पी.एच.ई.डी., डीग ने मिल करके लगभग 25 टन, जिसमें डेगसार, वाल बैण्ड चकरी, हैण्ड पम्प इत्यादि नये उसमें भर दिये और लगभग पांच लाख रुपये का सामान वह वहां से 11 हजार रुपये में ले गया। इसकी सूचना वहां के लोगों को मिली। वे लोग आये और मंत्रीजी से मिले। मंत्रीजी ने चीफ इंजीनियर को कहा, चीफ इंजीनियर ने एस.ई., को कहा और वहां जाकर उन्होंने देखा। मिलीभगत से उस बात को दबा दिया और यहां तक है कि कलेक्टर और प्रशासन के इंटरफियरेंस के बाद एक एफ.आई.आर. दर्ज हुई। जो मदन पुत्र पूरण आदमी है यह बिजली के चोरी के सामान को भी खरीदता है लेकिन पता नहीं क्यों सरकार उसके प्रति कोई एक्शन लेने से डर रही है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें । माननीय शिवनाथ सिंहजी ।

श्री आर.पी. शर्मा : एन मिनट, उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रशासन को मालूम है कि चोरी हुई, पी.एच.ई.डी. मानता है कि चोरी हुई लेकिन वह व्यक्ति खुले रूप से घूम रहा है और सरकार उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है, न तो होम मिनिस्टर के यहां से और न ही पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर के यहां से । इसलिए मैं चाहूंगा, मंत्रीजी यह कहें कि इसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी और जिन लोगों ने मिल कर सरकार के पांच लाख रुपये का चुना लगाया उसके खिलाफ मंत्रीजी क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : जिराजिये।

श्री आर.पी. शर्मा : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवा) : मेरा बहुत महत्वपूर्ण मामला है, पहले मेरा ले लीजिये । (व्यवधान) फिर विधायक को ढूढने कहां जाऊंगा मैं टाइम निकल गया तो ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये । आप तो वैसे ही आते ही रहते हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जैसे ही हमको यह जानकारी मिली कि इस प्रकार का माल ले जाया गया है तो तुरन्त हमने एफ.आई.आर. के आदेश दिये और पुलिस को इसके लिये कहा कि इस सम्बन्ध में वह कार्यवाही करे । जहां तक....

श्री आर.पी. शर्मा : पुलिस तो बच रही है, पुलिस तो पैसे खा गयी । माननीय मेघवाल साहब तो सिर्फ चोरों को....

श्री उपाध्यक्ष : बात तो पूरी सुनिये ।

श्री आर.पी. शर्मा : होम मिनिस्टरी में तो, साहब, चोरी करने वाले चोरी करें, मर्डर करने वाले मर्डर करें और डकैती डालने वाला डकैती करें, तो भी होम मिनिस्टर के कान पर जूं नहीं रेंग रही है । वह तो हंसते रहते हैं। उनको भगवान जाने क्या मिल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, पहले पूरा सुन लें । आपने जो कहा है....

श्री भंवरलाल शर्मा : आप जवाब भी चाहते हो और बीच में खड़े भी हो जाते हो ।

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब चाहते हो कि नहीं ? मेरे पास समय नहीं है इतना ?

श्री भंवरलाल शर्मा : जिन्होंने चोरी की है वह आपके ही गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने ही की है । हमने एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी और अधिकारियों की अगर कोई मिलीभगत होगी, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्यवाही होगी । इस मामले में हम सजग हैं, मुझे जानकारी है ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : जो दोषी अधिकारी हैं उनको आपने....

श्री भंवरलाल शर्मा : कह रहा हूं ना, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री आर.पी. शर्मा : कब तक करेंगे ?

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : एफ.आई.आर. तो हो गयी और आप उनको सस्पेंड नहीं कर रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : एफ.आई.आर. दर्ज करने का मतलब है सारी जांच हो गयी और अधिकारी दोषी पाये गये....

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : और दोषी पाये जाने के बाद आपने....(व्यवधान)....उनको सस्पेंड किया क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, बिराजें आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय ऐसा नहीं है। एक शिकायत हमारे पास आयी कि इस तरह से माल पार हुआ तो एफ.आई.आर. हमको दर्ज करनी ही थी। अब कौन अपराधी है, कौन दोषी है, कौन विभाग का आदमी है, यह तो जांच करनी पड़ेगी न।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी। माननीय सदस्य बिराजें, ज्यादा से ज्यादा मौका दे रहा हूं।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष जी, झुन्झुनू जिले में उदयपुरवाटी कस्बा पंचायत समिति हैडक्वार्टर है, वहां रेफरल अस्पताल सरकार ने कायम कर रखा है। 7 डाक्टरों के वहां स्थान हैं, वहां नियुक्त हैं, जिनमें जूनियर स्पेशलिस्ट, सीनियर स्पेशलिस्ट की भी वहां पोस्टें हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, कि आज वहां सात के बजाय सिर्फ तीन डाक्टर हैं, न कोई स्पेशलिस्ट है और अस्पताल की हालत यहां तक पहुंच गयी है कि उसमें एक भी मरीज इंडोर पेशेंट के हिसाब से आपको नहीं मिलेगा। पिछले साल भर के मैंने आंकड़े मांगे थे और मुश्किल से 10–5 आदमियों में असत्य नाम लिख करके इंडोर पेशेंट के नाम से दे दिये गये। आउट डोर का हाल यह है कि वहां एक भी डाक्टर बैठता नहीं है और सब डाक्टरों ने अपने शहर के अंदर क्लिनिक खोल रखे हैं। बार–बार शिकायत होती है, शिकायत की कोई जांच हो, उसका नतीजा निकले, इस प्रकार की सम्भावना नहीं है।

माननीय उपाध्यक्षजी, यहां शिकायतें हुई, डायरेक्ट्रेट से अधिकारी जांच करने के लिये वहां गये, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। सी.एम. एण्ड एच.ओ. ने बार-बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया लेकिन सरकार, सेक्रेटेरियट और डायरेक्ट्रेट आंख मूंदे बैठे हुए हैं। मंत्रीजी से मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मंत्रीजी का तो बस चलता ही नहीं है। यह कुछ भी आश्वासन यहां दे दें, कुछ भी कार्यवाही करने के लिये कह दें लेकिन इनके आदेश आगे तक पहुंच नहीं पाते हैं इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस रेफरल अस्पताल को या तो बंद कर दीजिए या इसमें सुधार करने की चेष्टा कीजिये। आज कबूतरों की बींटों की सफाई वहां नहीं हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जी जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

बांदीकुई में स्थित राजकीय अस्पताल के बारे में ध्यान दिलाना चाहूंगा जिसकी वर्तमान में बहुत ही दुर्दशा है। इस अस्पताल के अंदर न तो कोई पीने के पानी की व्यवस्था है वार्डों में, न ही शौचालयों में, बल्कि स्त्री रोग विशेषज्ञ भी वहां पर नहीं है जिससे कि गाइक्नोलोजिस्ट के अभाव में जो महिलाएं प्रसव पीड़ा से ग्रसित होती हैं, उस समय उनको बहुत दिक्कत होती है। इसके साथ ही मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अस्पताल में जगह–जगह गंदगी है तथा करीब दो सौ–तीन सौ शूकर घूमते हैं। शूकरों की प्रजनन शाला बने हुए है अस्पताल के कमरे। डेड बोडी के लिये पोस्टमार्टम हाउस नहीं है और मोर्चरी के अभाव में डेड बोडी नीम के पेड़ के नीचे होती है जहां पर कि कुत्ते शव के अंग खींचते रहते हैं, और बार–बार कोई फोर्थ क्लास आकर उनको भगाता है ऐसी दो–तीन घटनाएं गये साल हो चुकी हैं जब शव के हिस्से कुत्ते नौंच कर ले गये।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस अस्पताल में, जिस पर कि 50 हजार की पब्लिक नित्य प्रति अपने स्वास्थ्य के लिये आना चाहती है, इसमें न तो मैन. गेट है; मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय को एक साल पहले लिखित में तीन बार निवेदन किया। तीन बार निवेदन करने पर आपने टोली भेजी जिसमें डिप्टी डायरेक्टर और जाइंट डायरेक्टर गये मगर एक साल हो जाने के बाद भी आपने कुछ भी नहीं किया। आप नितांत संवेदनहीन हैं, निष्ठुर हैं और आपने कोई भी काम नहीं किया है फिर भी आपको शर्म नहीं आ रही है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। हो गया, बिराजिये आप, श्री श्रवण कुमार जी।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान विधान सभा में 17 मार्च, 1992 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री हरिकुमार औदिच्य ने घोषणा की थी कि प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा और व्याख्याताओं के वेतन में अंतर को दूर किया जाएगा, अधिश्रेय उन्हें दिया जाएगा, विधान सभा के कार्य भाग संख्या 24, 17 मार्च, 1992 को स्कम्भ संख्या 508 के अनुसार शिक्षा मंत्री ने कहा था कि इनके वेतन में डिफरेंस नहीं रखा जाएगा लेकिन आज तक उस अंतर को दूर नहीं किया गया है, इसको ठीक किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। श्री रामगोपाल जी।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जो छात्रावास संचालित हैं, आज उनमें काफी जगह पर छात्रावास अधीक्षकों के पद रिक्त हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आज से चार वर्ष पूर्व जब यही भाजपा की सरकार सत्ता में थी, छात्रावास अधीक्षकों की नियुक्ति के लिये बेरोजगार नवयुवकों से इन नियुक्तियों के लिये आवेदन–पत्र मांगे गये और उन आवेदन–पत्रों के माध्यम से समाज कल्याण विभाग ने 10-10 रुपये के पोस्टल आर्डर लगा करके

(श्री रामगोपाल बैरवा)

बेरोजगारों से चंदा वसूली की गयी और चार साल के अंतराल के बाद भी आज दिन तक उन बेरोजगारों में से किसी को भी नियुक्ति नहीं दी गयी। पिछला विधान सभा सत्र जब चालू था तब मैंने विधान सभा प्रश्न के माध्यम से इस बात को उठाया था और उस समय माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी ने इस बात का आश्वासन दिया था कि दो-तीन महीने के बाद ही इन पदों पर नियुक्तियां दे दी जाएंगी लेकिन एक साल के अंतराल के बाद भी माननीय मंत्रीजी ने कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामगोपाल बैरवा : माननीय एक तरफ बेरोजगारी की समस्या है, एक तरफ जो छात्रावासों में कार्यरत छात्र हैं उनके भविष्य का सवाल है, तो आप माननीय मंत्रीजी से स्पष्ट करवाइये कि कब तक इन बेरोजगारों को नियुक्तियां दे दी जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। श्री जुबेर खान जी। श्री राजेन्द्र जी पारीक। बार बार आपका नाम पुकारा गया है; राजेन्द्र जी।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहूंगा, आपने नाम पुकारा, और मैं यहां उपस्थित नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी करिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी का और खास तौर पर माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इन्होंने जहां अपने हर चुनाव भाषण में चुंगी समाप्ति की घोषणा करने का वायदा किया था वहीं आज हालात यह हो गये हैं कि कतिपय नगर परिषदों में, नगरपालिकाओं में चुंगी की व्यवस्था ठेके पर उठा दी गयी है। नगर परिषदों की आय बढ़ाने के लिये चुंगी पर ठेके दिया जाना जहां वाजिब है, वहीं ऐसी व्यवस्था को एक तरह से माफिया गिरोह के हाथ में दिया जाना, मैं समझता हूं, उस नगर परिषद के क्षेत्र में रहने वाली जनता के साथ बड़ा अन्याय भी होगा। चूंकि आज जो ठेकेदार बड़ी ऊंची बोलियां लगा करके वहां ठेके लेते हैं, करोड़ों का, उन्हें इस बात का कतई अहसास नहीं होने का है या उन्हें अपने मन में इस दर्द को कतई महसूस नहीं करेंगे कि हमें चुंगी केवल व्यापारियों से वसूल करनी है, उनकी तो साफ स्पष्ट मंशा यह है, जब हमें यह मौका मिला है कि चुंगी वसूल करनी है तो न तो वह व्यापारी समझता है, न किसी और को। उपाध्यक्ष महोदय, आज हालात यह हो गये हैं कि बाहर से बसों में आने वाले साधारण लोग; जो जयपुर से अपना घरेलू सामान लेकर कभी जाते हैं या कभी अपने गांव से एक किलो घी लेकर के शहर में प्रवेश करते हैं या जब साधारण सी सब्जी का एक टोकरा, लेकर शहर में प्रवेश करते हैं, हालात यह हो गये हैं कि यदि एक हल्का सा, पाव भर का सामान भी यदि उनकी जेब में है, तो वहां चुंगी ठेके पर जो लोग नियुक्त किये गये हैं, वे गुंडा एलीमेंट्स, वे उस आदमी को रोक लेते हैं, भले ही उसके साथ उसके परिवार की कोई औरत हो, महिला हो, कोई भी हो। इन हालात

(श्री राजेन्द्र पारीक)

में यदि इस व्यवस्था को हम इसी ढंग से चलाने की मंशा रखते हैं तो मैं समझता हूं कि यह सरकार ने एक ओर जहां चुंगी समाप्ति की घोषणा का स्पष्ट वायदा किया था उसका तो उल्लंघन है सो है ही....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : इस जन–कल्याण की सरकार के माथे पर एक बड़ा भारी कलंक यह भी लग गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी।

श्री राजेन्द्र पारीक : व्यापारियों के साथ चुंगी वसूली के साथ-साथ आम नागरिक को इस प्रकार से परेशान किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूप जी।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपके माध्यम से माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से यह एश्योरेंस चाहूंगा कि इस तरह के गुंडा एलीमेंट्स को कंट्रोल करें।

श्री उपाध्यक्ष : ज्यादा से ज्यादा डिबेट में भाग लें आज बजट पर।

श्री राजेन्द्र पारीक : साथ ही इस चुंगी वसूली को ठेके पर दिये जाने में जिस प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं, माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी, कृपया इसकी जांच करवायें कि ठेके में जिस तरह की अनियमितताएं हुई है उससे बड़ा भ्रष्टाचार का गोलमाल और कोई हो नहीं सकता। मेरा आपसे स्पष्ट निवेदन है कि आप कृपया जो चुंगी ठेके पर दी गयी है सीकर नगर परिषद की, उसकी भी जांच करवायें कि किस तरह से उस चुंगी को ठेके पर दी गयी है, जो प्रकिया अपनायी गयी है वह जायज थी क्या ? धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राष्ट्रीय कार्यक्रम में बहुत बड़ा महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान के अंदर हिन्दुस्तान की हमारी जो सरकार है उसके द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार यहां नसबंदियां करायी गयीं और बड़े दुःख के साथ मुझे यह घोषणा करनी पड़ी सदन के अंदर, आज भी मैंने अखबारों में जब पढ़ा तो उनमें स्पष्ट कई जगह इस प्रकार की मौतों के बारे में समाचार थे। आज राजस्थान में भी नसबंदी के कारण महिला की मौत हुई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान का ही मामला है। इस प्रकार की कई मौतें हो चुकी हैं जिनके बारे में पूर्व में भी कई बार इस प्रकार की सूचनाएं अखबारों के माध्यम से सरकार के सामने आयी हैं। मेरे सवाई माधोपुर जिले में भी इसी प्रकार की गरीब एस.सी. की महिला मीरा बाई, इसी प्रकार की एक एस. टी. की महिला थी उनका इसी प्रकार का आपरेशन किया गया, नसबंदी की गयी और शिविर के बाद, सही इलाज उनका हुआ नहीं, इसके कारण दम तोड़ दिया। उस समय उनके घरवाले मेरे पास आये, उन सबने मेरे से एक ही बात कही थी कि आप हमारी आवाज को उठाओ, हमारे साथ अन्याय हुआ है। न ही कोई हमको किसी प्रकार की सहायता मिली है। माननीय उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय कार्यक्रम के

(श्री रामस्वरूप)

तहत ऐसा किया गया, पोलियों के अन्दर 11-11 मौतें हुई हैं देश के अंदर। इस प्रकार यदि राष्ट्रीय कार्यक्रमों में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ तो नसबंदी जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम को ठेस पहुंचेगी।

इसलिए मेरा आपके जरिये निवेदन है सरकार से कि जिन महिलाओं की इस तरह से हत्या हुई है, महिलाएं भी यहां विराजमान हैं, वह भी मेरा सहयोग करें। यह नसबंदी महिलाओं के बजाय मर्दों की कराना शुरू करें ताकि महिलाओं के साथ अत्याचार न हो और राजकीय आन्दोलन सफल बने, माननीय मंत्री महोदय, आपका यदि सहयोग हो तो ऐसे लोग और जिन डाक्टरों ने ऐसा किया है और लापरवाही से महिलाओं की मौतें हुई हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीप धनखड़।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की उदासीनता से अन्य पिछड़े वर्ग के हजारों विद्यार्थियों के भाग्य के साथ हो रहे खिलवाड़ की ओर मैं आपके माध्यम से सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने सभी राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श कर जब कुछ प्रान्तों में चुनाव हो रहे थे तो चुनाव आयोग के निर्देशों के विपरीत भी एक अधिसूचना 25 जनवरी, 1995 को जारी की। उस अधिसूचना के तहत, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनको केन्द्र में जो सर्विसेज हैं, उनके तहत जो परीक्षा ली जा रही है उनमें 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट थी, उनको इसके अलावा 3 अतिरिक्त अवसर प्रदान किये और जो परीक्षा निश्चित की गयी थी उसमें फार्म भरने की अवधि तक बढ़ाई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अधिसूचना 25 जनवरी, 1995 को जारी की गयी वह सभी राजनैतिक दलों की सहमति से की गयी। उसका आशय था कि अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के साथ न्याय हो और जो मण्डल आयोग की सिफारिशें की गयी थीं उनका असर हर राज्य में पहुंचे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग स्टुडेंट्स फ्रंट ने राज्य के मुख्य मंत्री से और राज्य के मंत्रीगण को इस बारे में प्रतिवेदन दिया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्य पिछड़े वर्ग के हजारों विद्यार्थी इस बात का इन्तजार कर रहे हैं कि राज्य सरकार राज्य में होने वाली प्रशासनिक सेवाओं के सम्बन्ध में वैसी ही छूट जैसी केन्द्र ने अन्य सभी राजनैतिक दलों से बातचीत करने के पश्चात् 25 जनवरी, 1995 की अधिसूचना के तहत दी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस विषय में हजारों अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के भाग्य के साथ खिलवाड़ न कर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लेकर उनको वही रियायतें, जो कि 25 जनवरी, 1995 की अधिसूचना के तहत केन्द्र सरकार ने केन्द्र में हो रही परीक्षाओं के सम्बन्ध में दी गयी है, राज्य सरकार द्वारा भी आ.पी.एस.सी. के द्वारा ली जा रही परीक्षाओं के सम्बन्ध में शीघ्र ऐसी अधिसूचना जारी की जाए।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में ओ. बी. सी. की संख्या 60 प्रतिशत के आसपास है और 60 प्रतिशत जनसंख्या के विद्यार्थी इससे प्रभावित हो रहे हैं। माननीय धनखड़ साहब ने ध्यान आकर्षित किया है राज्य सरकार का, भारत सरकार के नोटिफिकेशन के द्वारा जो ओ. बी. सी. को रियायतें दी हैं, उम्र में छूट दी है, चांसेज में छूट दी है और एप्लाई करने की जो तारीख थी, ड्यू डेट थी उसमें भी एक्सटेंशन दी है, मैं आपके मार्फत राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि माननीय धनखड़ साहब ने जो सजेशन रखा है तमाम विपक्षी पार्टियों से सलाह मशविरा करके जैसा भारत सरकार ने किया है वैसा ही राजस्थान सरकार को भी करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल जी मोदी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह ओ. बी. सी. का मामला है।

श्री शीशराम ओला (झुंझुनू) : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह ओ. बी. सी. का मामला है बहुत महत्वपूर्ण है और इसे अति आवश्यक समझते हुए राज्य सरकार को चाहिए कि जो भारत सरकार ने उनको सुविधाएं प्रदान की हैं उस प्रकार की सुविधाएं तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार भी लागू करे ताकि ओ. बी. सी. के विद्यार्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उससे उन्हें छुटकारा मिल सके।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने ओ. बी. सी. के रिजर्वेशन का जो डिसीजन दिया, उस डिसीजन में स्पष्ट यह प्रावधान था कि ओ. बी. सी. के कैंडोडेट्स को पहले जनरल मैरिट लिस्ट में काउण्ट किया जाएगा और उसके बाद जो शेष रहेंगे उनको ओ. बी. सी. के रिजर्वेशन से पूरा किया जाएगा। राजस्थान में इस प्रकार की व्यवस्था नौकरियों में कहीं भी नहीं है। पहले ओ. बी. सी. के लड़कों को भर्ती किया जाता है और जनरल में उनकी काउण्टिंग नहीं की जाती। यही कारण रहा है कि अलवर में अध्यापकों के सलेक्शन में ओ. बी. सी. वाला जो अन्तिम लड़का है वह 84 प्रतिशत पर सलेक्ट हुआ है और जनरल वाला लड़का है वह 74 प्रतिशत पर सलेक्ट हुआ है। इसी प्रकार से राजस्थान की पुलिस सेवा में आर. ए. सी. में ओ. बी. सी. के जो भी लड़के पहले भर्ती होते थे अब वह संख्या घटकर नीचे आ गयी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी ओ. बी. सी. का किसी प्रकार के लेक्चरार में, प्रोफेसर में किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है और अन्य विभाग ऐसे हैं अभी एक्साइज डिपाटमेंट में भर्ती हो रही है, वहां ओ. बी. सी. का कोई रिजर्वेशन नहीं दिया न स्कूल में, न टेक्नीकल एजुकेशन में, न इंजीनियरिंग में, न मेडिकल में विद्यार्थियों को कहीं किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है। आपके माध्यम से मैं सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि सरकार दूसरे प्रान्तों में जो कंसेशन दिये हैं उनकी प्रतियां मंगा लें और ओ. बी. सी. को उसी प्रकार के कंसेशन राजस्थान में भी दें। नहीं तो जो हाल बिहार में लालू ने किया है वह राजस्थान का कालू भी कर देगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। माननीय मोहनलाल जी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम घिराना में, जो ग्रामदानी गांव है, दो वर्ष पूर्व प्राथमिक विद्यालय चालू किया गया था। यह स्कूल सामुदायिक केन्द्र में चल रहा है। इस विद्यालय के लिये खसरा नम्बर 3297 की भूमि 5 बीघा 18 विस्वा जड़ावली देवा जूथाराम निवासी घिराना ने दान में दी है। इस भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने की नीयत से दयालचन्द मेरानिया इस स्कूल का भवन अन्यत्र बनाना चाहते हैं। डी. आर. डी. ए. की ओर से डेढ़ लाख रुपया स्कूल भवन के निर्माण के लिये स्वीकृति दी हुई है। उपरोक्त महानुभाव जिनकी पत्नी घिराना की सरपंच चुनी गयी है इस भवन को मात्र 6 विस्वा भूमि लेकर उस पर बनाना चाहती हैं ताकि स्कूल की भूमि पर कब्जा करने में सहूलियत हो। उपाध्यक्ष महोदय, जो 6 विस्वा जमीन ली गयी है उस जमीन के बारे में भी एस. डी. ओ. की कोर्ट में विवाद चल रहा है। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक नीति तो स्पष्ट करें कि इन ग्रामदानी गांव की क्या स्थिति बनेगी। आपने ग्रामदानी गांव से लोगों को पंचायतों में बांट देने के लिये शामिल कर दिया लेकिन यह ग्रामदानी गांव हैं अब यहां यह विकास कार्य ग्रामदानी गांव कराएंगे या पंचायतें कराएगी। यह स्थिति स्पष्ट करने की है। मंत्रीजी तो हैं नहीं लेकिन मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि गांव के कुछ व्यक्ति भी मिले हैं इस सम्बन्ध में और विद्यालय भवन खसरा नम्बर 3297 की भूमि में ही बनाया जाये। इसमें कुआं भी बनाया हुआ है। मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम यह ग्रामदानी गांव और पंचायतों की क्या स्थिति रहेगी, यह तो इसमें स्पष्ट करें। अब कौन से माननीय मंत्रीजी करेंगे, पंचायत मंत्रीजी हैं नहीं। मैं यह चाहता कि इस में थोड़ा सा यह दृष्टिकोण तो बतायें कि आज हम ग्रामदानी गांव की क्या स्थिति रखना चाहते हैं। उस ग्रामदानी गांव को समाप्त करना चाहते हैं या उसमें कुछ स्पष्ट करना चाहते हैं? जहां ग्रामदानी गांव हैं पंचायतें बन गयीं, उनकी क्या स्थिति होगी? यही मेरा निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : आप माननीय सदस्य नहीं थे। आज कम से कम 20 माननीय सदस्यों को बुलावा लिया है। फिर भी मैं अवसर दूंगा। श्रीमान् जुवेर खां।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : मैं आसन से प्रोटेक्शन चाहता हूं। मेरे सामने संकट पैदा हो गया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। एक विधायक महोदय यहां नहीं हैं जिनको मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ाना चाहता हूं। आज सुबह 9 बजे जब मैं सोकर उठा और डाक खोली तो पता चला कि आज नोमिनेशन पूर्वान्ह 11.55 पर होगा। आज ही पता चला, आज का जो अध्यक्ष का चुनाव है वह इतना जल्दी में निर्णय हुआ है...

अनेक माननीय सदस्य : चुनाव तो कल है।

श्री रामनारायण मीणा : नहीं, फार्म आज भर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में चूंकि वह सदस्य अपनी कांस्टीट्यूएंसी में गये हुए हैं, इंटीरियर की कांस्टीट्यूएंसी है और मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की और इस स्थिति में सदस्य आ नहीं पा रहे हैं। इसलिए आप कृपया व्यवस्था दीजिए कि ऐसी स्थिति में मेरा जो अधिकार है, अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़वाने का मेरे उस अधिकार का हनन हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें आप। माननीय विश्नोई जी कह रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा : मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान राज्य में यूनानी औषधालयों के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहूंगा। जिस तरह का बजट पेश हुआ है, सरकार ने साफ कहा है कि चिकित्सा के लिये यह बजट समर्पित है। लेकिन बड़े दुःख की बात है कि जिस तरह की स्थिति राज्य में है, इस राज्य में तीन यूनानी मेडिकल कालेज हैं, दो जयपुर में और एक जोधपुर में है। पिछले तीन साल से एडमिशन के लिये कोई परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, न एडमिशन हो रहे हैं, लड़कों को कोई वजीफा नहीं मिल रहा है। शिक्षकों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। यहां तक कि 1989 के बाद आज तक इन यूनानी औषधालयों में किसी प्रकार की नियुक्तियां नहीं की गयी हैं। 1990 में एक विज्ञापन निकाला गया था उसको भी निरस्त कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के मेनिफेस्टो में है कि हम स्वदेशी चीजें अपनाएंगे, आयुर्वेदिक और यूनानी हमारे यहां के हैं और इनकी ओर हमारा ध्यान नहीं है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस की व्यवस्था की जावे। आठवीं पंचवर्षीय योजना में भी प्रावधान है कि राज्य सरकार इनको अपने अधीन लेकर चलायेगी और राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई थी उसने भी इस तरह की सिफारिश की है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कुछ करना चाहिए। आयुर्वेदिक और यूनानी औषधालय लुप्त नहीं हो जाएं, इन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

चूली ग्राम पंचायत (गंगापुर पंचायत समिति) की निर्वाचित नामावली की जांच

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के तहत राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन के साथ जानकारी चाहूंगा कि गंगापुर सिटी की पुत्र वधू, नीलिमा अग्रवाल अचानक श्रीमती अलका बजाज, जो कि आज पंचायत, गंगापुर की प्रधान हैं, कैसे बन गयीं।

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों के चुनावों को ध्यान में रखते हुए श्रीमती अलका बजाज (नीलिमा) पत्नी श्री मनमोहन अग्रवाल ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) (उप जिला कलक्टर, गंगापुर) के यहां उघाड़मल के बाला जी, ग्राम पंचायत चूली में रहना बताते हुये उक्त पंचायत में नाम लिखवाने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया। निर्वाचक अधिकारी ने हल्का पटवारी से जांच करवाई तो हल्का पटवारी ने स्पष्ट शब्दों में यह लिख दिया है अलका नाम की कोई महिला इस ग्राम में नहीं रहती। इस रिपोर्ट पर विश्वास न करके हल्का गिरदावर से रिपोर्ट मांगी। साथ में श्रीमती अलका ने वहां के निवासी राम प्रसाद पुत्र भोला राम माली का पांच

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

रुपये के स्टाम्प पर हल्फनामा नोटरी पब्लिक से प्रमाणित कराते हुए भी प्रस्तुत किया। इस पर निर्वाचन अधिकारी ने अपना फैसला लिखते समय यह स्पष्ट किया कि हल्का पटवारी ने मौके पर जाकर जांच नहीं की। अतः हल्फनामा व हल्का गिरदावर को रिपोर्ट के आधार पर श्रीमती अलका का नाम, उघाड़मल बालाजी ग्राम पंचायत, चूली की मतदाता सूची में जोड़ दिया जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, राम प्रसाद पुत्र श्री भोला नाथ जाति माली निवासी उघाड़मल, बाला जी के हल्फनामा का अवलोकन करेंगे तो स्थिति कुछ सीमा तक स्पष्ट हो जाएगी, प्रथम तो जब नान-जुडिशियल पांच रुपये का स्टाम्प क्रय किया तब क्रेता राम प्रसाद ने अंगूठे की निशानी की है, जब हल्फनामा टाइप के साथ तैयार हो गया तब दस्तखत किये हैं। हल्फनामा में तीन जगह दस्तखत किये है जो कि भिन्न-भिन्न तरीके से किये हैं। इसके साथ हल्फनामा में बयान दिये हैं कि मेरे यहां, तीस रुपये महावार पर किराये का मकान लेकर ग्राम में प्रौढ़ शिक्षा देती हैं।

श्रीमन्, जयपुर के करोड़पति बाप की बेटी व गंगापुर के करोड़पति धन्ना सेठ की पुत्र-वधू क्या इस प्रकार रह सकती है? समाज सेवा के नाम पर प्रौढ़ शिक्षा तो दे सकती हैं, अगर दी है तो यह भी जानकारी चाहूंगा क्या जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी, सवाई माधोपुर ने श्रीमती अलका की नियुक्ति की है अगर निजी तौर पर चलाती थीं तो कितनी प्रौढ़ महिलाओं को साक्षर किया?

निर्वाचक अधिकारी, जो कि उप जिला कलक्टर हैं, ने अपने फैसले में यह लिखा था कि हल्का पटवारी ने ऐसा प्रतीत होता है कि घर बैठे ही रिपोर्ट कर ली है, घर-घर जाकर जांच नहीं की तो उप जिला कलक्टर ने उस हल्का पटवारी को क्यों नहीं अब तक निलम्बित किया एवं हल्का गिरदावर ने ग्राम में जाकर किन-किन व्यक्तियों के बयान लिये, इसकी भी मैं जानकारी चाहूंगा?

उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय का यह प्रथम पहलू था। अब मैं आपको श्रीमती नीलिमा अग्रवाल की ओर ले जाना चाहूंगा जो कि आज अलका बजाज पंचायत समिति गंगापुर की प्रधान बनी हुई है।

श्रीमती नीलिमा निवासी जयपुर का विवाह गंगापुर सिटी के धन्ना सेठ करोड़-पति बजरंग लाल अग्रवाल के सुपुत्र मन मोहन अग्रवाल के साथ हुआ था, विवाह के पश्चात् नगरपालिका, गंगापुर में अलग से राशन कार्ड बनवाने हेतु प्रार्थना-पत्र दिया जिसमें नीलिमा की उम्र 25 वर्ष बताई है जिसका क्रम संख्या 6301, फार्म संख्या 3003, राशन कार्ड नं. 3763 है। यह नगर-पालिका के राशन कार्ड रजिस्टर की फोटो कापी है।

श्रीमन्, अफसोस तो इस बात का है कि किस प्रकार से नगरपालिका में हेराफेरी की है। राशन कार्ड बनवाने हेतु जो फार्म भरा गया था उसमें में भी नीलिमा था लेकिन जब इसकी नकल मांगी गयी तब नीलिमा को तो एक बायें स्थान पर प्रकोष्टा में बन्द कर दिया और उसके बगल में अलका जल्दीबाजी में लिख दिया लेकिन

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

नीलिमा का प्रकोष्टा बंद करने से भूल गये।

श्रीमन्, हकीकत तो यह है कि श्रीमती नीलिमा अग्रवाल ने, जो कि गंगापुर सिटी वार्ड नं. 6 की निवासी हैं, ने अपने पति श्री मनमोहन अग्रवाल के साथ अलग से राशन कार्ड बनवा रखा था, चूंकि श्रीमती नीलिमा अग्रवाल को पंचायत समिति का चुनाव लड़ना था, पंचायत का चुनाव लड़ने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में नाम लिखवाना जरूरी था, इसी कारण श्रीमती नीलिमा अग्रवाल ने नगरपालिका, गंगापुर में दिनांक 7-11-94 को एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि मैं देहात में रहने लग गई हूं इसलिये मेरा नाम राशन कार्ड में से हटा दिया जाए। अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, गंगापुर ने दिनांक 7-11-94 को आदेश पारित कर दिये।

श्रीमन्, श्री मनमोहन अग्रवाल ने अपनी पत्नी श्रीमती नीलिमा अग्रवाल के साथ अलग से राशन कार्ड बनवाने हेतु प्रार्थना-पत्र नगरपालिका में जो दिया है उसमें नीलिमा अग्रवाल था। उक्त फार्म की नकल मांगने पर जो नकल दी है उसमें नगरपालिका के कर्मचारी ने नीलिमा के बगल में अलका लिख दिया। यह किस ने किया और क्यों किया जब कि नगरपालिका के राशन कार्ड रजिस्टर, जिसकी फोटो प्रति मेरे पास है, में स्पष्ट रूप से नीलिमा उम्र 25 वर्ष लिखा है तो पूर्व फार्म (अ) पत्रावली संख्या 460 में अलका कैसे लिख दिया? इन सब तथ्यों से स्पष्ट होता है कि श्रीमती अलका नाम की कोई महिला ही नहीं है। हल्का गिरदावर ने गलत रिपोर्ट निर्वाचक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की है। श्रीमती अलका बजाज, जो कि आज पंचायत समिति, गंगापुर की प्रधान है, फर्जी है, क्योंकि वह तो श्रीमती नीलिमा अग्रवाल है। अब यह प्रश्न उठता है कि श्रीमती नीलिमा अलका बजाज किस उद्देश्य से बनीं, इसकी जानकारी चाहूंगा। साथ में राज्य सरकार से यह भी मांग करता हूं कि इस प्रकरण में जिन-जिन व्यक्तियों ने फर्जी कार्य में सहयोग किया उनके खिलाफ कार्यवाही करवाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बनवारीलाल शर्मा।

हाइटेक प्रशीसन ग्लास लि., धौलपुर को चालू कराने के संदर्भ में

श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा कार्य तथा प्रक्रिया संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अन्तर्गत हाइटेक प्रशीसन ग्लास लि. धौलपुर को चालू कराने के संदर्भ में माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर की स्थापना अब से कोई तीस वर्ष पूर्व धौलपुर में की गयी थी और इस फैक्ट्री की स्थापना धौलपुर में किये जाने का उद्देश्य यह था कि धौलपुर के लोगों को रोजगार का साधन उपलब्ध कराया जा सके। इस फैक्ट्री के स्थान के चयन का आधार तत्कालीन सरकार के समय यह रहा कि धौलपुर आगरा के नजदीक होने के कारण धौलपुर के निवासी कांच का सामान कुशलता से तैयार करने में माहिर होंगे और इस प्रकार इस फैक्ट्री के लिये अपेक्षित कुशल कारीगरों का अभाव नहीं रहेगा। जहां तक इस फैक्ट्री की स्थापना के उद्देश्यों और स्थान के चयन

Page No. 93

(93)

(श्री बनवारीलाल शर्मा)-

का प्रश्न है इसके पीछे पूर्णतया युक्तिसंगत आधार थे। प्रारम्भ में फैक्ट्री से साइंस लेबोरेट्रीज के लिये आवश्यक वस्तुओं का निर्माण होता था और उनकी क्वालिटी भी किसी भी प्रकार से खराब नहीं थी। परन्तु कई प्रकार की प्रशासनिक और वित्तीय कमजोरियों के कारण यह फैक्ट्री निरन्तर राज्य सरकार को घाटा पहुंचाती रही। अब तक सरकार का दृष्टिकोण यह रहा कि फैक्ट्री को चालू रखा जाए। यह फैक्ट्री उस समय भी घाटे में थी जब मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह जी धौलपुर से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे लेकिन उस समय इसे बंद करने का कोई निर्णय राज्य सरकार ने नहीं लिया। परिस्थितियां और फैक्ट्री के घाटे की स्थिति अब भी वैसी ही है। परन्तु प्रश्न यह है कि राज्य के अन्य कई उपक्रम काफी संख्या में और काफी लम्बे अर्से से घाटे में चल रहे हैं, उन्हें घाटे से उबारने के लिये हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं और वे ऐसे उपक्रम हैं जिनका घाटा इस फैक्ट्री के घाटे से कई कई गुणा अधिक है। हुआ यह है कि पहले तो यह फैक्ट्री लेबोरेट्री के सामान व अन्य सामान का उत्पादन करती थी, परन्तु बाद में इसे गंगानगर शुगर मिल्स को देने के कारण यह केवल शराब की बोतल बनाने लग गयी, इस कारण भी इस फैक्ट्री की कार्य कुशलता में कमी आयी। इसके उपरान्त इस फैक्ट्री के घाटे में जाने के अन्य भी कई कारण रहे हैं जैसे पुरानी मशीनरी का नवीन तकनीक के अनुसार बदलाव नहीं करना, पुराने जनरेटरों के स्थान पर नये नहीं लगाना तथा पुरानी मशीनरी की मरम्मत के लिये लाखों रुपये व्यय करना, कुछ फिजूल की मशीनरी, जो क्रय की गयी, उसका आज तक उपयोग नहीं करना, बोतलों की कीमत में वृद्धि नहीं करना जबकि कच्चे माल की कीमत अत्यधिक बढ़ गयी, घटिया किस्म का माल लगाना, लाखों रुपयों का लेबोरेट्री ग्लास निःशुल्क देना, प्रबन्धकों द्वारा उदासीनता एवं भ्रष्टाचार होना आदि ऐसे कारण हैं जिससे फैक्ट्री घाटे में गयी। यदि कार्य कुशलता में वृद्धि की जाए तो यह घाटा समाप्त हो सकता है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय, धौलपुर की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा वहां के मजदूरों और कामगारों की विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार को एक मानवीय दृष्टिकोण अपना कर इस फैक्ट्री को बन्द नहीं करके एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था और वित्तीय प्रबन्ध से चलाने का निर्णय करना चाहिए। इस फैक्ट्री को बन्द करने के निर्णय पर शीघ्र पुनः विचार करने की आवश्यकता है और फैक्ट्री को किसी भी स्थिति में बन्द नहीं किया जाना चाहिए।

(13.00)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण डूडी।

भोपालगढ़ क्षेत्र के चिकित्सालयों में अव्यवस्था

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान भोपालगढ़ क्षेत्र में मेडिकल हैल्थ में जो अव्यवस्था है उसके बारे में दिलाना चाहता हूं।

महोदय, विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़

(श्री रामनारायण डूडी)

के करीब–करीब सभी चिकित्सालयों में डाक्टर एवं कर्मचारियों की कमी तो प्राय: बनी रहती है जिससे मरीजों को समय पर इलाज सुलभ नहीं हो रहा है। बीमार अपने इलाज हेतु इन चिकित्सालयों के चक्कर काटते हैं। वहां जाने पर डाक्टर, नर्स वा रोग विशेषज्ञ आदि के पद होते हुए भी काफी समय से रिक्त पड़े हैं, नहीं मिलते हैं। मजबूर होकर इलाज करवाने के लिये जोधपुर एवं अन्य प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है जिससे बहुत ही महंगा इलाज गरीबों को मिलता है। आज प्राइवेट चिकित्सालयों की बाढ़ सी आ रही है जहां बीमारों से मनमानी वसूली की जाती है। मरता क्या नहीं करता, इलाज करवाना है तो पैसा देना पड़ता है। इन सरकारी चिकित्सालयों के होते हुए भी सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं होने के कारण गरीब लोगों को इस क्षेत्र में असुविधा हो रही है।

मैं मंत्री महोदय से यह मांग करता हूं कि भोपालगढ़ में रेफरल होस्पिटल की व्यवस्था इतनी अव्यवस्थित है कि वहां न तो साफ–सफाई है, न वहां पूरा स्टाफ है और एक्स–रे मशीन होते हुए भी वर्षों से खराब पड़ी है, उसको चलाने के लिये तकनीशियन नहीं है, भवन जर्जर हालत में है। रेफरल होस्पिटल के लिए पर्याप्त भवन निर्माण हेतु वहां शिलान्यास भी किया गया लेकिन किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हुआ और न ही इस बजट में उसका कोई प्रावधान किया गया है। भोपालगढ़ में तहसील मुख्यालय, पंचायत समिति मुख्यालय, कई सरकारी आफिसों के मुख्यालय हैं तथा छोटे–छोटे ग्रामों के बीच में एक मात्र यही अस्पताल है। मगर बड़े ही खेद के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि इस अस्पताल के विकास, सुधार आदि पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिससे वहां की जनता में आक्रोश एवं रोष है।

इसी प्रकार इस क्षेत्र में अन्य अस्पताल जो हैं वहां भी स्टाफ की कमी है तथा पर्याप्त भवन नहीं है। सरकार से मांग है कि वहां पर्याप्त भवन बनवाने की व्यवस्था करवायें एवं स्टाफ लगवाने की व्यवस्था करावें कि कितने अस्पतालों में कम स्टाफ है। इन सभी मुद्दों पर कृपया मंत्री महोदय जवाब से अवगत कराकर जनता को राहत पहुंचायें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशना राम नाई।

ग्राम नरेना, जिला धौलपुर में दिन दहाड़े सुन्दर सिंह की हत्या

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि दिनांक 3.3.95 को ग्राम नरेना, जिला धौलपुर में दिन दहाड़े श्री सुन्दर सिंह पुत्र श्री तेजसिंह की हत्या कर दी गयी जिसकी रिपोर्ट थाना दिहोली में दर्ज करायी गयी। कत्ल करने वाले उच्च वर्ग एवं पैसे वाले होने के कारण उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। मृतक को नाजायज तरीके से मारकर ट्रेक्टर द्वारा जगरियापुर व महेन्द्र सिंह के अड्डा वालों ने चेलेंज देकर भेज दिया, क्योंकि वे उस ग्राम में बहुमत की उच्च जाति से सम्बन्ध रखते हैं।

महोदय, मृतक के परिवारजन पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधीश तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों से भी मिले, जिन्होंने

(श्री किशनाराम नाई)

हत्यारों को तुरन्त गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। परन्तु अभी तक कोई राहत नहीं मिली और न ही हत्यारों को गिरफ्तार किया है।

हत्यारों ने हथियारों से भी हमला किया जिनके अभी तक हथियार लाइसेंस निरस्त नहीं किये। हत्यारों के नाम हैं:– (1) श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री हीरासिंह जगरियापुरा एवं (2) श्री गज्जो पुत्र श्री महेन्द्र सिंह। मृतक 20 वर्षीय है, जिसकी शादी हो चुकी है तथा 4 माह का बच्चा भी है। उन्हें एवं उनके परिवारजन को जान माल का खतरा पैदा हो गया है जिससे शान्ति भंग होने का भी अन्देशा है।

अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त हत्यारों को तुरन्त गिरफ्तार कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दें तथा मृतक के परिवारजन को उचित मुआवजा या अन्य राहत दिलवाने का कष्ट करें और भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो सके इसके लिये भी पुख्ता इन्तज़ाम करावें।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दु:ख की बात है, मृतक 20 वर्ष का जवान था और मेरी जाति का था:...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, 295 तक ही रहें।

श्री किशनाराम नाई : खुले आम दिन दहाड़े उसकी हत्या करके उसकी डैड बॉडी को उठाकर ले गये....

श्री उपाध्यक्ष : श्री महावीर जी भगोरा।

श्री किशनाराम नाई : बड़ा दु:ख होता है कि एक महिना और 6 दिन बीत गये और नामजद मुल्जिम होने के बावजूद भी पुलिस मिली हुई है और पुलिस की मिलीभगत से एक 302 का मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हो सका। इसका मुझे बहुत दु:ख है।

श्रीमती मनोरमा सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह सभी सत्य है, इस मामले में कार्यवाही की जानी चाहिये यही मेरा निवेदन है।

श्री किशनाराम नाई : हम राजाखेड़ा गये थे तो हमने यह वादा किया था कि हम हर तरह से आपकी हेल्प करेंगे मगर आज हाल यह है कि एक महिना 6 दिन के बाद भी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, मुल्जिम नामजद है। एक महिने और 6 दिन बाद भी मुल्जिम नहीं मिलते हैं, यह बड़े दु:ख की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने सारी बात ध्यान में ला दी है।

श्रीमती मनोरमा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस केस में कड़ी कार्यवाही की जाए; यह मेरे क्षेत्र का मामला है मैं इससे सहमत हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महावीर जी भगोरा।

श्री किशनाराम नाई : मंत्रीजी भी नहीं हैं। कम से कम 295 होता है, आखिर में सदस्यों में से मंत्री बनते हैं। मैं आपको निवेदन करूं कि मंत्रीजी को रहना चाहिए ताकि वास्तव में उनको स्थिति का ज्ञान हो। खाली जवाब दे देंगे वे। उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दें।

96

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी अभी नहीं है जब वे हाउस में आ जाएं तो इस सम्बन्ध में कुछ जवाब तो दें, जानकारी देने के बाद दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : यह तो सरकार ही+++है। रोज हत्याओं के मामले सामने आते हैं लेकिन यह सरकार बिलकुल ध्यान नहीं देती। यह तो राजस्थान में इस सरकार ने यह कर दिया कि खूब हत्याएं करो, डकैती करो, लूटो, कुछ भी करो, कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ नहीं होना जाना है।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई अंकित नहीं करें। बिराजें। माननीय श्री महावीर जी भगोरा। थोड़ा जल्दी निपटाने दें उससे डिबेट सारगर्भित हो। श्री महावीर जी भगोरा।

जन जाति विकास विभाग, उदयपुर द्वारा "हमेलो" उत्सव में किये गये धन का दुरुपयोग

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत जनजाति विकास विभाग, उदयपुर द्वारा "हमेलो" उत्सव में किये गये व्यय के दुरुपयोग के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, जनजाति विकास विभाग, उदयपुर द्वारा जनजाति के लोगों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कला, संस्कृति, मेलों, त्यौहारों आदि के नाम पर "हमेलो" उत्सव कार्यक्रम में जनजाति के क्षेत्रीय जनजाति प्रतिनिधियों एवं जनजाति की संस्थाओं की इरादतन घोर उपेक्षा कर गरीब जनजाति के लोगों के विकास की लाखों रुपये की राशि का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जरिये माननीय मंत्री जनजाति विकास विभाग एवं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

यह परियोजना मूलतः नोबल काज सोसायटी, उदयपुर द्वारा प्रस्तावित की गयी थी एवं इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 6 लाख रुपये प्रस्तावित थे, परन्तु इस परियोजना के अध्ययन के बाद जनजाति विकास विभाग के माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा जनजाति विकास विभाग की कुंभकरणीय नींद जागी एवं इस संस्था के द्वारा प्रस्तुत परियोजना के सरकारीकरण करते हुए जनजाति विकास विभाग द्वारा इस कार्यक्रम को "अरण्य सेतु" के नाम से करने को प्रस्तावित किया और अफरातफरी में बैठक बुलाकर दो आयोजन समितियों का गठन किया गया। इन समितियों में उन लोगों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया जिनका जनजाति की संस्कृति एवं अन्य सामाजिक गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं रहा था। मात्र कागजी कार्यों में विश्वास में रखकर देश-प्रदेश के जनजाति एवं सरकारी तंत्र को गुमराह करना रहा है।

सबसे हैरत अंगेज बात यह रही कि

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री महावीर भगोरा)

जनजाति उपयोजना क्षेत्र के चुने हुए जन-प्रतिनिधियों की भी उपेक्षा इसलिए की गयी थी कि अगर इन्हें सम्मिलित किया जाता तो 6 लाख की मूल लागत की परियोजना पर 15 लाख तक का व्यय कर अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं कर पाते। इस आयोजन को इतना गोपनीय रखा जाकर अफरातफरी में आयोजित कर परियोजना में उल्लिखित मदों पर निर्धारित मानदण्ड के अनुसार जनजाति कलाकारों पर एवं कार्यक्रमों पर व्यय नहीं करके ऐसे मदों के नाम पर व्यय किया गया जिनकी न तो आवश्यकता थी, न ही वास्तव में उस पर व्यय किया गया।

इस कार्यक्रम को आम समुदाय का नहीं बनाकर सरकारी कार्यक्रम बना दिया एवं गरीब जनजाति के व्यक्तियों के उत्थान हेतु प्राप्त बजट का दुरुपयोग किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन की प्रथम सूचना समाचार पत्र में दिनांक 1-9-1994 के द्वारा जब प्रकाशित होने के बाद मिली तब जनजाति आयुक्त श्री एस. अहमद को व्यक्तिगत पत्र लिखकर निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने एवं अन्य जन जाति की संस्था के पदाधिकारियों द्वारा जनजाति के जन-प्रतिनिधियों एवं संस्थाओं को इस कार्यक्रम में जोड़कर और अधिक उपयोगी एवं प्रभावी बनाने हेतु लिखा गया। परन्तु आयुक्त महोदय ने इसे उपयुक्त नहीं समझते हुए जनजाति के जन-प्रतिनिधियों की घोर उपेक्षा कर लगभग 15 लाख रुपये "हमेलो" कहे या "झमेला" के नाम पर व्यय बता दिया गया।

मेरा इस लोक महत्व से जुड़े मामले को विशेष उल्लेख के जरिये माननीय जनजाति विकास विभाग मंत्री एवं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए ऐसे कार्यक्रम के आयोजन पर हुए भारी व्यय की जांच करवाये जाने एवं टी.आर.आई. के वर्तमान अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन कराये जाने हेतु आग्रह है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामकिशनजी वर्मा।

श्री रामकिशन वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस बात की ओर आपका और सदन का ध्यान 295 के विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये आकर्षित करना चाह रहा हूं। इस प्रस्ताव के जरिये जाहिर करूंगा लेकिन नोटिस लेने वाला कोई मंत्री, कोई अधिकारी, कोई हो तो। खाली हम पढ़कर सुना दें और अपनी ही बात खुद कर लें उससे तो कोई लाभ नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : आजकल देखते भी हैं। आप तो फरमाइये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : जवाब मिलेगा ना आपको तो।

स्वतंत्रता सैनानियों की पेंशन में वृद्धि

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मंडी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 295 के तहत मैं सदन की जानकारी लोक महत्व के निम्न प्रश्न के बारे में देना चाहता हूं।

मान्यवर, हिन्दुस्तान की गुलामी को समाप्त करने हेतु लाखों लोगों ने अपना जीवन होम दिया। उनमें से आजादी के कुछ वीर सिपाही जीवित रहे जिन्हें आजादी के बाद स्वतंत्रता सैनानी नाम दिया गया

(श्री रामकिशन वर्मा)

एवं उन्हें स्वतंत्रता सैनानी पेंशन भी स्वीकृत की गयी है।

मान्यवर, भारत के अधिकांश प्रान्तों ने, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, बंगाल, दिल्ली, मध्य–प्रदेश ने स्वतंत्रता सैनानियों की पेंशन में वृद्धि की है, किन्तु खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राजस्थान सरकार ने अभी तक भी इस राशि में बढ़ोतरी नहीं की है। मेरी मान्यता है कि देश को आजादी दिलाने वालों की पेंशन में राजस्थान में भी शीघ्रातिशीघ्र वृद्धि की जानी चाहिये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमराज भाटी।

पाली शहर में रसोई गैस व कैरोसिन की किल्लत

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन है कि पाली शहर में वर्तमान में तीन–तीन रसोई गैस एजेन्सियां कार्यरत हैं, किंतु अफसोस है कि इसके बावजूद भी पाली शहर के निवासियों को रसोई गैस समय पर उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है एवं पाली शहर में बड़े पैमाने पर गैस टंकियों की कालाबाजारी की जा रही है, उपभोक्ताओं को मजबूरन कालाबाजारी से 250/– रुपये प्रति टंकी के हिसाब से रसोई गैस लेनी पड़ रही है जिसकी वजह से जनता में त्राहि–त्राहि मची हुई है।

पाली शहर में पूर्व में 1400 किलो लीटर प्रतिमाह कैरोसिन की आपूर्ति की जाती थी, किन्तु ऐसी विषम परिस्थितियों में खाद्य विभाग ने कैरोसिन की आपूर्ति का कोटा भी घटा दिया है जिसकी वजह से शहर के मध्यम एवं निम्न वर्ग के सभी लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है तथा कैरोसिन की भी बहुत बड़े पैमाने पर कालाबाजारी की जा रही है।

उक्त प्रकरण लोक महत्व का है, अतः माननीय खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि पाली शहर में अविलम्ब रसोई गैस एवं कैरोसिन की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध करवाकर पाली की जनता को राहत प्रदान करावें एवं कालाबाजारी में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं कराना

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, जयपुर ने कोटा में मकान बनाकर देने के लिये लोगों से प्रार्थना–पत्र मांगे थे। कोटा राज्य का औद्योगिक नगर है। सन् 1979 में छह हजार प्रार्थना–पत्र बोर्ड को प्राप्त हुए थे, परन्तु मकान बनाने के लिये भूमि नहीं मिल रही थी। तब काफी समय बाद कोटा कलक्टर, जो नगर विकास न्यास के अध्यक्ष भी थे और तत्कालीन हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री एम.एल. मेहता ने एक मीटिंग की जिसमें अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी भी शामिल थे और वन विभाग की 1188 हैक्टेयर भूमि इस कार्य के लिए लेने का निर्णय हुआ था और एक संयुक्त प्रार्थना–पत्र तैयार किया गया था

(श्री हरजीराम बुरडक)

जिसमें 844 हैक्टेयर भूमि हाउसिंग बोर्ड के लिये 318 हैक्टेयर भूमि नगर विकास न्यास के लिए रखी थी। तत्पश्चात् कानूनी प्रक्रिया पूरी होने पर वन विभाग के इन दोनों संस्थाओं के संयुक्त प्रार्थना–पत्र मंजूर करा कर यह भूमि इस कार्य के लिये छोड़ दी, परन्तु कलक्टर ने नगर विकास न्यास का अध्यक्ष होने के नाते इस भूमि को नगर न्यास को ही सौंपी और हाउसिंग बोर्ड, जिसके लिये यह भूमि वन विभाग से रिलीज कराई थी, को नहीं सौंपी। आपस में कार्यवाही चलती रही और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर पार्टी का अध्यक्ष नगर विकास न्यास बना दिया गया जो अब भूमि हाउसिंग बोर्ड को नहीं दे रहे हैं और उस भूमि की कीमत बोर्ड से बहुत ऊंची दरों से मांग रहे हैं, अर्थात् पांच सौ रुपये प्रति वर्ग मीटर।

इस प्रकार से बोर्ड के साथ धोखाधड़ी करके ऊंची कीमत उसी जमीन की वसूल करने पर तुले हुए हैं जो जमीन बोर्ड के लिये ही वन विभाग ने छोड़ी थी। यदि बोर्ड से अधिक राशि वसूल की गयी तो यह राशि उपभोक्ताओं पर पड़ेगी। क्योंकि बोर्ड इसको मकानों की कीमत में शामिल करेंगे। इस प्रकार से धोखाधड़ी करने के कारण यह मामला जनहित का है। अतः नियम 295 के तहत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और नगरीय विकास मंत्रीजी से इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाने की मांग करता हूं। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जगदीप जी धनखड़।

जयपुर में विश्व स्तर का रत्न आभूषण हाट बाजार

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निम्नलिखित जनहित के मामले में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

विश्व में जयपुर का रत्न एवं आभूषण व्यवसाय की दृष्टि से एक विशेष स्थान है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस इस क्षेत्र में पूंजी विनियोजन सम्बन्धी कोई ठोस कदम हाल के वर्षों में नहीं उठाये जा सके।

जयपुर में विश्व स्तर का रत्न आभूषण हाट बाजार बनाने के सम्बन्ध में गत दिसम्बर माह में राज्य के मुख्यमंत्री से अनिवासी भारतीयों एवं स्थानीय रत्न आभूषण व्यवसायियों ने एक बैठक की। उल्लेखनीय है कि इस बैठक में अमेरिका, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और थाईलैंड से अनिवासी भारतीयों ने भाग लिया। इस बैठक में राज्य के मुख्य मंत्री ने जयपुर में विश्व स्तर का रत्न आभूषण हाट बाजार विकसित करने के सम्बन्ध में कहा।

उक्त बैठक में मुख्य मंत्री ने इस आभूषण हाट बाजार के लिये रामबाग पैलेस परिसर में उपलब्ध सरकारी भूमि देने की पेशकश की जिसे अप्रवासी भारतीयों ने मंजूर कर लिया।

निश्चित रूप से जयपुर में विश्व स्तर का रत्न आभूषण हाट बाजार जहां एक ओर राज्य के विकास में सहायक होगा, राज्य में पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर राज्य में बहुतायत से

(श्री जगदीप धनखड़)

उपलब्ध दक्षकारों के विकास एवं रोजगार में भी सहायक सिद्ध होगा।

मुख्य मंत्री द्वारा इस बाजार के लिये सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में अब तक कोई ठोस कार्यवाही का प्रमाण सामने नहीं आ रहा है। विधिवत रूप से किसी भी संस्था का गठन उक्त भूमि पर रत्न आभूषण हाट बाजार विकसित करने के सम्बन्ध में नहीं हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में "जयपुर जैम बोर्ज" नाम से एक संस्था उभरकर आयी है और लाखों रुपये उक्त स्कीम के तहत इकट्ठा करने का प्रयास कर रही है।

बिना विधिक आधार पर किसी संस्था के गठन की ओर बिना निश्चित रूप से भूमि उपलब्ध हुए धन एकत्रित करना सराहनीय कार्य नहीं कहा जा सकता। इस पूरे प्रकरण का एक मात्र निश्चित आधार 16 दिसम्बर, 1994 को अप्रवासी भारतीयों एवं स्थानीय रत्न आभूषण व्यवसायियों द्वारा मुख्य मंत्री के साथ हुई बैठक व बैठक में मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन से है। मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन उन लोगों के लिये लाभान्वित साबित हो रहे हैं जो "जयपुर जैम बोर्ज" नाम से की जा रही कार्यवाही के लिये धन दे रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि "जयपुर जैम बोर्ज" नामक संस्था ने मार्च, 1995 के परिपत्र द्वारा सम्बन्धित लोगों से 15 अप्रेल, 1995 तक ही धन देने को कहा है। उक्त परिपत्र में यह जाहिर है कि जगह उनको ही दी जाएगी जो वर्तमान में इस व्यवसाय में हैं तथा मान्यता प्राप्त दलाल हैं। सरकार द्वारा दी गयी विशेष स्थान पर अत्यधिक मूल्यवान भूमि आबंटन के सम्बन्ध में इस प्रकार का दृष्टिकोण उचित नहीं कहा जा सकता।

गत वर्ष गरीब किसानों का करोड़ों रुपया एक संस्था द्वारा इस आधार पर हड़प लिया कि उसकी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने में सरकारी तंत्र का हाथ था। ऐसी ही स्थिति की आशंका "जयपुर जैम बोर्ज" के सम्बन्ध में व्यक्त की जा रही है। पूर्व में भी "जयपुर जैम बोर्ज" का अनुभव ठीक नहीं रहा।

उक्त परिस्थितियों में सरकार द्वारा भूमि, जहां एक ओर विधिक रूप से गठित संस्था को ही देनी चाहिए, वहीं दूसरी ओर इस भूमि का लाभ प्राप्त करने वाले लोगों की श्रेणी को सीमित नहीं रखा जाए।

मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा स्कैंडल हो सकता है एम्फोर्ट से भी बड़ा, उसके लिए सरकार सजग रूप से कार्यवाही करे तो उचित रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोहन लाल जी बारुपाल। (अनुपस्थित)। माननीय भीमसेन जी चौधरी।

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु उपाध्यक्ष के त्याग पत्र से पूर्व अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति

श्री लक्ष्मण सिंह : (भीम) पाइण्ट आफ आर्डर उपाध्यक्ष महोदय, under Article 181 of the Constitution and rule 7 जो हमारी प्रक्रिया के नियम बने हुए हैं। मैं पांच मिनट लेना चाहूंगा, क्योंकि बहुत

(श्री लक्ष्मण सिंह)

गम्भीर बिन्दू है (व्यवधान) आप सुन लीजिएगा। अगर इरिलेवेंट हो तो मैं वापस ले लूंगा।

कल अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला है और मैं सम्मानपूर्वक व्यक्तिश: आपके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए और इस आसन के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए अपनी बात कहना चाहूंगा। यद्यपि यह आप स्वयं से सम्बन्धित भी है। कांस्टीट्यूशन से ही हमारा देश चलता है और कांस्टीट्यूशन से पार्लियामेंट और राजस्थान विधान सभा भी है गवर्न होती है। जो कल अध्यक्ष महोदय का चुनाव होने वाला है उसमें बड़ी गम्भीर कमियां रह गयी है। कांस्टीट्यूशन के अनुसार इसमें कुछ फ्लो रह गये हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इसमें ज्ञानवर्द्धन करें और दिशा निर्देश दें।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन शाखा से जो विज्ञप्ति जारी हुई, उसके अनुसार बताया गया है कि महामहिम् राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फलोदी विधान सभा क्षेत्र के सदस्य माननीय पूनम चन्द जी विश्नोई को दशम् विधान सभा के अध्यक्ष पद के लिये अध्यक्ष के कृत्यों का पालन और कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिये दिनांक 7 अप्रेल, 1995 के प्रात: 11 बजे से नियुक्त किया जाता है। अर्थात् कल प्रात: 11 बजे से आपकी नियुक्ति हुई है। अब इस आर्टिकल का अगर आप अवलोकन करें, उपाध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 181 आई कोट, "While offiice of the Speaker is vacant, the duties of the office shall be performed by the Deputy Speaker or if the Office of the Deputy speakar is also vacant, by such member of the Assembly as the Governor may appoint for a the Purpose." अर्थात् उपाध्यक्ष महोदय, अगर अध्यक्ष का पद खाली है तो किसी मेम्बर को गवर्नर महोदय नियुक्त कर सकते हैं और अगर उपाध्यक्ष का पद भी खाली है तो गवर्नर महोदय प्रोटेम या कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। यहां आज की स्थिति में जब यह सूचना जारी हुई है तब उपाध्यक्ष का पद रिक्त नहीं हैं इसलिए अण्डर आर्टिकल 181 जो गवर्नर महोदय ने माननीय पूनम चन्द विश्नोई की नियुक्ति की है, वह इस आर्टिकल की धारा 180 (1) के अन्तर्गत गवर्नर महोदय को यह अधिकार नहीं है कि जब तक आप इस पद पर हैं, तो क्या हम यह मान लें, उपाध्यक्ष महोदय, कि आपने इस पद से इस्तीफा दे दिया है और अगर आपने इस पद से इस्तीफा नहीं दिया तो पूरा सम्मान रखते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। उसके लिये भी कुछ परम्पराएं बनी हुई हैं, उसके लिये भी कुछ नियम बने हुए हैं। मैं उनमें भी जाना चाहूंगा।

दूसरा बिन्दु, यह भी खास बात है कि अगर माननीय विश्नोई साहब को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है तो यह नियुक्ति, पहली चीज तो गलत हुई है और अगर हुई भी है तो नियुक्ति आज दिनांक 6.4.1995 के प्रात: 11 बजे से की जानी चाहिए थी न कि 7.4.1995 के 11 बजे से, कल से, क्योंकि इलेक्शन का प्रोसेस

(श्री लक्ष्मण सिंह)

प्रारम्भ हो चुका है। पूनम चन्द जी विश्नोई साहब की नियुक्ति अध्यक्ष महोदय का इलेक्शन करवाने के लिये की गयी है और वह प्रोसेस प्रारम्भ हो गयी है आज की तारीख में तो इस प्रोसेस के अन्तर्गत सारी कार्यवाही उनकी देखरेख के अन्दर एज ऑफिसियेटिंग स्पीकर की जानी चाहिए थी। यह मेरा दूसरा बिन्दु है और इसके समर्थन में मैं एक रूलिंग भी कोट करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा के अन्दर आर्टिकल 95 (1) के अन्तर्गत, लोक सभा में स्पीकर का चुनाव होता है। वहां पर एक इसी प्रकार का मसला उठा था और उस वक्त तत्कालीन जो स्पीकर थे मावलंकर साहब, उनसे सम्बन्धित है, मैं इनको कोट करना चाहूंगा। कोल एण्ड शकधर पुस्तक के पेज 116 से "Consequent on the demise of the Speaker mavalankar, the Deputy Speaker assumed the duties of the Speaker and continued to perform them till March 7, 1956 when he resigned the office of the Deputy Speaker in view of his in pending election as Speaker on the next day."

उपाध्यक्ष महोदय, अब यहां प्रश्न उठता है, अध्यक्ष महोदय माननीय भाभड़ा साहब ने त्यागपत्र दिया तो आप उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर अध्यक्ष महोदय के कर्त्तव्यों का भी निर्वहन कर रहे हैं और कल इलेक्शन होने वाला है। आपने भी यहां पर फौर्म भरा है अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिये तो यह अपेक्षित था कि आप आज त्याग पत्र देते, जिस प्रकार से कि लोक सभा में 1956 में इस प्रकार से हुआ। मैं इसको वापस पढ़ना चाहूंगा "Consequent on the demise of the Speaker Mavalankar" मावलंकर साहब का देहांत हुआ, यहां पर भाभड़ा साहब ने त्याग-पत्र दिया "the Deputy Speaker assumed the duties of the Speaker and continued to perform them till March 7, 1956" डिप्टी स्पीकर महोदय ने स्पीकर की ड्यूटी एज्यूम की, जिस प्रकार से आपने स्पीकर की ड्यूटी यहां पर एज्यूम की हुई है "when he resigned the Office of the Deputy Speaker in view of his in pending election" उनका जो इलेक्शन होने वाला था अध्यक्ष का, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने रिजाइन किया "as Speaker on he next day." अगले दिन जो स्पीकर का चुनाव होने वाला था, उसको ध्यान में रखते हुए। यह लोक सभा सेक्रेटेरिएट का नोटिफिकेशन है, उपाध्यक्ष महोदय, 496–T/56, dated 7.3.1956, Gazette (I–I), 7.3.1956. कुछ माननीय सदस्यों को यह एक छोटी सी बात लग सकती है लेकिन मेरी यह धारणा है कि राजस्थान का सर्वोच्च सदन, जिसका कार्य नियम, विधान और कानून बनाना है। अगर राजस्थान का सर्वोच्च सदन भी कांस्टीट्यूशन के अनुरूप कार्य नहीं करेगा, अगर यह सर्वोच्च सदन भी नियमों और परम्पराओं के अनुसार कार्य नहीं करेगा तो मेरे ख्याल से हम राजस्थान की जनता को और देश को एक अच्छा मैसेज नहीं देंगे। मेरे इन तीन बिन्दुओं पर मैं माननीय सदस्यों से भी विचार अपेक्षित करूंगा और इस पर, क्योंकि आप स्वयं इससे सम्बन्धित हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है, किन्हीं भी

(श्री लक्ष्मण सिंह)

माननीय सभापति महोदय को जो पैनल में हैं, उनसे भी रूलिंग अपेक्षित करूंगा। धन्यवाद।

श्री नरपत सिंह राजवी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि यह जो भी आपने पढ़ा है, यह किस रूलिंग के तहत है ? Is it a constitutional provision ? इसके तहत यह रिजाइन करना और कल की प्रक्रिया में शामिल होना आवश्यक है। यह अभी तक तो सामने नहीं आया है।

श्री लक्ष्मण सिंह : हां, यह है। चित्तौड़गढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बिन्दु उठाया। पहली चीज तो पाइंट आफ आर्डर उठाने के लिये या तो किसी नियम को कोट किया जाता है। मैंने रूल 7 स्पीकर के इलेक्शन को कोट किया है या कांस्टीट्यूशन के किसी आर्टिकल को कोट किया जाता है मैंने आर्टिकल 181 को कोट किया है। पाइंट आफ आर्डर जब रूल आफ बिजनेस समाप्त होकर दूसरी जगह जा रहा है तो उसके वक्त में मैंने इसको उठाया है।

श्री नरपत सिंह राजवी : I am not asking the authority, जिससे आप बोले। मैं तो यह पूछना चाह रहा हूं, कोई डिप्टी स्पीकर अगर बनेगा, वह अगर फार्म भरता है तो उससे एक दिन पहले ही उसको रिजाइन करना पड़ेगा, यह व्यवस्था क्या कांस्टीट्यूशन में है ? You have quoted one instance and not a constitutional provision.

श्री लक्ष्मण सिंह : माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन्टरप्रिटेशन आफ लॉ कैसे किया जाता है, या तो कानून स्पष्ट हो तो हम इन्टरप्रिटेशन बरबेटम उसके शब्दों से लेंगे और अगर जहां कानून स्पष्ट नहीं होता है, तो हम परम्पराओं से चलते हैं इसके लिये कहीं पर भी मेरे ख्याल से विवाद का यह बिंदु नहीं है।

श्री नरपत सिंह राजवी : उपाध्यक्ष महोदय, लॉ की इन्टरप्रिटेशन तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बार-बार चेंज की है इसमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा-बहुत लॉ मैं भी पढ़ा हुआ हूं। अगर स्पेसिफिक डिनायल नहीं है तो कतई आवश्यकता नहीं है रिजाइन करने की।

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस बात की भावना को संभवतः समझ नहीं पा रहे हैं या मैं समझा नहीं पा रहा हूं। माननीय पूनमचंदजी बिश्नोई साहब को जो नियुक्ति दी गयी है यह स्पष्ट है कि यह नियुक्ति अध्यक्ष महोदय का चुनाव करवाने के लिये दी गयी है। अध्यक्ष महोदय के चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है आज फार्म भरने के समय से, कल सिर्फ वोटिंग होगा। इसलिए उस प्रक्रिया के प्रारम्भ करने से पहले, पहली चीज तो इनकी नियुक्ति इस आर्टिकल के अन्तर्गत गलत दी गयी है। गवर्नर महोदय भी देश के संविधान से और कानून से बंधे हुए हैं, कानून से ऊपर नहीं हैं। जब यह पोस्ट खाली नहीं है तो गवर्नर महोदय को इनको कभी अपाइंट करने का अधिकार नहीं है। आज से पहले तीन ऐसे उदाहरण हैं जब उपाध्यक्ष से अध्यक्ष बने हैं, तीनों उदाहरणों में कभी भी कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की है। उपाध्यक्ष महोदय, यह पहली बार ऐसा हुआ है जब कि कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की गयी है। तो

(श्री लक्ष्मण सिंह)

कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति पहली चीज तो लॉ के अन्तर्गत नहीं है....

श्री देवीसिंह भाटी : सत्र चल रहा है।

श्री लक्ष्मण सिंह : और अगर की गयी है तो 7.4.95 कल से नहीं, बल्कि आज से की जानी चाहिए थी। माननीय राजवी साहब फरमा रहे हैं, मेरा निवेदन है कि जो बिंदु आज रेलेवेंट हैं, जो कानून से सम्बन्धित है, जिसके अन्दर राजस्थान की विधान सभा के अध्यक्ष के इलेक्शन से सम्बन्धित है, जहां पर आर्टिकल की अवहेलना हो रही है, स्पेसिफिक आर्टिकल मैं कोट कर रहा हूं, इसके साथ-साथ में जहां पर परम्परा, जो 1956 की है, उस परम्परा को तोड़ा जा रहा है और फिर आप कहते हैं कि इस बात को उठाने का मुझे अधिकार नहीं है तो मेरे ख्याल से....

श्री नरपतसिंह राजवी : नहीं, मैंने यह नहीं कहा है।

श्री लक्ष्मण सिंह : यह तो फिर मेरे अधिकारों पर बहुत ही ज्यादा प्रतिबंध लगाने का विचार रखते हैं।

श्री नरपतसिंह राजवी : नहीं-नहीं, आपके अधिकार बिलकुल सुरक्षित रखें, आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिये मैं स्वयं उपस्थित हूं। प्रश्न यह नहीं है कि आप इसको उठा नहीं सकते, प्रश्न सिर्फ इतना था कि इस चीज को जिस मुतलिक उठा रहे हैं, जो आपने तथ्य दिये हैं, मैं यही पूछना चाहता हूं कि क्या यह स्पेसिफिकली, डिप्टी स्पीकर को रिजाइन करना पड़ेगा अगर वह स्पीकर का चुनाव लड़े, क्या यह स्पेसिफिक कांस्टीट्यूशन के अन्दर है ? यह पूछना चाह रहा हूं।

श्री जुबेर खान : रिजाइन नहीं करना पड़ेगा तो बनने की आवश्यकता क्या है।

श्री लक्ष्मण सिंह : कुछ इन्फरेंसेज भी ड्रा किये जाते हैं।

श्री नरपतसिंह राजवी : कार्यवाहक अध्यक्ष भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर ही बनाते हैं....

श्री लक्ष्मण सिंह : अगर यह पोस्ट खाली होने की संभावना थी, उसी के कारण से तो यह है, कोई अलग गलती हुई है, कोई चलो रहा है, कोई लेकुना हुआ है, 1956 का...

श्री जुबेर खान : या तो प्रोटेम स्पीकर गलत बनाया है, या इस्तीफा नहीं देना गलत है, गवर्नर ने एक तो करना चाहिए था, यह कांट्राडिक्शन कैसे ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, दोनों माननीय सदस्यों के बीच में आप आसन पर विराजमान हैं तो आपकी उपेक्षा न करके आपके मार्फत ही वार्तालाप हो, अपनी बात कही जाए तो वह ज्यादा सुन्दर लगती है।

श्री नरपतसिंह राजवी : एग्रीड, एग्रीड। There is no dispute on this.

श्री लक्ष्मण सिंह : एग्रीड। Sorry, Sorry.

श्री रामनारायण चौधरी : वरना फेस टू फेस, आपको तो इग्नोर करते हैं इस तरीके से....

श्री लक्ष्मण सिंह : सॉरी, सॉरी।

श्री रामनारायण चौधरी : और माननीय सदस्य दोनों आपस के अन्दर, फिर तीसरे माननीय सदस्य और हो जाएंगे, चौथे और जुड़ जाएंगे तो जिस तरीके से जो विवाद उठाया है, पाइंट आफ ऑर्डर माननीय सदस्य ने उठाया है, वह आपके देखने का है, उस पर आप माननीय सदस्यों से राय ले सकते हैं, सुन सकते हैं उनके विचार, वह आपको अधिकार है और माननीय सदस्यों को यह अधिकार है कि वह आपको अपनी बात कहें।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है, it is not a reflection on any individual. जो मुद्दा उठाया है वह प्योर क्वश्चन आफ लॉ है। जो हमें सूचना भेजी गयी-"विधान सभा के माननीय सदस्यों को निर्देशानुसार सूचित करना है कि संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना सो एण्ड सो सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित की गयी है जिसमें उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में दशम् राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष का पद रिक्त है और उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त होने की संभावना है।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, I take strong exception to this. उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की संभावना दो स्थितियों में है। एक तो आप स्वयं अपने विवेक से निर्णय ले लें कि आपको इस्तीफा देना है या किसी वजह से आप इस कुर्सी पर विराजमान नहीं हो सकते। दूसरा, यह सदन एक ऐसी प्रक्रिया अपनाये कि आप इस पद पर आसीन नहीं रह सकें। महामहिम राज्यपाल द्वारा, विद ड्यू रेसपेक्ट, इस प्रकार का आदेश आर्टिकल 180 के तहत नहीं निकाला जा सकता। उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त होने की संभावना है और यदि इस एक्सपेक्टेशन में महामहिम राज्यपाल ने, "अतः महामहिम राज्यपाल महोदय भारत के संविधान के अनुच्छेद 180 के खण्ड 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फलौदी विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित दशम् विधान सभा के सदस्य, श्री पूनमचंद विश्नोई को-दशम् विधान सभा में चतुर्थ सत्र में अध्यक्ष के निर्वाचन किये जाने तक अध्यक्ष के कृत्यों का पालन और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए दिनांक 7 अप्रैल, 1995 को प्रातः 11.00 बजे से नियुक्त किया जाता है।"

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आप इसके लिये अपना नोमिनेशन नहीं भरते और उन सब संभावनाओं को आप या सत्तारूढ़ दल या अन्य परिस्थितियां नकार सकती थीं कि उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की संभावना है तो एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन पर जिसके ऊपर महामहिम राज्यपाल का कोई कंट्रोल नहीं है, in expectation of a situation which is not in being. Totally highpothetical. आर्टिकल 180 के तहत एक आदेश पारित कर दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आर्टिकल 180 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। दल बदल कानून के तहत जो

(श्री जगदीप धनखड़)

याचिकाएं हमने आपके समक्ष प्रस्तुत की थीं, आपने आर्टिकल 180 की व्यख्या की है। "Power of the Deputy Speaker or other person to perform the duties of the office of, or to act as, Speaker." "While the office of the Speaker is vacant,...." उपाध्यक्ष महोदय, पहली कंडीशन है–While the office of Speaker is vacant, the duties of the office shall be performed by the Deputy Speaker.." A situation which is there in our case, "or if the Office of Dy. Speaker is also vacant, by such member of the Assembly as the Governor may appoint for the purpose." उपाध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 180 क्लॉज बिलकुल एम्बीगुअस नहीं है। इट इज वैरी क्लियर कि आर्टिकल के तहत उसी परिस्थिति के अन्दर महामहिम राज्यपाल आर्टिकल 181 का आदेश पारित कर सकते थे जब उनको निश्चित रूप से विधिवत तरीके से यह जानकारी हो जाए that office of the Speaker is vacant.

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक अहम् कांस्टीट्यूशनल मुद्दा सदन के समक्ष, आपके माध्यम से रखा है, it is not at all a reflection on you. We have high regard for you. In such a situation, उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो इन्टरप्रिटेशन आलरेडी दिया है दल बदल याचिकाओं में और आप अब भी उपाध्यक्ष हैं, आपका पद वर्तमान में रिक्त नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : हो जाएगा।

श्री जगदीप धनखड़ : आपका पद कल रिक्त होगा या नहीं होगा, यह....

श्री नरपतसिंह राजवी : आज भी हो सकता है।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, यह अनेक परिस्थितियों पर निर्भर कर करता है। There can be a situation, we may not meet tomorrow. There can be a situation, this House may not be in existence. There can be a situation, this House may be dissolved. मतलब इतनी संभावनाएं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, We are not dealing with an ordinary piece of legislation, we are dealing with a pure constitutional matter. तो आर्टिकल 180 क्लियर है, अनएम्बीगुअस है। my friend has given precedents.

उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल ने तो आदेश पारित कर दिया, हमारा आपसे अनुरोध है to maintain high traditions, to live up to the high constitutional expectations, to see that we don't fall in the trap of any act of impropreity, Sir, I would appeal to you that to give some semblance of justification to an Order which, otherwise, is not sustainable, some other member of the House, who may be on the Panel because that Panel is fast recediny but I hope, there is somebody already who can take this Chair, We have great respect for you, we have highest regard for

(श्री जगदीप धनखड़)

you, but we are making this demand as a tribute to sound parliamentary practices and conventions.

Sir, I would appeal to you, in the name of rule of law, in the name of pure, pious parliamentary practices that this point needs to be determined by somebody who is not that intimately involved in the whole situation. We have great respect for you. We need not state it, the whole House knows it. There may be occasions; your Honour; where such a situation may not be there but for you, the entire House is one. We have respect for you.

So, Sir, I would appeal to you that let somebody else from the Panel take your seat to that we can determind the issue in a more composed atmosphere. And let our Assembly not go down in history as one where we have no respect even for a sound constitutional provision.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं एक बात और कहूंगा, काउंसिल आफ मिनिस्टर ने माननीय राज्यपाल को जरूर कोई न कोई अपनी राय दी है। Under the Constitution, they are under an obligation to do this. सरकार ने जानबूझकर माननीय राज्यपाल के समक्ष एक ऐसा विचार जरूर रखा होगा कि आपकी पोजिशन को बहुत ही एक एम्बिरेसिंग सिचुएशन में डाल रहे हैं। मैं मानता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका अध्यक्ष बनना बहुत लोगों को रास नहीं आ रहा होगा। आपके अध्यक्ष निर्वाचन के लिये- I was the one who made a representation to the Governor. I invited the attention of the Governor to his constitutional obligation. I raised the matter in the House. The Leader of the House responded, it will be done before the 10th of April.

Let us perserve the constitutional spirit, let us preserve the constitutional essence. Let us not be party to trampling of a sacred provision of the Constitution when it can be so conveninetly, easily saved.

The whole House need to express its sense of gratitude to the member who has diligently and in a thought provoking manner raised a pure point of constitutionalism.

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में निवेदन कर रहा हूं कि यह रिफ्लेक्शन आपके ऊपर कुछ नहीं है और किसी पर नहीं है। पाइंट आफ आर्डर माननीय सदस्य ने उठाया वह बहुत वेलिड है। अगर रिफ्लेक्शन कहीं भी है तो

(श्री रामनारायण चौधरी)

नीय राज्यपाल महोदय ने जो आदेश निकाला है, प्रोग्राम निकाला है, वहां पर है। जब अध्यक्ष का स्थान खाली है, प्रोग्राम माननीय राज्यपाल महोदय ने निकाला है और माननीय सदस्य ने जो दृष्टान्त दिया है शकधर का, वह भी अपनी जगह पर वेलिड है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रोग्राम हमें मिला, मैंने भी उसको पढ़ा, मुझे भी उसमें आश्चर्य हुआ कि जब डिप्टी स्पीकर मौजूद है तो डिप्टी स्पीकर को, आपको वह सारे अधिकार हैं जो आप स्पीकर का कर रहे हैं। अब वह चुनाव होना है और क्योंकि आप भी उसमें उम्मीदवार हैं। जो माननीय सदस्य ने कोटेशन दिये हैं वहां भी डिप्टी स्पीकर बने थे उन्होंने उसका त्याग पत्र दे दिया। यहां आपको त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप भी उम्मीदवार हैं जिसका कोई यह तात्पर्य नहीं है कि आप त्याग पत्र दें। यहां पर व्यवस्था है पहले से, यहां पर माननीय हीरालाल जी देवपुरा ने त्याग पत्र दिया था, उनकी जगह के ऊपर डिप्टी स्पीकर उस समय तत्कालीन थे वह जस्ट आफ्टर स्पीकर बने थे। वह परम्परा यहां पर है, वह देख ली जाय। मेरा ऐसा ख्याल है कि यह जो नियम हमारे पास हैं उसमें यह नियमों के नियम 10 का उल्लेख कर रहा हूं। यह बिलकुल स्पस्ट है– "उपाध्यक्ष या सभा की बैठक में पीठासीन अन्य सदस्यों की शक्तियां उपाध्यक्ष या संविधान अथवा इस नियमावली के अन्तर्गत सदन की बैठक में पीठासीन होने के लिये सक्षम किसी अन्य सदस्य को जब वह पीठासीन हो, वह शक्ति होगी जो कि पीठासीन होने पर अध्यक्ष की होती है और इन परिस्थितियों में इस नियमावली में अध्यक्ष के प्रति सब निर्देश इस तरह पीठासीन व्यक्ति के प्रति निर्देश समझे जाएंगे।"

यह सभापति तालिका है। जब आपका निर्वाचन कल होगा तो आप उसकी अध्यक्षता नहीं कर सकेंगे और मेरी निजी राय में राज्यपाल महोदय ने जो आदेश दिया वह शिरोधार्य है, क्योंकि वह हमारे मालिक है, हम उनके काम पर कोई यहां डिस्कशन कर ही नहीं सकते, न नुक्ता–चीनी कर सकते हैं, उनके प्रति पूरा आदर रखते हुए यही मेरा सबमीशन है कि यह नियमों के नियम 9 है–

"सभापति तालिका–सदन के प्रारम्भ होने पर समय समय पर जैसी भी स्थिति हो, अध्यक्ष सदस्यों में से अधिक से अधिक चार सभापतियों की एक तालिका मनोनीत करेगा जिसमें से कोई एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा सक्षम पीठासीन व्यक्ति के कहने पर सदन में पीठासीन हो सकेगा। नियम उप–नियम 1 के अन्तर्गत मनोनीत सभापति नयी सभापति तालिका के मनोनीत होने तक पद धारण करेगा।"

इससे यह स्पष्ट है कि जब अध्यक्ष नहीं हो तो आप हैं, आपके नहीं होने की स्थिति में सभापति तालिका के जो चार माननीय सदस्य हैं वह जो पीठासीन अधिकारी होंगे उनके अन्दर वह सब शक्तियां निहित होंगी जो अध्यक्ष के अन्दर होती हैं। अब इसमें जैसा किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मंत्रि–परिषद् ने राज्यपाल महोदय को क्या राय दी, वह मंत्रि–परिषद् जाने। आज देने की इसमें जरूरत ही नहीं थी। आप अगर कल स्पीकर चुने

(श्री रामनारायण चौधरी)

जाते हैं, आप उम्मीदवार रहते हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कल अगर होता है तो जो कोई भी सभापति तालिका में है तो कोई भी माननीय सदस्य उसकी अध्यक्षता कर सकता है और आपका निर्वाचन हो सकता है, आप भी कैंडिडेट हो सकते हैं। आपके लिये कोई ऐसा अनडिग्निफाइड और डिस्ग्रेस की कोई बात है ही नहीं डिस-रिगार्ड भी नहीं है, पूरा रिगार्ड है। आज तो आप अध्यक्षता कर सकते हैं, कल के लिये जब चुनाव होगा उस समय तालिका में जो सीनियर मोस्ट है वह उसकी अध्यक्षता करेगा। यह मेरी निजी राय है, समझ है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो पाइंट आफ आर्डर पेश किया गया है। पाइंट आफ आर्डर के सम्बन्ध में आपको निवेदन करना चाह रहा हूं कि किस प्रकार का पाइंट आफ आर्डर रेज किया जा सकता है। 294 यह कहता है-

"A point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules or such Articles of the Constitution as regulate the business of the House and shall raise a question which is within the cognizance of the Speaker."

इसी प्रकार का पाइंट आफ आर्डर आप बियरविद करेंगे जो कि आपके काग्निजेंस में हो। इस पाइंट आफ आर्डर के माध्यम से गवर्नर महोदय का एक आदेश जो निकला है, प्रोटेम स्पीकर को नोमिनेट करने का, वह चेलेंज किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि गवर्नर का कोई भी आदेश, जो गवर्नर महोदयो ने दिया है, उसक पाइंट आफ आर्डर के माध्यम से चेलेंज नहीं किया जा सकता। एक तो यह बात मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं। दूसरी बात यह है कि गवर्नर महोदय ने....

श्री जुबेर खान : सरकार को क्या जरूरत थी ? गवर्नर साहब को मिस गाइड किया है सरकार ने।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सरकार ने क्या चीज गलत की, यह दूसरी बात है। (व्यवधान) प्लीज हियर मी। यह कोई बात थोड़े ही है कि आप चाहें जब बराबर बोलने लग जाते हो।

मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, गवर्नर साहब ने जो आदेश दिया है उसको पाइंट आफ आर्डर के माध्यम से आप इस हाउस के अन्दर चेलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके काग्निजेंस में नहीं होगा, नम्बर एक। नम्बर दो, जो कि अपने रूल्स हैं, बोलने के लिये मैम्बर्स के लिये, उसमें भी दिया है कि गवर्नर साहब के कंडक्ट पर, गवर्नर साहब के आदेश को कोई आदमी रिफार्म नहीं करेगा बोलते समय। इसलिये मेरा संक्षेप में निवेदन यह है कि this point of order should be rejected.

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उपमुख्यमंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य ने अभी जो पाइंट आफ आर्डर के बारे में कहा है उससे सहमत हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी विधान सभा का बुलेटिन और गवर्नर साहब का आदेश, इस सम्बन्ध में यहां पर चर्चा नहीं हो सकती, चर्चा नहीं की जा सकती। यह नियम भी हैं, यह परम्परा भी

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

है। इसलिये माननीय सदस्य श्री लक्ष्मणसिंह जी ने जो सवाल उठाया था यदि उसको आप एकेडमिक रूप में लें, कांस्टीट्यूशन में लें तो केवल उस पर व्यवस्था नहीं दी जा सकती इसलिये पाइंट आफ आर्डर के रूप में तो उस पर बहस हो नहीं सकती, क्योंकि इस पर व्यवस्था दे नहीं सकते और केवल एकेडमिक सन्तोष के लिये वह चाहें तो इसमें 180 का प्रावधान बिलकुल स्पष्ट है और भिन्न–भिन्न जगह पर भिन्न–भिन्न परम्पराएं हैं। लोक सभा में परम्परा यह है कि वहां पर इस्तीफा देकर उपाध्यक्ष ने फिर चुनाव में भाग लिया। वहां भी प्रोसेस शुरु हो गया था, 7 तारीख को प्रोसेस शुरु हुआ, 7 तारीख को अनन्ताशयानम् आयंगर वहां हाउस में मौजूद थे, सारी प्रोसिडिंग्स उन्होंने ही चलायी, 8 को उनका चुनाव हुआ, तब चुने गये। इसी तरह से आज उपाध्यक्षजी यहां कार्यवाही चला रहे हैं। यह हाइपोथेटिक की जो बात कही जाती है, यह हाइपोथेटिकली नहीं है। कल जब चुनाव होगा उस समय दोनों, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का स्थान वेकेंट रहेगा। इसी बात को ध्यान में रखकर गवर्नर महोदय, ने आर्डर दिये हैं। इसलिये इस बारे में इसको चेलेंज करना या उसकी लीगलिटी के बारे में किसी तरह का प्रश्न उठाना, बिलकुल उचित नहीं है। जब आर्टिकल 180 का प्रावधान है, उसी का पालन किया जा रहा है और उसमें है जब दोनों वेकेंट होंगे तभी वह इफेक्टिव होंगे। प्रोटेम स्पीकर का अपाइंटमेंट भी कल 11 बजे से है, आज तो है ही नहीं और यह गवर्नर महोदय की इच्छा है कि वह किस तरह से आर्डर निकालें। आज निकालें, कल निकालें। इस सम्बन्ध में चूंकि चर्चा नहीं हो सकती है, हम उनके आदेश पर क्वश्चन नहीं कर सकते हैं इसलिये इस पर चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : यूं तो सारे ठेके राज्यपाल महोदय के आदेश से होते हैं उन पर भी कोई चर्चा नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है....

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सचिवालय से अनुरोध करूंगा कि वह भाभड़ा जी को अध्यक्ष नहीं मानें। वे अब उप मुख्य मंत्री हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मुझे इस बात का....

श्री उपाध्यक्ष : जैसे आप सदस्य हैं, वैसे ही माननीय सदस्य वे भी हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : कागजात पास किये जा रहे हैं, वे पढ़ते जा रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात एक्सप्लेन करने के लिये हैं तो उनको भी पूरा राइट है अपनी बात एक्सप्लेन करने का। माननीय सदस्य, बिराजिये आप।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चूंकि अध्यक्ष रह चुका हूं इसलिये उनके आचरण का अनुकरण तो करूंगा नहीं। मैं अपनी मर्यादा में रहूंगा। मर्यादा से बात करूंगा। वह चूंकि प्रतिपक्ष में हैं इसलिये वह यह समझते हैं कि इस सदन में कभी भी खड़े होकर बोल लेने, मैं समझता हूं यह हमारे नियमों के विपरीत है कि जब एक सदस्य बोल रहे हों....

श्री जगदीप धनखड़ : मर्यादाओं में रहिये, मर्यादाओं में रहने का आपका आचरण नहीं है। आप पर लागू है, जैसे कहते हैं:- Don' t preach.

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं जब वहां था तब तो मैंने आपको मर्यादा में रखने की कोशिश की, मगर दुर्भाग्य है कि अब मैं उस स्थिति में नहीं हूं (व्यवधान) अब मैं उस स्थिति में नहीं हूं, केवल आपसे माननीय उपाध्यक्ष के माध्यम से निवेदन कर सकता हूं....

श्री जगदीप धनखड़ : सबको पता है कि आपकी यहां क्या प्रशंसा होती थी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कि आप नियमों की बात ले लेकर खड़े होते हैं तो नियम पालन करना सीखिये और फिर दूसरों को उपदेश दीजिये। लक्ष्मणसिंह जी ने लीगल प्रश्न उठाया तो वह 180 तक ही सीमित रहना चाहिये। परम्पराएं भिन्न-भिन्न हैं और जैसे कि नियम बताये हैं, गवर्नर महोदय के आदेश के बारे में यहां चर्चा हो ही नहीं सकती है तो मैं नहीं समझता कि उस चर्चा को करने से कोई मतलब है। उसके पक्ष में या विपक्ष में किसी तरह का आग्यूमेंट देने का मतलब है नियम का भंग करना। मैं वह नियम भंग करना नहीं चाहता। इसलिये उस बारे में मैं पक्ष में बोलना चाहूंगा न विपक्ष में बोलना चाहूंगा। महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो आदेश दिया है वह उन्होंने अपने विवेक से दिया है उस बारे में मैं कोई अपना कमेंट नहीं दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : आपने एडवाइज क्यों दी, मंत्रिमंडल ने एडवाइज दी।

श्री जुबेर खान : सरकार ने एडवाइज क्यों दी ? (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह : सरकार ने कोई एडवाइज दी है ? (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : महामहिम राज्यपाल का आदेश, महामहिम राज्यपाल का ही आदेश होता है। अब उसके पीछे उन्होंने किस से सलाह ली, किसने उनको सलाह दी, यह उनका अपना विवेक है उसकी चर्चा भी आप नहीं कर सकते हैं। आप सरकार करते करते लॉ सेक्रेटरी पर आ जाओगे, फिर डिप्टी लॉ सेक्रेटरी पर आ जाओगे। अब यह तो एक प्रक्रिया है सरकार की। कहां से सलाह शुरु होती है कहां जाती है लेकिन जब राज्यपाल महोदय अपने हस्ताक्षर कर देते हैं तो यह उनका आदेश होता है और यह प्रिज्यूम किया जाता है महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने पूर्ण विवेक से आदेश निकाला है। उस पर कोई किन्तु-परन्तु करने का इस सदन में हम को अधिकार ही नहीं है, परन्तु नियमों के अन्तर्गत इसकी मनाही है। साफ तौर से नियमों में मनाही है कि राज्यपाल महोदय के इस तरह के आदेश को हम किसी तरह से यहां डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इसलिये मैं उसमें एंटर नहीं होना चाहता और 180, जो हमारा कांस्टीट्यूशन है उसके अन्तर्गत कल जब चुनाव होगा, उस समय स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों नहीं रहेंगे इसलिये प्रो-टेम स्पीकर नियुक्त करने का राज्यपाल महोदय को अधिकार है। उस अधिकार का उन्होंने प्रयोग किया है जो कांस्टीट्यूशन के मुताबिक किया है और वह उन्होंने अपने

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

विवेक से किया है। इस सम्बन्ध में किसी तरह के कमेण्ट करना न मेरे लिये उचित है, न आपके लिये उचित है।

श्री लक्ष्मण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में (व्यवधान) एक मौका पहले भी आया है.....

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, जो महामहिम राज्यपाल महोदय यहां स्वयं आकर अपने मुख से कहकर जाते हैं उसके ऊपर चर्चा करके (व्यवधान) उसका अनुमोदन क्यों करते हैं ? उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के टेंडर निकलते हैं, तब राज्यपाल महोदय के आदेश से निकलते हैं। यह क्या मतलब ? कहीं भी चर्चा नहीं हुआ करेगी ?

श्री रामनारायण चौधरी : इस सम्बन्ध में एक मौका पहले आया है, उपाध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री नाथू सिंह (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, चौधरी साहब बोल रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, श्री गिर्राज प्रसादजी तिवाड़ी यहां डिप्टी स्पीकर थे और श्री हीरालाल जी देवपुरा ने उस समय स्पीकरशिप छोड़ी थी और उनके डिप्टी स्पीकर रहते रहते ही स्पीकर का चुनाव हुआ था। उस वक्त क्या परम्परा रही थी, क्या व्यवस्था रही थी, यह सदन को बता दी जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वह भी मैंने देखा है।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस समय भी चुनाव हुआ था।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वह आर्टिकल 180 का वायलेशन था (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : मेरी बात सुनिये, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री हरिशंकर भाभड़ा ; वह वायलेशन था, वह वायलेशन अब नहीं हो सकता है।

श्री रामनारायण चौधरी : कैसा वायलेशन था ? (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : प्लीज, प्लीज जस्ट टू मिनट (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : कौनसा वायलेशन था ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : इसलिये वायलेशन था कि जब डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया, डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिये उनका नाम आ गया और उन्होंने चुनाव लड़ लिया। उस हालत में वह डिप्टी स्पीकर रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं....

श्री रामनारायण चौधरी : हां, ठीक है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : नहीं लड़ सकते हैं तो इसका मतलब उनका रेजिग्नेशन नहीं हुआ (व्यवधान) और डिप्टी स्पीकर....

श्री रामनारायण चौधरी : डिप्टी स्पीकर और स्पीकर नहीं हों, तो किताबों में लिखा हुआ है, नियमों में लिखा हुआ है, दोनों नहीं होंगे तो इसमें क्या व्यवस्था होगी ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हां, इसलिए मैंने कहा कि गलत हुआ। उस समय प्रोटेम स्पीकर होना चाहिये था, क्योंकि डिप्टी स्पीकर का पद भी वेकेंट हो गया था और स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया था, तो उस गलती को हम दोहरायें, यह जरुरी नहीं है। बार बार दोहराएंगे नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं दिया था, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। तिवारी जी ने इस्तीफा नहीं दिया था वह यहां पर बैठे हुए थे डिप्टी स्पीकर....

श्री लक्ष्मण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने एक बात कही है कि गवर्नर महोदय के किसी आदेश के ऊपर हम यहां पर चर्चा नहीं कर सकते हैं और गवर्नर महोदय के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह दो बिलकुल विपरीत चीजें हैं। यहां पर कहीं पर भी गवर्नर साहब के आचरण पर कोई चर्चा नहीं की जा रही है। यह सर्वविदित है, पूरा देश और प्रदेश जानता है कि कोई भी जो एक्जीक्यूटिव आर्डर निकाला जाता है, चाहे कोई छोटा-सा ठेका भी अगर एक्सीक्यूटिव इंजीनियर देता है तो वह भी गवर्नर के नाम से दिया जाता है। हमारे यहां पर इस बात को प्रस्तुत करने का आशय यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकार ने गवर्नर महोदय को+++ किया है। गवर्नर को आर्टिकल 180 के अन्दर इस तरह से जहां पर अधिकार नहीं है, सरकार की सलाह को मानकर के प्रजातंत्र के अन्दर जो सरकार होती है उसकी सलाह को मानने के लिये गवर्नर बाध्य होता है इसलिये हमारा आरोप सरकार के ऊपर है। हम गवर्नर महोदय के आचरण के ऊपर कहीं भी कोई भी टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं और, उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, गवर्नर महोदय का जो अभिभाषण हुआ है वह किसका अभिभाषण है....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह : क्या वह सरकार का अभिभाषण नहीं है ? उन गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर चार दिन तक यहां पर बहस होती है। कल तो आप कहेंगे कि उनके अभिभाषण के ऊपर भी चर्चा नहीं हो।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : क्या आप यह समझते हैं कि गवर्नर साहब बिना सोचे समझे यह सिफारिश मान लेंगे ? क्या बात कर रहे हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी, आपने और आपकी सरकार ने+++ किया

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री लक्ष्मण सिंह)

है। आपने आर्टिकल 180 का+++ किया है और आप स्वयं कह रहे हैं कि पहले, अभी माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने जो उदाहरण दिया कि पहले गलती कर दी गयी वैसी गलती हम नहीं करेंगे तो इस प्रकार इसका मतलब है कि आप उस वक्त जो अध्यक्ष थे यहां पर, उनके आचरण पर टीका–टिप्पणी कर रहे हैं। उस गलती के लिये आप उन पर आक्षेप लगा रहे हैं कि उन्होंने गलती कर दी....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैंने किसी का नाम नहीं लिया। यह आप ले रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : आप रुलिंग भी सुन लीजिये। विराजिये आप।

श्री लक्ष्मण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्य मंत्रीजी को इस बात को समझना चाहिये कि परम्परा पड़ चुकी है। या तो उस परम्परा को सुधारा जाये....

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप।

श्री लक्ष्मण सिंह : या इस नियम की अवहेलना की गयी है. ..

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। I disallow this point of order.

श्री लक्ष्मण सिंह : उसके लिये दोषी सरकार है।

श्री उपाध्यक्ष : I disallow this point of order. विराजिये आप। (व्यवधान) विराजिये आप।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : माननीय उपाध्यक्षजी, आपने फैसला रिजर्व भी नहीं रखा और परिणाम बता दिया ? वैसे आप "रिजर्व रखता हूं और परिणाम बताता हूं"।

श्री भीमसेन चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा 295 का प्रश्न था एक....

श्री उपाध्यक्ष : वह मैं कल, आप विराजिये। श्री गंगारामजी चौधरी, राजस्व मंत्री उप निवेशन विभाग की चार अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उप निवेशन विभाग की निम्नांकित 4 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (2) कोल/92, दिनांक 3.1.95 जिसके द्वारा राजस्थान उप निवेशन (इंदिरा गांधी नहर उपनिवेशव क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन और विक्रय) नियम, 1975 को और संशोधित किया गया है,

(2) अधिसूचना क्रमांक प. 4 (11) उप/81 दिनांक 6.3.95 जिसके द्वारा उपनिवेशन विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमश: दिनांक 30–9–78 एवं 30-4-82 को उपांतरित करते हुए कतिपय अधिकारियों की शक्तियों में परिवर्तन किये गये हैं;

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 4(1) कोल/95, दिनांक 14.3.95 जिसके द्वारा

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गंगाराम चौधरी)

राजस्थान गेलेंट्री अवार्डस (कैश रिवार्डस एण्ड लैंड ग्राण्ट्स) नियम, 1966 को और संशोधित किया गया है एवं (4) अधिसूचना क्रमांक प. 3(54) राज/उप/87, दिनांक 4-1-95 जिसके द्वारा राजस्थान उप निवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन तथा विक्रय) नियम, 1975 के नियम, 24 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर को भू-आवंटन हेतु शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह कौशल, ऊर्जा मंत्री, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 1992-93 सदन की मेज पर रखेंगे।

प्रतिवेदन

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन, 1992-93

श्री रघुवीरसिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 75 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 1992-93 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाबसिंह शक्तावत, सभापति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, 1994-95 समिति का प्रथम प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगे।

(14.00)

समिति का प्रतिवेदन

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, 1994-95 का प्रथम प्रतिवेदन

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (वल्लभनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, 1994-95 समिति का प्रथम प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

घोषणा

आय-व्ययक (बजट) 1995-96 पर सामान्य वाद-विवाद के लिये समय का बंटवारा

श्री उपाध्यक्ष : आय-व्ययक बजट, 1995-96 पर सामान्य वाद-विवाद के लिये समय का बंटवारा।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि वार्षिक वित्तीय विवरण आय-व्ययक वर्ष, 1995-96 पर सामान्य वाद-विवाद के लिये लगभग 16 घंटे उपलब्ध हैं, उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिये समय का बंटवारा इस प्रकार करता हूं,....(व्यवधान)....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दो मिनट मेरी सुन लीजिये। (व्यवधान) दो घंटे तो मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण पढ़ने में लगाये और आप सिर्फ 16 घंटे देकर.... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप 16 घंटे से ज्यादा बढ़ाइये। मेरा आपसे नम्र

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

निवेदन है कि इसको 16 घंटे से ज्यादा बढ़ाइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : भारतीय जनता

पार्टी	—	7 घंटे 40 मिनट
भारतीय कांग्रेस पार्टी	—	6 घंटे 05 मिनट
जनता दल	—	30 मिनट
सी.पी.एम.	—	05 मिनट
निर्दलीय	—	01 घंटा 40 मिनट

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस कहां गयी ?

श्री उपाध्यक्ष : आपके व्यवधान में गयी। बजट पर सामान्य वाद-विवाद.... (व्यवधान) माननीय, नहीं कांग्रेस तो व्यवधान में नहीं गयी। (व्यवधान) माननीय श्री चन्दनमलजी साहब, बोलिये।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल बड़े जोर-शोर से हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बात पर चिन्ता प्रकट कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार में विधान सभा के चुनावों में हार गयी। कांग्रेस पार्टी की उनको बड़ी चिन्ता है लेकिन मध्य प्रदेश, हिमाचल-प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हार गयी, उसकी चिन्ता उनको नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी का यह कहना है कि हम 40 साल से समाजवाद के नाम पर लोगों को बहका कर, धोखा देकर शासन में आते रहे हैं और वह जो तीन बार इस शासन में यहां आये हैं, अपनी छवि के आधार पर आये हैं। उनकी छवि तो ऐसी मालूम पड़ती है, जैसे फिल्म एक्टर्स की छवि हो, उनकी छवि को देखकर जनता उनको वोट दे देती है। जैसे हम जीत कर आये तो धोखा देकर जीत कर आये हों और आप जीत कर आते हैं, तो छवि पर जीत कर आते हैं, यह प्रजातंत्र का मखौल उड़ाने का तरीका आपका है।

मैं पूछना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, राजस्थान में जनता ने आपको कब शासन में आने का अधिकार दिया ? तीनों बार आपको बहुमत नहीं दिया। आप जोड़-तोड़ कर, किसी दूसरी पार्टी से मिलकर, कभी निर्दलीयों को मिलाकर शासन में आये। राजस्थान की जनता ने आपको पूर्ण बहुमत आज तक नहीं दिया। कांग्रेस को पांच बार लगातार बहुमत दिया। सन् 1977 में जब कांग्रेस हारी, आपका शासन आया और उसके बाद फिर 1980 से 85 और 1985 से 90 तक कांग्रेस को जनता ने बहुमत दिया तो आपका यह कहना कि हम तो धोखा देकर, समाजवाद का नाम देकर वोट लेते रहे और आप अपनी छवि के आधार पर ले रहे हैं। तो आपकी छवि आपको ही मुबारक हो, हमको ऐसी छवि नहीं चाहिए।

यह प्रजातंत्र का तरीका है, एक पार्टी कभी हारती है, दूसरी पार्टी कभी जीतती है। आज आप शासन में हैं, 1977 में आप शासन में थे, 1980 में फिर हम शासन में आ गये। यह उलट-फेर हमेशा होता रहता है। उसमें दुःख करने की कोई बात नहीं है। 1977 में हम शासन से चले गये।

(श्री चन्दनमल बैद)

फिर हम दस साल तक शासन में आये। नीतियों के बारे में, समाजवाद के बारे में और वाद के बारे में आप बात करना चाहते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वाद तो हमेशा जनता के हित में बदलता रहता है, बदलना पड़ेगा। समाजवाद को हमने छोड़ा नहीं है। समाजवाद को छोड़ते तो 20 लाख लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनके लिये 20 लाख मकान बनाने की घोषणा हमारी कांग्रेस सरकार दिल्ली में बैठकर बजट के आधार पर नहीं करती और अगर हम समाजवाद को छोड़ देते तो 126 ब्लाकों में एश्योर्ड एम्प्लायमेंट के नाम पर एक करोड़ रुपया एक ब्लाक को जो हम दे रहे हैं, वह शायद नहीं देते। आज आप 300 करोड़ रुपये की सड़क की जो नीति बना रहे हैं, उसमें यह पैसा भी शामिल है। मुझे यह मालूम है, यह नीति आपकी नहीं है, यह नीति तो भारत सर-कार के पैसों पर बनी हुई है। पूछ लीजिये इनसे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे ? यह नीति आपकी नीति नहीं है, यह तो भारत सरकार की नीति है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यहां विधान सभा में बोलते वक्त लच्छेदार भाषा या लुभावनी बातें कहकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश नहीं करें। विरोधी दल में रहकर आपने यह कर्तव्य सीखें हैं, मेहरबानी करके सत्ता पक्ष में जाकर इन कर्तव्यों को भूलने की कोशिश कीजिये। आपने तीन साल पहले, अभी सरदार साहब पुरानी बात बता रहे थे, तीन साल पहले अपन ने जो आठवीं पंचवर्षीय योजना पास करवायी, उसके बारे में पीठ ठोकते-ठोकते तीन साल आपको हो गये। आपके हाथ थक गये होंगे, पीठ भी लाल हो गयी होगी। उसको तो आप ठोक रहे हैं और अभी मार्च के महीने में टैंथ फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट आयी है उसके बारे में आप नहीं बोलें। अच्छी बात हो जाए। भारत सरकार की मेहरबानी से, कृपा से उसके लिये श्रेय चाहते हैं और जिस चीज में आप हार जाएं अपनी गलती से, उसको स्वीकार नहीं करते।

मैं आपको टैंथ फाइनेंस कमीशन के बारे में और आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में भी विस्तार से आगे बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं एक बात आपसे निवे-दन करना चाहता हूं, आप कह रहे थे कि आपने इस साल में इतना किया, हमने इतना कर दिया, हमने यह काम कर दिया और आप इतने साल में यह भी नहीं कर सके। खासकर ब्रोडगेज के बारे में आपने कहा कि हम तो इतनी ब्रोडगेज ले आये और आप इतने सालों में जरासी भी ब्रोडगेज नहीं ला सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना और आज चल रही है आठवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना के पांच साल में और आपकी आठवीं पंचवर्षीय योजना में करीब-करीब पांच साल इस वास्ते हो गये कि तीन साल तो पूरे हो गये और दो साल एक वर्षीय योजना के पूरे हो गये। तो पांच साल आपके भी हो गये, इस पांच साल में, आपके पांच साल में आपने ग्रोथ रेट दिखाया है 6.14 प्रतिशत और हमने अपने पांच साल में ग्रोथ रेट दिखाया है 6.41 प्रति-शत। आप इतना बड़ा प्लान ले आये, जिस प्लान को आप कहते हैं 300, कितना प्रति-

(श्री चन्दनमल बैद)

शत है, मुझे तो याद भी नहीं रहा ? 388 प्रतिशत या 288 प्रतिशत ? कितना बड़ा आप प्लान ले आये ? इतना बड़ा आप प्लान ले आये, इतना बड़ा प्लान लाने के बाद में भी आपकी ग्रोथ रेट तो हमारे 3000 करोड़ रुपये के प्लान को हमने जो पूरा किया है, उससे नीचे रह गयी और उसके बाद पावर के जो प्लांट्स लगे, इंस्टालेशन हुआ, उस इंस्टालेशन के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने सातवीं पंचवर्षीय योजना में 569 मेगावाट का नया जनरेशन किया और आपके इस पांच साल में आपने जनरेशन किया है 274 मेगावाट। आप यह कह रहे हैं, ग्यारह हजार-पांच सौ, जिसकी आप वाहवाही लूटते-लूटते थकते नहीं है, उसके अन्दर तो आपने 274 मेगावाट की नयी पावर जनरेट की है और हमने आपसे कम प्लान लेकर के 569 मेगावाट की नयी पावर जनरेशन किया। तो ग्रोथ रेट से आपसे आगे, पावर के जनरेशन में आपसे आगे। और सड़कों के बारे में, जिसकी नीति आपने बनायी है, हमने पांच साल में 14,666 किलोमीटर सड़कें बनायी हैं और आपके इन पांच सालों में आपने 7625 किलोमीटर ही बनायी हैं। तो हमने आप से दुगुनी सड़कें बनायीं, पावर आप से ज्यादा पैदा किया। ग्रोथ रेट हमारी आप से बढ़ी रही फिर भी आप यह कहते रहते हैं कि हम तो ब्रोडगेज ले आये। जैसे ब्रोडगेज की लाइन इन्होंने ही बिछाई है।

डा. हरिसिंह (फुलेरा)। उपाध्यक्ष महोदय, जाफर शरीफ साहब ने मुख्य मंत्रीजी को क्या बात कही थी, क्या मुख्य मंत्रीजी उस बात को दोहरा देंगे। जाफर शरीफ साहब ने जो कहा था, आप उनसे मिले थे, तो उस वक्त आपने यह कहा था कि हमारी जिंदगी में तो ब्रोडगेज यहां नहीं आने वाली है, यह आपने जाफर शरीफ साहब से कहा था। (व्यवधान) जाफर शरीफ साहब ने रेलवे स्टेशन पर यह कहा था, भैरोंसिहजी, आपके जिंदा रहते हुए मैं ब्रोडगेज ले आया हूं। यह सत्य है, क्या इससे आप मुकर जाएंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से बजट के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आपने 1995-96 के बजट में राजस्व घाटा 824 करोड़ 93 लाख रुपये बताया है और बजट घाटा 309 करोड़ का बताया है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल बजट पर बोलते समय मैंने यह कहा था कि बजट घाटा, राजस्व घाटा राज्य की वित्तीय स्थिति का सही दिग्दर्शन नहीं है। क्यों नहीं है कि बजट घाटे को तो आप उधार पैसा लेकर भी पूरा कर सकते हो, जैसा कि आपने किया है, मैं अभी बताऊंगा, लेकिन राजकोषीय घाटे को आप उधार पैसा लेकर पूरा नहीं कर सकते हैं, वह सही स्थिति का दिग्दर्शन कराता है कि आपकी वित्तीय स्थिति की सही स्थिति क्या है और वह मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका राजकोषीय घाटा 3170.99 करोड़ का है, जो सचमुच में एक सोचनीय स्थिति है और यह आपका नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का

(14.11)]

(श्री किशन मोटवानी, सभापति, पदासीन।)

11 पर्सेंट है जबकि सारे इकोनोमिस्ट इस बात को मानते हैं कि राजकोषीय घाटा

(श्री चन्दनमल बैद)

किसी हालत में भी स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से 5 प्रतिशत से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इस साल भारत सरकार ने भी अपना राजकोषीय घाटा डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 5 प्रतिशत पर रखा है। लेकिन आपका स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के राजकोषीय घाटा 11 प्रतिशत है। पिछली साल यह साढ़े नौ प्रतिशत था। मैंने पिछले साल भी इसका एतराज किया था लेकिन आपको एतराज की कोई परवाह ही नहीं है। आप कहते हैं कि मुझे सलाह दो, विधान सभा में विचार-विमर्श करो जिससे मुझे ताकत मिले, मुझे मालूम पड़े। इस विचार-विमर्श से क्या फायदा है, आपको सलाह देने से क्या फायदा है, क्योंकि आप तो हमारी सलाह पर काम करेंगे नहीं। पहले आपने साढ़े नौ प्रतिशत रखा है उस घाटे को और आज आपने इस घाटे को 11 प्रतिशत कर दिया।

अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका जो राजकोषीय घाटा है वह राजस्व आय का 44 प्रतिशत है। आपकी राजस्व आय है 7163 करोड़ और आपका राजकोषीय घाटा है 3170 करोड़ 99 लाख। तो जितनी आपकी आय है उससे करीब 44 प्रतिशत से अधिक तो आपका राजकोषीय घाटा है। अब मैं इस सिलसिले में यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने बड़ी वाहवाही लूटी थी 27 तारीख को यह कह कर कि 1994-95 का बजट मैंने संतुलित कर लिया, संतुलित ही नहीं किया 66 करोड़ का मुनाफा दिखा दिया। वह क्या करामात की आपने? वह करामात आपने यह की, जैसा कि मैं अभी निवेदन कर रहा था कि आपने कर्जा लेकर इस चीज को पूरा कर दिया। मैं इसको साबित करूंगा अभी आपके सामने कि आपने 1994-95 में बजट एस्टिमेट में और रिवाइज एस्टिमेट के बीच में जो आपकी उधार और अन्य देनदारियां हैं, बजट एस्टिमेट में थी 2022 करोड़ 98 लाख और रिवाइज एस्टिमेट में वह उधार वाली देनदारियां हो गयीं 3255 करोड़ 38 लाख। यानि इसमें आपने उधार और देनदारियों में 1200 करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी करके और यह वाहवाही लूट ली कि मैंने 1994-95 का बजट संतुलित कर लिया।

सभापति महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप यह कहते कि मैंने देनदारिया बढ़ा करके कम से कम कोई प्लान का काम बढ़ा लिया या कोई दूसरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर लिया, प्लान का इन्वेस्टमेंट कर लिया तो मैं मानता। लेकिन आपने किया क्या? आपने यह किया कि नोन प्लान एक्सपेंडिचर को, जो पहले बजट एस्टिमेट में 5566 करोड़ 4 लाख था उसको बढ़ा करके नोन प्लान एक्सपेंडिचर को आपने 6846.07 लाख कर लिया। मतलब आपने नोन प्लान एक्सपेंडिचर को 1282 करोड़, 3 लाख बढ़ा दिया। मैं एग्जैक्ट फिगर बता दूं नहीं तो कल यह कहेंगे कि आपने एग्जैक्ट फिगर नहीं बताया।

अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप कहेंगे राजस्व आय, आपने अभी भाषण में कहा था कि, "राज्य सरकार द्वारा मितव्ययता तथा गैर-आयोजना मदों में परिहार्य व्यय कम करने हेतु किये गये प्रयासों, राजस्व प्राप्तियों में बढ़ोतरी व अतिरिक्त संसाधनों तथा अल्प बचत के बेह-

(श्री चन्दनमल बैद)

तर संग्रहण के फलस्वरूप 1994-95 के संशोधित अनुमानों में इस घाटे को पूरित कर चालू वर्ष का बजट संतुलित कर लिये जाने की पूर्ण सम्भावना है।" अब आपका राजस्व कितना बढ़ा ? आपका राजस्व बढ़ा है 380.42 करोड़। बजट एस्टिमेट जो है रिवाइज एस्टिमेट है उस में आपका राजस्व बढ़ा है 380 करोड़ 42 लाख, और राजस्व खर्चा बढ़ा है 1217 करोड़। अब कहते हैं मैंने खर्चे कम कर दिये। तो खर्चे तो आपने 1217 करोड़ बढ़ा दिये और राजस्व बढ़ाया तो राजस्व 380 करोड़ बढ़ाया है। सभापति महोदय, यही नहीं, नोन प्लान एक्स्पेंडिचर तो इन्होंने 1300 करोड़ बढ़ा लिया और प्लान एक्स्पेंडिचर है वह पहले यह करना चाहते थे 2845 करोड़ 74 लाख, उसको आपने किया है 2036 करोड़ 24 लाख। मतलब आपने प्लान एक्स्पेंडिचर को 9 करोड़ कम किया। अभी कल आप बहुत जोर से कह रहे थे कि हम सारे देश में राजस्थान, एक ऐसा स्टेट प्लान लेकर आते हैं उससे ज्यादा खर्च करते हैं। यह आपके आंकड़े बता रहे हैं कि आप जो प्लान लेकर आये उससे कम खर्च आपने किया। या तो यह किताब गलत है या आप गलत हैं, दोनों में से एक चीज तो गलत है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, बता दो। कोई गलत नहीं है, मैं बता दूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : दोनों में से एक चीज तो गलत है, क्योंकि यह इसमें लिखा है प्लान एक्स्पेंडिचर, जिसके पास भी यह किताब और बजट एट ए ग्लांस है, यह देख सकते हैं। प्लान एक्स्पेंडिचर, अब आप कहते हैं कि मैं बता दूंगा। क्या बता देंगे ? जोर-जोर से बोल करके बता देंगे क्या, क्या बता देंगे ? यह तो आप जानें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : डांटेंगे डिप्टी सैक्रेटरी को।

श्री चन्दनमल बैद : हां, डांटेंगे। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डांटने से न तो एक्स्पेंडिचर बढ़ेगा और न ही कम होगा।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, अब यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1994-95 के बजट के सिलसिले में मैंने बोलते हुए राजस्थान पर जो बेतहाशा कर्जा बढ़ रहा है उसके बारे में अपने विचार प्रकट किये थे। उस समय चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने मुझे टोक कर कहा था कि आन्तरिक ऋण तो कम किया है और केवल जो पब्लिक अकाउण्ट है जिसमें स्माल सेविंग, पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड और इस तरह के जो अकाउण्ट हैं वह बढ़े हैं। मैं जरा उदाहरण देकर बताना चाहता हूं कि सन् 1995-96 के 31 मार्च, 1996 को आपका कर्जा दो हजार करोड़ रुपये बढ़ जाएगा। आप हर साल दो हजार रुपये का कर्जा राजस्थान पर बढ़ा रहे हैं। अब आप वह बराबर कम्पेरीजन करते हैं तो मुझे भी थोड़ा कम्पेरीजन करना पड़ता है। 31 मार्च, 1990 को जब आपने हम से राज संभाला उस समय राज्य पर इंटरनल डेब्ट था 1083 करोड़, सैंट्रल लोन था 3299 करोड़ और पब्लिक अकाउंट का 1028 करोड़। कुल कर्जा था राजस्थान राज्य पर 5411 करोड़ और आज 31 मार्च, 1996 को यह कर्जा होगा, इंटरनल डेब्ट होगा 2658 रुपये, केन्द्र सरकार का ऋण होगा 6361 करोड़,

(श्री चन्दनमल बैद)

लोक लेखे का होगा 4967 करोड़, कुल कर्जा होगा 13,966 करोड़, यानि आपने इन छह सालों के अंदर कर्जे को 11,468 करोड़ रुपये बढ़ा दिया। दो हजार रुपये हर साल और इस साल भी दो हजार ही बढ़ाये हैं। पिछले साल था यह कर्जा ग्यारह हजार कुछ और इस साल हो गया है तेरह हजार और कुछ। तो इस तरीके से यह हर साल दो हजार करोड़ का कर्जा हमारे पर बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले साल से इस साल आपकी आमदनी बढ़ रही है, इस साल से राजस्व आय आपकी बढ़ी है वह 11011 करोड़ रुपये और कर्जा बढ़ा है 2500 करोड़ से ज्यादा। जितनी आपकी आमदनी बढ़ी है, कर्जा उससे दुगुने से ज्यादा बढ़ा है। राजस्व व्यय बढ़ा है आपका 1453 करोड़ रुपये, आमदनी बढ़ी है 11011 करोड़ और खर्चा बढ़ा है आपका, राजस्व आय और राजस्व व्यय की ही तुलना कर रहा हूं मैं, 1453 करोड़ रुपये मतलब आमदनी से ज्यादा आपने तीन सौ करोड़ खर्चा बढ़ाया है और इस वास्ते आप कर्जा ले लेकर, अपने राजस्व व्यय की पूर्ति कर रहे हैं। वह पैसा कहां से ले रहे हैं? कैपिटल रिसीप्ट्स से। बहुत से लोग तो कहते हैं कैपिटल रिसीप्ट्स तो पूंजी है। मैं कैपिटल रिसीप्ट्स की जरा परिभाषा करना चाहता हूं। कैपिटल रिसीप्ट्स में, इसमें लिखा हुआ है ऋणों की वसूली, वह कैपिटल रिसीप्ट है। दूसरों को जो ऋण दिया, उसकी जो वसूली करते हैं वह कैपिटल रिसीप्ट्स है। वह आपका इस साल का नब्बे करोड़, अन्य प्राप्तियां जीरो, उधार एवं देनदारियां, जो उधार ले रहे हैं आप, वह 2,861 करोड़ 99 लाख रुपये ले रहे हैं। यह सारा का सारा पैसा जितना भी है यह उधार है। इस उधार को लेकर आप रोजमर्रे का खर्चा पूरा कर रहे हैं। यही नहीं इससे सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि आमदनी से ज्यादा खर्चा होने से सबसे बड़ी गड़बड़ यह हो रही है कि हमारे जो एसेट्स हमने आलरेडी क्रियेट किये हुए थे, हमारे जो रोजमर्रा के काम हैं, हमारी जो स्कूल खुली हुई हैं, हमारे जो अस्पताल खुले हुए हैं, हमारी जो सड़कें बनी हुई हैं, यह हमारे जो एसेट्स बने हुए हैं, उनकी पूरी देखभाल नहीं हो रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, शायद यहां शिक्षा मंत्रीजी विराज रहे हैं, वह बतायेंगे हमको कि आज के दिन, 31 मार्च, 1995 के दिन कितने हजार अध्यापकों के स्थान रिक्त पड़े हुए हैं? मैंने आपको पत्र लिखा, आपने अपने डायरेक्टर को पत्र लिखा कि चन्दनमल जी मुझे बराबर शिकायत कर रहे हैं कि इनके यहां इतनी पोस्ट खाली पड़ी हैं, वह क्यों नहीं भरी गयी और कब तक भर दी जाएंगी, यह मुझे बताया जाए। आप कहें तो मैं वह पत्र पढ़कर सुना दूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : व्याख्याताओं के अलावा कोई पद रिक्त नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप मेहरबानी करके खड़े होकर कह दीजिये कि एक भी अध्यापक की पोस्ट रिक्त नहीं है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : थर्ड ग्रेड और सैकण्ड ग्रेड, दोनों में से दो सौ चौतीस

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

केवल थर्ड ग्रेड में वेकेंट हैं सारे राजस्थान में, सैकण्ड ग्रेड में केवल तिरासी वेकेंट हैं, व्याख्याताओं के ग्यारह सौ दो वेकेंट हैं, हैड मास्टरों के तीन सौ चौंतीस वेकेंट हैं, वाइस प्रिंसिपल के प्रमोशन की, दोनों के मुकदमों के कारण से लगभग ग्यारह या बारह सौ रिक्त हैं और प्रिंसिपल के केवल चौरासी रिक्त हैं।

श्री चन्दनमल बैद : थर्ड ग्रेड के ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : थर्ड ग्रेड कह रहा हूं ना, आज की तारीख में थर्ड ग्रेड के दो सौ चौंतीस रिक्त हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : प्राइमरी स्कूल के, यह झगड़ा वहीं का है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : प्राइमरी के भी बतायें ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : प्राइमरी, नहीं यह मैं अपने आप से कह रहा हूं। दो सौ चौंतीस।

श्री चन्दनमल बैद : प्राइमरी का आप बता दीजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : प्राइमरी एजुकेशन का भी बता दें।

श्री नाथू सिंह : प्राइमरी में, जिनमें सिंगल टीचर स्कूल थे, तीन हजार छह सौ के आसपास हैं, उनमें डबल टीचर लगाने की व्यवस्था कर दी, आदेश कर दिये। (व्यवधान) आप पहले सुन लीजिये। (व्यवधान) जो नयी स्कूलें खोली हैं उनके लिये हाथों-हाथ अध्यापकों के पद दे दिये हैं लेकिन हाईकोर्ट का स्टे आने के कारण डिले हो गया। प्रोसेस जारी है। प्राइमरी में अध्यापकों की कोई कमी नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : दौसा जिले में एक भी अध्यापक नहीं लगाया (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : अभी आपने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि नागौर जिले में पंचायत समिति की स्कूलों में सात सौ से ज्यादा पद खाली हैं। एक जिले में इतने खाली हैं तो पूरे राजस्थान में कितने खाली होंगे ? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी आप बैठे।

श्री नाथूसिंह : अब हमने जो नयी व्यवस्था की है। पूरे पद भरने के बाद आज एक भी पद खाली नहीं है।

श्री हरजीराम बुरड़क : एक ज़िले में सात सौ से ज्यादा पद खाली हैं, तो राजस्थान में कितने होंगे ?

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी बैठे। अब आप माननीय चन्दनमल जी बोलें।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सभापति महोदय, मैं जो पाइंट क्वेरी करना चाहता था वह तो क्वेरी हो गया। आज अध्यापकों के इतनी मेहनत करने के बाद, हमारे इतने पत्र लिखने के बाद भी हजारों पद सारे राजस्थान में खाली पड़े हुए हैं। वह इस वास्ते है कि आपकी आमदनी, राजस्व-आय राजस्व खर्चे से कम है। आप क़र्जा ले-लेकर अपना काम चला रहे हैं।

इसी तरीके से अस्पतालों में भी सैंकड़ों, हजारों डाक्टरों के पद खाली है।

(श्री चन्दनमल बैद)

मैंने एक प्रश्न पूछा था, उसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्रीजी ने मुझे कहा है कि पांच सौ कितने ही डाक्टरों के पद खाली हैं। लेकिन मैं कहता हूं वह सही नहीं है। क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कि तारानगर में आठ पोस्ट थी, आठ की आठ भरी हुई हैं। स्थिति यह है कि आठ में से छह पोस्ट भरी हुई हैं। दो लम्बी छुट्टी पर गये हुए हैं, आठ में से चार पोस्ट भरी हुई हैं। हजारों डाक्टरों की पोस्ट खाली हैं। अस्पताल की स्थिति यह है कि आज अस्पतालों में जाइये, यहां तक कि सवाई मानसिंह अस्पताल में भी जाइये आपरेशन कराने के लिये तो रूई, गाज और गाज ही नहीं दवाई और टांके लगवाने के लिये सूई भी साथ लेकर जाइये, टींचर भी साथ लेकर जाइये। यह एक बार नहीं मैंने कई बार देखा हैं। यह स्थिति है आपकी। क्यों है ऐसी आपकी स्थिति? क्योंकि आप कर्जा लेकर काम करना चाहते हैं, अपनी आमदनी नहीं बढ़ानी चाहते। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इजाजत दें तो थोड़ा....(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : आप रोजमर्रे के खर्चे के लिये कर्जा ले रहे हैं, मैं यह साबित करूंगा कि आप प्लान चलाने के लिये भी कर्जा ले रहे हैं और फिर कर्जा चुकाने के लिये, कर्जे का ब्याज चुकाने के लिये भी कर्जा ले रहे हैं। इस साल बारह सौ करोड़ रुपया कर्जा और ब्याज चुकाने के लिये आपको देना पड़ेगा। यह सब आपकी किताब में लिखा हुआ है। मैं जबानी नहीं कह रहा हूं। बारह सौ करोड़ रुपये, यह लिखा हुआ है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमारी किताब खुली है, हम छिपाते नहीं हैं।

श्री चन्दनमल बैद : मेरी किताब खराब है....(व्यवधान) 1234.72 करोड़ और बीच इंटरेस्ट पेमेंट, राजस्व खाते में इंटरेस्ट पेमेंट होगा 1234.72 करोड़।

यह हालत इस राज की हो कि रोजमर्रे का खर्चा चलाने के लिये आप कर्जा लें, योजना चलाने के लिये आप कर्जा लें और ब्याज चुकाने के लिये भी आप कर्जा लें, वह राज कितने दिन तक चलेगा। मुझे इसमें बहुत खतरा मालूम पड़ता है कि बहुत जल्दी दीवालिया होगा। किसी समझदार आदमी ने कहा है कि पछतावे तीन जणा "पूंजी थोड़ी धर्मा घणा", पछतावे तीन जणा "आमदनी थोड़ी खर्चा घणा", पछतावे तीन जणा "कमजोर शरीर और गुस्सा घणा"। तो आप तो क्या पछताएंगे, पछताएंगी तो राजस्थान की जनता।

आपने उस 11 हजार 500 करोड़ के प्लान की बड़ी वाहवाही लूटी है। वह प्लान आप किस तरह से पूरा करेंगे, यह मैं आप ही की किताब से नोट करके लाया हूं। बेलेंस फ्राम करेंट रेवेन्यू 583 करोड़, स्टेट एंटरप्राइजेज माइनस (-) 379 करोड़, मार्केट बोरोइंग 1269 करोड़, शेयर और स्माल सेविंग, यह लोन है 1825 करोड़, प्रोवीडेंट फण्ड, यह भी लोन हैं 1521 करोड़, नेगोसियेटेड लोन 493 करोड़, कैपीटल रिसीप्ट्स (-) 833 करोड़, प्लान रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट भारत सरकार से मिलेगी 752 करोड़, ए.आर.एम. एण्ड बोयेंसी 2 हजार 827 करोड़। यह बोयेंसी होगी जो हर साल आपकी आमदनी बढ़ जाती हैं। सेंट्रल असिस्टेंस, यह भी कर्जा है,

Page No. 124

(124)

(श्री चन्दनमल बैद)

1 हजार 770 करोड़, एक्सटर्नल एडेड, यह भी लोन है 1 हजार 663 करोड़। ग्यारह हजार पांच सौ करोड़ रुपये के आपके प्लान में नौ हजार करोड़ रुपये का आप कर्जा लेंगे। मुझे कोई दुःख नहीं है इस बात का कि कर्जा लेकर के अगर आप कुछ कैपिटल इन्वेस्टेटमेंट करते हैं, कुछ आप स्थाई सम्पत्ति बनाते हैं या प्लान पूरा करते हैं लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं यह जो आपने कर्जा लिया है इस कर्जे का ब्याज कितना पर्सेंट है ? स्माल सेविंग्स का तो 14-15 पर्सेंट है। भारत सरकार किस रेट पर आपको कर्जा देती है मुझे पता नहीं लेकिन मैं सेफली यह सोच सकता हूं कि दस पर्सेंट का तो कम से कम आपको ब्याज देना ही पड़ेगा। नौ हजार रुपया प्लान पूरा करने के लिये आप 900 करोड़ रुपया ब्याज देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि जो प्लान पूरा करेंगे उससे 900 करोड़ रुपये साल की आपकी आमदनी हो जाएगी क्या ? अगर 900 करोड़ रुपये की आपकी आमदनी नहीं हुई तो नतीजा क्या निकला, नतीजा तो यही निकला कि फिर कर्जे पर कर्जा। तो फिर इस विशियस सर्किल से आप कैसे बाहर निकलेंगे ?

उस दिन हमको कह रहे थे, यह बता रहे थे कि हमने तो आपसे कम कर्जा लिया है, अब यह सारी फिगर्स आपके सामने है। हमने तो चालीस साल कहिए, तीस साल कहिए, पच्चीस साल कहिए उतने सालों में पांच हजार और कुछ कर्जा लिया और आपने 6 साल में ही साढ़े आठ हजार कर्जा बढ़ा दिया।

एक माननीय सदस्य : और बढ़ा देंगे।

श्री चन्दनमल बैद : बढ़ा देंगे नहीं, हर साल बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने का रीजन है कि जो कर्जा लेते हैं उसका ब्याज देना पड़ेगा। कर्जा चुकाना पड़ता है फिर और कर्जा, कर्जे को चुकाने के लिये कर्जा। प्लान के बारे में मैं आपसे निवेदन कर चुका हूं, पिछले साल मैंने निवेदन किया था जब मैं बोल रहा था तो उस समय हर राजस्थान के नागरिक पर 2618.95 पैसे कर्जा था, 31 मार्च, 1995 को आप पर, मेरे पर, सब पर 2618 रुपये 95 पैसे कर्जा था और अब एक साल के बाद आपकी कृपा से वह कर्जा बढ़कर 3178 रुपये 60 पैसे प्रति व्यक्ति हो गया है।

अभी उप मुख्य मंत्रीजी यहां पर मौजूद नहीं है। सभापति महोदय, जब हमारे महुआ से आने वाले माननीय सदस्य ने टेंथ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के बारे में चर्चा की तो बड़े नाराज हुए। हमारा डिवोल्यूशन बढ़ गया, आप कैसे कह रहे हैं कि घट गया। तो मैंने उनको बताया था कि आपका नाइंथ फाइनेंस कमीशन का डिवोल्यूशन था 1 लाख 6 हजार करोड़ के अगेन्स्ट में साढ़े छह हजार करोड़। अब डिवोल्यूशन हुआ है 226 लाख करोड़ का। यानि पहले जितना डिवोल्यूशन हुआ था उससे दुगुने से भी ज्यादा डिवोल्यूशन हुआ है और आपका हिस्सा साढ़े छह हजार करोड़ से कुल बढ़ा है 11 हजार 400 करोड़। सेवंथ फाइनेंस कमीशन को आप ही ने मेमोरेंडम दिया था और दसवें फाइनेंस कमीशन को भी आप हीं ने मेमोरेंडम दिया है। दोनों दफा राजस्थान की हालत पतली हुई है। हमारा डिवोल्यूशन कम हुआ है। कारण यह है कि आपके मेमोरेंडम देने में बराबर गलतियां होती रही हैं।

(श्री चन्दनमल बैद)

दसवें फाइनेंस कमीशन के बारे में मैंने पिछले साथ, उसके पहले साल भी यह निवेदन किया था कि आपका मेमोरेंडम गलत है। मेहरबानी करके लोगों से बातचीत करके, सलाह मशविरा करके सही मेमोरेंडम दीजिए। क्योंकि यह केवल आपका काम नहीं है यह हमारा सबका काम है। लेकिन आपने नहीं सुनी। आपमें क्या पता वित्तीय प्रबन्धन की योग्यता है या नहीं मैं नहीं कहना चाहता लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सेवंथ फाइनेंस कमीशन के वक्त में जो आपने मेमोरेंडम दिया और टैंथ फाइनेंस कमीशन के लिये भी जो आपने मेमोरेंडम दिया उसमें आपके पीछे बैठे हुए लोगों में वित्तीय प्रबन्धन की कमी है, यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं।

क्या कारण है कि सारे स्टेटस में सबसे कम बढ़ोतरी आपकी हुई है ? मैं आंकड़े देकर बताना चाहता हूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपने तो पूरी पोल खोल दी।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : विकासशील अर्थव्यवस्था है।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने पर्सेंटेज जोड़ा है। आंध्र-प्रदेश का डिवोल्यूशन नाइंथ फाइनेंस कमीशन में 111 पर्सेंट बढ़ा, बिहार का 80.5 प्रतिशत बढ़ा, गुजरात का 116 प्रतिशत बढ़ा, हरियाणा का 95.7 प्रतिशत बढ़ा, कर्नाटक का 123.3 प्रतिशत बढ़ा, केरल का 103.3 प्रतिशत बढ़ा; मध्य प्रदेश का 67.5 प्रतिशत बढ़ा, उड़ीसा का 50 प्रतिशत बढ़ा, महाराष्ट्र का 80 प्रतिशत बढ़ा, पंजाब का 90 प्रतिशत बढ़ा, तामिलनाडु का 107.7 प्रतिशत बढ़ा, यू.पी. का 68 प्रतिशत बढ़ा, वेस्ट बंगाल में 69.9 प्रतिशत बढ़ा और राजस्थान का 36 प्रतिशत बढ़ा। बड़ा प्लान ले आए, उसके लिये तो मैं ले आया, मैं ले आया। सारी पीठ लाल कर ली अपनी और फाइनेंस कमीशन में आप पिट गए तो इसके लिये उलाहना किसको दूं, आपको दूं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देओ, मुझे ही देओ मैं बता दूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : दे ही तो रहा हूं। इसके लिये आपको सदन से माफी मांगनी चाहिए। अगर 6.15 प्रतिशत जो नाइंथ फाइनेंस कमीशन का डिवोल्यूशन हमको मिला था उसका कारण था कि हमारी कांग्रेस की सरकार ने अच्छा मेमोरेंडम पेश किया और अब आपका जो डिवोल्यूशन हुआ है 5.02 पर्सेंट उससे आपको, कम से कम राजस्थान को तीन हजार करोड़ का नुकसान हुआ है। रीजन क्या था ? रीजन यह था कि आपने कहा कि हम तो विकासशील प्रदेशों की गिनती में हैं इस वास्ते आपने कर्जा लेकर के अपना बजट का जो असंतुलन था वह पूरा कर लिया। फाइनेंस कमीशन ने यह कहा इन्होंने तो अपना संतुलन कर लिया है इस वास्ते इनको ग्रांट इन एड देने की जरूरत क्या है और ग्रांट इन एड नहीं दी। यह आपकी जो भूल हुई है इस भूल का नुकसान राजस्थान उठा रहा है। क्यों उठा रहा है ? कर्जा तो आखिर हमारे पर ही आ रहा है।

श्री रामस्वरूप : अपन को भुगतना पड़ेगा आगे आयेंगे जब (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

अब मैं थोड़ा सा पावर के बारे में बात करना चाहता हूं। मैंने पिछले साल भी कहा था कि आज पावर की स्थिति यह हो रही है, हमारे पावर मिनिस्टर साहब यहां हैं नहीं, वह पावर मिनिस्टर नहीं चिमनी मिनिस्टर कहलाएंगे। अब देखिए क्या मजे की बात है, 21 तारीख को विधान सभा ने पावर के लिये एक कमेटी बनायी थी, उसमें हमें यह कागज सक्यूलेट किये गये। उसमें हमें यह बताया गया कि हम 4280 मेगा–वाट के लिये प्राइवेट पार्टियों से नेगोशिएट कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। 23 तारीख को यहां महामहिम राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ था। वह कहते हैं कि हम 3200 मेगावाट के बारे में प्राइवेट पार्टियों से नेगोशिएट कर रहे हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी 27 तारीख को कहते हैं कि 4300 मेगावाट के लिये प्राइवेट सैक्टर में विचार कर रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि पावर सैक्टर में तो आपाधापी मची हुई है। अब 21, 23 और 27 तारीख में फर्क कितना है। एक हफ्ते में ही सारा मामला उलट–पलट हो गया और अब यह कह रहे हैं। मैंने पिछली दफा भी कहा था कि आप ढाई सौ मेगावाट से ज्यादा बिजली आठवीं पंचवर्षीय योजना में जनरेट नहीं कर सकेंगे। मुझे खुशी है कि आप 20 मेगावाट बिजली से आगे बढ़ गये। इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। 250 की जगह 270 पर पहुंच गये। लेकिन मैं फिर आपको चेतावनी देता हूं कि इसके बाद आपकी दूसरी कोई भी पावर जनरेशन यूनिट आठवीं पंचवर्षीय योजना में आने वाली नहीं है। सूरतगढ़ के लिये आप बहुत छाती ठोक कर कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आते, मेरी तमन्ना, मेरी दिली इच्छा है कि राजस्थान की जनता की तकलीफ कम हो लेकिन आपकी कार्य कुशलता को देखते हुए, आपकी एफीशिएंसी को देखते हुए मैं निश्चित रूप से इस बात को मानता हूं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में सूरतगढ़ नहीं आ पाएगा। दूसरी किसी योजना के आने का तो प्रश्न ही क्या उठता है। बरसिंगसर, कपूरड़ी और जालिया इनका तो पता ही नहीं है। इनमें तो 60 वर्ष लगेंगे। दीवान साहब इसका तो उद्घाटन आप करोगे। यह इनके जमाने में नहीं आने वाली है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इंशा अल्लाह।

एक माननीय सदस्य : मुंगेरी लाल के सपने हैं।

श्री चन्दनमल बैद : हां, मुंगेरी लाल के ही हैं। और यही हाल बारडोल और का है। सूरतगढ़ की आएगी नहीं और डीजल की अभी तक तो आपकी कोई बात ही नहीं हुई है। आपने डीजल भी टाइ–अप नहीं किया है। आपने भारत सरकार की अनुमति भी नहीं ली है। कागजों ही कागजों में आप घूम रहे हो, मुंगेरी लाल के सपने ले रहे हो। वह भी दो साल तो कम से कम नहीं आने वाली है। तो यह दो साल भी बीत जाएंगे और उसकी कीमत क्या होगी ? मैंने कई प्राइवेट इंटरप्रिन्योर से और इंडस्ट्रियलिस्टों से बात की थी कि डीजल सैट आपने लगा रखे हैं। क्योंकि इंडस्ट्री चलाने के लिये यह तो पावर देंगे नहीं। 75 पर्सेंट कट और जो आपने सैट लगा रखे हैं उसकी रेट क्या आ रही है ? उन्होंने कहा, चार रुपया पर यूनिट, पर केः,

(श्री चन्दनमल बैद)

डब्ल्यू. एच. चार रुपये आ रही है। उनकी चार रुपये आ रही है, इनकी क्या आएगी? पूछ लो इनसे (व्यवधान) हां, घर में ही लगा हुआ है।

धौलपुर के बारे में तो बेट, बेट, बेट, बेट। कौनसा बेट भगवान जाने? डब्ल्यू. ए. आई. टी. है या डब्ल्यू. ई. आई. जी. एच. टी. बेट है, पता नहीं है। लेकिन बेट है। बिना बेट के वहां काम नहीं हो रहा है। बेट, बेट, बेट और उसमें भी 5, 6, 7 साल लगने वाले हैं। बिजली की कमी जयपुर में तो नहीं है। जयपुर में जो लोग रहते हैं उनको तो सुबह बिजली, दोपहर बिजली, शाम बिजली मिलती है लेकिन हम जो छोटे छोटे कस्बों में, गांवों में फिरने वाले लोग हैं हमारी हालत यह है कि हम कहीं भी डाक बंगले में रुकते हैं सबसे पहले कहते हैं कि मोमबत्ती लाओ। सिगरेट, बीड़ी पीते नहीं, वहां तो दियासलाई भी पास में नहीं है वह भी लाओ। सुबह उठते ही बिजली है तो मोमबत्ती जलाओ, बिजली नहीं है तो भी मोमबत्ती जलाते हैं। क्योंकि बिजली है पता नहीं कब चली जाए, कहीं दाढ़ी बनाते वक्त कट नहीं जाए, कपड़े पहनते वक्त क्या हो जाए। तो बहुत आभारी हूं मैं आपका इस बात के लिए कि आप राजस्थान में इस केंडल कल्चर को ले आये। केंडल कल्चर ले आये आपकी बड़ी कृपा है कि यहां केंडल कल्चर आ रही है।

सभापति महोदय, कुछ दिन पहले मैंने आपका एक भाषण पढ़ा था। उसमें आपने कहा था कि दो, तीन साल में राजस्थान विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं और ज्यादा विकास अब आप मत कीजिये। जितना विकास आपने कर लिया उसको ही ठीक करते करते दस, पन्द्रह साल लग जाएंगे। 75 पर्सेंट बिजली की कटौती, किसान परेशान, विद्यार्थी परेशान, उद्योगपति परेशान, सारी जनता परेशान और पीने को पानी नहीं मिलता। 75 पर्सेंट कट, यह हालत है आपकी। यह विकास आपने कर दिया। हजारों मास्टरों की पोस्टें खाली पड़ी हैं, डाक्टरों की पोस्टें खाली पड़ी हैं, सड़कों का हाल यह है कि चलो तो चिथड़े उड़ते हैं, बहुत विकास कर दिया आपने। मैं हाथ जोड़ता हूं इससे ज्यादा विकास आप मेहरबानी करके मत करो। जनता को इतना दंड आप क्यों दे रहे हैं? उन्होंने आपको राज दे दिया, इसलिए आप इतना बड़ा दंड दे रहे हो कि आपने मुझे राज दिया तो सारी तकलीफ आपको दूंगा। मेहरबानी करके और ज्यादा विकास आप मत करो। इतने ही विकास से हम संतुष्ट हैं। इसको भी बनाने में हमें दस साल लग जाएंगे। इतनी कृपा आप हमारे पर कर दो।

श्री रामस्वरूप : हाथ जोड़कर मांग रहे हो।

श्री चन्दनमल बैद : हाथ जोड़कर ही मांग रहा हूं।

श्री रामस्वरूप : हाथ इसलिए जोड़ रहे हैं कि उधर हमें आ जाने दो।

श्री चन्दनमल बैद : सभापति महोदय, मैं एक-आध सुझाव भी आपको देना चाहता हूं। आज सैल टैक्स में तथा उद्योगपतियों को कंसेशन देने में राज्यों के बीच आपाधापी चल रही है। आप कल कह रहे थे कि

(श्री चन्दनमल बैद)

प्रधान मंत्रीजी से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी उनके प्रति भक्ति है, आपकी उनसे दोस्ती है और इस नाते आपकी बात नेशनल डवलपमेंट कौंसिल में जरूर सुनी जाएगी। जब चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हो तब मेहरबानी करके यह बात कहिये कि सेल टैक्स की रेट स्टैंडर्ड कर दी जाए। इससे एक दूसरे की कटिंग नहीं हो। आज हरियाणा के बार्डर पर रहने वाले, मेरी कांस्टीट्यूएंसी भी हरियाणा की बार्डर पर है। हरियाणा के बार्डर पर रहने वाले आपके पैट्रोल पम्पों से डीजल और पैट्रोल नहीं खरीदते। क्योंकि हरियाणा में डीजल और पैट्रोल एक रुपया, डेढ़ रुपया सस्ता है। यह कटिंग हो रही है आपकी। इस वास्ते मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके कुछ स्टैंडर्ड चीजों के सेल टैक्स की आप एकरूपता दीजिये और यह भी कोशिश कीजिये कि उद्योगपतियों को जो रियायत देने की होड़ा-होड़ लगी हुई है, कुछ कम हो। नहीं तो क्या होगा? आप इतनी रियायत दे रहे हो, कल को वह इतनी रियायत देने लगेंगे, तीसरा वह रियायत देगा। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा तो यही होगा कि हम जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं वह नुकसान उठाएंगे। उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस वास्ते मेहरबानी करके इस चीज को आप कोशिश कीजिये। पहले आपने एक मेमोरेंडम दिया था कि स्टेट्स को ज्यादा पावर दिये जाएं। उसमें आपने उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य–प्रदेश को शामिल किया था। अब वह तो छोड़िये आप। अब आप मेमोरेंडम दीजिये कि सेल टैक्स में एकरूपता हो, उद्योगों को रियायत देने में एकरूपता हो और उस पर अब आप दस्त–खत करा सकते हैं गुजरात के भी और अगर बाल ठाकरे राजी हो जाएं तो महा–राष्ट्र के भी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उनका तो मुश्किल है, वह इनके पक्ष में नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : दिल्ली के दस्त–खत करा सकते हैं, अपने दस्तखत कर सकते हैं। तो थोड़ी सी आपकी फिर, पहले वाली चीज, पहले आप चार थे, अब चार नहीं तो ढाई, पौने तीन ही सही, हो गये आज, तो वह कोशिश कीजिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में आपको कोशिश करनी चाहिये।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि स्वतंत्रता सैनानी तेजी के साथ चले जा रहे हैं। बहुत थोड़े लोग बचे हैं। उनके प्रति हमें विशेष ध्यान देना चाहिये। चाहे पेंशन के मामले में हो, उनकी कोई समस्याएं हों, हमें उनके बारे में विशेष ध्यान देना चाहिये। अगर हम विशेष ध्यान नहीं देंगे तो यह पीढ़ी चली जाएगी और इस पीढ़ी के चले जाने से, यह पीढ़ी अगर इसी तरीके से चली गयी तो हमें बड़ा भारी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। एक स्वतं–त्रता सैनानी ने मुझे एक चिट्ठी लिखी है। वह बड़े नामी स्वतंत्रता सैनानी है। उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी है। उसमें उन्होंने एक कविता कहिये या गजल कहिये या शेर कहिये। यह लिखा है–"जिसने भी जान देकर निभाया है फर्ज को, बच्चे उसी के तरस रहे हैं इकतार के लिए। अगर यही हश्र मिला हमें जंगे आजादी का तो कल कौन आएगा आगे कुर्बानी के लिये"। इस

(श्री चन्दनमल बैद)

वास्ते मैं निवेदन करना चाहता हूं, श्री अभिन्न हरीजी कोटा के रहने वाले हैं, उनकी कई समस्याएं, परेशानियां हैं जमीन के बारे में, दूसरी चीजों के बारे में। मेहरबानी करके किसी अफसर को नियुक्त कर दीजिये। उनसे बात करें, बात करके उनकी समस्याओं को हल करें। यह स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमारी हमदर्दी होगी, हमारा अच्छा कदम होगा। आप संवेदनशील हैं, मैंने कई बार आपकी संवेदनशीलता को देखा है और उसकी तारीफ भी की है आपके मुंह पर। आप संवेदनशीलता में मशहूर हैं। मेहरबानी करके स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति भी संवेदनशीलता दिखाइये।

सभापति महोदय, पर्यावरण के बारे में मुख्य मंत्रीजी ने कई बार भाषण दिये हैं। 50 साल से यहां गोल्फ क्लब और पोलो क्लब चल रहे हैं। मैंने सुना है पता नहीं सही है या गलत है। मैंने सुना है उस जमीन को आप किन्हीं जौहरियों को देना चाहते हैं जैम पार्क बनाने के लिये। अगर नहीं देना चाहते हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। अब राम निवास बाग, गोल्फ क्लब, पोलो क्लब और उसके बाद यह स्टेडियम, यह तीनों जयपुर के अंग हैं। जयपुर चारों तरफ से खूब जोर से बढ़ रहा है, इतना जोर से बढ़ रहा है, बहुत बड़ा पोल्यूशन हो रहा है। ईस पोल्यूशन में अगर यह जो तीनों अंग है, अगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट चाहे तो जो कलकत्ता का मैदान है वह खरबों रुपयों में बिक सकता है लेकिन उसको मेंटेन किया है, रखा है। इस बात से रखा है कि वह कलकत्ता का अंग है। इसी वास्ते यह जयपुर भी, जब मैं जयपुर में शुरू-शुरू में आया था 1952 में, हम लोग यहां साथ बैठे थे तो 1952 में जयपुर की आबादी 3-4 लाख की होगी और आज 25-30 लाख की आबादी है। बढ़ती जा रही है इसको कोई नहीं रोक सकता। इस वास्ते यह जयपुर का अंग है। इस अंग को मेहरबानी करके आप बचाइये। अपनी बात मत सोचिये, आगे के भविष्य की बात भी सोचिये।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में यह पुस्तिका हमें वितरित की गयी है। मैंने इसको शुरू से अंत तक पढ़ा है, क्योंकि मैं इससे प्रभावित हुआ हूं। माननीय मंत्री महोदय तो नहीं आये। यह इतना बढ़िया कागज, कलेवर और कुछ नहीं अन्दर। इसमें कुछ कलेवर नहीं है। 153 करोड़ रुपया इस साल खर्च करेंगे इंदिरा गांधी कैनाल पर लेकिन यह नहीं बताया कि जो छह लिफ्ट कैनाल हैं, उस पर पिछले साल इन्होंने कितना काम किया। कारण क्या है, कारण साफ है कि इसके जो मंत्री महोदय है वह कुछ लिफ्टों के विरुद्ध में हैं और कुछ लिफ्टों के पक्ष में हैं। इस वास्ते कुछ लिफ्ट्स का काम तो तेजी के साथ चल रहा है और कुछ का काम रोक दिया गया है। रोकने का तरीका क्या है? इंसपेक्शन पर गये, आपने यह काम ठीक नहीं किया; आपको सस्पेंड किया, यह किया, वह किया और काम रोक दिया। यह चीज गलत है। छह लिफ्ट स्कीम्स बन रही हैं, कुछ योजनाएं हैं लिफ्ट की, छहों पर बराबर काम होना चाहिये। मैं एक से प्रभावित हूं। नोहर-साहवा लिफ्ट की स्कीम से, क्योंकि वह मेरी कांस्टीट्यूएंसी में जाएगी और मैं

(श्री चन्दनमल बैद)

चाहता हूं कि उसका काम जल्दी से जल्दी चालू हो। लेकिन इन्हीं लिफ्टों का काम एक तरीके से नहीं चल रहा है। इसी कारण से इसमें उनका उल्लेख नहीं किया गया है। यह नहीं बताया कि किस लिफ्ट पर पिछले साल कितना-कितना काम हुआ। पहले भी कई ऐसी किताबें निकली है जिनमें हमेशा यह बताते रहे हैं कि इस लिफ्ट पर इतना काम हुआ, इतनी इसकी खुदाई हुई, इतनी इसकी चिनाई हुई, इतना पैसा खर्च हुआ लेकिन इस बार यह नहीं बताया गया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी अगर कोई भेदभाव हो रहा है तो मेहरबानी करके उस भेद-भाव को मिटायें। मेरी एक इंच की जमीन भी लिफ्ट के नीचे नहीं आने वाली है। चूरू जिले में मेरी खेती की जमीन नहीं है और सारे हिन्दुस्तान में मेरी खेती की जमीन नहीं है। यह मेरे लिये एक ड्रा-बैंक है, क्योंकि मैं किसान नहीं कहला सकता और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिन्दा रहा तब तक खेती नहीं करूंगा। वहां के किसानों के हित में निवेदन करना चाहता हूं, मेहरबानी करके यह अन्याय मत कीजिये और जल्दी से जल्दी उस नहर को बनवाइये जिससे पीने का पानी भी मुहैया होगा और सिंचाई भी होगी, यह बहुत जरुरी बात है।

इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्य मंत्रीजी और चेयरमैन साहब मैं अपनी स्पीच को खत्म करते हुए यही निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके राजस्थान के विकास की तरफ जरा गम्भीरता से ध्यान दीजिये। प्लान लाने में इतनी शाबाशी की बात नहीं है। जो छोटे प्लान लाते हैं उन्होंने भी ज्यादा काम किया है। प्लान इतना ही बड़ा लावें जिन्हें हम साधनों और वाजिब कर्जा लेकर पूरा कर सकें। यह नहीं कि आपके साधन तो हैं नहीं खाली कर्जा ला रहे हैं। ऐसे कर्जा लाकर काम पूरा नहीं हो सकता। मैं जानता हूं, मैं बनिये का लड़का हूं, मैं समझता हूं इस बात को कि बिजनेस करने वाले आदमी खाली कर्जे से काम नहीं चलाते कुछ घर की पूंजी भी लगाते हैं, कुछ कर्जा भी लेते हैं, तो उनका काम चलता है और जो आदमी केवल कर्जा लेकर काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, वह रोते हैं, वह डूब जाते हैं। इसी वास्ते किसी समझदार आदमी ने कहा कि "पछतावे वे जिनकी पूंजी थोड़ी और धंधा घणा"। पर आप तो क्या पछताएंगे, कल कह रहे थे कि ढाई साल में चले गये। सवा साल तो हो गया और सवा साल और है, आप तो चले जाएंगे, मुझे भी नहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मेरा भी अब ऐसा शरीर नहीं रहा लेकिन इन सारे जवानों को यह भुगतना पड़ेगा। इस वास्ते मैं निवेदन करता हूं मेहरबानी करके ठीक तरीके से राजस्थान के विकास को अंजाम देने की कोशिश कीजिये। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : सभापति महोदय, वित्त मंत्रीजी के रूप में हमारे मुख्य मंत्रीजी ने वर्ष 1995-96 का बजट रखा है। यह बजट मात्र आय-व्ययक का लेखा-जोखा ही नहीं राज्य के चहुंमुखी विकास का दस्तावेज है। सभापति महोदय, बजट में अनुसूचित जाति, जन जाति, महिलाओं, बालकों पिछड़े वर्गों, के विकास का ध्यान दिया गया है। प्रदेश की जनता की मूलभूत सुविधाएं पेयजल, चिकित्सा,

(श्रीमती तारा भण्डारी)

शिक्षा आदि का भी बजट में उचित प्रावधान किया गया है। राज्य के विकास को गति देने के लिये बजट में एक निश्चित लक्ष्य रख कर सरकार ने विकास की दृढ़ मानसिकता का परिचय दिया है। बजट में उद्योग, कृषि, यातायात, हैण्डीक्राफ्ट्स, खेल-खिलाड़ी सभी का विकास करने का पूरा-पूरा ध्यान दिया है। यह बजट जो हमारे मुख्य मंत्रीजी ने रखा है यह उनकी गहरी सूझबूझ, लम्बे अनुभव और संवेदनशील से परिपूर्ण है, परिचायक है। अभी बजट पर तारानगर से आने वाले वरिष्ठ माननीय सदस्य बहस कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे। मैं वरिष्ठ माननीय सदस्य की बात का जवाब देने की तो हैसियत रखती नहीं, उनकी बात का जवाब तो हमारे नेता महोदय देंगे। पर एक बात सभापति महोदय, माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमने 20 लाख घर गरीबों के लिये बनायें। कांग्रेस के शासन में गरीबों के लिये इन्दिरा आवास गृह बने हैं।

(15.00)

आप कभी चलकर देखें उन इंदिरा आवासों की हालत क्या है। आज इंदिरा आवास खंडहर बने हुए हैं उनमें गरीब रहना नहीं चाहते उसका कारण है उन आवासों को बनाने में भारी भ्रष्टाचार किया गया, उनकी जांच तो करवायी जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्रीमती तारा भण्डारी : आज अगर उन इंदिरा आवासों की निष्पक्ष जांच करवाई जाए तो, सभापति महोदय, गरीबों के नाम पर ठगी करने वाले इन कांग्रेसी नेताओं की जो पोल खुलेगी तो सदन सकते की हालत में आ जाएगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कल तो आप कह रही थीं कि मैं इधर आ रही हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, वरिष्ठ माननीय सदस्य दसवें और नवें वित्त आयोग की बात कर रहे थे। मेरे को लगता है कि माननीय सदस्य अखबार भी नहीं पढ़ते, नहीं तो इतना तो माननीय सदस्य समझ ही जाते कि दसवें वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रणव मुखर्जी ने माननीय मुख्य मंत्रीजी के कुशल प्रबन्धन की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। ....(व्यवधान)....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। (व्यवधान) प्लीज सिट डाउन। आर्डर प्लीज, माननीय राधेश्यामजी।

श्रीमती तारा भण्डारी : पहले प्रणव मुखर्जी ने भी की थी। सभापति महोदय, इनको किसी की प्रशंसा नहीं सुहाती। मेरा यह निश्चित मत है कि इस बजट से प्रदेश के विकास को नयी दिशा मिलेगी। विकास के आंकड़ों में हमारा राज्य, जो अन्य राज्यों तुलना में नीचे है, मेरा यह विश्वास है कि इस बजट की क्रियान्विति से हमारे विकास का ग्राफ ऊपर आएगा। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने योजनाओं की जो सफल क्रियान्विति की, जो कुशल प्रबन्धन किया उसी का नतीजा है कि हमारी वार्षिक योजना का आकार प्रतिवर्ष बढ़ता ही गया। दसवें वित्त आयोग के सामने हमारी राज्य सरकार और हमारे मुख्य मंत्रीजी ने राज्य के पक्ष को इस प्रकार से रखा, राज्य के हितों की इस प्रकार से पैरवी की कि दसवें वित्त आयोग ने राज्य को मिलने वाले हिस्से में नवें वित्त आयोग के हिस्से की सिफारिशों से ज्यादा हिस्से का प्रावधान किया।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

सभापति महोदय, केन्द्रीय आयकर हो या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नवें वित्त आयोग ने जिस प्रकार की सिफारिशें की थी, दसवें वित्त आयोग ने उसको काफी बढ़ा करके राज्य को हिस्सा देना तय किया है। आपदा राहत कोष में भी नवें वित्त आयोग की अपेक्षा दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर मिलने वाली राशि की तुलना में डेढ़ गुना ज्यादा है। कुल मिलाकर मैं इतना ही कहूंगी कि राज्य की जो भौगोलिक विषम परिस्थिति की पैरवी की गयी, जिस प्रकार से अपना पक्ष रखा गया, उस सारे पक्ष, कुशल प्रबन्धन, वित्तीय व्यवस्था और सफल क्रियान्विति को देखते हुए दसवें वित्त आयोग ने सारी राशि में पिछली राशि से लगभग 4 हजार करोड़ रुपये अधिक राशि देने का प्रावधान किया है।

श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य अभी सदन में अनुपस्थित हैं, वे कल चुनावों की धांधलियों की बात कर रहे थे। (व्यवधान) श्रीमाधोपुर, कान खोल कर रखो, अभी आपके कारनामों को खोलूंगी तो आश्चर्य होगा। सभापति महोदय, धांधलिया तो इनसे कोई सीखे, धांधलिया करने में कांग्रेसी कितने माहिर हैं, यह बात तो जगजाहिर है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्रीमती तारा भण्डारी : कांग्रेस द्वारा की गयी धांधलिया और उनके द्वारा अपनाये गयें हथकंडों का अभी मैं यहां वर्णन करूं, चर्चा करूं तो इस पवित्र सदन की कितनी ही बैठकें जाया हो जाएंगी। लम्बी बहस में नहीं जाकर मैं इनकी ताजा धांधलियों का नमूना पेश करना चाहती हूं। सभापति महोदय, मेरे सिरोही जिले में रेवदर विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समितियों के उप प्रधानों के चुनाव हुए। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बजट का चुनाव से क्या ताल्लुक है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपस में न बोलिये। आर्डर प्लीज।

श्रीमती तारा भण्डारी : धांधलियों से चुनकर आने वाले तो धांधलियां ही करेंगे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्या आप अपनी बात कहें।

श्रीमती तारा भण्डारी : मैं अपनी बात कह रही हूं, पंचायत चुनावों में धांधलियों की चर्चा करते हुए मैं यह कहना चाहूंगी कि रेवदर पंचायत समिति में उप प्रधान के चुनाव में कांग्रेस से चुने हुए एक माननीय सदस्य नाराज हो गये और उन्होंने कांग्रेस के लोगों को कह दिया मैं वोट नहीं दूंगा। इन लोगों ने उस माननीय सदस्य को अंदर बंद कर दिया, वोट देने नहीं दिया और उसके बदले में दूसरे व्यक्ति को लाकर के वोट दे दिया। किसी प्रकार से वह छगनलालजी उनके चुंगल से छूट कर आये (व्यवधान) आपकी चलती कहां है, बात-बात में आपस में डिवीजन हो जाते हैं, चलती कहां है।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, ये लोग आपको विचलित कर रहे हैं, आप अपनी बात कहें और बजट पर बोलें।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, यह छगनलाल कांग्रेस के चुंगल से

(श्रीमती तारा भण्डारी)

छूट कर आये और भागते हुए अपना वोट देने पहुंचे तो रिटर्निंग आफिसर ने कहा आपका वोट तो हो गया। छगनलाल ने बहुत प्रयास किया कि मेरा वोट किसी तरह पड़ जाए लेकिन उनको वोट देने का मौका नहीं मिला और इस परिस्थिति में रिटर्निंग आफिसर ने निष्पक्ष न्याय करते हुए वह चुनाव रद्द कर दिया।

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : आपसे डरते हुए (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, पिछले चुनावों में कांग्रेसी रोज कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी शहरों में बैठी है, गांवों में तो इसका कोई लेना-देना नहीं। पिछले चुनावों के आंकड़े देखिये, भारतीय जनता पार्टी के कितने प्रमुख, कितने प्रधान और कितने नगरपालिका चेयरमैन, महापौर इत्यादि चुनकर आये। चुनाव धांधलियों से नहीं जीते जाते और धांधलियों से जीते जाते तो....(व्यवधान)...

श्री सभापति : आप आसन की तरफ मुखातिब हो, आप आसन की तरफ देखें। आप ओपनिंग बेट्समैन हैं अपनी पार्टी की, आप बजट पर आइये। आर्डर प्लीज।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, चुनाव धांधलियों से जीते जाते तो धांधली तो यह दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत में सब जगह कर सकते थे। मगर चुनाव धांधलियों से नहीं जीते जाते। चुनाव विकास की योजनाओं से जीते जाते हैं। इसलिए सभी राज्यों में इनका सफाया हो गया, चुनाव नैतिक मूल्यों पर जीते जाते हैं, सिद्धांतों पर जीते जाते हैं। पिछले चार वर्षों में हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों का जो विकास किया है, गरीब को गणेश मानकर जो कार्य किये हैं, उनकी कांग्रेस के किसी भी शासन से तुलना कर दीजिए, उनकी गिनती हमारे आंकड़ों से कभी ऊपर नहीं आ सकती। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य ऊंचे में नहीं बोलें।

श्रीमती तारा भण्डारी : मैं जब नगरपालिका की अध्यक्ष थी तब कांग्रेस के लोगों ने मेरी कुर्सी को करंट लगायें, मेरे को इस्तीफा देने के लिये तरह-तरह की यातनाएं दीं लेकिन, सभापति महोदय, मैं इनकी यातनाओं से नहीं डरी और इनकी छाती पर, मेरे विधान सभा क्षेत्र से जीतकर विधान सभा में पहुंची। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : स्वास्थ्य मंत्री के लिये आप कितना रो पड़ी।

श्रीमती तारा भण्डारी : स्वास्थ्य मंत्रीजी के लिये नहीं रोयी। स्वास्थ्य मंत्री का स्वास्थ्य दीर्घायु हो इसकी मैं कामना करती हूं, मैं स्वास्थ्य मंत्री को नहीं रोयी। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आप मेरे विचार में इनके सवालों का जवाब न दें, नहीं तो आप कम्पलीट नहीं कर पाएंगी। आर्डर प्लीज।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, इन्हें अच्छा लग रहा है। इनके द्वारा व्यवस्थाओं में जो ढील बरती गयी, जो अधिकारियों द्वारा लापरवाही करने के कार्यक्रम किये गये, मैं उनको रोऊं ? मैं तो हमारे चिकित्सा मंत्रीजी के सुस्वास्थ्य की कामना इस पवित्र सदन में करती हूं।

(श्रीमती तारा भण्डारी)

सभापति महोदय, गांव-गांव में सड़कें बनीं, गांव-गांव में स्कूल भवन बने, गांव-गांव में अस्पताल खोले गये, गांव-गांव में आंगनबाड़ी और सब-सेंटर्स भवन बनाये गये। सभापति महोदय, माननीय सदस्य हमारे जो वरिष्ठ सदस्य हैं वह अभी सदन में उपस्थित नहीं हैं। वह बता रहे थे कि हमारी सरकार ने इतनी सारी सड़कें और इतने किलोमीटर सड़कों का जाल बिछा दिया। कांग्रेस ने सड़कों का जाल नहीं बिछाया बल्कि भाई-भतीजावाद किया था। उनके पास कोई रीति-नीति नहीं थी। सड़कों का किलोमीटर तो आंका जा सकता है, परन्तु उनकी पात्रता आप नहीं आंक सकते। पूर्व मुख्य मंत्री श्री शिवचरण जी माथुर ने यह घोषणा की थी कि 1985 तक हम राजस्थान के सभी पंचायत मुख्यालय सड़कों से जोड़ देंगे। मैं सदन के माध्यम से इनसे पूछना चाहती हूं कि कितनी पंचायत मुख्यालय जुड़ गये? घोषणाएं करते रहे। केवल घोषणा मंत्री होकर रह गये। आज भी उनको पंचायत मुख्यालय से जोड़ने के लिये हमारी सरकार को जूझना पड़ रहा है।

सभापति महोदय, गरीबों का कर्जा माफ हुआ। गरीबों को मुर्गा बना बनाकर और डंडे मार-मार कर्जा वसूल करते थे। हमारी सरकार ने गरीबों का दस हजार रुपये तक का कर्जा माफ किया। हमारी सरकार ने बारानी भूमि पर लगान माफ किया। नियमों में सरलीकरण करके गांव के गरीबों को राहत दी। सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी की विशेष रूप से आभारी हूं कि उनके द्वारा प्रारम्भ की गयी योजनाएं "30 जिले 30 काम, अपना गांव अपना काम, अन्त्योदय योजना, विधायकों की अभिशंषा पर खर्च की जाने वाली राशि आदि अनेक विकास के कार्यक्रमों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया गया। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी की आभारी हूं कि उनके विकास कार्यक्रमों के कारण ही मेरे विधान सभा क्षेत्र पर पिछले 45 वर्ष से एक अभिशाप लगा हुआ था, सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में यह अभिशाप था कि एक बार जीतने वाला उसी क्षेत्र से दुबारा नहीं जीतता। यह हमारी सरकार के विकास के कार्यक्रम थे, यह हमारी सरकार द्वारा चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से किये गये विकास कार्य थे और उन विकास कार्यों से प्रसन्न होकर हमारी जनता ने इस अभिशाप को झुठलाते हुए भारी बहुमत से दूसरी बार मुझे जिताकर हमारी सरकार को आशीर्वाद दिया।

सभापति महोदय, प्रदेश की जनता के सुस्वास्थ्य की चिन्ता करना, सुशिक्षा का प्रबंध करना और शुद्ध पेयजल मुहैया कराना किसी भी कल्याणकारी राज्य का पहला दायित्व है। सरकार ने इसी दायित्व का निर्वाह करते हुए पिछले साल का बजट शिक्षा को समर्पित किया था और इस वर्ष का बजट चिकित्सा को समर्पित किया है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी की बड़ी आभारी हूं कि उन्होंने प्रदेश के सुस्वास्थ्य की चिन्ता करते हुए, प्रदेश की गरीब जनता को चिकित्सा सुविधाएं मिलें, चिकित्सा सुविधाओं में बढ़ोतरी हो, चिकित्सा सेवाओं का सुदृढ़िकरण हो इसके लिये इस वर्ष के बजट को चिकित्सा को समर्पित किया है। पिछला बजट शिक्षा को समर्पित था....

श्री रामस्वरूप : तभी तो महिलाएं नसबन्दी से मर रही हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी : वह नसबन्दी से नहीं मरतीं। उसके डर से मरती हैं। उनको डर लगता है। सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्रीजी और हमारे शिक्षा मंत्रीजी के सुदृढ़ कार्यक्रमों और विकास की मानसिकता का ही परिणाम है कि पिछले वर्ष जो बजट शिक्षा को समर्पित किया गया था, उस बजट के अन्तर्गत सैकड़ों उच्च प्राथमिक शालाएं, माध्यमिक शालाएँ सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल समय पर, संख्यात्मक और एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश भर में खोल दिए गये कभी-कभी हमारे कांग्रेसी बंधु बड़ा आश्चर्य व्यक्त करते हैं, उनका यह कहना है कि हमारी सरकार में तो कोई भी स्कूल खुलवाने के लिये हमको पांच-पांच साल तक चक्कर काटने पड़ते थे, किसी एक अस्पताल की स्वीकृति के लिये या अस्पताल के लिये बनाये गये भवन के उद्घाटन के लिये अनेकों चक्कर लगाने पड़ते थे, फिर भी हमारे स्कूल नहीं खुलते थे, अस्पताल नहीं खुलते थे, दानदाताओं द्वारा दिये गये धन का उपयोग नहीं होता था। सभापति महोदय, यह बड़ा आश्चर्य व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार तो जब चुनाव आते थे तभी स्कूलों और अस्पतालों की घोषणा करती थी, परन्तु आपकी सरकार के पास क्या जादू का चिराग है जो बिना चुनाव के प्रतिवर्ष संख्यात्मक लक्ष्य लेकर स्कूलें खोलतीं है, अस्पताल खोलती है और संख्यात्मक किलोमीटर का लक्ष्य लेकर सड़कें, पुलिया या विकास के कार्यक्रम करती है। सभापति महोदय, यह उनकी वेदना है, उन्होंने बहुत चाहा कि हमारे यहां विकास हो लेकिन जिस नेता को वह चुनकर भेजते थे वह दूसरी बार उनकी वेदना को देखने के लिये झांककर भी नहीं आते थे।

सभापति महोदय, शिक्षा के बजट के अन्तर्गत पहली से 5 वीं तक के बालकों को और पहली से 8 वीं तक की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यक्रम पुस्तकें शिक्षा सत्र के प्रारम्भ से ही दे दी गयीं। जिसका यह परिणाम हुआ कि गांव में बकरी चराने वाला गरीब गडरिया और गांव की गरीब बालिका को शिक्षा का अवसर मिला, उनके शिक्षा के द्वार खुले। सभापति महोदय, ग्रामीण अंचल में रहने वाले गरीब एवं साधनहीन व्यक्ति के घर जन्मने वाली बालिका जो अपने भाई को स्कूल जाते हुए निहारा करती थी, पड़ौसी का बस्ता देखकर सन्तोष कर लेती थी और स्कूल जाना उसके लिये एक सपना था। आज गरीब के घर जन्मी वह बेटी अभागिन नहीं है। हमारे शिक्षा मंत्री और हमारे मुख्य मंत्रीजी को दुवाएँ देती हुई वह आज स्कूल जा रही है। छात्राओं के नामांकन के बढ़े हुए आंकड़ों को देखकर सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि राजस्थान की बेटी अब पोथी और पाटी लेकर पाठशाला जाने लगी है।

सभापति महोदय, महिला शिक्षण संस्थाओं को 90 प्रतिशत अनुदान दिया गया। महिला कन्या महा विद्यालय खोले गये, महिलाओं क शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए योजनाएं बनाई गयी यही कारण है कि हमारी शिक्षा का स्तर अब धीरे-धीरे ऊंचा और आगे बढ़ने लगा है। सभापति महोदय, शिक्षा के स्तर की जब बात करते हैं तो हमारा सिर झुक जाता है।

श्री रामस्वरूप : शर्म से।

श्रीमती तारा भण्डारी : आपके कारण। राजस्थान में जो शिक्षा का प्रतिशत है वह अन्य प्रदेशों के तुलनात्मक आंकड़ों में नीचे से दूसरे नम्बर पर है। इसमें भी महिला शिक्षा और ग्रामीण महिला शिक्षा का स्तर तो और भी नीचे है। इस वर्ष बालिका शिक्षा फाउण्डेशन की स्थापना करके, शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देकर, क्रमोन्नत करके, महिला स्कूलें खोलकर राज्य सरकार ने महिला शिक्षा को एवं शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करती हूं, धन्यवाद देती हूं, स्तुति करती हूं हमारे सरकार की, हमारे मुख्य मंत्रीजी की, हमारे बिजली मंत्रीजी की। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे मुख्य मंत्रीजी का तहेदिल से राजस्थान के उन गरीब बालक-बालिकाओं की ओर से धन्यवाद करना चाहती हूं कि उनके सुप्रयासों से वह स्कूल जाने के लिए तत्पर हुए।

सभापति महोदय, आयुर्वेद हमारी प्राचीन पद्धति है (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, यह सही कह रहे हैं कि वह बाहर धरने पर बैठे हैं, क्योंकि पिछले अनेक वर्षों से आयुर्वेद को निग्लेक्ट किया गया है। आयुर्वेद के बारे में ध्यान नहीं दिया गया है। आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें न रीएक्शन का डर है और न ही उसके द्वारा कोई अन्य बीमारी पैदा होने का डर है, परन्तु आयुर्वेद का पिछले वर्षों में जिस प्रकार से भट्ठा बैठा, ह्रास हुआ, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कह करके यही कहूंगी कि हमारी सरकार ने इस बार आयुर्वेद को भी बढ़ावा देने का विचार किया है। जड़ी-बूटियां उगाने वाले को प्रोत्साहन देने की बात कही है। सभापति महोदय, हमारे देश में ऐसी-ऐसी जड़ी बूटियां होती थीं जो आयुर्वेद में संजीवनी औषद्धि के रूप में प्रयुक्त होती थीं। सभापति महोदय, कैंसर जैसी जान लेवा बीमारी की भी इस प्रकार की जड़ी-बूटियां आती थीं, लाइलाज बीमारी भी आयुर्वेद में क्योरेबल है, परन्तु आज उन जड़ी-बूटियों के जानकार नहीं रहे। एक बात में कहना चाहूंगी कि "जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ," हमारी सरकार ने प्रयास किया है कि जड़ी-बूटी उगाने वालों को हम प्रोत्साहन देंगे, आयुर्वेद के चिकित्सालय खोले जाएंगे....

एक माननीय सदस्य : बीस।

श्रीमती तारा भण्डारी : बीस से बढ़ा देंगे। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है आपकी भावनाओं को पहचानते हुए इस बीस में जरुर बढ़ोतरी करेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सभापति महोदय, यदि आज भी आबू की कंदराओं में पता लगाया जाए तो ऐसे-ऐसे ऋषि-महर्षि मिलेंगे जो जड़ी-बूटियों के जानकार हैं, उनके गुणों से परिचित हैं। आबू के जंगलों में घूमने वाले आदिवासियों को इन जड़ी-बूटियों की पहचान है। यदि हम प्रयास करें, शोध करें, तो निश्चित रूप से आयुर्वेद का विकास होगा। हमारी प्राचीन पद्धति व्यापस पुनर्जीवित होगी और हमारी जनता सुस्वास्थ को प्राप्त करेगी। वैसे भी, सभापति महोदय, आज एलोपैथी का प्रचलन हो गया है, अंग्रेजी दवाइयों का प्रचलन हो गया है, परन्तु अगर वित्तीय दृष्टिकोण से देखा

(श्रीमती तारा भण्डारी)

जाए तो भी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति एलोपैथी चिकित्सा पद्धति से बहुत सस्ती है, होमियोपैथी उससे भी सस्ती है। हम भारत के लोग, राजस्थान की गरीब जनता ऐसी महंगी दवाइयां नहीं खरीद सकती। सभापति महोदय, अभी तो डंकल का असर नहीं आया है जिस दिन डंकल प्रस्ताव का असर पड़ेगा यह एलोपैथी की दवाइयां खरीदना हमारे गरीब के बस में नहीं रहेगा। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से, माननीय आयुर्वेद मंत्रीजी से यह आग्रह करती हूं कि आयुर्वेद को डवलप करने के लिये आपने जिस प्रकार से कदम बढ़ाया है, इस कदम को बढ़ाते हो चले जाएं, इसको सीमित न करें।

एक माननीय सदस्य : पशुपालकों के लिये भी कुछ कहें।

श्रीमती तारा भण्डारी : पशुपालकों के लिये भी हमारी सरकार ने बहुत प्रयास किये हैं। बजट में पूरे डाक्टर और कम्पउंडार की नियुक्ति के प्रावधान किये हैं, परन्तु मैं इनकी वेदनाओं में अपने आपको भी सम्मिलित करती हूं। सभापति महोदय, पिछले कई सालों से पशु चिकित्सालय नहीं खुले। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि बजट चिकित्सा को समर्पित है, तो इसमें पशु चिकित्सालय को भी प्राथमिकता दी जाए और इस वर्ष में कुछ नये पशु चिकित्सालय भी खोले जाएं।

सभापति महोदय, बजट में 4500 ढाणियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने की घोषणा करके सरकार ने जनता को राहत पहुंचाई है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय महोदय, नो इंट्रप्शन प्लीज।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, 4500 ढाणियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। पेयजल के मामले में मैं व्यक्तिश: भी माननीय मुख्य मंत्रीजी और जलदाय मंत्रीजी की आभारी हूं। मेरे क्षेत्र में पिछले वर्षों में माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय जलदाय मंत्रीजी द्वारा स्वीकृत योजनाओं के कारण गांव-गांव में पनघट का निर्माण हुआ, गांव-गांव में मीठे पानी की व्यवस्था की गयी, अशुद्ध और तेलिये पानी के स्थान पर नये ट्यूबवैल खोदकर मीठा पानी उपलब्ध कराया गया। सभापति महोदय, पूर्व कांग्रेसी सरकारों की कथनी और करनी में बड़ा फर्क था। इनकी करनी को मैंने भुगता है। मेरे गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के मात्र लक्ष्यों की खानापूर्ति के लिये गांवों में चौथाई हिस्सों में पाइप लाइन बिछा करके और उस गांव को पेयजल उपलब्ध करा दिया गया। सभापति महोदय, कल हमारे श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य अनुसूचित जाति और जन जाति की दुहाई दे रहे थे। मैं उनको निमंत्रण देती हूं, आप हमारे गांवों में आइये तो सही, इस पेयजल के मामले में पूर्व कांग्रेसी सरकारों ने अमीरों और गरीबों के बीच में अनुसूचित जाति/जनजाति और सवर्णों के बीच में बड़ी भारी खाई पैदा कर दी थी। गांव में मात्र चौथाई हिस्से में पाइप लाइन बिछाई और तीन चौथाई भाग अपेक्षित पड़ा रहा। सभापति महोदय, धन्यवाद है हमारे जलदाय मंत्रीजी को जिन्होंने एस.सी. और एस.टी. की बस्तियों को आइडेंटिफाई कर उनमें पेयजल की

(श्रीमती तारा भण्डारी)

सम्पूर्ण व्यवस्था/कराई....(समय-समाप्ति-सूचक घंटी) सभापति महोदय, अभी तो शुरू किया है।

श्री सभापति : आधा घंटा हो गया है।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, हमारी सरकार ने एस.सी. और एस.टी. के क्षेत्रों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराकर, स्कूलें खोलकर तथा स्वास्थ्य चिकित्साओं की व्यवस्था करके एक सामाजिक समरसता का अनुभव कराया है।

सभापति महोदय, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। सरकार ने इस वर्ष फ्लोराइडेड क्षेत्रों की पेयजल योजनाएं बनाई हैं ताकि फ्लोराइडेड एरिया में शुद्ध पेयजल मिल सके। मैं जलदाय मंत्रीजी की आभारी हूं, पिछले दिनों वह मेरे विधान सभा क्षेत्र में दौरे पर आये थे। उस समय उन्होंने जब एक व्यक्ति से पूछा कि कहो बूढ़े बाबा आपके क्या हाल हैं ? तो वह बूढ़ा रो पड़ा और बोला कि मैं बूढ़ा नहीं हूं मैं तो मात्र 40 वर्ष का हूं, परन्तु पिछले 43 वर्षों की इस देन ने, इस अशुद्ध पेयजल ने इस फ्लोराइड युक्त पेयजल ने मेरे को कूबड़ा बना दिया है। सभापति महोदय, वहां की महिलाएं रोईं और उन्होंने मंत्री महोदय से निवेदन किया कि हमारे बच्चों की शादियां नहीं होतीं, हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं होते, लोग कहते हैं कि जब इनके मां-बाप कुबड़े हैं तो इनके बच्चों का क्या हाल होगा। सभापति महोदय, गांवों को ऐसा कारुणिक दृश्य देख कर हमारे जलदाय मंत्रीजी बहुत दुखी हुए। उन्होंने विचार किया कि राज्य के हित के लिये चुनी जाने वाली सरकारें, प्रदेश का हित सोचने वाली सरकारें और प्रदेश के हित के लिये चुनकर आयी सरकारों ने प्रदेश के लोगों को अशुद्ध जल पिला कर विकलांगता के लिये बाध्य कर दिया है इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और क्या होगी ? सभापति महोदय, उन्होंने उसी समय अधिकारियों को बुलाया आदेश दिया और कहा कि सिरोही के, मेरे क्षेत्र में ऐसे बहुत से गांव हैं और यह बीमारी भी ज्यादातर एस.सी. और एस.टी. के लोगों को है। क्योंकि समृद्ध लोग तो हमारे जिले में रहते नहीं, वे तो अपना बिजनस करने के लिये हमारे जिले से बाहर चले जाते हैं। हमारे यहां रहते हैं, गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग जिनका मजदूरी या खेती ही एक जीवन धंधा है। परन्तु फ्लोराइड का पानी पी-पीकर के मेरे क्षेत्र के लोग आज असमय ही विकलांग हो गये। सभापति महोदय, किसी व्यक्ति को परमात्मा अगर जन्म से विकलांग करे या परमात्मा की कुदृष्टि से विकलांग हो जाए तो सहन किया जा सकता है लेकिन आजादी के इतने वर्षों के बाद भी अशुद्ध पानी पी-पीकर विकलांग होना, यह प्रदेश की जनता को सहन नहीं होगा।

सभापति महोदय, मैं आभारी हूं जलदाय मंत्रीजी की, उन्होंने तुरन्त अधिकारियों को बुलाया और उन क्षेत्रों की योजनाएं बनाने के निर्देश दिये। जब अधिकारियों ने कहा कि ये गांव तो जनसंख्या की दृष्टि से पात्रता में नहीं आते या इन योजनाओं को बनाने में 3 करोड़ खर्च होगा तब, सभापति महोदय, हमारे मंत्री महोदय ने एक ही उत्तर दिया कि 3 नहीं 30 करोड़ भी खर्च होंगे तो भी यह योजना बननी

(श्रीमती तारा भण्डारी)

चाहिए और तुरन्त आप यह योजना बनाइये।

सभापति महोदय, मैं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि वर्षों से लम्बित पड़ी हुई नर्बदा परियोजना की स्वीकृति हुई और कार्य प्रारम्भ हुआ। सभापति महोदय, यह नर्बदा परियोजना हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए मरुगंधा साबित होगी। पश्चिमी राजस्थान में जहां अकाल ही उनकी नियति है, यह नर्बदा परियोजना का पानी विकास की गति को आगे बढ़ाएगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी निवेदन करना चाहूंगी कि नर्बदा परियोजना का जिस प्रकार से त्वरित गति से राजस्थान के लोग कार्य कर रहे हैं, पास में गुजरात है, गुजरात से इस योजना का प्रारम्भ है। अब गुजरात में हमारे मुख्य मंत्रीजी के साथी श्री केशुभाई पटेल मुख्य मंत्री हैं, वे उन्हें भी आग्रह करें कि नर्बदा परियोजना में वे भी तेजी लायें और राजस्थान के जीरो पाइंट से इस परियोजना को जोड़ें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, बजट में महिलाओं के विकास के लिए इस बार भी पिछली बार की तरह बहुत ध्यान दिया गया है। गरीबों, महिलाओं और बालकों के विकास के लिये इस बजट में राजस्थान प्रदेश के 6 जिलों में "ड्वाकरा" योजना प्रारम्भ की गयी है। इस "ड्वाकरा" योजना से गरीब और चयनित महिलाओं के समूह बनाकर उन्हें आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ किया जाएगा।

सभापति महोदय, भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान बालिकाओं को छात्रवृत्ति देकर भी सरकार ने महिला शिक्षा को तो बढ़ावा दिया ही है, साथ ही साथ पूर्व सैनिकों का भी सम्मान बढ़ाया है।

सभापति महोदय, हमारे उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने 5 नये कन्या महाविद्यालय खोलने का ऐतिहासिक कदम उठाया है।

पिछले दिनों हुए नगरपालिका चुनावों और पंचायती राज चुनावों में भी सभी वर्गों की महिलाओं को सभी पदों के लिए 33 प्रतिशत के हिसाब से जो आरक्षण दिया गया है वह राज्य में महिलाओं की भागीदारी को लक्षित करता है। महिलाओं की इस भागीदारी के लिये तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी की स्वयं भी आभारी हूं, क्योंकि आज राजस्थान में महापौर के पदों पर, प्रेसीडेंट के पदों पर, जिला प्रमुख, प्रधान, उप-प्रधान और अनेक सरपंच के पदों पर आज हमारी महिला मोर्चा की सदस्याएं, अध्यक्षाएं अपने कृतित्व और अपनी छवि के आधार पर जीतकर आयी हैं।

सभापति महोदय, किसी भी प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा दिये बिना विकास की कल्पना करना मृग-मरीचिका है। पिछली कांग्रेसी सरकारों ने प्रदेश में औद्योगिक वातावरण बनाने के कोई ठोस प्रयास नहीं किये। कहते हैं-

"उद्यमे न हि सिद्धयन्ति
कार्याणि न मनोरथे
न हि सुप्तस्य सिंहस्य
प्रविशन्ति मुखे मृगाः।"

सभापति महोदय, मेहनत किये बिना कार्य सिद्धि नहीं होती, लक्ष्य बनाये बिना

(श्रीमती तारा भण्डारी)

पहुचा नहीं जा सकता और नीति निर्धारण किये बिना कोई काम नहीं होता।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, राज्य में औद्योगिक वातावरण बनाने के लिये, राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत ढांचे में विकास की जरूरत है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा मूलभूत ढांचा सुदृढ़ नहीं होगा उद्योगों का विकास नहीं हो सकता। नयी उद्योग नीति प्रारम्भ करके, नयी सड़क नीति प्रारम्भ करके, नयी खनिज नीति प्रारम्भ करके उद्योगों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का पूरा प्रयास किया गया है। नयी उद्योग नीति में जमीनों की अवाप्ति की गयी है, यातायात के साधनों को सुलभ बनाया गया है। राज्य में खपत के अनुसार 4500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है और यह बिजली उत्पन्न करने के लिए विविध योजनाएं बनाकर उनकी क्रियान्विति के प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती तारा भण्डारी : अब मैं कन्क्लूजन पर आती हूं। सभापति महोदय, नयी उद्योग नीति जून, 1994 में घोषित की गयी थी और मुझे यह सदन को बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इसके प्रगतिपूर्ण नतीजे आ रहे हैं। सरकार ने इस बजट में विकास की दृढ़ मानसिकता का परिचय दिया है। उद्योग नीति हो, चाहे खनिज नीति हो या सड़क नीति हो, उनकी सफल क्रियान्विति के लिये सरकार ने आवश्यक धनराशि का प्रावधान करने के साथ-साथ आवश्यक नियम भी बनाकर लागू किये हैं।

सभापति महोदय, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने बजट में 5 करोड़ का प्रावधान किया है। हमारे यहां का चमड़ा, हमारे यहां का खनिज, हमारे यहां की ऊन जो कच्चे माल के रूप में बाहर जाती है, बाहर जाकर उनका माल बनता है। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने अपनी गहरी सूझ-बूझ का परिचय देते हुए चर्म उद्योग, ऊन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और ऐसे ही कितने ही हमारे कच्चे माल को खपाने वाले उद्योग बढ़ाने का, बनाने का, लगवाने का फैसला किया है।

सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाने से, लघु उद्योग लगाने से हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और निर्यात में हमारे देश की, राज्य की विदेशी मुद्रा में बढ़ोतरी होगी। हमारे यहां पर निर्यात बढ़ाने के लिये भी कई प्रयास किये गये हैं। आज जयपुर में जो निर्यातोन्मुखी औद्योगिक इकाइयां हैं, जो इकाइयां एक्सपोर्ट कर रही हैं उन इकाइयों को एक ही जगह, एक ही पार्क में लाकर विकसित करने का राज्य सरकार ने फैसला लिया है। इन इकाइयों को पूरी बिजली की सप्लाई होगी, इन इकाइयों को अपना माल देने के लिये कस्टम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, इन इकाइयों की माल ढुलाई में जो ट्रक प्रयुक्त होंगे उन पर भी सरकार ने 25 प्रतिशत सब्सिडी दी है।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, यातायात के साधनों को सुलभ कराने के लिये चैक पोस्टों को हटा दिया, विपणन पोस्टों को हटा दिया और नेशनल हाई-वे पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिये जो अनावश्यक रूप से चुंगी नाके लगे हुए थे, इस बजट में, उन सभी नाकों को हटाने की घोषणा की है।

सभापति महोदय, सरकार ने हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा दिया है और हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिये कर मुक्त किया। सभापति महोदय, अकेले जोधपुर में व्हाइट मेटल के काम पर 10 हजार लोग लगे हुए हैं। बाड़मेर की महिलाएं कांच और भरत का काम कर रही हैं, सिरोही की महिलाएं आरी-तारी का काम करती हैं, भीनमाल की महिलाएं जूतियों का काम करती हैं। राजस्थान के कितने ही ऐसे हिस्से हैं चाहे आप प्रतापगढ़ को ले लीजिए, थेवा कला वहां की मशहूर है, लेकिन प्रोत्साहन नहीं मिलने से आज वह थेवा कला रसातल को जा रही है। जयपुर में एक से एक दस्तकारी के नमूने हैं, एक से एक दस्तकारी की कलाएं हैं लेकिन भारी कर और बिचोलियों की लूट के कारण यह हैंडीक्राफ्ट पनप नहीं सका। सरकार ने हैंडीक्राफ्ट इंस्टीट्यूट लगाने का मानस बनाया है। साथ ही इनको कर मुक्त कर दस्तकारों को भारी राहत पहुंचायी है। छाता उद्योग.....

श्री सभापति : अब आप सहयोग करें। समाप्त करें।

श्रीमती तारा भण्डारी : छाता उद्योग जो बम्बई में चलता है.....

श्री सभापति : अब आप बन्द करें। प्लीज, फिनिश इट। कनक्लूड इट प्लीज।

श्रीमती तारा भण्डारी : सारे देश में (व्यवधान) सभापति महोदय, अब मैं समाप्त कर रही हूं। आपके आदेशों की अवहेलना नहीं करूंगी।

श्री सभापति : अवहेलना कर चुकी हैं आप। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : नहीं, सभापति महोदय, मैं आपकी बात को रखते हुए इतना ही कहना चाहूंगी कि आपकी अवहेलना तो मैं कर ही नहीं सकती, आसन की अवहेलना तो इनसे सीखनी चाहिए। मैं अन्त में अपनी बात समाप्त करने से पहले एक ही बात दोहराना चाहूंगी और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि महज आलोचना करने के लिये, महज बहस की टीका-टिप्पणी करने के लिये वह अपना समय बर्बाद नहीं करें। बजट की विशेषताओं को, कर राहत में दी गयी छूट को, कर मुक्ति को और करों के सरलीकरण को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान की जनता का विश्वास जीतें और भविष्य में सहयोग करें। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रामनारायण जी (नैनवां)।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : माननीय सभापति महोदय, राज्य के मुख्य मंत्रीजी द्वारा वर्ष 1995-96 का आय-व्ययक अनुमान सदन के सामने पेश किया है उसके बारे में वाद-विवाद में जो अभी सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या ने हिस्सा लिया, उससे पहले तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य श्री चन्दनमल

(श्री रामनारायण मीणा)

जी बैद साहब ने हिस्सा लिया, कुल मिलाकर जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस सदन में भाषण दिया है उसके बारे में क्या कुछ कहा जा सकता है, यह बहुत विचारणीय बिन्दु है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी पिछले कुछ वर्षों से इस सदन में काफी लम्बी चौड़ी बातें करते आ रहे हैं। इस बार भी उन्होंने ईसगोल की भूसी पर टैक्स माफ किया है, छाते पर कुछ कम किया होगा और इसी तरह की अन्य चीजों पर उन्होंने टैक्स माफ किये हैं। जितनी भी उन्होंने राहत दी है, किसानों को कितनी दी है, सत्ता पक्ष में बैठे हुए मंत्री लोग, वह चाहे बहरोड़ से आने वाले हों या उदयपुर सम्भाग से आने वाले हों या और कहीं से भी आने वाले हों....

एक माननीय सदस्य : इनका स्वास्थ्य खराब है इसलिए ईसबगोल ज्यादा चाहिए इनको।

श्री रामनारायण मीणा : उनके दलों से पूछिये कि किसानों का कितना भट्टा बिठाया है और बणियों को कितना फायदा पहुंचाया है। बणियों से तात्पर्य आप समझ गये होंगे, माननीय सभापति महोदय, जो बिजनसमेन हैं, जो व्यापार करते हैं यदि सत्ता में रहकर उधर बैठे हुए वरिष्ठ मंत्री पैसा कमा लेते हैं और धंधा करना शुरु कर देते हैं, वह भले ही खेती-बाड़ी करते हों लेकिन हम तो उनको भी बणिये ही कहेंगे....

श्री रतनलाल ताम्बी : जाति से या कर्म से?

श्री रामनारायण मीणा : आप तो काश्तकार हो। माननीय सभापति महोदय, ये तो काश्तकार हैं।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आज राजस्थान में क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है। नम्बर एक की कुर्सी पर विराजमान माननीय मुख्य मंत्रीजी अभी यहां पर नहीं हैं। वह कभी जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच की मांग को लेकर आन्दोलन की बातें करते थे और कभी क्या करते थे, पर इन्होंने कुर्सी पर आने के बाद ऊंची-नीची कीलें निकालने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। जिस तरह से उप मुख्य मंत्रीजी डांटते थे उसी तरह से वह अपने सदस्यों को डांटते हैं, उसी तरह से अपने समाज वालों को और दूसरे लोगों को डांट पिलाते हैं। यदि उनको यह पता चल जाता है कि राजपूत है, मेरे से बड़ा है और मेरे से छोटा नहीं दिखता है। आपको मालूम होगा पिछले दिनों, काम तो कुछ करते नहीं हैं, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी यहां पर विराजमान हैं, मैं उन पर आरोप लगाता हूं कि राजस्थान में रहने वाले इज्जतदार आदमी को कैसे बेइज्जत किया जाता है। यहां पर एक जलेब चौक है। राजा-महाराजा का नाम हटा दिया कोई बात नहीं है, जो राजा-महाराजा हमारे साथ हैं उनको तो नाम लेकर पुकारो और जो आपके साथ हैं उन्हें महाराजा श्री कहो लेकिन जो कुछ है वह आपके सामने है। इनके एक महापौर हैं, मोहनलाल गुप्ता शायद नाम है, महापौर हैं सामने एक दुकान नहीं दी जो जगह 10 करोड़ रुपये में नहीं मिल सकती है, ट्रस्ट दे नहीं सकता। दुकान नहीं दी तो बुलडोजर चला दिया और बुलडोजर किस आदमी के

(श्री रामनारायण मीणा)

यहां चलाया माननीय (व्यवधान) सभापति महोदय....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : सभापति महोदय नाम नहीं ले सकते हैं।

श्री रामनारायण मीणा : बिलकुल नाम लेकर, बुलडोजर चलाया (व्यवधान)

श्री सभापति : आब्जेक्ट कीजिए।

श्री किशन गोपाल कोगटा : जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है उनके बारे में नाम लेकर चर्चा हो रही हैं, यह नहीं होना चाहिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नाम लेकर चर्चा नहीं होनी चाहिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा : उन शब्दों को एक्सपंज किया जाए।

श्री सभापति : लिखित में दे दीजिए।

श्री रामनारायण मीणा : मैं अपने शब्द रिपीट करता हूं।

श्री सभापति : नहीं आप रिपीट नहीं करेंगे।

श्री किशन गोपाल कोगटा : उन शब्दों को एक्सपंज किया जाए।

श्री सभापति : नो, नो।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय सभापति महोदय, बुलडोजर चलाया गया नगर निगम के चुने हुए आदमी द्वारा बुलडोजर चलाया गया....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अतिक्रमण होगा तो बुलडोजर चालएंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर बैठिये। डिफ्यूज इट।

श्री रामनारायण मीणा : इसलिए बुलडोजर वहां चलाया गया कि वह जो महाराजा थे, वह एक समुदाय विशेष के आदमी थे, कांग्रेस से चुनाव लड़ा था और नगर निगम के चुनाव में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं किया था। राज्य के एक मंत्री हैं, वह महारानी के पास गये और कहा कि हमारी पार्टी से चुनाव लड़ लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, पार्टीबाजी में भाग नहीं लूंगी। अच्छा तो देख लेंगे, देख लेना हमारा खेल और अपना खेल दिखा दिया। यही नहीं मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप विदेशों में जाते हैं....(व्यवधान)....

श्री रतनलाल ताम्बी : आप कालीचरणजी से पूछ लीजिए।

श्री रामनारायण मीणा : कल भी इस सदन में, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं....

श्री सभापति : नियमों में बोलें आप। प्लीज, नियमों में बोलें आप।

श्री रामनारायण मीणा : मैं नियमों के अन्तर्गत ही बात करूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : पढ़े ही नहीं हैं।

श्री सभापति : नहीं, पढ़ लिये हैं, अब पढ़ लिये हैं और समझ गये हैं बात।

श्री रामनारायण मीणा : राजस्थान के विकास की बात करते हैं....(व्यवधान).... नगरपालिका में मेरा रिश्तेदार कोई चेयरमैन नहीं है जो निवाई में कहीं घोटाला करता हो और यहां जांच की बात करते हों तो सरकार जांच नहीं होने देती हो। मैं आरोप लगाता हूं कि यदि हिम्मत हो तो करो, मैं नाम लेकर नहीं कहना चाहता हूं और कहूंगा भी नहीं ...

श्री सभापति : आप आरोप लगाने से पहले लिखित में दे दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं नैनवां से आने वाले माननीय सदस्य को यह चैलेंज देता हूं कि किसी भी प्रकार से मैं उन व्यक्तियों में नहीं हूं जो हैंड पम्प नोहरे में जाकर लगवा लें....(व्यवधान)....

श्री रामनारायण मीणा : बिलकुल....

श्री महावीर प्रसाद जैन : और फिर ए. ईएन. और जे. ईएन. सस्पैंड होते फिरें। और आपकी सजा ए. ईएन. और जे. ईएन. को भुगतनी पड़े।

श्री रामनारायण मीणा : मैं आपको चैलेंज करता हूं कि सत्ताधारी पार्टी के मुख्य सचेतक जाकर देख लें कि कोई ए. ईएन. सस्पैंड हुआ या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ।

श्री किशन गोपाल कोगटा : हैंड पम्प तो लगा ना नोहरे में ?

श्री रामनारायण मीणा : किसके यहां ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : नोहरे में लगा।

श्री रामनारायण मीणा : खेत में लगा कि नोहरे में लगा....(व्यवधान)....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्री किशन गोपाल कोगटा : हमको पता है।

श्री रामनारायण मीणा : जिस तरह का नाटक हो रहा है यह राजस्थान की विकास की बात करते हैं। बजट में भी इन्होंने कहा है कि हम राजस्थान का विकास करेंगे। ठीक है, आप राजस्थान का विकास करो। जयसमन्द झील में आपने करोड़ों रुपये की जमीन हजारों में दे दी, हमने कुछ नहीं कहा। सरकार में आप बैठे हैं, बहुमत लेकर बैठे हैं। आप नाहरगढ़ को बेच दें सारे आफिसर कह रहे हैं कि नाहरगढ़ को ओबेराय को मत दो, यह मत करो वह मत करो, कानून के खिलाफ है लेकिन विदेशों में आपकी मेहमाननवाजी कौन करेगा आखिर, खाड़ी के देशों में जाएंगे तो चन्दा कौन देगा ? स्पष्ट आरोप लगाता हूं, पर आपके पास इनका कोई जवाब नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया कि काश्तकारों में हमारा वर्चस्व बढ़ा है, हमें वोट मिले हैं पर क्या आप दिल पर हाथ रख कर कह सकते हैं कि 1990 के बीच में आपने इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत जो मकान बनाये या 1990 में जो मकान अधूरे थे, क्या उन मकानों को पूरा किया है ? एक मकान पूरा नहीं हुआ (व्यवधान).

श्री रतनलाल ताम्बी : समाजवाद के खिलाफ मामला है।....(व्यवधान)....

श्री रामनारायण मीणा : मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप चाहे बूढ़े होकर मर जाएं पर भैरोंसिंह जी आपको मंत्री, राज्य मंत्री या डिप्टी मिनिस्टर भी नहीं बनायेंगे।

(श्री रामनारायण मीणा)

आप चुप रहिये। मैं काश्तकारों की बात कर रहा हूं, आपके दिल की बात कर रहा हूं। अगर आप में हिम्मत हो तो बोलना।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था, माननीय सभापति महोदय इन्दिरा आवास में कितना पैसा भारत सरकार देती है। 125 योजनाएं ऐसी हैं, इस सरकार में बैठे हुए मंत्रीजी को याद नहीं हैं तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, 125 योजनाएं ऐसी हैं जिनका 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के माध्यम से भारत सरकार पैसा देती है। उन 125 योजनाओं का जो पैसा आता है, आप उनका कितना सदुपयोग कर रहे हों, आप उसका हिसाब बता दें। (व्यवधान) 125 योजनाएं हैं। यदि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को जानकारी नहीं है, तो मैं एक-एक को गिना सकता हूं। पैसा भारत सरकार का। एक योजना चली है, आजकल बहुत नाच-गाना हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है कि पैसा खर्च हो रहा है भारत सरकार का....

श्री राजेन्द्र पारीक : यह भूमिका बन रही है, भूमिका।

श्री रामनारायण मीणा : भारत सरकार का पैसा खर्च हो रहा है और यहां पार्टी के नाम पर नाटकबाजी हो रही है। एक योजना चली है, सम्पूर्ण शिक्षा कार्यक्रम....

श्री सभापति : आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री नरपत सिंह राजवी : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा, मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि भारत सरकार राजस्थान सरकार पर कोई मेहरबानी नहीं कर रही है....

श्री सभापति : वह आप बता दीजियेगा। जब आपका नम्बर आएगा। आपका टर्न आएगा आप बता दीजियेगा।

श्री रामनारायण मीणा : आपका नम्बर आ जाएगा।

श्री नरपत सिंह राजवी : उसी लाइट में बता रहा हूं।

श्री सभापति : प्लीज प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री रामनारायण मीणा : मैं अपने व्यक्तिगत उद्देश्य के लिये नहीं कह रहा हूं (व्यवधान)....

श्री सभापति : माननीय परसादी लाल जी, प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री रामनारायण मीणा : मैं निवेदन कर रहा था, जो केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं हैं....

श्री राजेन्द्र पारीक : कंवर साहब की इस सदन पर मेहरबानी है।

श्री सभातिप : माननीय पारीक साहब।

श्री रामनारायण मीणा : उन योजनाओं के माध्यम से जो पैसा आ रहा है, राजस्थान के विकास के लिये जो पैसा भारत सरकार दे रही है, क्या आप उसका ठीक ढंग से उपयोग कर रहे हैं, गरीबों के हित में उपयोग कर रहे हैं ? आप नहीं कर रहे हैं। शिक्षा के नाम पर आप लोगों ने

(श्री रामनारायण मीणा)

जो नाटक किया। अभी क्या हुआ था, अभी शिक्षा मंत्रीजी यहां नहीं हैं, बांसवाड़ा में कौन था, वह माननीय राज्य मंत्रीजी आपकी पार्टी के नेता जो वहां गांधीवादी नेता हैं, उनका नाम ले लिया उस मीटिंग में। यह कहा, साहब, इन्होंने ऐसा कहा कि साक्षर करो, अक्षर पढ़ो, ज्ञान लो। शिक्षा मंत्रीजी कहते हैं, नहीं, भैरोंसिंह जी ने कहा है। कितना पैसा कहां से आता है, हिसाब याद है? बाबा वालों का किया है। मेरे बूंदी जिले का सवाल है। मीटिंगें होती हैं और मीटिंगों में यह कहा जाता है, पैसा कहां से आ रहा है, कहां से नहीं आ रहा है। भारत सरकार इसका विरोध कर रही है और जिला कलक्टर, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट वहां बैठे हुए हैं, उनकी हालत यह है कि किसी के ऊपर कर्जा बाकी है, यदि 4 भारतीय जनता पार्टी के हैं और एक कांग्रेस का है तो चार से कुछ नहीं लेंगे और कांग्रेस वाले को चलो, लगाओ हथकड़ी। एक हादसा हुआ, माननीय सभापति महोदय, यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह का भेदभाव बरता जा रहा है, जिस तरह से गांव के विकास में भेदभाव बरता जा रहा है। वहां दो सरपंच चुनाव लड़े। एक का नाम था भंवर लाल और एक का नाम जगन्नाथ। दोनों के ऊपर ट्रेसपास के मुकदमें चले। पता नहीं कहीं से कोई टेलीफोन जाता है जिला कलक्टर का वायरलेस जाता है, भंवरलाल के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाए, जगन्नाथ को गिरफ्तार कर लिया जाए। जांच कर लें माननीय मंत्री महोदय, जो भी बूंदी जिले के इंचार्ज मंत्री हैं, जगन्नाथ को गिरफ्तार किया गया। हारे हुए सरपंच को इसलिए गिरफ्तार किया गया, थाने में 107 में गिरफ्तार रखा गया और उसके बाद में 447 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और हमने जिला कलक्टर से कहा, यह क्या हो रहा है। जिला कलक्टर का कहना था, मैं क्या करूं, भारतीय जनता पार्टी का राज है, मेरे ऊपर दबाव है, मुझे नौकरी करनी है (व्यवधान) यह हालात जहां हों। माननीय सभापति महोदय....

एक माननीय सदस्य : आपके समय में भी ऐसी हालत थी क्या सभापति जी ?

श्री कालीचरण सराफ : आपके राज का अनुभव बता रहे हो क्या ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : अपन तो बात करते ही रहते हैं। स्पीकर के पद का तो निर्धारण हो गया कि कौन बनेगा ? (व्यवधान)

मैं निवेदन कर रहा था अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में, वर्ष 1990 से लेकर 1991 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज रहा। उस समय को छोड़कर, 4-5 अक्टूबर, 1991 को मुख्य मंत्री सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, एक निर्णय हुआ था कि बैकवर्ड क्लासेज में जिसको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति कहा जाता है, इसका पूरा का पूरा बैंक लाग भरा जाय। एक आदेश जारी हुआ। उधर से एक सदस्य बोले थे अभी, अपने आपको एस.सी. एस.टी. का कहते हैं और है भी सही। मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं। मैं आपकी जानकारी के लिये उसके नम्बर पढ़कर सुना रहा हूं, लम्बा नहीं पढ़ूंगा। एफ. 9/3/डीओपी/एफ-5/92 दिनांक 20 जनवरी, 1992 का, उसी के

(श्री रामनारायण मीणा)

आधार पर एक आर्डर निकाला गया, जिसमें कहा गया है कि पूरा बैक लॉग 31 मार्च, 1992 तक कम्प्लीट कर दिया जाय।

माननीय सभापति महोदय, फाइल चली, ईमानदारी से फाइल चली। फाइल चलने के बाद राज्य के मुख्य मंत्रीजी के पास गयी। राज्य के मुख्य मंत्रीजी ने प्लीज डिस्कस लिखा। उस फाइल का आज दिन तक पता नहीं चला और राज्य के आयुर्वेद राज्य मंत्री, कहीं बैठे हैं तो इस बात का ज्ञान उनको है। उन्होंने कोशिश की कि अनुसूचित जाति के आदमी को जहां 0.92 प्रतिशत, एक प्रतिशत भी अनुसूचित जाति के आदमी वहां नहीं थे। उन्होंने कोशिश की कि बैकलॉग भरूं और उन्होंने बैकलॉग भरने की कोशिश की और ऊर्जा मंत्री कहने लगे, और ऊर्जा मंत्रीजी, आपने आयुर्वेद मंत्रीजी के खिलाफ किस बात की जांच दी, क्या गुनाह किया था उन्होंने ? सारे पावर्स सीज कर लिये गये। इसलिए कि आयुर्वेद विभाग में उन्होंने अनुसूचित जाति के 4-5 कम्पाउण्डर और आयुर्वेद चिकित्सकों को नौकरी देने की कोशिश की थी। उनसे नाराजगी हो गयी। नाराजगी हो गयी तो आपने उनकी हालत खराब कर दी। यह हालत जिस राज्य में हो, अनुसूचित जाति के लोगों का भला करने की जो बात करे, अनुसूचित जाति का आदमी और आप उसके चारों हाथ-पांव बांधकर, किसी तरह से उसको बोलने नहीं दो। इस तरह का जहां नाटक होता हो, क्या वहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के हित संरक्षित हैं ? यह हालत जहां हो रही है, मैं यह नहीं अर्ज कर रहा हूं, सभापति महोदय, गलती से क्या हो गया। अब यह जवाब आया विधान सभा से, मैंने पूछा था, मैंने निवेदन किया था शिक्षा मंत्रीजी से, शिक्षा मंत्रीजी उन लोगों को भी दो जो एस.सी. एस. टी. के चपरासी हैं और जो वर्षों से बैठे हैं, जो एजुकेटेड हैं और कनिष्ठ लिपिक के पद के दावेदार हो सकते हैं, वह उनकी क्वालिफिकेशन है। वहां से जवाब आया कि इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। मेरे भाई नन्दलाल जी, सोचो, आपके लोगों के साथ में क्या हो रहा है। आप तो मंत्री बन गये लेकिन आप कितने हैं और कितने मंत्री हैं, पर्सेन्टेज तो पूरा कर लो, आप ही में कर लो (व्यवधान) हम तो आपके सहयोगी हैं, आपके साथी हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था, एक ड्राइवर का आर्डर निकला। इतना भेदभाव जहां बरता जा रहा हो। चूंकि उसके पास ड्राइविंग का लाइसेंस था, शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहा था, चपरासी का काम कर रहा था, 6.2.1992 को एक आर्डर निकाला और उसके एक महीने बाद उसका कैंसिल कर दिया। आज तक तो मैं कितनी दफा विधान सभा के माध्यम से पूछताछ कर चुका हूं, चिट्ठी लिख चुका हूं लेकिन चूंकि वह अनुसूचित जाति, जनजाति का आदमी है, उसका प्रमोशन नहीं किया जा सकता। उसके बदले दूसरे आदमी को, जो उसका जूनियर था, उसका प्रमोशन कर दिया गया। दूसरे जिले में था, वहां पोस्टिंग करके प्रमोशन कर दिया गया। यह हालत जहां अनुसूचित जाति-अनुसूचित जन जाति की हो रही हो, मेरा जहां तक ख्याल है, इसके बाद में कुछ कहने की ज्यादा जरूरत रहती नहीं। लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि यदि कोई आगे बढ़ना चाहे तो

(श्री रामनारायण मीणा)

उसकी टांगे खींच ली जाती है, आपके समाज के लोगों की टी.ए.डी. मंत्रीजी। हालत यह है कि नेकर पहनो, जांघिया पहनो, शाखा में जाओ, वह आदमी यदि स्कूल के लिए जमीन मांगता है तो उसको जमीन दे दी जाती है एक रुपये में, 10 रुपये में, 50 रुपये में, 100 रुपये में....

एक माननीय सदस्य : यह हकीकत है।

श्री रामनारायण मीणा : आदिवासियों के लिये जमीन मांगी गयी है। भारत सरकार ने कहा राज्य सरकार को, हमने यह स्कूल के लिये इनको मंजूरी दे दी है, इनकी संस्था रजिस्टर्ड है, ट्राइबल आदमी है, लिखित में आर्डर दिया आपकी सरकार को। आर्डर दिये हुए कितने दिन हो गये ? 8 माह पहले। वे राजस्थान के सचिवालय में घूम रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं लाखों रुपये। भारत सरकार ने चूंकि आर्डर दिया इसलिए राज्य सरकार उनसे लाखों रुपया मांग रही है। कोटा, बूंदी, जयपुर में चक्कर काट रहे हैं, उनको जमीन नहीं दी जा रही है। इसलिए नहीं दी जा रही है कि आदिवासियों के लड़के-लड़कियां पढ़ेंगे। शिक्षित बनेंगे, नौकरी करेंगे, अफसर बनेंगे तो फिर उनके आगे जाना पड़ेगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा। आप उनसे कहना नहीं चाहते हैं, उनसे बात करना नहीं चाहते हैं। यह तो प्रजातंत्र है, वोट का राज है इसलिए आप बात कर लेते हो। यह तो हालत है ऊर्जा मंत्रीजी, आप तो कहते हो, आप तो विद्युत मंत्री हैं, बजट में मुख्य मंत्रीजी कहते हैं, हम सम्बल गांव का विद्युतीकरण करेंगे, सड़कों से जोड़ेंगे। कितने गांवों को जोड़ दिया ? आपके अधिकारियों का जवाब आया है ऊर्जा मंत्रीजी, मैं अर्ज कर रहा हूं, सभापति जी से, लेकिन आप सुन लो....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सुन रहा हूं।

श्री रामनारायण मीणा : आपकी भावना क्या है। वोट तो आप ले लेते हो अनुसूचित जाति-अनुसूचित जन जाति वालों से लेकिन अनुसूचित जाति का आदमी तहसीलदार के पास जाता है तो कहा जाता है, इसने तो तहसीलदार से ज्यादती की होगी, क्योंकि तहसीलदार अनुसूचित जाति का नहीं था। आप भले ही +++ मार दो अनुसूचित जाति वाले के, तो कोई मुकदमा नहीं बनेगा।

मैं निवेदन कर रहा था, एक आर्डर आया है

(16.00)

एक गांव है मोदीपुरा पंचायत माटून्दा में, यह विद्युतीकरण योजना में इसलिए शामिल नहीं किया गया है कि आपके परव्यू में इस वर्ष में नहीं आता है। यह सम्बल का गांव है, देखने की कोशिश की आपने ? एक गांव आपने सम्बल योजना का इलेक्ट्रिफाई नहीं किया, जो पहले इलेक्ट्रिफाई नहीं था जब सम्बल योजना लागू हुई। यह आपके डिपार्टमेंट की हालत है और आपको तो पता होगा माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, पता नहीं हो, तो मैं आर्डर निकाल कर आपको दे दूंगा। कांग्रेस जब शासन में थी, 1984

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामनारायण मीणा)

में एक आर्डर निकला था कि जिस गांव का पहले इलेक्ट्रिफिकेशन हो उस गांव में यदि ट्रांसफार्मर रखा जाए तो शिड्यूल कास्ट की बस्ती में रखा जाए। आज भी वह स्टैण्ड करता है। उम्मीद है आप उसको खारिज कर दोगे जिस तरह से आप करते जा रहे हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : नहीं करेंगे।

श्री रामनारायण मीणा : नहीं करोगे तो आप उसकी पालना कीजियेगा।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : पालना करेंगे।

श्री रामनारायण मीणा : आज दिन तक आपने पालना नहीं की। एक बस्ती को भी आपने उस आर्डर के तहत इलेक्ट्रिफाई नहीं किया। यह दुर्भाग्य था शिड्यूल कास्ट, शिड्यूल ट्राइब के लोगों का कि कांग्रेस का राज नहीं रहा और आप एक भी बस्ती इलेक्ट्रिफाई नहीं कर पा रहे हैं। यह हालत आपकी शिड्यूल कास्ट के प्रति है।

माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, आप शायद थोड़ा ज्यादा सोच रहे हैं। मैं मलेरिया की बात नहीं करूंगा, क्योंकि रात भर मच्छर खाते हैं, पंखा चलाता हूं तो भी मच्छर इतने ज्यादा हैं....

एक माननीय सदस्य : आपका खून मीठा है।

श्री रामनारायण मीणा : कृपा करके विधायक नगर में तो छिड़का दीजिये। भारत सरकार पैसा देती है, मलेरिया उन्मूलन में शायद सौ प्रतिशत पैसा देती है। मैं इतनी ही जानकारी करना चाहता हूं आपके माध्यम से, मलेरिया उन्मूलन के लिये कितना पैसा आता है और आप कैसे उपयोग कर रहे हैं।

श्री नन्दलाल मीणा (राज्य मंत्री श्रम) : आपने दिल्ली के मच्छर देखे हैं कि नहीं? धारीवालजी से पूछ लो।

श्री रामनारायण मीणा : बायलर की बात करूंगा अभी आपसे।

श्री नन्दलाल मीणा : दिल्ली वाले मच्छर कैसे होते हैं?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुझे तो मच्छर काटते ही नहीं हैं।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, कृपया संयम रखें आप।

श्री रामनारायण मीणा : मैं मच्छरों से परेशान हूं इसलिए थोड़ी देर बाद जब मच्छर आप भगा दोगे, छिड़काव करा दोगे तो बात करूंगा। बाकी एक विधान सभा प्रश्न का जवाब आया है, सभापति महोदय....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मच्छरों से मत डरो, मगरमच्छों से डरो।

श्री रामनारायण मीणा : बहुत महत्वपूर्ण मामला है। शिड्यूल कास्ट वालों की बात करते हैं। जाति प्रमाण-पत्र लेने के लिये निर्धारित प्रपत्र में एक रुपये का कोर्ट फीस का स्टाम्प लेकर के, वह मेरे साथी यहां बैठे थे दयारामजी परमार, इन लोगों को कास्ट, ट्राइब के मामले में यह ही पता नही है कि जाति प्रमाण-पत्र लेंगे तो उनको एक रुपये का टिकट लगाना पड़ेगा।

(श्री रामनारायण मीणा)

शिड्यूल कास्ट, ट्राइब के लिये शिक्षा मंत्रीजी हों, ऊर्जा मंत्रीजी, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके पास आर्डर नहीं हो तो, कांग्रेस राज में निकला हुआ आर्डर है, स्पेसिफिक आर्डर है, एस.सी.एस.टी. के लिये कोर्ट फीस का टिकट नहीं लगेगा। जो आर्डर आपने खारिज नहीं किया है अभी, आप जवाब दे रहे हैं, विधान सभा को गुमराह कर रहे हैं। खैर, जो भी है, कृपा करके आप सोचें। कुछ तो सोचें, गरीबों के प्रति सोचें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सोचेंगे।

श्री रामनारायण मीणा : हां, अच्छे कपड़े पहनने से ही मन साफ नहीं हो जाता, लेकिन थोड़ा सोच कर बात करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इनको भी दिलवाइये कपड़े आप।

श्री रामनारायण मीणा : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सभापति महोदय, जो भी है, आप कुछ कर पाये या नहीं कर पाये, तीन सितारा होटल की बात आप लोग करते हैं। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुत चर्चाएं होती थीं, मुख्य मंत्रीजी कहते हैं, हम तो मजा ले रहे हैं, विदेश का कर्जा ला रहे हैं, राजस्थान में इण्डस्ट्रीज जमा रहे हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन आप तो बूढ़े हो गये कहते हुए यह कि कांग्रेस का राज कर्ज में डूबा जा रहा है, कर्जा डाल रहे हैं भारतवर्ष के ऊपर, हमारे ऊपर कर्जा है, कितना कर्जा है, पैंतीस रुपये, आज कितना कर्जा है हमारे ऊपर? अपनी कथनी करनी +++ मैं निवेदन कर रहा था, जितना कर्जा आप लोग ले रहे हैं, सीधा कर्जा ले रहे हैं। इजरायल में जाते हैं, कहां रुकते हैं मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन कर्जा ले रहे हो तो आप लीजिये, विकास करने की बात करते हैं, आप तो विनाश कर रहे हैं। लेकिन कर्जा किन परियोजनाओं के ऊपर ले रहे हैं, क्या इसके बारे में आपने देखा कभी। ऐसी भी योजनाएं हैं जो वायबल नहीं हैं। आप हिसाब लगाइये, वायबल योजनाएं नहीं हैं। इसके साथ के साथ ही आपके पास इस बात का हिसाब है, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, ऐसा हिसाब आपके पास है कि इस कर्जे का चुकारा कैसे करोगे?

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति पैनल में तो आ गये, अब इधर आ जाओ।

श्री रामनारायण मीणा : आपको शायद पता होगा, विदेशों से आप जो लेते हैं उसकी बात तो आप छोड़ें, राज्य सरकार का अपने खर्चों पर अंकुश नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक आपसे कह रहा कि खर्चों पर अंकुश लगाइये। राजस्थान में जिस तरह का खर्चा हो रहा है, यह देश में लिये, प्रदेश के लिये ठीक नहीं है। खर्चे पर अंकुश रखिये। घाटे का बजट आपने पहले पेश किया, अब आप करने जा रहे हो, कृपा करके माफ करो, देश के लिये, प्रदेश के लिये ऐसा मत करो। आप कृपा करके यह घाटे का बजट और यह जो राजस्थान की अर्थ व्यवस्था का आप निपटा रहे हो, इसलिए निपटा रहे हो कि आप गरीबों के भले की बात नहीं सोचते। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए इतना कहना

+++अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामनारायण मीणा)

चाहूंगा कि तीन सितारा होटलों में नेता लोग रुकते हैं, यह करप्शन की बात बहुत करते हैं, हमारे खिलाफ यह किया, वह किया। आपके शीर्ष नेता सरिस्का के पास एक फोरेस्ट लॉज है, वहां रुके। कितने हजार का बिल था और बिना बिल चुकाये चल दिये। अब किया जिसके लिये तो क्या कहूं, किस-किस का बिल था। यह हिन्दू संस्कृति की बात करने वालों, देखो, वहां बिल किस बात का था, उस बिल को तो देखो। और किस ने चुकाया, किस डिपार्टमेंट से चुका और किसने चुकाया, वहां जाकर हिसाब का पता कर लो। यह सारी की सारी बातें आपके सामने हैं, बहुत शर्मनाक बात है। हिन्दू संस्कृति की बात करने वाले जिस तरह से....

श्री सभापति : माननीय परसादीलालजी, प्लीज।

एक माननीय सदस्य : मीनू क्या-क्या था।

श्री रामनारायण मीणा : मैं हैरीटेज वाली और यह बात नहीं करता, मैं तो इतना कहना चाहूंगा, सभापतिजी, कि जो मीनू की बात है, ज्यादा कहते ही मेरे खिलाफ, वह कल एक रखा था न इन्होंने प्रस्ताव, शाम तक के लिये गायब, बहुत डर लगता है बहुमत से, लेकिन राजस्थान की प्रजा सब देख रही है आपको, हालत खराब है, निपट जाओगे और निपटोगे नहीं तो जनता के द्वारा निपटा दिये जाओगे। मैं निवेदन कर रहा हूं, सभापति महोदय, जहां यह हालत हो....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अभी पंचायत में भी निपटा दिया जनता में। अभी पंचायत चुनाव में जनता ने किस को निपटाया ?

श्री रामनारायण मीणा : मैं तो उस पंचायत समिति की बात कर रहा हूं जिसका नाम है अंता और जहां से माननीय श्री कौशल साहब, अंता से जीत कर कौन आये हैं ? राज्य के ऊर्जा मंत्रीजी और प्रधान कौन बना, मेरा बहुत नजदीक का मित्र, वह कहता है, जगह ढूंढनी शुरू कर रहे हैं वह, क्योंकि यहां से नहीं जीत सकते और रामनारायण तो फिर भी जीत कर आयेगा। इसलिए इस बात में कोई तंत नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : वह अब भी बी.जे.पी. के हैं, आपने बहुत जोर लगा लिया, वह आज भी बी.जे.पी. के हैं। अंता पंचायत समिति में आपके कितने जीत कर आये ? पांच।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, आप तो संजीदा बनो। मंत्रीजी, आप तो संजीदा रहे हैं।

श्री रामनारायणा मीणा : कारण, माननीय सभापतिजी, अब सरकारी गाड़ी में बैठाकर ले गये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : फिर भी हमारी ही मदद से वहां का प्रधान बना।

श्री रामनारायण मीणा : और हमारा ही है। बिलकुल सही बात है।

Page No. 152

(152)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : बी.जे.पी. का है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने टिकट किसी और को दिया था।

श्री सभापति : शांतिजी, आप बैठें।

श्री रामनारायण चौधरी : वह आपके लिये खतरा पैदा हुए हैं।

श्री रामनारायण मीणा : मैं इसलिए दुःखी और पीड़ित शब्दों में बात कर रहा था, जब हमारे लोगों के खिलाफ, ऊर्जा मंत्रीजी मुझे क्यों टोक रहे हैं, भावना शुद्ध नहीं है, इसलिए इनकी भावना शुद्ध नहीं है कि मैं आदिवासी आदमी हूं....

श्री रतनलाल ताम्बी : यह आदिवासी हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह आदि-वासी हैं, देखो।

श्री रामनारायण मीणा : मीनू तो नहीं बताऊंगा उनको क्योंकि फिर वह अभी, हां माननीय मुख्य सचेतक महोदय, आपकी पार्टी के क्या हालात हैं एस.सी.एस.टी. के प्रति ? वह जोधपुर से जीतने वाले माननीय श्री मोहनजी मेघवाल बैठे हैं क्या, नहीं हैं। उनको होना चाहिए था। मैं बहुत अच्छी बात अर्ज कर रहा हूं। अब आप देखिये, सभापतिजी, इस राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी क्या क्या कर रहे हैं एस.सी.एस.टी. के लोगों के खिलाफ। एक विधायक हैं जोधपुर में, कहा-सुनी हो जाती है, हमारी ड्यूटी है कि हम अधिकारियों से कहें, जनता के हित की बात करें, किसी मिलने वाले का भी मामला हो तो हम ना नहीं कर सकते, उनको थाने में गिरफ्तार कर लिया। किसलिए गिरफ्तार किया, कुछ दिन पहले उनका एक अखबार में फोटो आया था कि मुख्य मंत्रीजी को हटाना चाहते हैं। उस शिड्यूल कास्ट के आदमी को....

श्री नन्दलाल मीणा : आप जैसे आदमी के साथ रहेंगे तो यही हालत होने वाली है।

श्री रामनारायण मीणा : नहीं, आपकी पार्टी में वह, कहां हैं नगर के विधायकजी, अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले लेकिन चूंकि शिड्यूल कास्ट के नहीं इसलिए आपको हिम्मत नहीं पड़ सकी और आप तो पढ़े लिखे समझदार हो गये इसलिए आप बोल रहे हो, हमारा साथ दो, गरीबों का भला सोचो, आप तो हमारे हो, पराये नहीं हो। इसलिए, सभापति महोदय, एक की बात नहीं कर रहा मैं...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वह कैसे आपके हैं, वह बी.जे.पी. के हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री रामनारायण मीणा : मैं दूसरी बात कर रहा हूं, सभापति महोदय, राजस्थान सरकार में एक मंत्रीजी हैं। उन मंत्रीजी को आम मीटिंग में, पब्लिक मीटिंग में इसलिए प्रताड़ित किया गया कि वह शिड्यूल कास्ट के हैं। बोलने में हो जाता है 27 हजार का 27 लाख, यही नहीं, पीपल्दा से आने वाले विधायक कांग्रेस के थे इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ; इसलिए मुकदमा दर्ज हुआ कि शिड्यूल कास्ट के थे। यह हालत हैं। यह शिड्यूल कास्ट के एम.एल.एज. के साथ हो रहा है, एक-दो के साथ नहीं हो रहा है, सारे दिल से परेशान हैं, दुःखी हैं, पीड़ित हैं, यह हालत

(श्री रामनारायण मीणा)

आज है। इसलिए, सभापति महोदय, 'मैं बहुत कड़े शब्दों में...

श्री सभापति : रामनारायणजी, मैं आपको एक नम्र निवेदन करूं, आप 25 मिनट बोल चुके हैं।

श्री रामनारायण मीणा : नहीं, सभापति महोदय।

श्री सभापति : हां, मैं तो टाइम नोट कर रहा हूं। टाइम को नोट कर रहा हूं इसलिए आप थोड़ा संक्षेप में, क्योंकि आपकी ही पार्टी के मुख्य सचेतक श्री खेतसिंह जी ने लिखा है कि 15 मिनट दें। कृपा करें।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बहुत दिनों बाद प्रोफिट में आ रहा है लेकिन वहां के चेयरमैन के खिलाफ क्यों अनर्गल प्रचार किया जा रहा है इसलिये प्रचार किया जा रहा है कि वह शिड्यूल कास्ट के हैं। माननीय सभापति महोदय, हम देखते हैं कि टैक्स वसूलियां किस तरह से होती हैं। सैंकड़ों ट्रक खड़े रहते हैं, रिश्वत ली जाती है, डायरी में नोटिंग किया जाता है। इतना करप्शन और भ्रष्टाचार है, या हालत हैं।

मैं निवेदन कर रहा हूं, मंत्रीजी पता नहीं कहां चले गये लेकिन गरीब का सवाल चिकित्सा से भी जुड़ा हुआ है। गांवों में डाक्टर्स नहीं हैं। वह कह रहे थे, डाक्टर कैसे नहीं हैं। मैं कहता हूं कि मेरे यहां डाक्टर्स की कमी है। मैंने उनसे कहा यह डाक्टर बांसवाड़ा है, परेशान है, कोटा जिले का रहने वाला है, मेरे यहां 60 डाक्टर्स नहीं है, इनको लगा दो। देखा शायद कांग्रेस के लिये कहा होगा। 60 डाक्टर्स नहीं हैं, गरीब इलाका है। ऊर्जा मंत्रीजी, थोड़ा दीन-धर्म-ईमान रखो, उस इलाके में भी कुछ करो। ऐसे लोगों को दूर करने के बजाय आप क्या कर रहे हो। आपका मिलने वाला वह डाक्टर है। मैंने आपको एक दफा अर्ज भी किया था, जब आप मंत्री नहीं थे। आपने कहा नहीं, बदमाश है। सोनी क्लीनिक में रोजाना आपरेशन करता है यह डाक्टर और आपको पता है। हो सकता है बारां का रिश्तेदार हो या रहने वाला हो और गरीब से, मुर्दे के रिश्तेदारों से पैसा लेता है आपरेशन टेबिल पर चिकित्सालय में जब रहता है, सबसे ज्यादा इन्कम कर रहा है इसलिये उसका ट्रांसफर नहीं हो रहा है कि सबसे ज्यादा कमाई कर रहा है। वह डाक्टर गरीब को भी नहीं छोड़ता है। मुख्य मंत्री महोदय ने चिकित्सा सुविधाओं के लिये कहा है। यह एक आर्डर निकाला है आपने 22.8.94 को कि कोई भी डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता। उसकी पालना नहीं हो रही है। एक भी गांव का चिकित्सक ड्यूटी पर नहीं रहता, हालत बदतर है। जो डाक्टर चिकित्सालय में पोस्टेड हैं, वह बीबी के नाम पर, भाइयों के नाम पर क्लीनिक चला रहे है, क्लीनिक में काम करते हैं, चिकित्सालय में एक घंटा नहीं जाते और गरीब का शोषण हो रहा है। आप तो डाक्टर्स की पोस्टिंग की बात करते हो। ऐसे डाक्टर को वहां क्यों रखे हुए हो ? आपको क्या इंट्रेस्ट है ? आप तो ईमानदार हो। जो डाक्टर आपसे नहीं मिलता उसका ट्रांसफर, जो डाक्टर आपसे किसी न किसी बहाने से

(श्री रामनारायण मीणा)

मिलता है, बात करता है उस डाक्टर का ट्रांसफर नहीं, इससे ज्यादा आप सारी बात समझदार हो, कहने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा यहां तक ख्याल है, माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : अब समाप्त करें।

श्री रामनारायण मीणा : मैं बिलकुल समाप्त कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, अभी तारानगर से आने वाले माननीय बैद साहब ने श्री अभिन्न हरिजी की बात की। मैं उनका नाम लेकर बोलना चाहूंगा क्योंकि वह श्रद्धा के पात्र हैं और श्रद्धा के इतने पात्र हैं कि....

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री समाज कल्याण) : आपकी श्रद्धा के पात्र हैं ?

श्री रामनारायण मीणा : बिलकुल, मेरे क्या सभी के हैं लेकिन आप जैसे +++ हां, और कुछ कह सकता हूं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : आपकी पार्टी के लोगों ने ही उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है।

श्री रामनारायणा मीणा : उसका क्या हुआ ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय मंत्रीजी।

श्री रामनारायण मीणा : चूंकि वह स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी है, आन्दोलन में कितने ही महीने जेल में रहे....

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : वहां पर इन्हीं के पार्टी के लोगों ने कब्जा कर लिया और वह श्रद्धा के पात्र बता रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मसला तो हम उठा रहे हैं, आपको तो दया नहीं आयी।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सभापति महोदय, वह स्वतंत्रता सेनानी हैं।

श्री सभापति : प्लीज सिट डाउन, प्लीज ओब्लाइज, आप बोलें।

श्री रामनारायण मीणा : मेरा स्पष्ट आरोप है राज्य के समाज कल्याण मंत्री पर जब उनको जमीन वापस दी जा रही थी, वह राजीनामा करने को तैयार थे, प्रशासन अभिन्न हरि जी की मदद कर रहा था। आपने कैसे कह दिया कि मैं सब कुछ करवा दूंगा ? और जमीन उन बदमाशों के चुंगल में वैसे के वैसे रहने दी और वह पैसा भी आज दिन तक नहीं दिलवायी। समाज कल्याण राज्य मंत्री के ऊपर मान्यवर मैं स्पष्ट आरोप लगाता हूं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय सभापति महोदय, यह मिथ्या आरोप लगा रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा : मैं आपके लिये नहीं कह रहा हूं।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सभापति महोदय, आप प्रश्न अभिन्न हरिजी का कर रहे हैं। हम सब आदर करते हैं, वह हमारे आदरणीय हैं। असली कांग्रेस के....

श्री रामनारायण मीणा : हाईकोर्ट के आदेश की पालना करा दो।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : असली कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानी हैं, सबके आदर के पात्र हैं आप जैसे नहीं हैं जो अभी अभी आये हैं इस रसगुल्ले में, उनके प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है। आप बतायें उनकी क्या समस्याएं हैं और कैसे हल की जा सकती है। मैं आपके साथ हूं।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, संयम रखें प्लीज। It is not a matter now.

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सभापति महोदय, आज श्री पंडित अभिन्न हरिजी की जमीन पर जिन लोगों का कब्जा है....

श्री सभापति : प्लीज सिट डाउन, कृपया आप समाप्त करें। You have taken enough time.

श्री रामनारायण मीणा : मैं आपके माध्यम से छबड़ा से आने वाले माननीय विधायक से निवेदन करना चाहूंगा....

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, इनको धारीवालजी का संरक्षण प्राप्त है।

श्री सभापति : आप बैठिये, आप बैठिये।

श्री रामनारायण मीणा : हां, सब कुछ प्राप्त है। आप कृपया आपके पास शासन है।

श्री सभापति : आप स्वयं इनीसियेट करते हैं सब्जेक्ट मैटर को।

श्री रामनारायण मीणा : आपके पास शासन है, आप अपनी पोस्ट का यूज कीजियेगा, हम लोग आपका सहयोग करेंगे। आप उनकी जमीन पर कब्जा दिलवा दीजिये।

श्री सभापति : अच्छा समाप्त करें आप।

श्री रामनारायण मीणा : इसलिये मैं, माननीय सभापति महोदय, कहने को बहुत कुछ है....

श्री सभापति : I am calling another member.

श्री रामनारायण मीणा : लेकिन कुल मिलाकर जो बात माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कही है, उनका कोई ध्यान नहीं है। इसी के साथ-साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री रामप्रताप कासनिया।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है इससे राजस्थान का चहुंमुखी विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में लोग अमन और चैन से रह रहे हैं....

श्री सभापति : No comments please.

श्री रामप्रताप कासनियां : हर वर्ग का व्यक्ति सरकार से खुश है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सिवाय आपके।

श्री रामप्रताप कासनियां : मैं तो खुश हूं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं कि अब की बार बजट चिकित्सा को समर्पित किया है पर मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बजट ग्रामीण क्षेत्रों को समर्पित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोग इलाज कराने के लिये दूरदराज के कस्बों में जाने में कठिनाई महसूस करते थे। अब उन लोगों को चिकित्सा सुविधा गांव के अन्दर ही मिलेगी। बजट के अन्दर इस वर्ष 124 करोड़ 66 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा है जो पिछले वर्ष से 51 करोड़ 57 लाख रुपये ज्यादा हैं। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, इसी के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिये डाक्टर्स के रहने के लिये कोई स्थान नहीं था, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट के अन्दर 57 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में डाक्टर्स के रहने के लिये मकान बनाने का प्रावधान है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने का प्रावधान है, इससे ग्रामीण क्षेत्र में डाक्टर्स का रहना लगभग तय है। आज से पहले हुआ क्या? आज से पहले ग्रामीण क्षेत्र में डाक्टर्स के रहने के लिये जगह नहीं थी, कागजों में ही उनका पदस्थापन होता था। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सुविधा नहीं होने के कारण डाक्टर्स, कम्पाउण्डर्स, नर्स नहीं रहते थे। इसके अलावा सरकार ने गम्भीर रोगियों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 20 जिलों में सघन इकाई खोलने का निर्णय लिया है। यह भी बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में मरीज को दवाई खरीदने के लिये कोई सुविधा नहीं थी, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में दवाई विक्रय केन्द्र खोलने का जो निर्णय लिया है इससे रोगियों को बहुत फायदा होगा। उन्हें 20-20, 30-30 किलोमीटर तक दवाई खरीदने के लिये जाना पड़ता था, पैसा ज्यादा खर्च होता था। अब वह सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों की कठिनाइयों को देखते हुए बजट के अन्दर अब की बार सरकार ने 8 उप-खण्डीय मोबाइल पशु चिकित्सालय इकाइयां स्थापित करने का जो निर्णय लिया है, यह बहुत अच्छी बात है। चिकित्सकों के अभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिये 400 पशु चिकित्सकों व 200 पशु सहायकों की नियुक्ति करने का सरकार ने विचार किया है। यह भी एक बहुत अच्छी बात है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारी के कारण जो पशु मर जाते थे अब पशु चिकित्सकों की नियुक्ति होने के बाद इसमें बहुत कमी आयेगी और किसान इससे खुशहाल होगा।

सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्र की सत्ता में भागीदारी के लिये सरकार ने पंचायतों के चुनाव करवाये और पंचायतों के चुनाव करवाने के साथ-साथ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिलाओं को आरक्षण देकर के सत्ता में उनकी भागीदारी की है। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान राशि में भी 25 प्रतिशत बढ़ोतरी की है,

(श्री रामप्रताप कासनियां)

इससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा। यह भी सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है। सभापति महोदय, इसके अलावा भी काफी चीजों में सरकार ने रियायत दी है, जैसे,-ईसबगोल, सिंघाड़ा, राजगीरा, छाता, जूट से बनने वाली रस्सी, मैदा, सूजी को पूर्णतया करमुक्त किया है। इसके अलावा खुली चाय पर 10 प्रतिशत बिक्री कर लगता था यह खुली चाय खरीदता कौन है? गरीब। अमीर लोग तो चाय की पेट्टियां खरीदते हैं। गरीब 5-5, 10-10, 4-4 रुपये की चाय खरीदते हैं। इसमें कर की रियायत करके, 10 प्रतिशत से घटाकर के 4 प्रतिशत किया है।

(16.21)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन।)

इससे गरीबों को राहत मिलेगी। इसके अलावा खेल सामग्री, गन्ना, जीरा, वाटर पम्प, धातु के बरतन वगैरह पर वर्तमान में 2.5 प्रतिशत कर को घटाकर 2 प्रतिशत करने का जो निर्णय लिया है, इससे भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के गरीबों को काफी राहत मिलेगी। आयुर्वेद पद्धति से तैयार की गयी सभी प्रकार की वस्तुओं पर वर्तमान में कर की दरें 10 व 12 प्रतिशत हैं जिनको घटाकर सरकार ने 6 प्रतिशत करने का जो निर्णय लिया है, यह भी बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा इलेक्ट्रोनिक, घरेलू उपकरणों पर अब 15 प्रतिशत की दर को घटाकर 12 प्रतिशत करने का जो निर्णय लिया है इससे भी गरीब लोगों को राहत मिलेगी। 400 रुपये तक के चश्मे पर भी कर में छूट दी गयी है। पहले 10 प्रतिशत लगता था अब 2 प्रतिशत कर लगाने का जो निर्णय लिया है, इससे भी गरीब लोगों को फायदा पहुंचेगा। क्योंकि 200-400 रुपये के चश्में गरीब लोग ही खरीदते हैं। अमीर लोगों के तो मैंने चश्में देखे हैं एक-एक हजार दो-दो हजार से कम के नहीं होते। इसके अलावा वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने नील व रंगाई छपाई के रसायन पर वर्तमान में 10 प्रतिशत कर को घटाकर 4 प्रतिशत कर लगाने का जो निर्णय लिया है इससे भी लोगों को राहत मिलेगी। हस्तशिल्प वस्तुओं को कर से मुक्त करके ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अवसर प्रदान किया है। इसके साथ-साथ सरकार ने कच्ची ऊन व चमड़े को कर से मुक्त करके ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को पनपाया है। ऊन व चमड़े को कच्चे माल के रूप में उपयोग करने पर कोई कर नहीं लगेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धन्धे ज्यादा खुलेंगे, गरीबों को काम मिलेगा।

एक माननीय सदस्य : उद्योग धन्धे चौपट हो जाएंगे।

श्री रामप्रताप कासनियां : चौपट नहीं, चौपट तो जो हुआ है वह अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, जो हुआ है वह भी मैं निवेदन करूंगा।

सभापति महोदया, ग्रामीणों की कठिनाई दूर करने के लिये राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों में स्टाम्प विक्रेता नियुक्त करने का निर्णय लिया है इससे आज ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे आपस में खरीद-फरोख्त करने के जो धन्धे होते हैं, जैसे जमीन का

(श्री रामप्रताप कासनियां)

है, प्लाट का है, आज गांव के अन्दर 200 रुपये का प्लाट खरीदा और उसकी लिखा-पढ़ी के लिये तहसील हैड-क्वार्टर पर जाना पड़ता हैं, क्योंकि तहसील हैडक्वार्टर के बिना स्टाम्प नहीं मिलते हैं। सभापति महोदया, मैं कहना चाहूंगा कि सरकार की जो नीयत है वह इन बातों से पता लगती है कि सरकार की नीयत ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में कैसी है ? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को कि इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया है, वह ग्रामीण क्षेत्र के लोग कभी भूल नहीं पाएंगे।

सभापति महोदया, सरकार ने एक अंकीय लाटरी बंद करने का जो निर्णय लिया है, इससे गरीब लोगों को फायदा होगा। अमीर लोग कभी यह लाटरियां नहीं खरीदते हैं उनकी लाटरी तो बहुत बड़ी हुआ करती है इससे भी गरीब लोगों को राहत मिलेगी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपकी लाटरी नहीं खुलेगी।

श्री रामप्रताप कासनियां : मेरी लाटरी खुले न खुले, मैं आपकी लाटरी अवश्य ही खोल दूंगा (व्यवधान) कांग्रेस पार्टी के लोग गरीबों को ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 1969-70 के अन्दर कांग्रेस का राज था। इंदिरा गांधी कैनाल के अन्दर....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। आप मुख्य सचेतक महोदय से मेरा टाइम। कांग्रेस पार्टी ने गरीबों को ऊपर उठाने का जो नारा लगाया, वह कतई गलत था। 1969-70 में कांग्रेस सरकार ने जमीन नीलाम करने का निर्णय लिया और गरीबों को, भूमि हीनों को, जमीन नहीं देने का जो निर्णय किया था, उसको लोगों ने आन्दोलन करके रुकवाया। पूरे राजस्थान की जेलें भर गयीं और श्री सुखाड़ियाजी ने इसी सदन के अन्दर गरदन झुकाकर कहा कि मैं राजस्थान के किसानों के आगे झुकता हूं, जमीन नीलाम करने का निर्णय वापस लेता हूं, यह है आपकी सरकार। उसके बाद में कांग्रेस का शासन था। कांग्रेस के शासन में जमीन देने का जो निर्णय दबाव में आ कर लिया था, ऊंची से ऊंची जमीन जहां कोई काश्त ही नहीं कर सकता था, वह जमीन हरिजनों को उपलब्ध करवाई हरिजनों को इस प्रकार से ऊपर उठाने का काम जो किया है वह यह है, और जो नीची थी, अच्छी जमीन थी वह पैसे वाले आपके शासनकाल में अलाट करवा कर ले गये। आपने गरीबों को ऊंचा इस बात पर उठाया है कि उनको जमीन ऊंची दी है।

सभापति महोदया, एक नारा कांग्रेस के लोग और लगाते हैं, हमने छुआछूत मिटा दी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि छुआछूत कांग्रेस ने नहीं मिटाई। जिस व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति जो गरीब है, उसकी गरीबी आप दूर कर दो तो स्वत: ही उससे कोई भी व्यक्ति छुआछूत नहीं करेगा। छुआछूत है, भूख की और भूख यह लोग दूर नहीं कर सके। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज चाहे कोई पंडित कितना बड़ा क्यों न हो, वह अगर मैला-कुचला होगा, उसके कपड़े फटे हुए होंगे, उसके घर पर खाना खाने के लिये बरतन नहीं होंगे, बैठने के लिये चारपाई

(श्री रामप्रताप कासनियां)

नहीं होगी तो उससे हरिजन भी छुआछूत करेगा। यह लोग तो आज तक नारे दे देकर शासन करते रहे। भूख यह लोग मिटा नहीं सके और इन्होंने तो एक ही नारा दिया कि हमने छुआछूत खतम कर दी। छुआछूत नारों से खतम नहीं होती, छुआछूत दूर होगी भूख मिटाने से। आज कोई भी व्यक्ति, चाहे वह हरिजन है या कोई दूसरी कॉस्ट का है, आज वह अगर एस. डी. एम. है या साधन-सम्पन्न है, पैसे वाला है तो उससे तो कोई छुआछूत नहीं करता। छुआछूत भूख की है। इन लोगों से तो मिटी नहीं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, गरीबी दूर करने के लिये जिस तरह के कार्यक्रम लागू कर रखे हैं, उनकी अच्छी तरह से देख रेख करके, उन कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। तभी छुआछूत दूर होगी।

सभापति महोदया, कांग्रेस ने फिजूल-खर्ची पर कभी रोक नहीं लगायी। मैं पिछले चार-पांच वर्ष से हमारे मुख्य मंत्रीजी की जो खर्च कम करने की बात है, वह लगातार देख रहा हूं। चाहे वह मंत्री हो, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो, आज तक मैंने मंत्रियों के टेलीफोन बिलों की तरफ किसी भी सरकार का ध्यान जाते हुए नहीं देखा परन्तु हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह से बारीकी से सबके ऊपर चाहे मंत्री हो और चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी हो, उनके अनावश्यक खर्चों में कटौती करके राज्य कोष के अन्दर फायदा पहुंचाया है। (व्यवधान)

सभापति महोदया, इन्दिरा आवास विकास योजना की यहां चर्चा हो रही थी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर इन्दिरा आवास योजना के तहत एक भी मकान, पहली बात तो मौके पर उपलब्ध ही नहीं है, खाली रिकार्ड में है और मान लीजिये एक दो प्रतिशत हैं भी तो उन पर या तो छत नहीं है या किवाड़ की जोड़ी नहीं लगी है इसलिए ये....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज ही मुझे मौका मिला है। इसके अलावा कांग्रेस के जमाने में जितनी भी नहरों और खालों का जो निर्माण हुआ है, उनमें घटिया सामग्री लगी है। ईंट तीन-तीन, चार-चार नम्बर की, सीमेंट के स्थान पर रेत, कुल-मिलाकर निर्माण कार्य बहुत ही घटिया हुआ है। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी कैनाल में से सूरतगढ़ ब्रांच शाखा निकलती है। उसके ऊपर एक दीवार डेढ़-डेढ़, दो-दो फुट ऊंची बनायी गयी है, कांग्रेस के शासन काल 1978 और 1979 में, सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज तक मैंने छह-सात वर्ष के अन्दर पक्की दीवार निकाली हुई, टूटी हुई नहीं देखी। चाहे आप गारे में ही ईंट लगा दो, कच्ची दीवार भी छह-सात वर्ष तक तो नहीं टूटती, वह पूरी दीवार खुर्दबुर्द हो गयी और वहां ईंट और सीमेंट का नमोनिशान तक नहीं है, खाली सुरखी नजर आती है। केवल कागजों में नहरें पक्की दिखाई गयी हैं। नहरें जगह-जगह से टूटी पड़ी हैं अगर कांग्रेस के माननीय सदस्य इस बात को देखना चाहें तो मैं मौके पर चलकर यह सारी चीजें दिखा सकता हूं।

सभापति महोदया, सरकार ने निर्णय लिया है कि महीने के अन्दर एक बार कलक्टर पंचायत समिति हैड-क्वार्टर पर

(श्री रामप्रताप कासनियां)

जाकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की दुःख-तकलीफ सुनेंगे। यह जो सरकार का है निर्णय, इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बहुत अच्छा फायदा हुआ है। महीने के अन्दर एक दिन कलक्टर पंचायत समिति के हैड क्वार्टर पर आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनते है और मौके पर ही उनका समाधान करते हैं। यह जो निर्णय सरकार ने किया है इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफी सन्तुष्ट हैं। सभापति महोदया, मान लीजिये, किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिला, तो हमारे मुख्य मंत्रीजी का दरबार हर व्यक्ति की शिकायत सुनने के लिये हर समय खुला मिलता है, चाहे किसी मंत्री की शिकायत हो, चाहे किसी विधायक की शिकायत हो, चाहे किसी अधिकारी की शिकायत हो, उनका दरबार हर समय खुला रहता है....(व्यवधान).... आपके शासनकाल में मुख्य मंत्री से मिलना बहुत बड़ी बात थी। पहले तीन-तीन, चार-चार दिन तक तो एप्रोच लगानी पड़ती थी मिलने के लिये, हमारे शासन में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। चाहे कोई मंत्री है या कोई अधिकारी है या कोई दूसरा व्यक्ति है, हर वर्ग के लोगों को मिलने की छूट है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिलने की छूट है, शहरी क्षेत्र के लोगों को मिलने की छूट है।

सभापति महोदया, अभी शिक्षा पर चर्चा हो रही थी कि सरकार ने शिक्षा पर क्या किया है। कक्षा एक से लेकर आठ तक जो मुफ्त किताबें लड़कियों को सुलभ करवायी गयी हैं, इससे बड़ा क्रांतिकारी कदम शिक्षा के प्रति हो नहीं सकता और इससे ग्रामीण क्षेत्र में आप स्वतः ही रिकार्ड देख कर पता कर सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर लड़कियों की जो संख्या है, वह बढ़ी है। गरीब लोगों के पास पुस्तकों के लिये पैसे नहीं हुआ करते थे और सरकार ने मुफ्त यह जो पुस्तकें उपलब्ध करवायी हैं, इससे लोगों का रुझान पढ़ाई की तरफ हुआ है। कांग्रेस के लोगों ने तो अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को अपने शासनकाल में बैकडोर एण्ट्री करवा कर नौकरी दी थी, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में बैकडोर एण्ट्री बिलकुल बन्द हो गयी है केवल पढ़ने लिखे लड़कों को ही नौकरी मिलती है, नौकरी के मामले में राजस्थान में न्याय है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : नौकरी ही बन्द हो गयी। नौकरी आप दे किसको रहे हो ?

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी... (व्यवधान)....

श्री रामप्रताप कासनियां : माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सरदारगढ़ पंचायत के अन्दर, काफी लम्बी-चौड़ी पंचायत है, उसमें राय सिक्खों के डेढ़ सौ-दो सौ परिवार रहते हैं। उन लोगों को टी.सी. पर भूमि आवंटित हुई थी और वह पिछले 15-20 वर्षों से सचिवालय के चक्कर लगाते रहे हैं, आज दिन तक इन लोगों को कोई सुनवाई नहीं हुई। माननीय सभापति महोदया, वे लोग पाकिस्तान से आये थे और उनका मुख्य धन्धा मजदूरी करना था। वे लोग 1955

(श्री रामप्रताप कासनियां)

की वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल नहीं करवा सके, इस कारण से इन लोगों को भूमि आबंटन नहीं की गयी। 1964–65 और 1970–71 से लेकर आज दिन तक वह जमीन पर काबिज हैं। मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन लोगों को उस भूमि पर भूमिहीन मानते हुए एक-एक मुरब्बा जमीन अलाट की जाए। इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र मिरजावाला कृष्णा टीनेंट कृषि सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन 1964 में हुआ था और उस सोसायटी के दस मैम्बर थे, उनको भूमि अलॉट हुई थी, दस मेम्बरों के नाम से सोसायटी के। आज से आठ-दस वर्ष पहले उनकी सोसायटी का रजिस्ट्रेशन ए.आर. ने समाप्त कर दिया। उस जमीन पर वे लोग आज भी काबिज हैं। उन लोगों के पास सन् 1955 के सबूत हैं और वह राजस्थान के मूल निवासी हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उन लोगों को भूमिहीन की श्रेणी में मानते हुए एक एक मुरब्बा भूमि अलाट की जाए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य संक्षिप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि विधायकों को अपने क्षेत्र में 10 लाख रुपये विकास कार्यों पर खर्च करने का सरकार ने जो निर्णय लिया था वह राशि कम है, उसको बढ़ावा जाय, उसको कम से कम 25 लाख किया जाए। मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी भी पक्की नहरें बनी हैं और जो खाले बने हुए हैं कांग्रेस के शासनकाल में, उनमें अब क्वालिटी में सुधार जरूर आया है पर इसका मतलब यह नहीं है कि पहले किसी आदमी ने चोरी कर ली तो उसको छूट दी जाए, जिन लोगों ने निर्माण कार्य में घटिया सामग्री यूज की है उनके खिलाफ जांच करा कर दोषियों व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

सभापति महोदय, इसके अलावा सरकार ने....

श्री सभापति : माननीय सदस्य संक्षिप्त करें अब। समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां : सभापति महोदया, माननीय आयुर्वेद मत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जो वैद्य हैं औषधालयों में इस कांग्रेस के शासनकाल से उनकी आदत बिगड़ी हुई है, अभी तक पूरी आदत सुधरी नहीं है। वह आज भी एलोपैथिक दवाइयां काम में लेते हैं और इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक औषधियों का प्रचलन बिलकुल समाप्त होता जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आयुर्वेदिक पद्धति को बढ़ावा देने के लिये जो वैद्य ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन पर पाबंदी लगाई जाए ताकि वह एलोपैथिक दवाइयां यूज नहीं कर सकें और अपनी प्राइवेट दुकान बंद करें। इस तरह का निर्णय सरकार को करना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदया, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों पर कोई नया कर नहीं लगाया। यह

(श्री रामप्रताप कासनियां)

भी एक बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस का कोई भी बजट उठाकर दिखवा लीजियेगा उसमें किसान पर, गरीब पर किसी न किसी रूप में कर लगाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों पर, गरीबों पर आज तक कोई नया कर नहीं थोपा। माननीय श्री बैदजी फरमा रहे थे कि सरकार ने कोई आय का स्रोत बजट के अन्दर नहीं ढूंढा। माननीय श्री बैदजी की मंशा साफ थी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों पर कर लगाया जाए, गरीबों पर कर लगाया जाए।

सभापति महोदया, सरकार ने फव्वारा पद्धति, बूंद-बूंद सिंचाई, पाइपों पर सिंचाई पद्धति के लिये अनेक मदों पर जो अनुदान दिया है उस से ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छा फायदा हुआ है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह तो केन्द्र सरकार दे रही है।

श्री रामप्रताप कासनियां : कुछ ही नहीं था। पहले तो आप तो ओलों के लिये आधे आने तक माफ नहीं करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब की बार ओले गिरे तो तुरन्त चाहे हजार दिये या चाहे पांच सौ दिये, राहत पहुंचाई है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां : सभापति महोदया, आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद देना चाहूंगा। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री लक्ष्मण सिंहजी।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : सभापति महोदया, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने वर्ष 1995-96 के लिये जो बजट प्रस्तुत किया है वह पूर्णत: निराशाजनक बजट रहा है। इस बजट से न तो किसानों को राहत मिली, न भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिये कोई बात की गयी है और न ही प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये इस बजट में कुछ बताया गया है।

सभापति महोदया, मुख्य मंत्रीजी के ज्ञान, उनके अनुभव, उनकी कार्यशैली को देखते हुए बड़ी आशाएं थीं, बड़ी अपेक्षाएं थीं लेकिन उन आशाओं पर तुषारापात हो गया। सही मायने में करेज ऑफ कंविक्शन तब होता जब मुख्य मंत्रीजी अपनी गलतियों को स्वीकारते। मुख्य मंत्रीजी जब बाहर कहीं पर कुछ बात करते हैं, तो वह स्वीकार भी करते हैं लेकिन राजस्थान विधान सभा में वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। मुख्य मंत्रीजी, ने राजस्थान दिवस के वक्त में एक इन्टरव्यू दिया था उस वक्त उन्होंने अपनी गलतियां स्वीकार की थीं कि हमने अपनी कोटेज इण्डस्ट्री को नेग्लैक्ट किया है, हमने अपने पशु पालन व्यवसाय को नेग्लैक्ट किया है। लेकिन मुख्य मंत्रीजी में इतना साहस और हिम्मत नहीं हुई कि वह इस सदन में अपनी गलतियां स्वीकार कर लें। उन्होंने अपनी लच्छेदार भाषा के अन्दर इंटरनेशनल लेवल से बात शुरू की, नेशनल लेवल से बात शुरू की और यहां आते-आते गोलमोल कर ली। मैं यह नहीं कहता, सभापति महोदया, कि इस बजट में कुछ भी अच्छा नहीं है। कुछ अच्छे बिंदु भी हैं। हम में करेज आफ कंविक्शन है, हम उनको स्वीकार भी करते हैं। उदाहरण के तौर पर मुख्य मंत्रीजी ने लाटरी बंद की, यह एक बहुत अच्छा कार्य किया, यद्यपि इससे सरकार को 10 करोड़

(श्री लक्ष्मण सिंह)

का घाटा हुआ। इस पिछले वर्ष के अन्दर हम यह भी मानते हैं कि कुछ पब्लिक अण्डरटेकिंग्स के कार्य–कलाप में सुधार आया और उसमें विशेष रूप से जो राजस्थान स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट के कारपोरेशन के काम–काज में सुधार आया। (व्यवधान) वह भी बात है, कांग्रेस की तरफ से वह अनुभव लेकर गये थे।

सभापति महोदया, चिकित्सा के लिए बजट ज्यादा एलोकेट किया, इसका स्वागत है। आदिवासी क्षेत्र के छात्रावासों में रहने वालों के 250 के 300 किये, 350 किये, इसका भी स्वागत है। लेकिन यह सब चीजें, यह सब बातें ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, यह बिलकुल नगण्य बात है। मुख्य मंत्रीजी कहते हैं और हम उनकी बात से सहमत भी हैं कि पब्लिक मेनडेट सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सरकार की कार्य प्रणाली, उसके क्रिया–कलाप और जनता क्या कहती है वह सर्वोच्च मायना रखती है। पिछले वर्षों में जो देश के अन्दर परिवर्तन आये उसके लिये उन्होंने चर्चा की। कुछ राज्यों में से कांग्रेस की सरकार गयी, यह बात सही है लेकिन साल-डेढ़ साल पहले जब आप लोग नारा देते थे कि "आज पांच प्रदेश कल पूरा देश" उन पांच प्रदेशों में से सिर्फ दिल्ली के अन्दर आप रह सके और राजस्थान के अन्दर गिरते—पड़ते आपने +++ सरकार बनायी। तीनों प्रदेशों के अन्दर आपका सफाया हो गया। साल–डेढ़ साल के अन्दर परिवर्तन आये, सवा–डेढ़ साल के अन्दर हम को यह नुकसान उठाना पड़ा तो इसलिये कहीं कोई दम्भ करने की आवश्यकता नहीं है कि साल–डेढ़ साल बाद क्या होने वाला है। साल–डेढ़ साल में वापस स्थिति विपरीत भी हो सकती है।

चलिये राजस्थान की बात कर लेते हैं। कल मुख्य मंत्रीजी इस बात की चर्चा कर रहे थे, पंचायत चुनाव की कि हमने जो काम–काज किये उसका रिफलेक्शन हमारे पंचायत के चुनाव हैं। उन्होंने जो आंकड़े दिये वह मैं तो यही कहूंगा कि छल से, कपट से जिस प्रकार से पंचायत समितियों के प्रधान और प्रमुख बनाये गये उनके सिर्फ ऊपरी, सतही आंकड़े दिये। राजस्थान के गजट में जो डिटेल्स दी गयी है वह कुछ और कहती हैं। सालभर आपने जो काम–काज किये उसका रिफलेक्शन अगर आप इस पंचायत चुनाव से लेना चाहे तो मैं इसका आपको विवरण देना चाहूंगा। पंचायत समिति के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था, पिछले चुनावों में, यह राजस्थान के गजट के आंकड़े हैं किसी अखबार के आंकड़े नहीं हैं, मेरे और आपके आंकड़े नहीं हैं। पंचायत समिति के सदस्यों का राजस्थान में जो अभी चुनाव हुआ उसमें कुल 256 सदस्य चुने गये। इसमें कांग्रेस के सब से ज्यादा 2047 सदस्य चुने गये, भारतीय जनता पार्टी दो नम्बर पर रही; इसके 1978 सदस्य चुने गये, तीसरे नम्बर पर निर्दलीय और चौथे नम्बर पर जनता दल। अर्थात् करीबन 40 प्रतिशत स्थानों पर चिन्ह के आधार पर, सिम्बल के आधार पर, हाथ के निशान पर 40 प्रतिशत स्थानों पर कांग्रेस पार्टी की विजय हुई और भारतीय जनता पार्टी दूसरे नम्बर पर रही है 37 प्रतिशत स्थान लेकर के। यह आपके

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री लक्ष्मण सिंह)

गजट के आंकड़ें हैं। लेकिन जोड़-तोड़ कर के, पैसों के खेल के आधार पर खरीद-फरोख्त कर के आपने ज्यादा प्रधान बना लिये, वह अलग बात है और इसी बात का आंकड़ा मुख्य मंत्रीजी कल दे रहे थे। लेकिन अगर हम जिला परिषद के सदस्यों के आंकड़े दें तो, सभापति महोदया, पूरे राजस्थान में 997 जिला परिषद के सदस्य चुने गये उनमें से 480 कांग्रेस के चुने गये, भारतीय जनता पार्टी के 412 सदस्य चुने गये। कांग्रेस के सर्वाधिक सदस्य चुने गये। भारतीय जनता पार्टी नम्बर दो पर कांग्रेस से पीछे रही। यह था पब्लिक का मेंडेट। आपके एक साल के क्रिया-कलापों के ऊपर, और इसका प्रतिशत आता है सैंतालीस, कांग्रेस ने सैंतालीस प्रतिशत स्थान प्राप्त किये, भारतीय जनता पार्टी ने करीब चालीस प्रतिशत स्थान प्राप्त किये और कुल कितने जिलों के अन्दर जिला परिषद के सदस्यों में कांग्रेस आगे आयी। सभापति महोदया, इकतीस जिलों में से अठारह जिलों के अन्दर कांग्रेस पार्टी के सदस्य ज्यादा आये। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा चुनकर आये और भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ ग्यारह जिलों के अंदर, सिर्फ ग्यारह जिलों के अंदर माननीय चतुर्वेदी जी, आंकड़े गजट के हैं ...

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जीते सत्रह।

श्री लक्ष्मण सिंह : अठारह जिलों के अन्दर कांग्रेस पार्टी के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से ज्यादा थे और ग्यारह जिलों के अन्दर ही सिर्फ आप कांग्रेस से आगे रहे हैं। एक जिला जनता दल के पास गया और जयपुर के अन्दर बराबर रहे....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह आंकड़े सही हैं किन्तु यह तो बड़ी खराब बात है।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य को बोलने दें, उनका समय पूरा हो रहा है।

श्री लक्ष्मण सिंह : मंत्री महोदय, इन आंकड़ों में....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप भी पूरा करें, देखिये घड़ी की ओर समय पूरा हो रहा है।

श्री लक्ष्मण सिंह : बिलकुल आथेंटिक आंकड़ें हैं, इनको आप चेलेंज नहीं कर सकते हैं। अठारह जिलों में हम आगे रहे हैं सिर्फ ग्यारह जिलों में आप पीछे रहे हैं। सभापति महोदया, बजट की जब बात करें तो इस बजट को पढ़ने से सिर्फ एक बात सबके दिमाग में स्पष्ट होती है पहली और अन्तिम बात यह है कि यह सरकार ऋण के ऊपर टिकी हुई सरकार है, उधार के ऊपर टिकी हुई सरकार है। शुरू से आखिर तक, अगर एक सेंटेंस में इस बजट को एक्सप्लेन किया जाए तो एक ऋण पर टिकी हुई सरकार के अलावा कुछ नहीं कह सकते। सभापति महोदया, इस बात का स्पष्टीकरण, जो बजट स्टैडी 1995-96 हमें दी गयी है, इसके पेज छत्तीस पर यह स्पष्ट है कि किस प्रकार पिछले चार साल से हर वर्ष सरकार का ऋण बजट बढ़ता जा रहा है। 1992-93 के अंदर पांच सौ तिरानवे करोड़ का ऋण था, जबकि 1992-93 के अन्दर छह सौ बासठ करोड़ का ऋण था वह बढ़कर,

(श्री लक्ष्मण सिंह)

1993-94 में सात सौ एक करोड़ और लिया तो 1994-95 में एक हजार एक सौ दस करोड़ और 1995-96 में आपने बारह हजार आठ सौ चौरानवे करोड़ का ऋण लिया। अब आप उधार के ऊपर ऋण ले-लेकर अपनी सरकार चला रहे हैं, तो यह एक दयनीय स्थिति को दर्शाता है। इसके बहुत भयावह परिणाम होने वाले हैं। 1994 का आपका जो ब्याज है, वह चौदह सौ पचास करोड़ रुपये के आसपास है और यह आपके टोटल रेवेन्यू रिसीट्स का पच्चीस प्रतिशत है, राजस्व में प्राप्तियां हैं उसका यह पच्चीस प्रतिशत है। माननीय सभापति महोदया, इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो सरकार अब अपने नये ऋण लेती जा रही है, नये कर्ज लेती जा रही है उसका अस्सी प्रतिशत वापस पुराने कर्जों के ब्याज और किश्तों की अदायगी में जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा अगर आपकी यही प्रवृत्ति रही कि जितना आप नया ऋण लेंगे, वह आपके पुराने ऋण के कर्ज व किश्तों के अन्दर चला जाएगा। सभापति महोदया, यह बहुत ही दयनीय स्थिति है।

प्रति व्यक्ति आय की अगर हम चर्चा करें, तो प्रति व्यक्ति आय यह दर्शाती है कि प्रदेश के व्यक्तियों का जीवन स्तर किस प्रकार का हो रहा है ? उठ रहा है या नीचे गिर रहा है। पिछले तीन-चार वर्षों से यह प्रतीत होता है कि प्रति व्यक्ति आय राजस्थान के अन्दर गिरती जा रही है। वर्ष 1992-93 में 1,897 रुपये थी, 1993-94 में 1,728 रुपये हुई और 1994-95 में सम्भावित 1,700 रुपये से भी कम हो गयी। माननीय सभापति महोदया, जो ऋण की बात हम करते हैं, मुख्य मंत्रीजी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, इनकी कथनी और करनी के अंदर बहुत अन्तर है। 6 मार्च को जब सड़क नीति की घोषणा हो रही थी तो उस वक्त मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि "अपने साधनों से ही विकास संभव है" अपने ही साधनों से विकास करना चाहेंगे। पार्लियामेंट में केन्द्रीय बजट आने के बाद 27 मार्च को बजट के वक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता ने पार्लियामेंट में ऋण के बारे में कुछ कहा था मैं उसको कोट करना चाहूंगा- "National debt and sovereignty were linked and that in a globalized economy, the sovereignty of a nation is passed from the borrower to the lender."

अर्थात् नेशनलाइज्ड ग्लोबल इकानामी के अंदर सोवरेनटी हमारी लिंक्ड है डैट से, हमारी प्रभुसत्ता हमारे ऋण से लिंक्ड है और देश की प्रभुसत्ता, अगर देश कर्ज लेता है, तो जिससे कर्ज लेता है उसके पास चली जाती है। सभापति महोदया, यह किसने कहा था, यह भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था जब वह वहां बजट के ऊपर भाषण दे रहे थे। आपके केन्द्रीय नेता तो ऋण लेने की प्रवृत्ति की इस प्रकार से आलोचना करते हैं और यहां किस प्रकार से आपके करीब-करीब हर डिपार्टमेंट के अंदर आप उधार लेकर और वह भी विदेशी सहायता के माध्यम से अपनी सरकार को और अपने बजट को आगे लाना चाहते हैं।

अभी रिकार्ड्स, इस बजट के आधार पर, सभापति महोदया, बाल विकास के लिये आप यूनिसेफ से ऋण लेते हैं, जल संसाधन और सिंचाई के लिये आप वर्ल्ड

(श्री लक्ष्मण सिंह)

बैंक से ऋण लेते हैं, हाथकर्घा, जूती और मोजड़ी के विकास के लिये आप यू.एन.ओ. से मदद लेते हैं, तकनीकी एजूकेशन के सुदृढ़ीकरण के लिये आप वर्ल्ड बैंक से मदद लेते हैं, सड़कों के निर्माण के लिये सात सौ चालीस करोड़ आप वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं, शहरों के निर्माण के लिये, विकास के लिये, छह बड़े शहरों के लिये आप एशियन डवलपमेंट बैंक से ऋण ले रहे हैं, जल-ग्रहण विकास के लिये एक सौ बियालीस करोड़ रुपये आप जर्मनी से ले रहे हैं, गरीबी उन्मूलन के पांच सौ करोड़ रुपये भी आप बाह्य सहायता से ले रहे हैं, वन विकास के लिये आप एक सौ पैंतालीस करोड़ रुपये जापान से ले रहे हैं, जनजातीय छात्रों के स्कूलों तक के लिये आप जर्मनी की तरफ मुंह ताक रहे हैं, पेयजल के लिये आप दो सौ तिरेपन करोड़ रुपये जर्मनी से +++मांग रहे हैं, बीसलपुर के लिये आप पांच सौ पचास करोड़ रुपये वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं और पर्यटन जैसे काम के लिये भी आप इण्टरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ+++ लेकर जा रहे हैं।

अब सभापति महोदया, प्रश्न यह उठता है कि यह ऋण इतने लिये जा रहे हैं क्यों और कैसे ? हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कल कहा था कि राजस्थान को जो ऋण मिल रहा है, यह इसकी साख के कारण से मिल रहा है, बिलकुल सही बात है। क्रेडिबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। उधार लेने वाले को तभी उधार मिलेगा जब उसकी साख अच्छी होगी। लेकिन सभापति महोदया, यह क्रेडिबिलिटी किसकी है। राजस्थान की नहीं, यह भारतवर्ष की क्रेडिबिलिटी है जो मैटर करती है, जिसके कारण से राजस्थान की साख उसके साथ मिलती है। चार-पांच वर्षों के अंदर जो क्रेडिबिलिटी, जब से वी.पी. सिंहजी का राज गया, उसके बाद से क्रेडिबिलिटी हमारे भारतवर्ष में सैंट्रल गवर्नमेंट ने बनायी है, उस क्रेडिबिलिटी के कारण से राजस्थान की गवर्नमेंट को ऋण मिल रहा है।

सभापति महोदया, जर्मनी के अंदर राजस्थान जैसे छोटे प्रदेश को मेरे ख्याल से कोई जानता भी नहीं होगा। लेकिन केन्द्र सरकार की नीतियों के कारण से, केन्द्र सरकार ने जो अपनी फोरेन रिजर्व में बढ़ोतरी की है, उसके कारण से केन्द्र सरकार की साख में बढ़ोतरी हुई और हमारी साख के कारण से राजस्थान की सरकार को इतना यह ऋण बाहर से मिल पाया है। सभापति महोदया, अगर देखा जाए... मैन प्राब्लम अगर इस सरकार की है तो....

श्री खेतसिंह राठौड़ : इनका भाषण खतम हो तब तक के लिये बढ़ा दो।

श्री लक्ष्मण सिंह : वह फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है, सरकार का फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा निराशाजनक होता जा रहा है। सभापति महोदया, अगर हम बजट एट ए ग्लांस जो पुस्तक हमें वितरित हुई है....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कंक्ल्यूड करें, समय हो गया।

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री लक्ष्मण सिंह : कंक्लूड कैसे कर सकता हूं मैडम, अभी तो शुरू ही नहीं किया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : टाइम बढ़ा दीजिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : समय ओवर हो रहा है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : या तो कल तक के लिये पोस्टपोन कर दीजिये....

श्री लक्ष्मण सिंह : टाइम बढ़ा दीजिये या कल बोल लेंगे।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय सदस्य का भाषण समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि समय बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री लक्ष्मण सिंह : सभापति महोदया, जो बजट एट ए ग्लांस की प्रति हमें....

श्री सभापति : अब आप लोग आपस में बोलेंगे तो इनका समय जाएगा।

श्री लक्ष्मण सिंह : वितरित हुई है उसका हम दिग्दर्शन करें तो तीन कारण हैं। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस सरकार का बिगड़ा है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहला कारण तो हमारे ऋण की वसूली के अंदर पिछले वर्षों में लगातार कमी होती जा रही है। ऋण की वसूली जो 1993-94 के अंदर 107.62 करोड़ थी, वह 1994-95 में 97.1 करोड़ रह गयी और 1994-95 में 89.56 करोड़ आ गयी। सभापति महोदया, हमारे नान-प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर भी बढ़ोतरी होती जा रही है। नान-प्लान एक्सपेंडिचर पिछले वर्षों से बढ़ता ही जा रहा है।

(17.00)

1992-93, 1993-94 में 5 हजार 168 करोड़ रुपये नोन प्लान एक्सपेंडिचर था। 1994-95 में 5,566 करोड़ हो गया और 1994-95 में 6,846 करोड़ बढ़कर के हो गया हमारा नान प्लान एक्सपेंडिचर और इसका तुलना में हमारा प्लान एक्सपेंडिचर हर साल घटता जा रहा है। प्लान एक्सपेंडिचर अगर हम देखें तो पाएंगे कि 1993-94 में 1 हजार 685 करोड़ था, 1994-95 में यह बढ़कर 2 हजार 45 करोड़ हो गया और फिर यह 2 हजार 36 करोड़ हो गया। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण से हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं।

सभापति महोदया, प्रदेश के अन्दर कानून-व्यवस्था की जो बात चली उसके लिये भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कल कुछ कारण बताए कि कानून व्यवस्था क्यों बिगड़ी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह

(श्री लक्ष्मण सिंह)

बताया कि निर्बाध पंजीकरण के कारण से कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी। कानून व्यवस्था की स्थिति का रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो रहा है जनसंख्या के अन्दर वृद्धि हो रही है और उसके साथ-साथ हमारी कुछ सामाजिक विषमताएं हैं उसके कारण से हमारी कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है।

सभापति महोदया, एक तरफ तो यह संतुष्ट होते हैं अपनी कानून व्यवस्था से और दूसरी तरफ कुछ कारण बताते हैं कि क्यों हमारी कानून व्यवस्था में गिरावट आयी। मेरा तो यही कहना है कि जो पुलिस का प्रतिवेदन है उसके अनुसार पिछले वर्ष करीबन दस से बारह प्रतिशत हमारे यहां पर विभिन्न प्रकार के जो क्राइम्स हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। सीरियस क्राइम्स लूट 1993 में 1038 थी, 1994 में 11 हजार 37, साढ़े नौ प्रतिशत बढ़ गई। हत्याएं 1406 की जगह 1499, 6.61 प्रतिशत बढ़ी है। नकबजनी 7551 से 8327 हो गयी जो 10.27 प्रतिशत बढ़ी है। बलवे की वारदातें 17 हजार 668 से 18,741 हुई जो 0.6 की वृद्धि हुई है। बलात्कार जो 893 थे वह पिछले वर्ष में 1002 हो गए। करीबन बारह प्रतिशत की बढ़ोतरी है।

सभापति महोदया, मुख्य मंत्रीजी फरमाते हैं कि निर्बाध पंजीकरण, मैं तो एक ही प्रश्न का उत्तर चाहता हूं कि 1992-93 को अगर हम देखें तो 1993 के अन्दर 1992 से बढ़ोतरी होनी चाहिए थी उस वक्त भी आपका निर्बाध पंजीकरण था, उस वक्त भी जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही थी और उस समय भी सामाजिक विषमताएं थीं। क्या कारण है कि वर्ष 1992 के अन्दर क्राइम ज्यादा हुए जब आपका राज था। वर्ष 1993 में प्रेसीडेंट रूल में क्राइम्स कम हुए और 1994 में फिर वापस क्राइम्स बढ़ गये। इन बातों का मैं मुख्य मंत्रीजी से कारण जानना चाहूंगा। जहां तक क्राइम्स के बढ़ने का प्रश्न है उसका प्रमुख कारण यही है बढ़ने का कि जनता को अब राजस्थान की पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं रहा, जनता को राजस्थान के प्रशासन पर भरोसा नहीं रहा, जनता को राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी पर भरोसा नहीं रहा। लोग अब एक ही बात कहते हैं कि "अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर ही भाजी और टके सेर ही खाजा"

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदया, इससे भी गम्भीर बिन्दु जो है वह पुलिस हिरासत के अन्दर मौतों में जो बढ़ोतरी हो रही है वह है। पुलिस की हिरासत के अन्दर पिछले वर्ष में जो इतनी मौतों में बढ़ोतरी हुई है उसका क्या कारण है?

पुलिस की संवेदनशीलता की आप यहां पर बात करते हैं। चलिए क्राइम्स में बढ़ोतरी का तो एक कारण जो जस्टिफाइड नहीं है, फिर भी हम मान लेते हैं लेकिन पुलिस की हिरासतों में बढ़ोतरी का क्या कारण है। इसका कारण है पुलिस पूरी तरह से उच्छृंखल हो रही है।

सभापति महोदया, चाहे भरतपुर के मेमन जोशी का कांड ले लें, चाहे जोधपुर के रामूडा का कांड ले लें लेकिन जिस प्रकार से पुलिस की हिरासत में हत्याओं में

(श्री लक्ष्मण सिंह)

मेरे अभिभाषण की समाप्ति तक ही समय बढ़ाया गया है।

[illegible] समय सीमा [illegible]

श्री लक्ष्मण सिंह : समय सीमा है पन्द्रह मिनट हुए हैं मैं पांच मिनट में समाप्त करता हूं। सभापति महोदया, आप एग्री[illegible] [illegible] किसानों के लिये [illegible] बात कितना रहा है आप किसानों को बताइये। [illegible] हरियाणा में [illegible] किसानों के [illegible] है ? महत्वपूर्ण बिन्दु है लेकिन आपका पिछले वर्षों में जो प्लान एलोकेशन है, प्लान आउट ले है उसमें सिंचाई के अन्दर प्रतिशत लगातार गिरता जा रहा है। सिंचाई में 1992 [illegible] 18.52 प्रतिशत एलोकेशन [illegible] 1993-94 में 16.54 और 1994-95 में 15.43 प्रतिशत एलोकेशन किया [illegible] सिंचाई के क्षेत्र में एलोकेशन गवर्नमेंट का जब गिरता जा रहा है तो कैसे किसानों की सिंचाई की सुविधाएं ज्यादा उपलब्ध हो पाएंगी।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

सभापति महोदया, [illegible] बड़े जोर से [illegible] की बात चली। मुख्य मंत्रीजी भी विदेश गये, मुख्य मंत्रीजी इजरायल भी गये, थाईलैंड भी गये। इजरायल और थाईलैंड से आकर के यहां पर बड़े-बड़े भाषण दिये कि हजारों, लाखों, करोड़ों रुपये का वहां से विनियोजन होगा। हमें भी बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन उसके बाद विनियोजन क्या हुआ। गुजरात के मुख्य मंत्रीजी ने प्राइम मिनिस्टर इजरायल से बात करने के बाद आये तो वहां पर बहुत बड़ा विनियोजन हुआ। लेकिन हमारे मुख्य मंत्रीजी के आने के बाद [illegible] कोई बड़ा विनियोजन इन्होंने किया हो तो [illegible] हमारे मुख्य मंत्रीजी और सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है, कथनी और करनी के अन्दर बहुत अन्तर है। सभापति महोदया, बाहर जाते हैं तो भाषण देते हैं कुछ और, यहां पर कुछ और बात कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की जब बात चलती है तो विदेशों में जाकर के तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को यहां लाने के लिए निमन्त्रण देते हैं लेकिन यहां पर जब बात करते हैं जैसा कि कल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि यहां पर हमारे ही प्रदेश के अन्दर अगर कोई चीज पैदा होती है और उसका यहीं पर उपभोक्ता क्षेत्र के अन्दर उत्पादन किया जाता है तो हम बाहर की कम्पनियों को नहीं आने देंगे। जो हिन्दुस्तान में चीज बन सकती है उसके लिये बाहर की कम्पनियों को नहीं आने देंगे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान में क्या चीज नहीं बनती। आपकी नोलेज के लिए मैं कह दूं कि आज से बीस साल पहले भारतवर्ष के अन्दर पिन टू प्लेन, भारतवर्ष में हवाई जहाज की इंडीजिनस प्रोडक्शन होता था और स्पेस टैक्नोलाजी के अन्दर भारतवर्ष विश्व में बहुत ऊंचा जा चुका है। तो यह कहना कि जो यहां नहीं बनती उनको हम लाने देंगे या जो यहां बनता है उसके लिए हम उनको यहां नहीं

(श्री लक्ष्मण सिंह)

करवाया, वह केन्द्र सरकार की देन थी, न कि राज्य सरकार की देन थी। मैं तो माननीय मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि अन्य पिछड़ी जातियों के लिये आपने क्या किया है ? ओ.बी.सी. के लिये आपका...

श्री राजेन्द्र गहलोत : [illegible] के लिये गुजरात [illegible] बताइये। [illegible] है ?

श्री लक्ष्मण सिंह : [illegible] ओ.बी.सी. के लिये 21 प्रतिशत [illegible] आरक्षण हुआ है [illegible] हिम्मत है [illegible] 27 प्रतिशत करवा दीजिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत : सभापति महोदया, जन प्रतिनिधियों के लिये हरियाणा में 5 पर्सेंट है, गुजरात में 5 पर्सेंट है और राजस्थान [illegible] ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री लक्ष्मण सिंह : इस आरक्षण को 27 पर्सेंट [illegible] करवा दीजिये, हम आपकी प्रशंसा करेंगे। आज प्रत्येक राज्य के अन्दर करीब-करीब सभी राज्यों में बिहार में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, आन्ध्र प्रदेश के अन्दर ओ.बी.सी. के [illegible] छात्रों के लिए टैक्निकल एजूकेशन और एम.बी.बी.एस. के अन्दर वहां पर भी रिजर्वेशन है, लेकिन राजस्थान के अन्दर इस प्रकार का कोई [illegible] नहीं है। [illegible] हिम्मत है तो [illegible] लीजिये [illegible] हमें गहलोत साहब, [illegible] आप ऐसा नहीं करवा पाएंगे। क्योंकि मुख्य मंत्रीजी ओ.बी.सी. के [illegible] नहीं हैं। [illegible] नहीं, [illegible]

श्री भीमसेन चौधरी : केन्द्र सरकार ने ओ.बी.सी. के लिये कहा है। केन्द्रीय सरकार ने ओ.बी.सी. के लिये रिजर्वेशन किया [illegible]

श्री लक्ष्मण सिंह : सभापति महोदया, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आपने पिछली बार बजट शिक्षा को समर्पित किया था और शिक्षा के लिये आपने ज्यादा स्कूलों का प्रावधान किया था। अब शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं है। शिक्षा के अन्दर आप कुछ नहीं करने जा रहे हैं। यह बहुत दुख की बात है। शिक्षा को सिर्फ स्कूल से जोड़ना ठीक नहीं है। शिक्षा मंत्रीजी ने इसकी गुणवत्ता के ऊपर ध्यान दिया होता तो अच्छी बात होती लेकिन शिक्षा मंत्रीजी ने तो शिक्षकों और श्रमिकों को एक समान माना। इन्होंने श्रमिकों के लिए 275 वर्किंग डेज फिक्स कर लिये और शिक्षकों के लिये सात घंटे पढ़ाई करवाने का, स्कूल में उपस्थिति का निर्णय ले लिया। पहली चीज तो यह निर्णय लेना नहीं चाहिये था। शिक्षक और श्रमिक में अन्तर है, शिक्षक और एक लिपिक में अन्तर है लेकिन यह निर्णय ले लिया और उसके बाद आप पीछे हट गये। आप डर गये, आप कायर बन गये शिक्षकों के प्रश्नों से या घेराव से।

341] आय-व्ययक पर-6 अप्रेल, 1995-सामान्य वाद-विवाद [342

(श्री लक्ष्मण सिंह)

वृद्धि होती जा रही है यह बहुत शोचनीय है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य कंक्लयूड करें।

श्री लक्ष्मण सिंह : जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री गहलोत साहब ने एक पत्र मुख्य मंत्रीजी को, एक पत्र राष्ट्रपति को पुलिस हिरासत के बारे में लिखा था उसको भी मैं कोट करना चाहूंगा। जोधपुर से आने वाले विधायक ने लिखा, अर्जुनराम के लिये विच्छेद के बाद उठे ...प्रधान सभा में सवाल के जवाब में सरकार ने कुछ वायदे किये थे ... जी गहलोत ने लिखा है कि ... राष्ट्रीय पुलिस हिरासत में मौत की ...मामले ... से सरकार ... उठाया ... आगे आपने लिखा ...

सभापति महोदया, यहां पर आप ... (व्यवधान) ... कार्यवाही तो पुलिस का काम है मैंने आपको कोट किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं गहलोत जी ... पत्र कहां का है?

श्री लक्ष्मण सिंह : यह तारीख 17 ... 17 ... किया हुआ है। आपने इसका खण्डन नहीं किया तो यह इस बात को दर्शाता है कि यह पत्र सही होगा। आप चाहें तो इसकी प्रतिलिपि मेरे से ले सकते हैं।

(श्री लक्ष्मण सिंह)

आने देंगे। यह सारी भुलावे की ओर छलावे की बात है।

सभापति महोदया, हमारा औद्योगिक प्रोडक्शन पिछले वर्षों में गिरता जा रहा है और औद्योगिक प्रोडक्शन गिरने का प्रमुख कारण है कि हमारा जो रीको है उसके जो कार्य हैं। एक तो अपना देखा और एक बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं उपलब्ध कराना। कर्ज देने में पिछले तीन वर्षों में रीको के अन्दर निरन्तर गिरावट होती जा रही है। इसी प्रकार से रीको के द्वारा जो इण्डस्ट्रीयल प्लाट्स अलाट किये गये हमारी उन इण्डस्ट्रीयल प्लाट्स के अन्दर लगातार गिरावट आती जा रही है और यही कारण है कि पिछले तीन सालों में 26 हमारे इण्डस्ट्रीयल प्रोडक्शन की ... आपने ... उसमें से 12 इण्डस्ट्रीयल प्रोडक्शन के अन्दर कमी आयी है। आगे आपने लिखा कि आवाम में भा.ज.पा. के "राम, रोटी और इन्साफ" के नारे पर विविध तरह की टीका-टिप्पणियां होने लगी है। स्वदेशी की बात करते हैं। स्वदेशी की बात कम से कम आपको तो शोभा नहीं देती है। याद कीजिये आजादी के दिनों की बात जब कांग्रेस स्वदेशी की बात करती थी, याद कीजिये वह वक्त जब कांग्रेस खादी की सफेद टोपी पहनती थी और हमारी आर.एस.एस. पार्टी की जो बैक बोन है आर.एस.एस. वह उस वक्त विरोध में काली टोपी पहनती थी। उस वक्त जब हम लोग स्वदेशी की बात करते थे और धोती और कुर्ते की तरफ हमारा ध्यान था उस वक्त आर.एस.एस. वाले हाफ पेंट और कमीज पहनते थे। निकर पहनते थे। हाफ पेंट और कमीज जो अंग्रेजों का...(व्यवधान) हम लोग जब स्वदेशी मुसलमानों की वकालत करते थे, हम लोग जब विदेशी अंग्रेजों का विरोध करते थे तो हमारे आर.एस.एस. के भाई लोग स्वदेशी मुसलमानों के विरोध के अन्दर नारे लगाते थे ... । वो जब उस वक्त ... ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पत्र इन्होंने लिखा है ना, इसी को कोट कर रहे हैं ना, कर दीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप गलत बोल रहे हैं। इस तरह की बात आपको शोभा नहीं देती। कभी भी किसी के विरोध में ऐसी बात नहीं कही गयी है और आप शायद पेंट पहन कर पैदा हुए होंगे। ... बुरी लगती है, आप पेंट पहन कर पैदा हुए होंगे? (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : ... साहब ... ।

सभापति महोदया, जहां तक कृषि का प्रश्न है बड़ी-बड़ी, थोथी-थोथी घोषणाएं की जाती हैं। मुख्य मंत्रीजी भी अपने आपको किसान का बेटा बड़े गर्व से कहते हैं और यह भी बात भी है। इसलिए इनसे अपेक्षा की जाती है कि कृषि के क्षेत्र के अन्दर मुख्य मंत्रीजी जरूर कुछ अच्छे कार्य करेंगे। ... नहीं देते, ... खाद उपलब्ध नहीं कराते। इसी कारण से हमारा जो एग्रीकलचरल प्रोडक्शन है, सभापति महोदया, पिछले वर्षों में गिरता जा रहा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सदन के अन्य सदस्यों का भी ध्यान रखें।

श्री लक्ष्मण सिंह : सभापति महोदया, अन्तिम बात....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप कंक्लयूड करें। मैं आपके मुख्य सचेतक जी ... रही हूं।

श्री लक्ष्मण सिंह : ... सभापति महोदया, ... बात। आपने अपने आरक्षण पंचायत में

172

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 261 की सूची

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 1.1.90 से 31.12.94 तक राज्य में उद्योगों में पूंजी निवेश की उद्योग/कारोबार सूची-

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	उद्योग/क्षेत्र	इकाई संख्या	पूंजी विनियोजन
1.	इंजीनियरिंग	3	827.50
2.	प्लास्टिक व रबड़	2	275.73
3.	खाद्य तेल	2	776.35
4.	सिंथेटिक/इलेक्ट्रानिक एवं विविध	9	2327.36
5.	इलेक्ट्रॉनिक्स	1	242.50
6.	होटल	3	471.96
7.	अन्य	9	2155.00
	योग:—	29	7070.40

दिनांक 31.12.94 को राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन उद्योगों की सूची-

क्रमांक	उद्योग/क्षेत्र	इकाई (संख्या)
1.	रिफाइनरी आदि	1
2.	कृषि उपकरण कारखाना	1
3.	एच.एम.टी. (प्राइवेट)	1
	योग:—	3

(174)

349] परिशिष्ट-6 अप्रैल, 1995-परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 261 की सूची

अप्रवासी भारतीयों द्वारा दिनांक 1.1.90 से 31.12.94 तक राज्य में उद्योगों में पूंजी निवेश की उद्योग/क्षेत्रवार सूची-

(राशि लाख रुपयों में)

क.सं.	उद्योग/क्षेत्र	इकाई संख्या	पूंजी विनियोजन
1.	इंजीनियरिंग	3	827.50
2.	ग्रेनाइट व मार्बल	2	275.73
3.	खाद्य तेल	2	770.35
4.	स्पिनिंग/टैक्सटाइल एवं सिन्थेटिक्स	9	2327.36
5.	इलेक्ट्रोनिक्स	1	242.50
6.	सीमेंट	3	471.96
7.	अन्य	9	2155.00
	योग:—	29	7070.40

दिनांक 31.12.94 को राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन प्रस्तावों की सूची-

क्रमांक	उद्योग/क्षेत्र	इकाई (संख्या)
1.	स्पीनिंग यार्न	1
2.	हीट एक्सचेंज कोईल	1
3.	एस.एम.पी. (ग्रेनाइट)	1
	योग:—	3

1	2	3
20.		7.1.125
21.	अलीपुर	7.1.149
22.	ढण्ड	7.1.151

वर्ष 1993-94

वर्ष 1994-95 शून्य

शून्य

वर्षवार जिलेवार विद्युतीकृत घोषित ग्रामों का विवरण जिनमें एक भी कृषि अथवा अन्य श्रेणी का विद्युत कनेक्शन नहीं है।

1	ग्रेनाइट व सामंतुर	7.1.20
2	नांगल चारण	7.1.11
3	राजपुर	7.1.61
4	केसरा	7.1.58
5	खेड़ली नारायणसिंह	7.1.59
6	लाडनपुर	7.1.62
7.	लांगरीपुरा	7.1.107
8.	मिल्कीपुर	7.1.136
9.	कुतबपुर	7.1.109
10.	जगरामपुरा	7.1.99

Page No. 175

175

(श्री लक्ष्मण सिंह)

इससे सरकार की क्रेडिबिलिटि में गिरावट हुई है। आपको या तो निर्णय लेना नहीं चाहिये था और अगर आपने निर्णय लिया था तो एक साल तक उस निर्णय पर अटल रहते और इस बात को सिद्ध करते कि आप कोई निर्णय लेकर उसकी पालना करवा सकते हैं। सभापति महोदया, अगर शिक्षा मंत्रीजी या सरकार इस बात पर ध्यान देती कि आपरेशन ब्लेक बोर्ड में क्यों कमी है? शिक्षकों के प्रशिक्षण को कैसे करवाया जाए? शिक्षकों में जो ट्यूशन की प्रवृत्ति है उसको कैसे रोका जाए तब तो हम मानते कि पिछला साल जो आपने शिक्षा को समर्पित किया था, उसमें गुणवत्ता के दृष्टिकोण से भी आपने कुछ कार्य किया, लेकिन ऐसा आपने कुछ भी नहीं किया। इसलिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जो भी इन्वेस्टमेंट पिछले साल किया गया वह बिल्कुल ही बेकार सिद्ध हुआ।

सभापति महोदया, अन्त में, मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किये उन प्रस्तावों में अन्य पिछड़ी जाति, किसानों के लिये और विशेष रूप से भूतपूर्व सैनिकों के लिये कुछ नहीं किया। भूतपूर्व सैनिकों के लिये मुख्य मंत्रीजी ने जनरल जोशी जी के साथ में जो लम्बे लम्बे भाषण किये थे, मुख्य मंत्रीजी ने कुछ भी नहीं किया। उसके कारण मैं इन बजट प्रस्तावों की घोर निन्दा करता हूं।

श्री सभापति: सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 7 अप्रेल, 1995 की प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.56 बजे कल दिनांक 7 अप्रेल, 1995 को 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट

तारांकित प्रश्न संख्या 575 की सूची

वर्षवार विद्युतीकृत घोषित ग्रामों का विवरण:—

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1	3	4
	वर्ष 1990-91	
1.	[illegible]	7.1.56
2.	खेड़ली नारायणसिंह	7.1.96
3.	अतरपुर	7.1.101
4.	कुतकपुर	7.1.109
5.	नांगाव	7.1.108
6.	[illegible]	7.1.138
7.	जहाजपुर	7.1.139
8.	खिलचीपुर	7.1.137
9.	पहाड़ी	7.1.121
10.	खोहरा	7.1.124
11.	मोहनपुर	7.1.124
12.	हरिपुरा	7.1.26
13.	राजपुर	7.1.61
14.	लाडनपुर	7.1.62
15.	मिल्कीपुर	7.1.136
16.	गोहण्डी मीणा	7.1.129
17.	कोण्डरा	7.1.131
18.	खोरा मुल्ला	7.1.132
	वर्ष 1991-92 शून्य	शून्य
	वर्ष 1992-93	
19.	ओंड़ मीणा	7.1.126

Page No. 176

परिशिष्ट-2

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1	3	4
	वर्ष 1990-91	
1.	[illegible]	7.1.56
2.	[illegible]	7.1.59
3.	[illegible]	7.1.104
4.	[illegible]	7.1.109
5.	[illegible]	7.1.108
6.	[illegible]	7.1.138
7.	[illegible]	7.1.139
8	[illegible]	7.1.137
9.	[illegible]	7.1.121
10.	[illegible]	7.1.124
11.	[illegible]	7.1.124
12.	[illegible]	7.1.26
13.	[illegible]	7.1.61
14.	[illegible]	7.1.62
15.	[illegible]	7.1.136
16.	[illegible]	7.1.129
17.	[illegible]	7.1.131
18.	[illegible]	7.1.132
	वर्ष 1991-92 शून्य	शून्य
	वर्ष 1992-93	
19.	[illegible]	7.1.126

परिशिष्ट- 3

तारांकित प्रश्न संख्या 265 की सूची

राजस्थान-राज-पत्र
विशेषांक

Regd. No. RJ. 2539
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित
Published by Authority

कार्तिक 6, गुरुवार, शाके 1915-अक्टूबर, 28, 1993
Kartika 6, Thursday, Saka 1915-October 28, 1993

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं सम्बन्धी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 27, 1993.

संख्या एफ. 1(सीमा) एल.एस. जी./92/3291-3304:-राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1954 (संख्या 38 सन् 1959) की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन उद्घोषणा संख्या एफ. 1( ) सीमा/स्वाशवि/92/2503-15, दिनांक 5-1-92 को राजस्थान राज-पत्र भाग 6 (क) में दिनांक 21-1-93 को प्रकाशित हो चुकी है तथा उक्त धारा की सभी आवश्यक अपेक्षायें पूरी की जाकर, इस सम्बन्ध में निर्धारित अवधि में जन साधारण से प्राप्त आपत्तियों पर विचार किया गया, एवं वे सभी निराधार व अमान्य पाई गई।

अत: राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 38 सन् 1959) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड बी. सी., डी एवं उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा नगरपरिषद, पाली की वर्तमान सीमा में निम्न राजस्व गांवों को सम्मिलित करती है :-

1. राजस्व ग्राम पाली (चक प्रथम व द्वितीय) का सम्पूर्ण क्षेत्र।
2. राजस्व ग्राम मण्डली खुर्द का सम्पूर्ण क्षेत्र।
3. राजस्व ग्राम मण्डिया का सम्पूर्ण क्षेत्र।
4. राजस्व ग्राम पुनायता का सम्पूर्ण क्षेत्र।
5. राजस्व ग्राम मानपुरा का सम्पूर्ण क्षेत्र।

राज्यपाल की आज्ञा से,
जी. के. गोस्वामी,
उप शासन सचिव।

परिशिष्ट–4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

जिला सवाई माधोपुर में जन जाति विकास पर व्यय

267. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडा-भीम) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 1993–94 में जनजाति विकास हेतु रखे गये 277 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान में से कितनी–कितनी राशि किस–किस कार्य हेतु आवंटित की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1993–94, 1994-95 में सवाई–माधोपुर की कौन–कौनसी तहसीलों में जनजाति के विकासार्थ किस-किस कार्य हेतु कितनी कितनी राशि का प्रावधान रखा गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सवाई माधोपुर जिले में जनजाति उप योजना में कौन–कौनसी तहसीलों का चयन किया गया ? अचयनित तहसीलों का चयन किन कारणों से नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) वर्ष 1993–94 में जनजाति विकास हेतु बजट प्रावधान 277 करोड़ रुपये नहीं है वरन् 252.42 करोड़ रुपये था। सैक्टरवार आबंटन का विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त 4.326 करोड़ रु. की राशि मार्च, 94 में संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त हुई थी।

(2) वर्ष 93-94 व 94-95 में सवाई माधोपुर की पंचायत समितियों को जनजाति के विकासार्थ माडा लघुखण्ड, माडा कलस्टर तथा बिखरी आबादी कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रमवार प्रावधित राशि का विवरण परिशिष्ट "2" पर उपलब्ध है।

(3) सवाई माधोपुर जिला/तहसीलें, केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं होने के कारण जनजाति उप-योजना क्षेत्र में सम्मलित नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

खण्डार (सवाई माधोपुर) दुर्ग का जीर्णोद्धार

268. **श्री हरिनारायण बैरवा** (खण्डार) : क्या पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है, किला खण्डार एक ऐतिहासिक प्राचीन दुर्ग है और इसमें कई भव्य इमारतें, महल, स्नानागार, रनिवास, टांके और मन्दिर बने हुए हैं, जो करोड़ों रुपये की सम्पत्ति है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस दुर्ग की मरम्मत करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

सवाई माधोपुर स्थित खण्डार का किला मध्यकालीन परकोटे से युक्त सतरहवीं-अठारवीं शताब्दी का है। इसमें महल, जैन मन्दिर, दुर्गामाता मन्दिर, चतुर्भज विष्णु मन्दिर, स्नानागार, रनिवास टांके बने हुए

(राज्य मंत्री पुरातत्व)

है। यह दुर्ग पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा राजस्थान स्मारक पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम, 1961 के तहत संरक्षित स्मारक घोषित नहीं है। अतः राज्य स्तर से दुर्ग की मरम्मत कराने का कोई विचार नहीं है।

सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा संचालित मेडिकल स्टोर

269. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सहकारिता क्षेत्र में संचालित उपभोक्ता संघ की कई गतिविधियों में सरकार द्वारा निजीकरण को स्थान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कैसे व कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा संचालित मेडिकल स्टोर की दुकानों को निजी क्षेत्र में देने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

कृषि उपज मण्डी समिति नवलगढ़ की दुकानें

270. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नवलगढ़ कृषि उपज मण्डी के नवलगढ़ मुख्य यार्ड में कुल कितनी दुकानें बनी हुई है तथा किस–किस को आबंटित है ?

(2) इन दुकानों का कितना–कितना किराया 28 फरवरी, 1995 तक बकाया है और समय पर किराया नहीं वसूली के लिए कौन–कौन अधिकारी दोषी है ? क्या इस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, नवलगढ़ के मुख्य मंडी यार्ड में कुल 45 दुकानें बनी हुई है जिनमें से 37 का आबंटन हो चुका है। आबंटियों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) 28 फरवरी, 1995 तक कुल 5 लाख दो हजार तीन सौ सत्तर रुपये आबंटन शुल्क (किराया) बकाया है। किराया वसूल करने हेतु अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गयी है तथा किराया वसूल नहीं होने के लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

(180)

परिशिष्ट "क"

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति, नवलगढ़
मंडी यार्ड नवलगढ़ में आवंटित दुकानों की सूची

क. सं. 1	नाम फर्म 2	आवंटित दुकान का नम्बर 3
1.	मै. रामग्रोतार प्रहलाद राय	ए-1
2.	मै. भवानी ग्रायल मिल	ए-2
3.	मै. राधेश्याम राजेन्द्र प्रसाद	ए-3
4.	मै. लक्ष्मी ट्रेडिंग एजेंसी	ए-4
5.	मै. श्रीनिवास सिंगडोदिया	ए-5
6.	मै. किशोरी लाल संजय कुमार	ए-6
7.	मै. रामग्रवतार राधेश्याम	ए-7
8.	मै. मोहन लाल सिंगडोदिया एण्ड सन्स	ए-8
9.	मै. टीकूराम भूवानाराम	ए-9
10.	मै. चुन्नी लाल ओमप्रकाश	ए-10
11.	मै. दुर्गा दत्त अर्जुन लाल	बी-1
12.	मै. डूगरराम चिमन लाल	बी-2
13.	मै. श्री महालक्ष्मी ग्रायल एण्ड फ्लोर मिल	बी-3
14.	मै. घासी राम मांगी लाल	बी-4
15.	मै. जोशी ग्रायल मिल	बी-5
16.	मै. नारायण सिंह अनाज के व्यापारी	बी-6
17.	मै. सीताराम शिव कुमार	बी-7
18.	मै. राम प्रसाद राजेश कुमार	बी-8
19.	मै. रामरायका ब्रदर्स	बी-9
20.	मै. तेजपाल हरिराम	बी-10
21.	मै. रामकुमार विजय कुमार	बी-11
22.	मै. राजस्थान ट्रेडिंग कम्पनी	बी-12
23.	मै. भागीरथमल राम कुवांर	बी-13
24.	मै. क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. डूडलोद	बी-14
25.	मै. बालकृष्ण मुरारी लाल	बी-15
26.	मै. जगदम्बा ट्रेडिंग कम्पनी	सी-1
27.	मै. विश्वनाथ विनोद कुमार	सी-2
28.	मै. मक्खन लाल परमानन्द	सी-3
29.	मै. जगदीश प्रसाद पवनकुमार	सी-4

1	2	3
30.	मै. गोपीराम प्रभुदयाल	सी-5
31.	मै. सुन्दरमल चौथमल	सी-6
32.	मै. पन्नाराम सैनी	सी-7
33.	मै. ताराचन्द घनश्याम दास	सी-8
34.	मै. रामदेव सिंह हरिसिंह	सी-9
35.	मै. जवाहर सिंह विद्याधर	सी-10
36.	मै. नोपाराम लालाराम	डी-1
37.	मै. रामरतन रामेश्वर	डी-2

नये उद्योगों की स्थापना हेतु भू-खण्डों का आवंटन

27. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में नई औद्योगिक नीति लागू हो जाने के उपरान्त भी नये उद्योगों की स्थापना में औद्योगिक भू-खण्डों की अनुपलब्धि बाधक बनी हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि नगरों/कस्बों के मास्टर प्लान में भूमि को अन्य प्रयोजनों के लिए आरक्षित कर दिये जाने के कारण नये औद्योगिक भू-खण्डों के निमित्त भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है और इस कारण नये उद्योगों की स्थापना के लिए उत्सुक उद्यमियों को राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से सम्पर्क करने के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं और इस कारण उद्योगों की स्थापना में अनावश्यक रूप से विलम्ब होता है ?

(3) क्या यह सही है कि भूमि के रूपान्तरण, मास्टर प्लान में उसके उपयोग, भू-खण्डों के आवंटन आदि से सम्बन्धित विभागों/निगमों में आपसी सामंजस्य के अभाव के कारण औद्योगिक भू-खण्डों की समस्याओं के हल निकालने में अत्यधिक समय लग रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य के विभिन्न स्थानों में औद्योगिक भूखण्डों की मांग को देखते हुए रीको के माध्यम से अब तक 206 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए हैं। कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में सम्पूर्ण भूखण्ड आवंटित हो चुके हैं अथवा कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में सभी भूखण्ड निकट भविष्य में आवंटित होने की स्थिति आ चुकी है। ऐसे स्थानों पर रीको द्वारा भूमि की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए विस्तार की कार्यवाही या नये औद्योगिक नये क्षेत्र की स्थापना हेतु भूमि अर्जन की

182

(उद्योग मंत्री)

कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त राज्य की औद्योगिक नीति के अनुरूप उद्यमी स्वयं की भूमि पर अथवा निजी खातेदारी भूमि को क्रय करके भी उद्योग स्थापित कर सकते हैं। नई औद्योगिक नीति में औद्योगिक प्रयोजनार्थ कृषि भूमि के रूपान्तरण की प्रक्रिया को भी अति सरल एवं समयबद्ध करने का प्रयास किया गया है।

(2) अजमेर और जोधपुर जिले के तीन प्रकरणों मास्टर प्लान में भूमि के अन्य प्रयोजन के लिए आरक्षण होने के कारण औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि उपलब्ध होने में समय लगना स्वाभाविक है। ऐसे प्रकरणों में नगर नियोजन विभाग को अनापत्ति पत्र देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है।

(3) भूमि के रूपान्तरण, मास्टर प्लान में इसका उपयोग एवं भू-खण्डों के आवंटन आदि से सम्बन्धित समस्याओं का निवारण विभिन्न विभागों एवं निगमों के आपसी सामंजस्य द्वारा किया जाता है। ऐसी समस्याओं का जिला एवं राज्य स्तरीय उद्योग सहायता समूहों तथा जिला औद्योगिक सलाहकार समिति जिनमें राजस्व एवं नगर नियोजन विभाग के प्रतिनिधि भी है, की बैठकों में विचार कर आपसी सामंजस्य द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभाग विशेष के मामलों पर सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों से विचार विमर्श करके समस्याओं को हल किया जाता है।

तहसील रूपवास (भरतपुर) के ग्रामों का विद्युतीकरण

272. **श्री मोती लाल** (रूपवास) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील रूपवास में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने पूरी तहसील को विद्युतीकृत घोषित कर रखा है? यदि हां, तो अभी तक उक्त तहसील के 30% ग्रामों का ही विद्युतीकरण क्यों हुआ है?

(2) सरकार अब कब तक सम्पूर्ण रूपवास तहसील को विद्युतीकृत करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि तहसील रूपवास के सभी गांव विद्युतीकृत घोषित कर दिये गये हैं। सेन्सस 1981 के अनुसार तहसील रूपवास में 157 गांव हैं, जिनमें से 142 गांव मार्च, 1995 तक विद्युतीकृत घोषित किये जा चुके हैं। शेष 15 गांवों को विद्युतीकृत करना शेष है।

(2) शेष अविद्युतीकृत ग्रामों को संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार ही आगामी वर्षों के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में शनैः शनैः ही सम्मिलित किया जा सकेगा। सभी ग्रामों का एक साथ विद्युतीकरण किया जाना संभव नहीं है। समूचे राज्य के विद्युतीकरण का औसत 82.85% है जब कि तहसील रूपवास में 90.44% ग्राम विद्युतीकृत हैं। अतः इस तहसील की स्थिति अपेक्षाकृत बहुत अच्छी है।

विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में प्राथमिक विद्यालय

273. **श्री रघुवीर सिंह** (सराड़ा) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रघुवीर सिंह)

(1) गत वित्तीय वर्ष में विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में कहां–कहां कितने नये प्राथमिक विद्यालय खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या आगामी वर्ष में सरकार नये प्राथमिक विद्यालय खोलने की मंशा रखती है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सराड़ा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1994–95 में निम्नलिखित नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले गये :–

पंचायत समिति, सराड़ा

1. उदयपुरिया खालसा
2. करणपुरिया
3. खोखरिया

(2) जी हां। वर्ष 1995–96 में 614 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का बजट में प्रावधान रखा गया है। जिसके लिए समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषदों से दिनांक 31.1.95 को पत्र जारी कर विद्यालय विहीन सामान्य क्षेत्र में 250 की जनसंख्या व इससे अधिक तथा मरूस्थलीय/जन जातीय क्षेत्र में 150 की जनसंख्या व इससे अधिक के ग्रामों की सूचना मांगी गई है। प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाकर नियमानुसार प्राथमिक विद्यालय खोलने की कार्यवाही की जावेगी।

ग्राम बरणा (अजमेर) की राजकीय भूमि पर कुएं का अनाधिकृत निर्माण

274. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या ग्राम बरणा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर में विभाग द्वारा निर्मित पेयजल का कुआ है एवं क्या इस कुएं से ग्रामीण जनता को पीने का पानी वितरित किया जा रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस कुएं के एकदम समीप ही कुछ व्यक्तियों द्वारा सरकारी भूमि पर निजी कुआ खोद लिया गया है ?

(3) क्या इन व्यक्तियों द्वारा निजी कुएं का पानी स्वहित के लिए प्रयोग किये जाने पर विभाग के सार्वजनिक कुएं के जलस्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जिससे ग्रामीणों को पेयजल मिलना मुश्किल हो जायेगा ? यदि हां, तो क्या सरकारी भूमि पर निजी कुआ खोदने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या उक्त व्यक्तियों ने सरकारी कुए के समीप निजी कुआ खोदने व उसके उपयोग की पूर्वानुमति सरकार से प्राप्त की थी ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) विभाग द्वारा निर्मित कुएं के पास लगभग एक सौ फीट की दूरी पर एक निजी कुआं खोदना प्रारम्भ किया गया था, जिसका कार्य बीच में ही रुकवा दिया गया था।

(3) जी, हां। निजी कुआं सरकारी

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

भूमि पर खोदने वाले के विरुद्ध तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा भू राजस्व नियमों के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही पहले ही से की जा रही है।

(4) जी नहीं ?

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के विद्यालय

275. **श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कुल कितने उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं ? क्या इनमें निर्धारित मानदण्ड के अनुसार अध्यापक लगे हुए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? बिना अध्यापकों के चल रहे स्कूलों के नाम मय विषयवार अध्यापक के, सूची सदन की मेज पर रखें। अब कब तक इनमें अध्यापकों को लगाया जावेगा ?

(2) माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर प्रथम एवं द्वितीय ने किन–किन स्कूलों का कब–कब निरीक्षण किया ? निरीक्षण किये गये स्कूलों का नाम एवं दिनांक सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) निरीक्षण के दौरान स्कूलों में क्या–क्या कमियां पायी गयीं तथा क्या उनका सरकार ने निराकरण कर लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक इनका निराकरण कर लिया जावेगा ? अब बिना निरीक्षण रहे स्कूलों का कब तक निरीक्षण कर लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में 43 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 11 राजकीय माध्यमिक विद्यालय तथा 4 राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है। इनमें से 5 विद्यालयों में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार अध्यापक नहीं लगे हुए हैं। बिना अध्यापक के एक भी विद्यालय संचालित नहीं है। वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक तथा सहायक अध्यापक का कोई पद रिक्त नहीं है। 11 व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं। वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गयी है। स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। व्याख्याताओं के रिक्त पद डी.पी.सी. एवं लोक सेवा आयोग से चयनित प्रत्याशी उपलब्ध कराये जाने पर ही पूर्ति किया जाना संभव होगा।

(2) जिला शिक्षा अधिकारी प्रथम तथा द्वितीय खण्ड द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के किये गये निरीक्षण का विवरण मय विद्यालयों के नाम व दिनांक की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) विद्यालयों में निरीक्षण के समय पायी गयी कमियों की पूर्ति हेतु सम्बन्धित संस्था प्रधान को मौके पर निर्देशित किया गया है। अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही आगामी कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा। अब तक बिना निरीक्षण के रहे विद्यालयों का निरीक्षण अब आगामी सत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	स्वीकृत पद			रिक्त पद		
		व्या.	व.अ.	अ.	व्या.	व.अ.	अ.
1.	रासीमावि. बस्सी	18	11	05	04	—	—
2.	" जटवाडा	08	07	04	01	—	—
3.	" तुंगा	21	12	08	06	—	—
4.	रासीबामावि. बस्सी	05	06	06	—	—	—
5.	रामावि. बासखोट	—	06	05	—	—	—
6.	" सुजानपुरा	—	06	07	—	—	—
7.	" बडवा	—	06	04	—	—	—
8.	" कानोता	—	06	09	—	—	—
9.	" लालगढ़	—	06	03	—	—	—
10.	" देवगांव	—	06	05	—	—	—
11.	" सामेरिया	—	06	04	—	—	—
12.	" राजेवाड़ी	—	06	—	—	—	—
13.	" राजपुरा पाललवान	—	05	—	—	—	—
14.	" माधोगढ़	—	05	—	—	—	—
15.	" भर	—	05	—	—	—	—
16.	राबाउप्रावि. कानोता	—	01	14	—	—	—
17.	" तुंगा	—	01	09	—	—	—
18.	" बासखोह	—	01	09	—	—	—
19.	" भर	—	01	08	—	—	—
20.	" मोटखावदा	—	01	06	—	—	—

क्र.सं.	नाम विद्यालय	निरीक्षण अधिकारी के कार्या. नाम	निरीक्षण दि.
1	2	3	4
1.	रा.मा.वि., सीमलिया	जि.शि.अ., जयपुर-II	2.7.94
2.	" रामपुरा टोंक फाटक	" "	10.8.94

1	2	3	4
3.	रासीउमावि.; दूदू	जि.शि.अ., जयपुर-II	19.8.94
4.	,, जमवारामगढ़	,, ,,	20.8.94
5.	,, साईवाड़ा	,, ,,	22.8.94
6.	,, रथखाना, जयपुर	,, ,,	21.8.94
7.	,, फुलेरा	,, ,,	1.10.94
8.	,, चाकसू	,, ,,	25.10.94
9.	,, पावटा	,, ,,	26.10.94
10.	,, शिवदासपुरा	,, ,,	29.11.94
11.	रा.मा.वि.; महला	,, ,,	30.11.94
12.	रा.सी.उ.मा.वि., चावटिडया	,, ,,	1.2.95
13.	रा.मा.वि., हनुतपुरा	,, ,,	13.3.95
14.	रा.सी.उ.मा.वि., मजिमाबाद	,, ,,	14.3.95
15.	,, गागरडू	,, ,,	20.3.95
16.	,, मानपुरामावेड़ी	जि.शि.अ., जयपुर-I	20.9.94
17.	,, वाटिका	,, ,,	30.12.94
18.	,, बगरू	,, ,,	10.3.94
19.	,, वाटिका	,, ,,	11.3.95
20.	रा.मा.वि.; थिनोई	,, ,,	7.9.94
21.	,, कानोत	,, ,,	8.9.94
22.	,, पालडीमीणा	,, ,,	8.9.94
23.	,, बासलोहू	,, ,,	14.9.94
24.	,, रूण्डल	,, ,,	20.9.94
25.	,, माधोगढ़	,, ,,	21.9.94
26.	,, बिरसी	,, ,,	4.10.94
27.	,, झर	,, ,,	19.10.94
28.	,, रामपुराडाबडी	,, ,,	21.10.94
29.	,, मोराजा	,, ,,	4.1.95
30.	,, कलवाडा	,, ,,	10.3.95
31.	,, महाना	,, ,,	10.3.95
32.	,, कानोत	,, ,,	15.3.95
33.	,, झर	,, ,,	15.3 95

उदयपुर, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रीय आगारों से अन्तर्राज्यीय बसों का संचालन

276. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उदयपुर, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जनजाति बाहुल्य जिलों के रोडवेज डिपो से कितनी-कितनी बसों का किन-किन राज्यों से अन्तर्राज्यीय संचालन का अनुबन्ध है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्तमान अनुबन्ध के अलावा भी बस संचालन की मांग क्षेत्र के निवासियों द्वारा की जा रही है ?

(3) क्या राजस्थान पथ परिवहन निगम वर्तमान व्यवस्था को पर्याप्त मानता है ? यदि नहीं, तो क्या और अधिक बसों के संचालन का अनुबन्ध करने का निगम विचार रखता है ? यदि हां, तो कहां–कहां के लिए एवं कब तक ?

उत्तर

(1) उदयपुर, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों के परिवहन निगम के आगारों से जिन अन्तर्राज्यीय मार्गों पर बस संचालन का अनुबन्ध है, उनकी मार्गवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–1)

(2) जी हां।

(3) उदयपुर–इन्दौर वाया भिण्डर–कानोड–रतलाम मार्ग पर बस चलाने का समझौता हो चुका है। अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही उपरान्त वाहन संचालन शुरू कर दिया जायेगा।

उदयपुर, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जनजाति बाहुल्य जिलों के राजस्थान एवं गुजरात राज्यों के पारस्परिक समझौते के अन्तर्गत निम्नलिखित मार्गों पर वाहन संचालन का अनुबन्ध है।

क्र.सं.	मार्ग का नाम	राजस्थान के लिये स्वीकृत सिंगल ट्रिप	राजस्थान के लिये स्वीकृत परमिटों की संख्या
1	2	3	4
1.	बांसवाड़ा से दाहोद	8	5
2.	गलियाकोट से दाहोद वाया अहमदाबाद	4	2
3.	डूंगरपुर से मोड़ासा वाया मेवाड़ा	4	2
4.	उदयपुर से अहमदाबाद वाया रिखबदेव रतनपुर मोड़ासा मार्ग	4	2

1	2	3	4
5.	केशरियाजी से अहमदाबाद वाया खेरवाड़ा बिछीवाड़ा मोड़ासा मार्ग	2	2
6.	उदयपुर से अहमदाबाद वाया रतनपुर हिम्मतनगर मार्ग	2	2
7.	बांसवाड़ा से अहमदाबाद वाया गढ़ी सागवाड़ा डूंगरपुर रतनपुर हिम्मतनगर मार्ग	4	4
8.	बांसवाड़ा से अहमदाबाद वाया आसपुर डूंगरपुर, रतनपुर मोड़ासा मार्ग	2	2
9.	गलियाकोट से अहमदाबाद वाया सागवाड़ा, डूंगरपुर, रतनपुर, हिम्मतनगर मार्ग	2	2
10.	डूंगरपुर से अहमदाबाद वाया माण्डवी मेघारज, सिमलवाड़ा	2	2
11.	विजवामाता से बड़ोदा वाया डूंगरपुर, डरलिया कुंआ गोदरा मार्ग	2	2
12.	गलियाकोट से गोदरा वाया कालिया कुंआ मार्ग	2	2
13.	गलियाकोट से अहमदाबाद वाया चीकली उण्डवी मार्ग	2	2
14.	नाथद्वारा से बड़ोदा वाया गोदरा, कालिया कुंआ, डूंगरपुर	4	4
15.	बांसवाड़ा से बड़ोदा वाया लीमरी लिमखेड़ा पीबलोद सन्त रोड गोदरा मार्ग	4	4
16.	नाथद्वारा से मोड़ासा वाया रतनपुर	2	2
17.	डूंगरपुर से शामलाजी वाया रतनपुर	2	1
18.	गलियाकोट से दाहोद वाया कलिजरा	2	2
19.	सलूम्बर से अहमदाबाद वाया आसपुर, डूंगरपुर, रतनपुर, हिम्मतनगर मार्ग	2	2
20.	भीम से अहमदाबाद वाया उदयपुर, रतनपुर हिम्मतनगर मार्ग	2	2
21.	आमेट से अहमदाबाद वाया उदयपुर, रतनपुर, हिम्मतनगर मार्ग	2	2

(189)

1	2	3	4
22.	सेवन्त्री से अहमदाबाद वाया उदयपुर, रतनपुर, मोड़ासा मार्ग	2	2
23.	डूंगरपुर से विजयनगर वाया रानी मार्ग	2	4

नोटः–मार्ग सं. 1, पर 4 एवं मार्ग सं. 2 व 3 पर निजी वाहनों को एक–एक परमिट जारी है।

उदयपुर, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जनजाति बाहुल्य जिलों से राजस्थान एवं म.प्र. राज्यों के पारस्परिक समझौते के अन्तर्गत निम्नलिखित मार्गों पर वाहन संचालन का अनुबंध है :–

क्र.सं.	मार्ग का नाम	राज. के लिये स्वीकृत सिंगल ट्रिप	राज. के लिये स्वीकृत परमिटों की संख्या
1	2	3	4
1.	बांसवाड़ा से रतलाम वाया सैलाना मार्ग	10	6
2.	बांसवाड़ा से बामलिया मार्ग	2	1
3.	कुशलगढ़ से उदयगढ़ मार्ग	4	2
4.	कुशलगढ़ से बामलिया करवड़ मार्ग	4	2
5.	कुशलगढ़ से रतलाम वाया मौखमपुरा	2	3
6.	बांसवाड़ा से रतलाम वाया खान्दू बाजना मार्ग	2	2
7.	नाथद्वारा से रतलाम वाया उदयपुर, चित्तौड़गढ़, नीमच मार्ग	2	2
8.	उदयपुर से बांसवाड़ा वाया कुशलगढ़	1	1
9.	उदयपुर से इन्दौर वाया जयसमन्द सलुम्बर बांसवाड़ा मार्ग	2	4

(190)

1	2	3	4
10.	नाथद्वारा से उज्जैन वाया उदयपुर जयसमन्द सलुम्बर बांसवाड़ा सैलाब रतलाम मार्ग	2	2
11.	उदयपुर से रतलाम वाया मंगलवाड़ निम्ब० हाड़ा छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ इलोट नितोर पिपलोद सैलाना मार्ग	2	2
12.	उदयपुर से झालावाड़ वाया भानपुर नीमच छोटी सादड़ी निम्बाहेड़ा मार्ग	2	2
13.	बांसवाड़ा से झाबुआ वाया थाण्डला मार्ग	2	1
14.	केशरीयाजी से इन्दौर वाया डूंगरपुर सागवाड़ा बांसवाड़ा तलवाड़ा धार मार्ग	2	2
15.	बांसवाड़ा से कोटा वाया प्रतापगढ़ मन्दसौर नीमच रतनपुर सिगोंली भेसरोडगढ़ रावतभाटा	2	2
16.	बासबाड़ा से झालावाड़ वाया प्रतापगढ़ मन्दसौर श्यामगढ़ गेरोथ भानपुरा मार्ग।	2	2
17.	उदयपुर से भोपाल वाया बांसवाड़ा रतलाम रूणिजा बदनागर उज्जैन देवास आस्थ मार्ग।	1	1

नोट : क्र.सं. 2, 3, 5 एवं 6 पर एक–एक परमिट निजी वाहनों को जारी है।

निम्नलिखित राज. एवं गुजरात राज्यों के मार्गों पर डबल पाइन्ट टैक्स के आधार पर अस्थायी परमिट स्वीकृत किये जा रहे हैं।

1	2	स्वीकृत सिंगल ट्रिप्स 3	जारी अस्थायी परमिट 4
1.	उदयपुर से अहमदाबाद वाया हिम्मतनगर	6	3

1	2	3	4
2.	बांसवाड़ा से अहमदाबाद वाया	4	4
3.	बांसवाड़ा से अहमदाबाद वाया सागवाड़ा	2	2
4.	बांसवाड़ा से अहमदाबाद वाया आसपुर	2	2
5.	डूंगरपुर से अहमदाबाद वाया रतनपुर	4	2
6.	धरियावद से अहमदाबाद वाया वोड़ीगामा	2	1
7.	उदयपुर से बड़ोदा वाया सलुम्बर	2	2
8.	बांसवाड़ा से सूरत	1	1
9.	सागवाड़ा से बड़ोदा	2	2
10.	सागवाड़ा से बड़ोदा वाया पीठ	2	2
11.	डूंगरपुर से अहमदाबाद	2	1
12.	धरियावद से धोलड़ा	2	2
13.	डूंगरपुर से मा. आबू	2	2
14.	डूंगरपुर से बड़ोदा	2	2
15.	डूंगरपुर से अहमदाबाद वाया गेजी मोड़ासा	2	1
16.	सागवाड़ा से अहमदाबाद	2	1

निम्नलिखित राज. एवं म.प्र. राज्यों के मार्गों पर डबल पाइन्द टैक्स के आधार अस्थाई परमिट स्वीकृत किये जा रहे हैं।

क्र.सं.	मार्ग का नाम	स्वीकृत सिंगल ट्रिप्स	जारी अस्थायी परमिट
1	2	3	4
1.	बांसवाड़ा से कोटा वाया प्रतापगढ़ मन्दसौर	2	2
2.	बांसवाड़ा से ओंकारेश्वर	2	2
3.	नाथद्वारा से उज्जैन	1	1
4.	उदयपुर से रतलाम वाया बांसवाड़ा	1	1
5.	उदयपुर से मनासा वाया निम्बाहेड़ा नीमच	4	2

1	2	3	4
6.	बांसवाड़ा से रतलाम	4	1
7.	उदयपुर से झालावाड़ वाया नीमच	2	2
8.	उदयपुर से झालावाड़ वाया मन्दसौर	2	2
9.	उदयपुर से कोटा वाया रावतभाटा	4	4
10.	उदयपुर से भोपाल वाया सलुम्बर	1	1
11.	डूंगरपुर से इन्दौर वाया बांसवाड़ा	2	2
12.	उदयपुर से मन्दसौर वाया प्रतापगढ़	4	2
13.	बांसवाड़ा से झालावाड़ वाया मन्दसौर	2	2
14.	बांसवाड़ा से सूरत	1	1

ग्राम भोगादीत (किशनगढ़) की समन्वित जलग्रहण विकास परियोजना

277. **श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़)** : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि समन्वित जलग्रहण विकास परियोजना के तहत चरागाह भूमि में पेड़ लगाने की प्रक्रिया से किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की निराकरण की क्या योजना है ?

(2) क्या यह सही है कि किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्राम भोगादीत में इस परियोजना के तहत हो रहे कार्य के सम्बन्ध में शिकायतें सरकार या प्रशासन को मिली हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त परियोजना के अन्तर्गत कार्य शुरू करने से पहले स्थानीय लोगों से विचार–विमर्श करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। गांव भोगादीत में इस परियोजना के तहत हो रहे कार्य के सम्बन्ध में 24.2.95 को शिकायत की प्रति कार्यालय परियोजना निदेशक समन्वित जलग्रहण विकास परियोजना अजमेर को प्राप्त हुई थी। अत: दिनांक 27.2.95 को कार्य बन्द करा दिया गया।

(3) जी हां। उक्त परियोजना के अन्तर्गत कार्य आरम्भ करने से पहले ग्रामीणों से विस्तृत विचार–विमर्श किया जाता है। ग्रामवासियों की सहमति प्राप्त होने पर स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा गठित समिति के द्वारा कार्य कराया जाता है।

जिला जालोर की ग्रेनाइट इकाइयों को केरोसिन वितरण

278. श्री भगराज चौधरी (आहोर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जालोर जिले में करीब 300 ग्रेनाइट की लघु औद्योगिक इकाइयां केरोसीन की सहायता से चलाई जा रही हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन औद्योगिक इकाइयों को चलाने हेतु सरकार द्वारा केरोसीन रियायती दर पर उपलब्ध नहीं कराये जाने से इनका उत्पादन काफी महंगा पड़ने के कारण प्रतियोगी बाजार में इसे बेचने में कठिनाई आ रही है ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार इन औद्योगिक इकाइयों को चलाने हेतु केरोसिन सस्ती दर पर उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) औद्योगिक इकाइयों को केरोसीन औद्योगिक प्रयोजनार्थ निर्धारित दर पर दिया जाता है। रियायती दर पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ केरोसिन उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः इस कारण इनके उत्पादन के महंगा होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) औद्योगिक इकाइयों को केरोसीन सस्ती दर पर उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है तथा यह प्रकरण भारत सरकार से सम्बन्धित है।

ग्राम टहला (अलवर) का डीजल पम्प

279. श्री रमाकान्त (थानागाजी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या डीजल पम्प से सुरक्षित वन पर कोई असर पड़ता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसी कारण ग्राम टहला के डीजल पम्प को वहां से नेशनल हाईवे पर स्थानान्तरण किया गया है ?

(3) ऐसे मामलों में निर्णय लेने के लिए कौन-कौन अधिकारी सक्षम हैं एवं उपरोक्त डीजल पम्प के स्थानान्तरण की सिफारिश वन विभाग में किस अधिकारी ने की ?

(4) वह अधिकारी सक्षम नहीं है तो क्या सरकार उसके विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। दुर्घटना की स्थिति में डीजल जो कि एक ज्वलनशील पदार्थ है, के फैलने से जंगल में आग लगने का खतरा बना रहता है।

(2) जी हां। वन विभाग द्वारा ज्वलनशील पदार्थ (डीजल) का परिवहन वन क्षेत्र में से रोकने के उद्देश्य से कम्पनी को उक्त पम्प स्थानान्तरण हेतु सुझाव दिया गया था।

(3) ऐसे मामलों में संबंधित आयल कम्पनीज व जिला प्रशासन सक्षम है। ज्वलनशील पदार्थ (डीजल) का परिवहन अभयारण्य/सुरक्षित वन क्षेत्र से होकर रोकने के उद्देश्य से क्षेत्र निदेशक, बाघ

(वन मंत्री)

परियोजना सरिस्का द्वारा भारत पैट्रोलियम को सिफारिश की गई थी।

(4) बाघ परियोजना क्षेत्र सरिस्का की देखरेख एवं सुरक्षा के लिए कार्यवाही करने हेतु क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना, सरिस्का सक्षम है।

पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन (पाली) द्वारा कर्मचारियों को अग्रिम भुगतान राशि की वसूली

280. श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति द्वारा कर्मचारियों को अग्रिम राशि का भुगतान वर्ष 1983 से किया जा रहा है ?

(2) क्या पंचायत समिति द्वारा अग्रिम राशि देने का नियमों में प्रावधान है ? यदि हां, तो इसका समायोजन कैसे किया जाता है ? यदि समायोजन समय पर नहीं होता है तो क्या कार्यवाही की जाती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि अग्रिम भुगतान की राशि पंचायत समिति के कर्मचारियों में भी बकाया है ? यदि हां, तो किन-किन कर्मचारियों में अग्रिम राशि कौन से वर्ष से बकाया है ? वर्षवार, मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यही है कि पंचायत समिति कर्मचारियों को सन् 1983 से अग्रिम राशि का भुगतान किया जा रहा है।

(2) जी हां। निर्माण कार्य व विकास कार्य करवाने हेतु अग्रिम राशि दिये जाने के पश्चात् कार्य में आवश्यक सामग्री खरीद कर व मजदूरों को मजदूरी भुगतान कर, उनके भुगतान शुदा वाउचर्स प्रेषित करने पर कार्यालय कार्यवाही जिसे नाम पुस्तिका में इन्द्राज व नियमानुसार किये गये खर्च की जांच कर समायोजन कर, बिल बनाकर अग्रिम राशि का समायोजन किया जाता है। समायोजन समय पर नहीं होने पर उन्हें समायोजन हेतु हिदायत दी जाती है एवं यदि अग्रिम देय राशि से नकद शेष कर्मचारी के पास रह है तो 18 प्रतिशत ब्याज से राशि वसूल की जाती है।

(3) जी हां। पूर्व में पंचायत समिति कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राशि में से वर्षवार निम्नानुसार राशि बकाया है :–

क्र.सं.	वर्ष	नाम कर्मचारी	राशि	मद
1	2	3	4	5
1.	86–87	श्री शिवदत्त ग्रा. स.	7029	एन आर पी

(राज्यमन्त्री; पंचायती राज)

1	2	3	4	5
2.	87-88	श्री जयसिंह ग्रा. स.	10000	
		श्री गोविन्दसिंह आई. आई.	2000	
		श्री उगमसिंह आई. आई.	1500	
			13500	
3.	88-89	श्री इब्राहीम वलि. व. लि.	108	पंच प्रशिक्षण
4.	90-91	श्री घासूलाल राव ग्रा. स.	20000	इन्दिरा आवास
		श्री मोतीलाल, ग्रा. स.	1250	
		श्री अमरचन्द ग्रा. स.	1250	
		श्री पर्वतसिंह ग्रा. स.	10000	
			32500	
5.	91-92	श्री शांतिलाल; ग्रा. स.	5098	जेम्रारवाई
		श्री पर्वत सिंह " "	25000	
			30098	
6.	92-93	श्री कन्हैया लाल, वि. लि.	200	नि:शुल्क पट्टे क्रय
		श्री भंवरसिंह क. लि.	5000	जीप मरम्मत
			5200	
7.	93-94	श्री करणीदान ग्रा. स.	1,59,000	सुनिश्चित रो. यो.
		श्री रतनलाल ग्रा. स.	50,000	(रोजगार योजना)
		श्री प्रतापसिंह; ग्रा. स.	2,10,000	
		श्री मोहननाथ, ग्रा. स.	30,000	
			4,49,000	

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

पंचायत समिति किशनगढ़बास व कोटकासिम (अलवर) के ग्रामों को पेयजल व्यवस्था

281. **श्री मदनमोहन** (खैरथल) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पंचयात समिति किशनगढ़बास के ग्राम तखाला तथा पंचायत समिति कोटकासिम के ग्राम नीमलाका, इकरोटियापुर में विभाग द्वारा पानी की समुचित व्यवस्था नहीं की गयी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि कहीं पाइप लाइन बिछाई गयी है तो बोरिंग नहीं किया गया है और कहीं बोरिंग किया गया है तो पाइप लाइन नहीं बिछाई गयी है ? यदि हां तो क्यों ?

(3) उक्त गांवों में सरकार पानी की समस्या कब तक दूर करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में ग्राम इकरोटिया में पम्प एवं टैंक योजना तथा 5 हैण्डपम्पों से, ग्राम पुर में 6 हैण्डपम्पों द्वारा, ग्राम नीमलाका में 3 हैण्डपम्पों के द्वारा तथा ग्राम तरवाला में एक हैण्डपम्प द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्राम नीमलाका एवं ग्राम तरवाला में पेयजल आपूर्ति विभागीय मापदंडों के अनुरूप नहीं है। ग्राम नीमलाका की पेयजल आपूर्ति में वृद्धि हेतु एक पम्प एवं टैंक योजना का कार्य प्रगति पर है। ग्राम तरवाला में स्रोत सूख जाने के कारण वैकल्पिक स्रोत हेतु विस्तृत सर्वेक्षण किया जाकर ही कोई योजना प्रस्तावित की जा सकेगी।

(2) जी नहीं, स्त्रोत के निर्माण के बाद ही पाइप लाइन डाली जाती है। ग्राम नीमलाका में बोरिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा पाइप लाइन डालने का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

(3) जी हां। (1) के अनुसार ग्राम नीमलाका में शीघ्र ही पाइप लाइन का कार्य पूर्ण कर भू जलाशय द्वारा पेयजल सप्लाई किया जायेगा। ग्राम तरवाला में तुरन्त वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है तथा मार्च, 1995 में ही वहां दो हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये हैं, जिन्हें शीघ्र ही लगवाया जायेगा।

विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को तृतीय श्रेणी अध्यापिकाओं के पद पर नियुक्ति

282. **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरकार के निर्देशानुसार निदेशक, शिक्षा विभाग, बीकानेर द्वारा विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को बगैर किसी प्रशिक्षण के तृतीय श्रेणी अध्यापकाओं के पद पर नियुक्ति दी जाती है ? यदि हां, तो निर्देश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधवाओं और परित्यक्ताओं से नियुक्ति देने से पूर्व ऐसा शपथ-पत्र 5/- रुपये के नॉन ज्युडिसियल स्टाम्प पेपर पर लिया जाता है कि नौकरी पर जाने के बाद कभी पुनः विवाह नहीं किया जायेगा ? यदि हां, तो क्यों व किस नियम के तहत ?

(श्री रिछपाल सिंह)

(3) शिक्षा निदेशक, बीकानेर द्वारा दिसम्बर, 1994 तक ऐसी कितनी महिलाओं की नियुक्तियां दी गयी हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। निर्देश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी ?

(2) जी हां। शपथ–पत्र प्राप्त करने का कोई नियम नहीं है लेकिन शपथ–पत्र विभाग द्वारा एक प्रक्रिया के तहत इन नियमों के गलत उपयोग पर अंकुश रखने हेतु लिया जाता है।

(3) विधवाओं एवं विवाह विच्छिन्न महिलाओं को वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक कुल 1043 महिलाओं को नियुक्ति प्रदान की गयी है। द्वितीय श्रेणी अध्यापिका के पद पर 274 तथा तृतीय श्रेणी अध्यापिका के पद पर 769 महिलाओं को नियुक्ति शिक्षा निदेशालय, बीकानेर के द्वारा प्रदान की गयी है।

राजस्थान सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक :– एफ 2 (6) कार्मिक/क–2/84 जयपुर, दिनांक 29.7.89

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग, में, राजस्थान के राज्यपाल, इसके द्वारा राजस्थान शिक्षा अधिनस्थ सेवा नियम, 1971 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:

संशोधन

उक्त नियमों में :

1– नियम 11 के विद्यमान उपनियम (11) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात :

"परन्तु यह कि विधवाओं एवं विच्छिन्न विवाह महिलाओं को, अध्यापक या वरिष्ठ अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु एस. टी. सी. या बी. एड. की अर्हताओं में छूट प्रदान की जावेगी यदि वे अन्यथा पात्र हो और यह परिवचन देदें कि वे एस. टी. सी. या बी. एड. की अर्हताएँ, जो भी सुसंगत हो, तीन वर्ष की सावधि के भीतर अभि प्राप्त कर लेंगी। वे, अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात एस. टी. सी. या बी. एड. की अर्हताएँ अर्जित करने हेतु, अध्ययन छुट्टी स्वीकृत किए जाने के लिए भी पात्र होगी।"

नियम 22 के विद्यमान परन्तुक के पश्चात् एक नया परन्तुक जोड़ा जायेगा; अर्थात :

"परन्तु यह और कि नियुक्ति प्राधिकारी, इन नियमों के भाग में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना ऐसी विधवाओं एवं विच्छिन्न विवाह महिलाओं की नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक, यथास्थिति, के पद पर करने के लिए सक्षम होगा, जो विहित अर्हताएँ पूरी करती हों।"

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

ह/–

(एम. डी. श्रीवास्तव)

विशिष्ट शासन सचिव

नौगांवा एवं अलावड़ा (अलवर) हेतु संचालित निगम बस सेवा

283. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला अलवर के कस्बे नौगांवा एवं अलावड़ा के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसें प्रतिदिन संचालित हैं ?

(2) क्या सरकार यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण इन कस्बों के लिये बस सुविधायें बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला अलवर के कस्बा नौगांवा के लिये निगम द्वारा वर्तमान में दैनिक 116 परिचक्र एवं अलावड़ा के लिये दैनिक 2 परिचक्र संचालित किये जा रहे हैं।

(2) जी नहीं। वर्तमान में संचालित बसों को 73 से 75 प्रतिशत यात्रीभार ही उपलब्ध हो रहा है।

विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के पंचायत मुख्यालयों हेतु सम्पर्क सड़कें

284. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पचपदरा विधान सभा क्षेत्र की बालोतरा कृषि उपज मण्डी की ओर से कुल कितनी डामर सड़कों का कार्य चल रहा है ? इनका निर्माण कार्य कब तक पूरा कर दिया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आश्वासन के बावजूद पचपदरा-जोधपुर राज मार्ग से सम्पर्क सड़क नेवरी पंचायत मुख्यालय तक वाया चारलाई कलां का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कब तक इस सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) पचपदरा विधान सभा क्षेत्र की

(राज्य मंत्री, कृषि)

बालोतरा कृषि मंडी के अधीन सड़कों की प्रगति का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा सड़क के निर्माण हेतु आश्वासन नहीं दिया गया था। दिया गया आश्वासन निम्न प्रकार उद्धत है:-

"कृषि उपज मण्डी समिति, बालोतरा द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 3.1.94 के द्वारा चारलाई से नेवरी सम्पर्क सड़क का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव कृषि विपणन विभाग को भिजवाया है। कृषि उपज मण्डी समिति के प्रस्ताव का उक्त सड़क निर्माण से खर्चे के पूर्वानुमान मण्डी की आर्थिक स्थिति एवं अन्य वांछित सूचना प्राप्त कर परीक्षण किया जावेगा। परीक्षण के उपरान्त स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जावेगा।' मण्डी प्रस्ताव के परीक्षण पर यह पाया गया कि मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है ऐसी स्थिति में इस सम्पर्क सड़क की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित नहीं किये गये हैं। मण्डी समिति के पास धन की उपलब्धता होने पर निर्धारित मापदण्डों के अन्तर्गत इस सड़क का निर्माण कार्य कराया जा सकेगा।

क्र.स.	सड़क का नाम	स्वी. लम्बाई (कि.मी.)	स्वी. राशि (लाखों में)	कार्य की वर्तमान प्रगति	निर्माण कार्य पूर्ण होने का सम्भावित समय
1.	निवाटा जालोर रोड से कोटडी	3.00	8.7	सी.डी. कार्य पूर्ण रोडी कुटाई का कार्य प्रगति पर	मई, 95
2.	बालोतरा समदडी रोड से सीलोर	1.00	2.90	डब्लू. बी. एम. कार्य पूरा एवं डामरीकरण कार्य शेष	मई, 95
3.	बालोतरा समदडी रोड से बिठूजा	3.00	3.70	फरवरी, 95 में कार्य आदेश दिये गये हैं।	95–96
4.	तापरा पाठरू रोड से भूरीबाग	-2.00	—	कार्य आरम्भ किया जाना है।	95–96

लघु सीमेन्ट उद्यमियों को प्रदत्त सुविधाएं

285. श्री शांति कुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में लघु सीमेंट उद्योग कहां-कहां और कितने स्थापित हो चुके हैं तथा कितने उद्योगों में उत्पादन हो रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि कई लघु सीमेंट उद्योग बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो उनके बन्द हो जाने के क्या कारण हैं ?

(3) सरकार द्वारा राज्य में लघु सीमेंट उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों को क्या-क्या सुविधायें दी जा रही हैं और सरकार ने कौन-कौन सी सुविधायें देने का आश्वासन उद्यमियों को दिया था ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य में स्थापित लघु सीमेंट उद्योग संकट की स्थिति में है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार इन कारणों को दूर करने के लिए कब तक क्या कदम उठाने का विचार रखती ?

उत्तर

(1) राज्य में रघु सीमेंट उद्योगों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) बन्द लघु सीमेंट उद्योगों का जिलेवार विवरण भी परिशिष्ट "अ" में उल्लिखित है। प्रबन्धकीय क्षमता एवं पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी का अभाव तथा कोयले की कीमत में अप्रत्याशित वृद्धि बन्द उद्योग के मुख्य कारण है।

(3) लघु सीमेंट उद्योगों को निम्नांकित सुविधाएं दी जाती है :-

(अ) भूमि का आबंटन अथवा भूमि का रूपान्तरण,

(आ) मशीनरी एवं कच्चे माल पर चुंगी मुक्ति,

(इ) राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान,

(ई) डीजल सेट जनरेटिंग अनुदान,

(उ) परीक्षण यन्त्र अनुदान,

(ऊ) बिक्रीकर प्रोत्साहन/आस्थगन योजना वर्ष 1987 एवं 1989 की योजना का लाभ.

(ए) औद्योगिक इकाइयों को "रक्षित विद्युत प्लान्ट" स्थापित करने हेतु भी राज्य सरकार अनुमति देगी.

(4) जी, नहीं। सभी लघु सीमेंट उद्योग संकट की स्थिति में नहीं है।

(२०२)

राज्य में मिनी सीमेंट उद्योगों की सूचना

क्र.सं.	जि.उ.केन्द्र	स्थापित लघु सीमेंट उद्योगों की संख्या	कार्यरत लघु सीमेंट उद्योगों की संख्या	बन्द मिनी सीमेंट उद्योगों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	जयपुर	16	16	1
2.	अजमेर	4	4	शून्य
3.	अलवर	5	5	"
4.	भीलवाड़ा	1	1	"
5.	जोधपुर	23	21	2
6.	कोटा	1	1	शून्य
7.	पाली	7	7	"
8.	उदयपुर	3	3	"
9.	बांसवाड़ा	1	1	"
10.	भरतपुर	1	1	"
11.	बीकानेर	5	5	"
12.	चित्तौड़गढ़	2	2	"
13.	झुंझुनूं	4	4	"
14.	नागौर	19	19	"
15.	श्रीगंगानगर	शून्य	शून्य	"
16.	सवाई माधोपुर	1	1	"
17.	सीकर	20	20	"
18.	टोंक	शून्य	शून्य	"
19.	बाड़मेर	"	"	"
20.	बूंदी	"	"	"
21.	चूरू	17	17	"
22.	डूंगरपुर	शून्य	शून्य	"
23.	जैसलमेर	"	"	"

1	2	3	4	5
24.	जालौर	शून्य	शून्य	शून्य
25.	झालावाड़	"	"	"
26.	सिरोही	11	7	4
27.	धौलपुर	शून्य	शून्य	शून्य
28.	दौसा	"	"	"
29.	बांरा	"	"	"
30.	राजसमन्द	1	1	"
31.	हनुमानगढ़	शून्य	शून्य	शून्य
32.	भिवाड़ी	30	26	4
	कुल योग:—	172	161	11

इटावा (कोटा) का मिनी हाइडल विद्युतगृह

286. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि इटावा जिला कोटा में मिनी हाइडल विद्युतगृह स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में इस योजना को चालू करने के लिये कितनी-कितनी राशि सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि स्वीकृत राशि को वर्षवार खर्च कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गई ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्य को पूर्ण करने का प्रावधान कब तक का तथा कब तक इसे पूरा कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। इटावा लघु पन विद्युत उत्पादन योजना के लिये वर्ष 1993-94 में 40 लाख रुपयों का संशोधित बजट प्रावधान रखा गया था तथा वर्ष 1994-95 के लिये 52 लाख रुपये का संशोधित प्रावधान प्रस्तावित किया गया था।

(2) वर्ष 1993-94 व 1994-95 के उपरोक्त बजट प्रावधानों के तहत कार्यों पर खर्च की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष 1993-94 (राशि रुपयों में)

भूमि और भूमि अधिकार	6,63,000/-
हाइड्रोलिक कार्य	4,315/-
प्लांट एवं मशीनरी	20,130/-

(१०९)

(ऊर्जा मंत्री)

डिजाइन एवं कंसलटेंसी व्यय	84,000/–
संस्थापन चार्जेज	70,000/–

वर्ष 1994–95 (राशि रुपयों में)

प्लान्ट एवं मशीनरी	31,400/–
कंसलटेंसी चार्जेज	60,000/–
संस्थापन चार्जेज	60,000/–

(3) केन्द्रीय जल आयोग के सुझाव के अनुसार इस योजना के 447 लाख रुपया लागत के संशोधित तकमीने राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के विचाराधीन हैं। टेक्नीकल एनेलिसिस के पश्चात् इसे प्रारम्भ करने के बारे में विचार किया जायेगा।

ग्राम पण्डेर (जहाजपुर) की आबादी भूमि पर अतिक्रमण

287. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति जहाजपुर ग्राम पण्डेर के अन्तर्गत 2–3 वर्षों में आबादी भूमि पर अतिक्रमण तथा निर्माण बिना स्वीकृति के किये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस ग्राम में कितनी-कितनी भूमि पर अतिक्रमण एवं बिना स्वीकृति के निर्माण हुआ है ? विवरण मय नामावली सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मूल्यवान जमीन पर अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो इसका विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आबादी भूमि पर अतिक्रमण 3 वर्ष पूर्व जिला प्रशासन द्वारा जनता की मांग पर हटाये गये थे ? यदि हां, तो क्या उन पर हुए पुनः अतिक्रमण को हटाने का सरकार विचार रखती है ?

(4) क्या पंचायत क्षेत्र में निरन्तर बढ़ते अतिक्रमण को रोकने के लिए जिला कलक्टर्स को आबादी भूमि के दिये गये अधिकारों के पश्चात् पण्डेर पंचायत में हुए अतिक्रमण को जिला प्रशासन हटाकर समुचित कार्यवाही करने का विचार रखता है ?

(5) क्या लाखों रुपयों के भूखण्डों पर अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण की पूरी जांच कराकर पत्रावलियां तैयार कराकर कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

(6) क्या सरकार अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण संबंधी प्रभावी नियम एवं कानून बनाकर रोकथाम का इरादा रखती है ? यदि हां, तो क्या-क्या नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या पंडेर पंचायत की मुख्य सड़कों की सीमा में पूर्व में नियमों के अनुसार छोड़ी भूमि पर अतिक्रमण निर्माण की स्वीकृति दी गयी है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति, जहाजपुर की ग्राम पंचायत, पण्डेर के क्षेत्र में 2–3 वर्षों में जिन-जिन गांवों में आबादी भूमि पर अतिक्रमण एवं बिना स्वीकृति के निर्माण हुए हैं उसका विवरण मय नाम

(राज्य मंत्री, पंचायती राज)

व गांव एवं क्षेत्र सहित सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। दिये गये अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण के विरुद्ध 13 मिसले कायम की जाकर सम्बन्धित को नोटिस जारी किये गये हैं। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। तीन वर्ष पूर्व आबादी भूमि पर हुए अतिक्रमण को जिला प्रशासन द्वारा जनता की मांग पर हटाया गया था। उक्त भूखण्डों पर पुनः अतिक्रमण नहीं किया गया है। भूखण्ड पंचायत के अधिकार क्षेत्र में है।

(4) जी हां। जिला कलक्टर द्वारा पंचायत क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को हटाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(5) जी हां। अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण को हटाने हेतु पंचायत की प्रार्थना-पत्र जिला प्रशासन द्वारा पूरा सहयोग दिया जाकर अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(6) जी हां। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 50 में पंचायत के कृत्य और शक्तियों का तथा पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 251 में पूर्व ही ऐसा प्रावधान दिया हुआ है।

(7) जी नहीं। पंचायत पण्डेर द्वारा मुख्य सड़क की सीमा में पूर्व में छोड़ी गयी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हुआ है और ना ही पंचायत द्वारा निर्माण की स्वीकृति दी गयी है।

समिति जहाजपुर आबादी क्षेत्र में अतिक्रमण करने वालों की सूची:—

क्र.सं.	नाम मय पिता/पति	गांव	क्षेत्र	वि.वि.
1	2	3	4	5
1.	श्री मदन पिता देवी भाट	पण्डेर	50×100	बाड़ लगा रखी है
2.	,, कैलाश/चोथमल भाट	,,	100×100	बाड़ व मकान
3.	,, मुवाना/शम्भू भाट	,,	50×80	बाड़
4.	,, नन्दा/देवी भाट	,,	50×80	बाड़
5.	,, मोहन/हरजी भाट	,,	50×80	बाड़
6.	,, बन्ना/गोदा भाट	,,	30×100	बाड़
7.	,, नाथू/मोड़ा गाडरी	भगवानपुरा	40×80	बाड़
8.	,, मोहन/कजोड़ मीणा	,,	100×50	बाड़

1	2	3	4	5
9.	श्री दुर्गालाल/देवीलाल कीर	पण्डेर	50×80	बाड
10.	,, उदा/कजोड़ भाट	,,	30×100	बाड़
11.	,, बन्ना/गोरधन भाट	,,	40×50	बाड़
12.	,, रतन/भूरा भाट	भगवानपुरा	50×100	बाड़
13.	,, उदा/भागुता भील	पण्डेर	10×30	नीम मोदी
14.	,, गेंदा/रोडा कालबेलिया	,,	30×50	छपरा
15.	,, चन्द्रा/बरदा कालबेलिया	,,	30×50	छपरा
16.	,, बरदा/रोड़ कालबेलिया	,,	30×50	छपरा
17.	,, हीरा/मोती कालबेलिया	,,	50×50	छपरा
18.	,, गोपाल/सांवल भाट	,,	160×100	छपरा
19.	,, नन्दलाल/कजोड़ भाट	,,	10×100	बाड़
20.	,, मीठू/कजोड़ कुम्हार	,,	50×50	बाड़
21.	,, छोटू/मोती भाट	,,	30×50	बाड़
22.	,, गोपाल/उदा भाट	भगवानपुरा	30×50	बाड़
23.	,, भुवाना/जग्गा भाट	,,	30×50	बाड़
24.	,, दुर्गा/भोजा भाट	,,	30×50	बाड़
25.	,, देवकरण/खाना गूजर	सुभाष नगर पण्डेर	30×50	बाड़
26.	,, नन्दराम/केशरराम शर्मा	,,	30×50	बाड़
27.	,, घीसा/नन्दा कुम्हार	,,	50×60	बाड़
28.	,, गोरू/बोदु भाट	पण्डेर	30×50	बाड़
29.	,, जगदीश/मांगीलाल गूजर	,,	50×30	बाड़ अवैध निर्माण
30.	,, संजय/प्यारचन्द खाती	,,	24×50	निर्माण
31.	,, भगवती/परमेश्वर/दुर्गालाल	,,	15×50	पत्थर का कोट
32.	,, रतनलाल/मोहनलाल शुक्ल	,,		छपरा
33.	,, मोहम्मद अली/इस्माईल विसायती	,,		छपरा
34.	,, बन्शीलाल/नरायण ढोली	,,		छपरा
35.	,, कालू/सुक्खा तेली	,,		छपरा
36.	,, बहादुर अली/इस्माईल	,,		छपरा

1	2	3	4	5
37.	श्री मनोहर/पन्नालाल लखारा	"		छपरा
38.	" रामदयाल/मिश्रीलाल जाट	"		छपरा
39.	" रंगलाल/खान मीणा	"	30×50	बाड़
40.	" सोजी/सवाईरामा	बनास नदी	50×8	बाड़
41.	" भैरू/रोड़ा कहार	बदनपुरा	50×59	अवैध निर्माण
42.	" कालू/ग्यारसा कहार	"	50×80	अवैध निर्माण
43.	" बन्ना/मांगीलाल कुम्हार	पण्डेर	50×80	अवैध निर्माण
44.	" छोटू/सालगा मीणा	लक्ष्मीपुरा	30×50	अवैध निर्माण
45.	" जगदीश/धन्ना माली	पण्डेर	50×80	अवैध निर्माण
46.	" घीसा/मोहन तेली	पण्डेर	50×80	अवैध निर्माण

बिना स्वीकृति के मकान बनाने वाले की सूची:—

1. दुर्गालाल/राजमल भाट पण्डेर दरवाजा बिना स्वीकृति के
2. बरदीचन्द/नन्दराम कण्ठ जवाहर नगर बिना स्वीकृति के
3. जयप्रकाश/लक्ष्मीनारायण शर्मा पण्डेर बिना स्वीकृति गेट ओकर मकान
4. बन्नालाल/मांगीलाल गूजर पण्डेर बिना स्वीकृति गेट ओकर मकान
5. हरदेव/नन्दा जाट पण्डेर " "
6. नन्दा/नारायण ढोली पण्डेर " "
7. मनोहर/पन्नालाल लखारा पण्डेर " "
8. भवानी शंकर/बालुलाल तिवाडी पण्डेर " "
9. भुवानीलाल/धन्ना माली पण्डेर " "
10. नन्दलाल/कजोड़ भाट जवाहर नगर पण्डेर " "
11. मोहन/कजोड़ भाट जवाहर नगर " "
12. जगदीश/मांगीलाल गुजर पण्डेर " "
13. हीरा/सुरजमल जाट पण्डेर " "

(१०७)

क्र.सं.	मिसल संख्या	दिनांक	की गई कार्यवाही
1	2	3	4
1.	30	अतिक्रमण संख्या 12	मिसले दायर की जाकर नोटिस जारी किये गये है।
2.	52	21–6–93	"
3.	1	16–6–93	"
4.	1	20–4–92	"
5.	16	31–10–93	"
6.	4–5	16–5–94	"
7.	6	30–5–94	"
8.	8	8–6–94	"
9.	9	10–6–94	"
10.	14	9–7–94	"
11.	20	12–11–94	"
12.	23	8–1–95	"
13.	26	15–2–95	"

भरतपुर क्षेत्र की सफाई व्यवस्था हेतु सफाई कर्मचारी

288. श्री आर.पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था के लिए प्रति 1000 की जनसंख्या पर कितने सफाई कर्मचारियों की संख्या निर्धारित है ?

(2) सन् 1991 की जनसंख्या के आधार पर भरतपुर शहर की जनसंख्या कितनी है ?

(3) क्या निर्धारित मापदण्डों के आधार पर भरतपुर शहर की सफाई हेतु भरतपुर नगर परिषद् में सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो सरकार स्थाई सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) नगरपालिका शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था के लिए प्रति 1000 की जनसंख्या पर 4 सफाई कर्मचारी रखने का प्रावधान है।

(2) वर्ष 1991 की जनगणना के

(स्वायत्त शासन मंत्री)

आधार पर भरतपुर शहर की जनसंख्या 1,56,623 है।

(3) निर्धारित मापदण्डों के अनुसार भरतपुर नगरपरिषद में सफाई कर्मचारी पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में स्थाई कर्मचारियों की नियुक्ति पर विभागीय प्रतिबन्ध होने के कारण नियुक्ति नहीं की जा रही है परन्तु नगरपरिषद की आर्थिक स्थिति एवं आवश्यकतानुसार कांटेक्ट बेसिस पर सफाई कार्य हेतु कर्मचारी लगाये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

289. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर में उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं? सूची विद्यालयवार सदन की मेज पर रखें।

(2) यह पद कब तक भर दिये जाएंगे?

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र कुम्हेर में उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पदों की सूची निम्नानुसार है:–

1.	राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुम्हेर	व्याख्याता 1 पद (संस्कृत)
2.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवर	व्याख्याता 1 (नागरिकशास्त्र)

द्वितीय व तृतीय वेतन श्रृंखला का एक भी पद रिक्त नहीं है।

(2) रिक्त पद लोक सेवा आयोग से अथवा विभागीय चयन समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे।

"किसान जुगाड़" वाहनों को वाहन एक्ट के अन्तर्गत परमिट

290. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : एवं **श्री हरिसिंह** (महुआ) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में किसानों की उपज को कृषि उपज मंडी एवं अन्य स्थानों पर ले जाने के लिए "किसान–जुगाड़" के नाम से चलने वाले वाहनों को परिमिट की सुविधा नहीं दिये जाने के कारण पुलिस द्वारा परेशान किया जाता है?

(2) क्या सरकार "किसान–जुगाड़" को वाहन एक्ट के अन्तर्गत लेकर परमिट देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) व (2) केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 126 के तहत प्रत्येक वाहन का पंजीयन से पूर्व केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थाओं से प्रोटोटाइप टेस्ट प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। "किसान–जुगाड़" नाम से जाने

(राज्य मन्त्री, यातायात)

वाले वाहनों को ऐसा प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है। अतः इन वाहनों का पंजीयन सम्भव नहीं होने के कारण इनका किसी प्रकार का परमिट जारी नहीं किया जा सकता है।

ग्राम कुरज–जुणदा (राजसमन्द) सड़क का डामरीकरण

291. **श्री शान्तिलाल खोईवाल** (राजसमन्द) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :–

(1) कृषि विपणन बोर्ड द्वारा राजसमन्द जिले के ग्राम कुरज से जुणदा तक कितनी लम्बाई पर डामर सड़क का निर्माण कराया गया है ?

(2) क्या विभाग ने अधूरी सड़क को पूरी कराने के लिए कोई योजना स्वीकृत की है ? यदि हां, तो निर्माण की वर्तमान स्थिति के बारे में विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सम्पर्क सड़क कुरज से, जुणदा पर वर्ष 1991–92 में 1.5 किमी लम्बाई में डामर सड़क का निर्माण कार्य कराया गया है।

(2) राज्य सरकार द्वारा सम्पर्क सड़कों के निर्माण की स्वीकृति हेतु दिनांक 10.3.95 को मापदण्ड निर्धारित किये गये है। प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है, जिसके अनुसार यह सड़क अभी निर्धारित मापदंड की प्राथमिकता में नहीं आती है।

राजस्थान सरकार

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : पं. 13 (29) कृषि/ग्रुप–2/93/ जयपुर, दिनांक 10.3.95

आदेश

इस विभाग से जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 5.12.94 के अतिक्रमण में कृषि उपज मण्डी क्षेत्र में सम्पर्क सड़कों, विशेष मरम्मत की सड़कों तथा सी. डी. कार्य आदि की स्वीकृति के लिए मापदण्ड निर्धारण करने हेतु निम्न आदेश तुरन्त प्रभाव से जारी किये जाते हैं:–

(1) सम्पर्क सड़कों के लिये धनराशि की उपलब्धता :

यदि मण्डी समिति के प्रशासनिक व्यय एवं अपरिहार्य व्यय को निकालने के पश्चात धनराशि शेष रहती है तो मोटे रूप से उसका 40 प्रतिशत मण्डी यार्ड प्रांगण के निर्माण अथवा विस्तार आदि के लिये व्यय का प्रावधान रख, शेष 60 प्रतिशत राशि सम्पर्क सड़कों के निर्माण, मरम्मत आदि के लिये रखी जावेगी। यदि मण्डी यार्ड बना हुआ नहीं है, तो अधिकराशि सड़कों के लिये रखी जा सकती है। इसी प्रकार

यदि, मण्डी यार्ड बनाने की परियोजना चालू है एवं वहां धन की अधिक आवश्यकता है तो सम्पर्क सड़क पर कम व्यय किया जायेगा।

निदेशक, कृषि विपणन इस बात को भलीभांति आश्वस्त करेंगे कि किसी मण्डी समिति के उपलब्ध संसाधनों में से कितनी राशि सम्पर्क सड़क हेतु व्यय करना उचित होगा।"

(2) सम्पर्क सड़क स्वीकृत हेतु मानदण्ड :

नवीन सड़कों की स्वीकृति हेतु वरियता निम्न प्रकार निर्धारित की जायेगी :

(I) स्वीकृत मास्टर प्लान की शेष सड़कें (1971 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों को जोड़ने हेतु सम्पर्क सड़कें।)

(II) मण्डी समिति द्वारा गोद लिये गये गांव को जोड़ने हेतु सम्पर्क सड़क (यदि यह गांव पूर्व में सड़क से जुड़ा न हो)

(III) ग्राम पंचायत मुख्यालय को जोड़ने हेतु सम्पर्क सड़क।

(IV) 1991 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक आबादी वाले गांव जो अभी तक सड़क से न जुड़े हों।

(V) 1991 की जनगणना के अनुसार 500 से अधिक आबादी वाले गांव जो सड़क से न जुड़े हों।

(VI) अन्य सम्पर्क सड़कें (गुणावगुण के आधार पर)
नवीन सम्पर्क सड़कों के प्रस्ताव प्रेषित करते समय यह सुनिश्चित किया जावेगा कि प्रस्तावित सड़क किसी अन्य ऐजन्सी यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अकाल राहत आदि द्वारा तो स्वीकृति नहीं कर दी गई है। पैरा 2 (I) एवं 2 (IV) के अन्तर्गत जनजाति एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में आबादी की सीमा 1000 के स्थान पर 750 होगी।

(3) ऊपर वर्णित वरियता का कठोरता पूर्वक पालन किया जावेगा तथा किसी निम्न वरियता श्रेणी की सड़क स्वीकृति हेतु भिजवाते समय यह प्रमाण पत्र मण्डी समिति एवं अधि. अभियन्ता द्वारा दिया जावेगा कि इस श्रेणी से उच्च वरियता श्रेणियों की कोई सड़क मण्डी क्षेत्र में निर्माण से शेष नहीं है। उदाहरणार्थ पैरा 2 में अंकित (III) श्रेणी की सड़क का प्रस्ताव तब ही किया जावेगा जबकि (I) एवं (II) श्रेणी की कोई भी सड़क निर्माण से शेष न हो।

(4) किसी भी श्रेणी में सड़क निर्माण सम्बन्धी कार्य हेतु अन्तर वरियता निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :

(I) किसी अन्य एजेन्सी द्वारा निर्मित ग्रेवल रोड का डामरीकरण।

(II) पूर्व में निर्मित सड़क पर आवश्यक सी. डी. (Cross drainage) कार्य।

(III) 10 वर्ष से अधिक पहले निर्मित सड़क की विशेष मरम्मत (एस. आर.) ताकि सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की जा सके।

(IV) नवीन सड़क का निर्माण अर्थात किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत नवीन सड़क की स्वीकृति तब ही दी जा सकेगी जबकि उस श्रेणी की किसी भी सड़क का डामरीकरण सी. डी. कार्य अथवा विशेष मरम्मत बाकी न हो।

मण्डी समिति स्तर पर :

(5) सम्पर्क सड़क स्वीकृति करते समय प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश :

(I) मण्डी समिति पेरा 2,3, एवं 4 अंकित मानदण्डों के अनुरूप ही प्रस्ताव पारित कर निदेशालय को प्रेषित करेगी। परन्तु पैरा 2 (IV) के अन्तर्गत आने वाली सड़क का प्रस्ताव निदेशालय की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ही पारित किया जा सकेगा।

(II) प्रस्ताव के साथ मण्डी समिति की दो वर्ष की वित्तीय स्थिति (सम्भावित आय, व्यय एवं देनदारियां अंकित करते हुए) के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण निदेशालय को भेजा जावेगा।

(III) मण्डी समिति से सम्बन्धित राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिशाषी अभियन्ता उपरोक्त मानदण्डों में जाने वाली सड़कों के अलाइनमेंट की जांच करेंगे एवं (फोरकास्ट एस्टीमेट) अनुमानित लागत मण्डी समिति को उपलब्ध करायेंगे जो प्रस्ताव के साथ निदेशालय को प्रेषित किया जावेगा।

(IV) सड़क स्वीकृति के प्रत्येक प्रस्ताव के साथ सचिव मण्डी समिति एवं अधिशाषी अभियन्ता का संयुक्त प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप में) भी प्रेषित किया जावेगा। प्रमाण–पत्र में अंकित सूचना गलत पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(6) निदेशालय स्तर पर प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश :

(I) प्रस्ताव की जांच इस परिप्रेक्ष में की जावेगी कि प्रस्तावित सड़क कार्य उपरोक्त मानदण्डों के अनुरूप है।

(II) राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावेगा कि मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति के अनुसार प्रस्तावित सड़क का निर्माण पूर्ण कराने हेतु, मण्डी समिति के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध रहेगी।

(III) प्रशासनिक स्वीकृति जारी होते ही वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी जो 30 सितम्बर से पूर्व स्वीकृत प्रस्तावों के लिये कुल लागत का 60 प्रतिशत एवं 30 सितम्बर के बाद स्वीकृत होने वाले कार्य के लिये कुल लागत का 40 प्रतिशत होगी।

(iv) पैरा 2 (vi) के अन्तर्गत प्रस्तावित सड़क की अभिशंषा राज्य सरकार को भेजने से पूर्व भलीभांति जांच की जावेगी एवं गुणावगुण के सम्बन्ध में टिप्पणी अंकित की जावेगी।

(v) निर्माण कार्यों हेतु एक वित्तीय वर्ष में रखे गये वित्तीय प्रावधान की डेढ़ गुना राशि तक की प्रशासनिक स्वीकृतियां निदेशक द्वारा की जावेगी।

7. कृषि विपणन बोर्ड स्तर पर :

(I) निर्धारित मानदण्ड के अन्तर्गत आने वाली सड़क का पूर्वानुमान तखमीना (forecast Estimate) निम्न स्तर के अभियन्ता द्वारा अनुमोदन स्वरूप हस्ताक्षर करने पर ही मान्य होगा:–

(अ) रुपये 7 लाख तक–अधिशाषी अभियन्ता
(ब) रुपये 7 लाख से अधिक एवं रु. 25 लाख तक–अधीक्षण अभियन्ता
(स) रुपये 25 लाख से अधिक–अति. मुख्य अभियन्ता

(II) पूर्वानुमान मण्डी समिति को प्रस्तुत करने से पूर्व कम से कम सहायक अभियन्ता स्तर के अधिकारी द्वारा निम्न प्रमाण पत्र दिया जायेगा:–

(अ) कि प्रस्तावित सड़क के अलाइनमेन्ट का निरीक्षण उसके द्वारा कर लिया गया है तथा निर्माण में कोई अड़चन आने की सम्भावना नहीं है।

(ब) सड़क की वास्तविक लम्बाई का आंकलन कर ही पूर्वानुमान तैयार किया गया है।

(स) प्रस्तावित सड़क के लिये आवश्यक सी.डी. कार्यों का समावेश तखमीने में कर लिया गया है तथा बाद में किसी सी.डी. कार्य की आवश्यकता नहीं होगी।

(III) सड़कों की गुणवत्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग के मापदण्ड के अनुसार रखी जावेगी।

(iv) सड़कों को ठेके पर देने की पद्धति का पुनरावलोकन कर पैकेज पद्धति लागू करने के सम्बन्ध में विचार किया जावेगा।

(v) 10 वर्ष से अधिक पुरानी सड़कों की विशेष मरम्मत होने पर एवं नवीन सड़क का निर्माण होते ही सड़कों का हस्तान्तरण सार्वजनिक निर्माण को कर दिया जावेगा।

8. निर्माण कार्यों के भुगतान सम्बन्धी निर्देश:–

(I) किसी भी निर्माण कार्य पर कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा देय भुगतान राशि स्वीकृत निविदा राशि एवं उस पर 10 प्रतिशत सुपरविजन चार्जेज एवं टेण्डर की प्रक्रिया में बोर्ड द्वारा व्यय की गई वास्तविक राशि तक सीमित रहेगी। किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक राशि का भुगतान बोर्ड को नहीं किया जावेगा, सिवाय न्यायालय के आदेश से कार्य में विलम्ब होने की परिस्थिति में। बोर्ड द्वारा निर्माण कार्य हेतु कन्टीजेन्सी चार्जेज की मांग मण्डी समितियों से नहीं की जायेगी। यदि निर्माण कार्य में देरी अथवा अन्य कारणों से निर्माण कार्य की लागत बढ़ती है, तो बढ़ी हुई लागत बोर्ड स्वयं वहन करेगा।

(II) बोर्ड किसी कार्य पर वर्कचार्ज कर्मचारी नहीं रखेगा। परन्तु वर्तमान में बोर्ड में चल रहे वर्क चार्ज कर्मचारियों के वेतन आदि पर होने वाला वास्तविक व्यय आनुपातिक रूप से मण्डी समिति द्वारा व्यय किया जायेगा। यथा सम्भव बोर्ड वर्क चार्ज कर्मचारियों के पदों को समाप्त करने की कार्यवाही करेगा।

(III) मण्डी समितियों द्वारा निर्माण कार्यों के पेटे बोर्ड को प्राप्त होने वाली राशि में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु यदि निर्णय लिया गया कि वित्तीय स्वीकृति जारी होते ही कार्य की कुल लागत का 30 प्रतिशत मण्डी समिति द्वारा अग्रिम राशि के रूप में बोर्ड को भुगतान किया जावेगा। तत्पश्चात तीन महीने के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर 30 प्रतिशत एवं अगली तिमाही के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर 30 प्रतिशत तथा शेष राशि का भुगतान कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर–अंदर आवश्यक रूप से कर दिया जायेगा। यदि मण्डी समिति द्वारा भुगतान में विलम्ब किया जाता है तो 24 (चौबीस) प्रतिशत वार्षिक दर दण्डनीय ब्याज मण्डी समिति द्वारा देय होगा और विलम्ब के लिये व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी।

(v) उपरोक्तानुसार भुगतान मण्डी समितियों द्वारा इस आधार पर नहीं रोका जायेगा कि निर्माण कार्य में कोई कमी है। यदि कार्य में कोई कमी पाई जाये तो भुगतान करने के पश्चात शिकायत प्रशासक, मार्केटिंग बोर्ड एवं निदेशक, कृषि विपणन को मण्डी समिति द्वारा प्रस्तुत की जायेगी। जो अपने स्तर पर जांच करा कर समुचित कार्यवाही करेंगे।

आज्ञा से
ह./–
आर.के. जैन
उपशासन सचिव।

पेयजल एवं चिकित्सा विभागों को विद्युत आपूर्ति के मानदण्ड

292. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) । क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या विद्युत मण्डल द्वारा पेयजल एवं चिकित्सा विभाग को विद्युत आपूर्ति करने के लिए मानदण्ड निर्धारित किये जा चुके हैं ?

(2) क्या बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में जलदाय विभाग द्वारा विद्युत आपूर्ति के लिए डायरेक्ट फीडर लिए हुए हैं ? यदि हां, तो किन–किन योजनाओं पर ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इन डायरेक्ट फीडर्स पर विद्युत विभाग द्वारा अन्य विद्युत कनेक्शन दिये हुए हैं ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ? क्या विभाग इन कनेक्शनों को हटाने की कार्यवाही कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या जलदाय विभाग द्वारा बासनी-रतकुड़िया पेयजल योजना पर डायरेक्ट फीडर का दावा किया गया है एवं विद्युत मण्डल में इस दावे पर अनिश्चय की स्थिति है ?

(5) बासनी–रतकुड़िया पेयजल योजना पर पिछले 4 वर्षों में विद्युत आपूर्ति कितने-कितने घण्टे रही ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शहरी क्षेत्रों में पेयजल योजनाएं एवं अन्य आवश्यक सेवाएं जैसे चिकित्सालय आदि सेवाओं को आवश्यक सेवा मानकर अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर विद्युत उपलब्धता के अनुसार 24 घंटे नियमित विद्युत आपूर्ति की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो जलदाय योजनाएं डायरेक्ट फीडर पर हैं वहां भी आवश्यक सेवा मानकर अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाती है। जो जलदाय योजनाएं डायरेक्ट फीडर पर नहीं है व ग्रामीण फीडरों पर है, उन्हें विद्युत उपलब्धता के अनुसार निर्धारित घंटे पारी में विद्युत आपूर्ति की जाती है। जो जलदाय योजनाएं ग्रामीण फीडर पर हैं उनमें भी यदि जलदाय विभाग द्वारा डायरेक्ट फीडर करने के लिये आवेदन एवं वांछित राशि जमा कराने पर इन योजनाओं को भी डायरेक्ट फीडर पर परिवर्तित किया जा सकता है।

(2) बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जलदाय विभाग द्वारा निम्नलिखित डायरेक्ट फीडर लिये हुए हैं:–

1. बिलाड़ा से पिचीयाक, 2. खारिया से भाक, 3. रणसी गांव, 4. लटियात नाडी-रुणकिया, 5. हरिया ढाणी, 6. बोरून्दा, 7. आसोप, 8. भोपालगढ़, 9. अरिटीया खुर्द, 10. पीपाड़ शहर ।

(3) उपरोक्त डायरेक्ट फीडर में से केवल बोरून्दा पर निम्न औद्योगिक कनेक्शन दिये गये हैं:–

1. ए.के. सीमेंट, बीटन मेड़ता
2. सुराणा सीमेंट, बीटन मेड़ता
3. तारा मिनरलर्स, बोरून्दा

(ऊर्जा मंत्री)

इन तीनों कनेक्शनों को इस फीडर से पृथक करने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) बासनी रतकुड़िया पेयजल योजना के लिए विद्युत कनेक्शन ग्रामीण फीडर पालड़ी सिद्धा पर ग्राम बासनी खारिया में दिया गया है। यह पेयजल कनेक्शन डायरेक्ट फीडर पर नहीं क्योंकि पी.एच.ई.डी. ने इस हेतु डायरेक्ट फीडर की मांग नहीं की थी। इस जलदाय योजना में वोल्टेज में सुधार लाने हेतु रा.रा.वि.म. ने अपने खर्चे पर बासनी खारिया को 33/11 के.वी. सब स्टेशन खारिया खंगार से माह फरवरी, 93 में जोड़ दिया है। अतः इसमें विद्युत मण्डल की स्थिति निश्चित एवं स्पष्ट है। इस योजना के विद्युत प्रदाय करने वाले फीडर को डायरेक्ट फीडर का कथित दावा सही नहीं है।

(5) बासनी रतकुडिया पेयजल योजना पर पिछले 4 वर्षों सन् 1991–92, 1992-93, 1993–94, व 1994–95 में क्रमशः विद्युत आपूर्ति 5637, 5521, 5215, 4559 घंटे रही।

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 387 का विवरण

अप्रवासी भारतीयों की विभिन्न परियोजनाओं को वित्तीय सहायता की सूची
1.1.90 से 28.2.95

क्र.सं.	परियोजना का नाम व स्थान	उत्पाद	परियोजना लागत	रुपये लाखों में रीको द्वारा स्वीकृत सावधि ऋण	राज. वित्त निगम द्वारा स्वीकृत ऋण
1	2	3	4	5	6
1.	मै. ए.के.एस. बियरिंग प्रा.लि.; जयपुर	बियरिंग्स	293.20	62.00	54.10
2.	मै. सिद्धी स्टोन्स एण्ड ग्रेनाइट, दौसा	ग्रेनाइट स्लेब	202.47	70.00	—
3.	मै. गौरव सोल्वेक्स प्रा लि.; जयपुर	खाद्य तेल	248.90	111.50	—
4.	मै. श्री पेटस एण्ड प्रा.लि.; जयपुर	खाद्य तेल	521.45	150.00	—
5.	मै. नितिन स्पिनर्स प्रा.लि.; जयपुर	स्पिनिंग	285.50	150.00	—
6.	मै. एक्जीम (इंडिया) प्रा. लि.; जयपुर	सिंथेटिक्स	116.25	65.00	—
7.	मै. एस.एम. इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड सर्विसेज भिवाड़ी	रेडियो पेजर यंत्र	242.50	110.00	—
8.	मै. बजरंग वायर प्रोडक्ट (इंडिया) प्रा.लि.; जयपुर	बाल-बियरिंग	139.50	65.50	—
9.	मै. जानकी फोम इण्डिया प्रा.लि.; जयपुर	रबर कोयर	220.00	107.00	—

1	2	3	4	5	6
10.	मै. मेन्सन लेबोटेक्स प्रा.लि., भिवाड़ी	वूवन लेबर	259.36	142.00	—
11.	मै. वर्ल्ड वाइड होर्टीकल्चर प्रा.लि. शाहजहांपुर	फ्लोरीकल्चर	310.00	110.00	—
12.	मै. मीडलैण्ड पालीमर्स प्रा.लि., भिवाड़ी	एम.ओ.पी. पी.टेप	271.25	141.00	—
13.	मै. गलूण्डिया टेक्सटाइल्स प्रा.लि.	सिंथेटिक फेब्रिक्स	203.10	120.60	—
14.	मै. रूईया कोटेक्स प्रा.लि.	निटेडफेब्रिक्स	479.29	150.00	90.00
15.	मै. कांटीनेंटल ब्रेक्स, भिवाड़ी	फेब्रेक्स डिस्क	394.80	150.00	74.80
16.	मै. पविश टेक्सटाइल्स प्रा.लि., भिवाड़ी	शटल एम्ब्राडरी	275.50	145.00	—
17.	मैं. शांति ड्रग्स प्रा.लि., भिवाडी	बल्क ईगल	278.00	150.00	—
18.	मै. सर्वोदय शूटिंग्स प्रा.लि. भीलवाडा	विविंग यूनिट	197.00	96.00	—
19.	मै. के.जी. पैंट्रोकेम प्रा.लि., जयपुर	एच.डी. पी.ई.	400.00	150.00	90.00
20.	मै. रोष मैथ्य इंडिया प्रा.लि. जयपुर	ओरथो. इम्प्लास्ट	249.00	150.00	—
21.	मै. रामा प्लास्टिक लिमिटेड, सीतापुरा, जयपुर।	एच.डी.पी. ई. बोतल	185.00	84.50	—
22.	मै. माउण्ट माल्ट ब्रे.प्रा.लि., श्रीमाधोपुर।	बारले माल्ट	297.00	150.00	48.00
23.	मै. नितिन स्पिनर्स प्रा.लि., भीलवाड़ा	स्पिनिंग यार्न	400.00	—	
24.	मै. स्पाइयरोटेक हिट एक्सचेंज प्रा. भिवाड़ी	हीट एक्स-चेंज कोइल	440.00	150.00	
25.	मै. टेडको ग्रेनाइट प्रा. लि., भीलवाड़ा	एस.एम.पी.	224.85	119.00	
26.	मै. शरद सीमेंट प्रा.लि. नवलगढ़	सीमेंट	153.03	—	83.00

1	2	3	4	5	6
27.	मै. जेमिनी सीमेंट प्रा.लि., अलवर	सीमेंट	163.17	—	79.00
28.	मै. विश्वकर्मा सीमेंट प्रा.लि., कोटपूतली	सीमेंट	155.76	—	83.50
29.	मै. राजस्थान रबर्स, सांगानेर, जयपुर	माइक्रो सेलूलर रबडशीट	40.05	—	20.87
30.	मै. सुहेम मार्बल्स प्रा.लि. किशनगढ़	मार्बल कटिंग	73.26	—	39.30
31.	मै. अजय स्पिनर्स, गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)	स्पिनिंग यार्न	240.11	—	90.00
32.	मै. पैरामाउण्ड सर्जिमेट, भिवाडी	सर्जीकल	175.95	—	75.00

नोट : क्रमांक 2 तथा 22 व 23 एवं 24 की इकाइयों को रीको द्वारा क्रमशः 1.50, 12.50 तथा 20.00 एवं 20.00 लाख रुपये का अंश ऋण भी दिया गया ।

परिशिष्ट--6

अतारांकित प्रश्न संख्या 394 का विवरण

नगर निगम, जोधपुर

अप्रेल, 1994 से फरवरी, 1995 तक निगम में आयातित बिजली के सामान पर चुंगी वसूल की गयी।

माह	विवरण	रुपये
अप्रेल, 94	बिजली का सामान	1,89,056.70
मई, 94	"	4,38,421.50
जून, 94	"	5,30,354.75
जुलाई, 94	"	3,19,133.05
अगस्त, 94	"	4,34,999.80
सितम्बर, 94	"	2,40,831.05
अक्टूबर, 94	"	1,27,632.05
नवम्बर, 94	"	73,887.00
दिसम्बर, 94	"	1,06,739.50
जनवरी, 95	"	1,51,689.00
फरवरी, 95	"	89,309.00
	योग:-	27,02,053.40

ह./-
आयुक्त,
नगर निगम, जोधपुर।

(221)

अप्रेल, 1994 से फरवरी, 1995 तक निगम में आयातित इलेक्ट्रोनिक्स सामान पर चुंगी वसूल की गयी।

माह	जिन्स	रु. पै.
1. अप्रेल, 94	इलेक्ट्रोनिक्स	98583.10
2. मई, 94	"	258013.10
3. जून, 94	"	355610.15
4. जुलाई, 94	"	185084.25
5. अगस्त, 94	"	241795.30
6. सितम्बर, 94	"	131322.35
7. अक्टूबर, 94	"	67742.60
8. नवम्बर, 94	"	23905.00
9. दिसम्बर, 94	"	42360.65
10. जनवरी, 95	"	76547.95
11. फरवरी, 95	"	49700.75
	कुल आय	1530665.20

ह./-
आयुक्त,
नगर निगम, जोधपुर।

(222)

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 395 की सूचना

नगर निगम, जोधपुर

वर्ष 1984 से 86 तक जोधपुर नगर परकोटे के बाहर नगरीय क्षेत्र में विक्रय किये गये भू-खण्डों की सूची निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	भूमि/भूखण्ड का स्थान	भूमि का क्षेत्रफल	भूमि/भूखण्ड के आवंटी अथवा क्रेता का नाम	भूमि/भूखण्ड से प्राप्त विक्रय मूल्य
1	2	3	4	5
1.	पावटा रसाला रोड रेल्वे क्रोसिंग के पास	25.27 व.ग.	कंचन देवी	3790.50
2.	डी रोड सरदारपुरा	8.88 व.ग.	एस.एल. सांखला	9987.60
3.	नागौरी गेट के बाहर	249.98 व.ग.	मंजू	5174.60
4.	उदयमंदिर मेड़तीगेट	15.07 व.ग.	रहमतुल्ला	2231.00
5.	मेड़तीगेट के बाहर	261.11 व.ग.	अध्यक्ष मदरसा कायमखानी सलामी समिति	675.67
6.	स्टेडियम नहर के पीछे गुलजारपुरा	399.05 व.ग.	यासीन खां	16539.30
7.	राममोहल्ला नागौरी गेट के बाहर	175.00 व.ग.	हरिसिंह	1811.25
8.	कचहरी रोड	17.77 व.ग.	हसन मोह्.	4797.90
9.	सोजती गेट के बाहर नई सड़क	21.19 व.ग.	श्रीमती भगवती	3178.50
10.	कचहरी रोड	185.00 व.ग.	श्रीमती जहूरन	1915.00

1	2	3	4	5
11.	स्टेडियम सोपिंग सेन्टर के पास	361.06 व.ग.	हमीदा	14972.75
12.	चौपासनी रोड	311.11 व.ग.	भूराराम चौधरी	93333.00
13.	सोजतद्वार के बाहर वेरिया मोहल्ला	135.00 व.ग.	रामदत	5184.35
14.	शिव हाऊस	53.77 व.ग.	बाबूलाल	1075.40
15.	कचहरी रोड	224.66 व.ग.	शंकरलाल	66559.02
16.	रेल्वे स्टेशन रोड	141.40 व.ग.	विजेन्द्रसिंह	70,700.00

ह./–
आयुक्त,
नगर निगम, जोधपुर।

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 409 की सूची

राज्य में जिलेवार डार्क-जोन का क्षेत्रफल निम्न सूची के अनुसार है:-

क्र.सं.	जिला	डार्क-जोन (वर्ग किलोमीटर)
1	2	3
1.	अजमेर	1814.21
2.	अलवर	4649.00
3.	बांरा	0.00
4.	बाड़मेर	3246.04
5.	बांसवाड़ा	0.00
6.	भरतपुर	804.72
7.	भीलवाड़ा	0.00
8.	बीकानेर	450.00
9.	बूंदी	101.78
10.	चित्तौड़गढ़	1313,65
11.	चूरू	1131-20
12.	दौसा	1864.17
13.	धौलपुर	0.00
14.	डूंगरपुर	0.00
15.	गंगानगर	0.00
16.	जयपुर	7100.39
17.	जैसलमेर	5019.74
18.	जालौर	4709.62
19.	झालावाड़	0.00
20.	झुंझुनूं	4382.59
21.	जोधपुर	5065.63
22.	कोटा	0.00

1	2	3
23.	नागौर	10913.96
24.	पाली	1487.49
25.	राजसमन्द	0.00
26.	सवाई माधोपुर	1526.33
27.	सीकर	5819.54
28.	सिरोही	185.93
29.	टोंक	147.90
30	उदयपुर	168.10
	योगः-	62901.99

ह./-
मुख्य अभियन्ता
भू-जल विभाग, जोधपुर ।

(२२६)

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 416 की सूची

भाग संख्या–1 की सूची

क.सं.	विद्यालय का नाम	रिक्त द्वितीय श्रेणी के पद
1.	राउप्रावि. भम्बलिया	1
2.	,, पचानपुरा	1
3.	,, गेलावास	1
4.	,, मेसिया	1
5.	,, नरसिंहपुरा	1
6.	,, घरासनी	1
7.	,, पांचलवाड़ा	1
8.	,, इन्द्राकालोनी फालना	1
	कुल	8

क.सं.	विद्यालय का नाम	रिक्त द्वितीय श्रेणी के पद
1.	राउप्रावि. नं. 1 सादड़ी	1
2.	,, नाडी मोहल्ला, पाली	1
3.	,, सिन्धी कॉलोनी, पाली	1
4.	,, पुनावता, पाली	1
5.	,, बोहरों की ढाणी, पाली	1
6.	,, रडावा, पाली	1
7.	,, इन्द्रा कॉलोनी, फालना	1
8.	,, सुमेरपुर	1
	कुल-	8

जैतारण उपखण्ड में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची जहां भवन जीर्णशीर्ण तथा अधूरे कक्षों वाले है:—

1. राउप्रावि. मेसिया
2. " मोहराई
3. " आसंरलाई
4. " चिताड़
5. " मेघडदा
6. " दीपावास
7. " झाझनवास
8. " सुमेल
9. " विराटियाकलां
10. " घनेरिया
11. " रातडिया

जैतारण उपखण्ड में विद्यालयों की सूची जहां कमरों की संख्या आवश्यकता से कम है :—

1. राउप्रावि. सबलपुरा
2. " अमरपुरा
3. " हनुमान जी बावडी
4. " रामावासकलां
5. " पचानपुरा
6. " रातड़िया
7. " खारचिया

228

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 419 का विवरण

लाडनूं रेंज में वर्ष 1986 से 9994 तक विभिन्न योजनाओं में कराये गये वृक्षारोपण

क्र.सं.	नाम योजना	वर्ष	वृक्षारोपण क्षेत्र
1.	ग्रामीण ईंधन वृक्षारोपण	1986	30 हैक्टेयर
	”	1987	5 हैक्टेयर
	”	1990	167 हैक्टेयर
	”	1991	64 हैक्टेयर
	”	1992	110 हैक्टेयर
	”	1994	215 हैक्टेयर
			591 हैक्टेयर
2.	सिल्वी पैस्ट्रोरल	1986	60 हैक्टेयर
3.	चारागाह विकास	1987	75 हैक्टेयर
4.	भेड व ऊन–भूखण्डों पर वृक्षारोपण	1989	15 हैक्टेयर
5.	शेल्टर बेल्ट	1994	15 हैक्टेयर
6.	जल बिन्दु वृक्षारोपण	1988	48 हैक्टेयर
	”	1989	16 हैक्टेयर
		महायोग	820 हैक्टेयर

पंचायतों को सौंपे गये वृक्षारोपण क्षेत्र

क्र.सं.	नाम कार्य स्थल	क्षेत्रफल	पंचायत को सौंपने की तिथि
1.	धूलिया	10 है.	28.4.91
2.	बाकलिया	10 है.	17.4.92
3.	गोरेडी	10 है.	17.4.92
4.	सुनारी	10 है.	14.8.92
5.	खानपुर	13 है.	25.8.92
6.	बादेड	16 है.	22.6.92

परिशिष्ट--11

अतारांकित प्रश्न संख्या 421 का विवरण

नाम ग्राम	पट्टाधारी का नाम	क्षेत्रफल	लीज स्वीकृत होने की दिनांक व अवधि	नवीनीकरण की दिनांक एवं अवधि
राजपुरा	श्री भैरू लाल पुत्र श्री लादूलाल मूंदड़ा निवासी माण्डल जिला भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा	120 × 60 वर्गमीटर	18.7.78 18.7.78 से 17.7.83	1.1.88 18.7.83 से 17.7.93

230

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 425 की सूची

सूची घरेलू लम्बित पत्रावलियों की ग्राम अन्तपाडा

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम	आवेदन की तिथि	मांगपत्र जारी तिथि	मांगपत्र जमा तिथि	एलफार्म प्राप्ती तिथि	कार्य सर्विस आदेश कने.
1	2	3	4	5	6	7
1.	जयनारायण/जयकिशन	9.4.91	16.1.92	27.2.92	26.6.92	9.4.94
2.	अर्जुनलाल/जयकिशन	”	”	”	”	”
3.	उमराव/जयकिशन	”	”	”	”	”
4.	बंशीलाल/जयकिशन	”	”	”	”	”
5.	रामजीलाल/जयकिशन	”	”	”	”	”
6.	बद्रीप्रसाद/जयकिशन	”	”	”	”	”
7.	मुरलीराम/इन्दरराम	”	”	”	”	”
8.	श्योदान/रामजीवन	”	”	”	”	”
9.	रामजीवन/जयकिशन	”	”	”	”	”
10.	रामलाल/हरचन्द	”	”	”	”	”
11.	श्योसहाय/गंगाबक्श	”	”	”	”	”
12.	बाबूलाल/मदनलाल	”	”	”	”	”
13.	रामस्वरूप/रामरतन	”	”	”	”	”
14.	रामकिशोर/गंगाराम	”	”	”	”	”
15.	छोटेलाल/गणपतराम	”	”	”	”	”
16.	कालूराम/नारायण	”	”	”	”	”
17.	रामजीलाल/भजनलाल	”	”	”	”	”
18.	रंगलाल/रामसहाय	”	”	”	”	”
19.	मूलचन्द/हरचन्द	”	”	”	”	”
20.	शान्तीराम/गंगाबक्स	”	”	”	”	”
21.	मुन्नालाल/गंगाबक्स	”	”	”	”	”
22.	भगवान सहाय/लालाराम	”	”	”	”	”
23.	हजारीलाल/श्रवण	”	”	”	”	”
24.	सम्पत/रामचन्दर	”	”	”	”	”

1	2	3	4	5	6	7
		9.4.91	16.1.92	27.2.92	26.6.92	9.4.94
25.	नत्था/रामजीवन	"	"	"	"	"
26.	सुखलाल/रामजीवन	"	"	"	"	"
27.	परताराम/रामदेव	"	"	"	"	"
28.	जसी/लक्ष्मण	"	"	"	"	"
29.	रतनलाल/हरगोविन्द	"	"	"	"	"
30.	विश्राम/पूनिया	"	"	"	"	"
31.	दीपचन्द/कल्या	"	"	"	"	"
32.	रामखिलाड़ी/सोन्या	"	"	"	"	"
33.	गिर्राज/रामचन्दर	"	"	"	"	"
34.	चम्मन/प्रसादी	"	"	"	"	"
35.	गोकुल/भजनलाल	"	"	"	"	"
36.	रंगलाल/रामसहाय	"	"	"	"	"
37.	छोटेलाल/रामजीवन	"	"	"	"	"
38.	हरीराम/सिरियाराम	"	"	"	"	"
39.	खिलाड़ी/भोग्या	"	"	"	"	"
40.	रामेश्वर/श्योन्याराम	"	"	"	"	"
41.	रघुवीर/मछरिया	"	"	"	"	"
42.	रंगलाल/सोन्या	"	"	"	"	"
43.	शिवलाल/गणपत	"	"	"	"	"
44.	प्रभुदयाल/सोन्याराम	"	"	"	"	"
45.	रामनाथ/विशनलाल	"	"	"	"	"
46.	छोटेलाल/बिलयाराम	"	"	"	"	"
47.	मोहनलाल/रघुवीरदयाल	"	"	"	"	"
48.	श्रीराम/गणपत	"	"	"	"	"

सूची कृषि निलिम्बित पत्रावलियों की ग्राम अन्तःपाड़ा

क्र. सं.	आवेदक का नाम	आवेदन तिथि	मांगपत्र जारी	मांगपत्र जमा	एलफॉर्म प्राप्ति	कार्य आदेश	कनेक्शन दिये जाने विवरण की तारीख
1.	मरली/इन्दर	18–11–87	14–10–88	22–10–88	25–10–88	29–10–88	31–10–88
2.	सुवालाल/गंगाबक्स	22–10–88	15–1–92	13–1–92	16–1–92	21–1–92	31–1–92
3.	धम्मन/परसादी	7–11–88	26–2–92	4–3–92	6–3–92	16–3–92	28–3–92
4.	दीपा/कल्या	12–4–89	26–2–92	4–3–92	6–3–92	16–3–92	28–3–92
5.	परत्या/रामदेव	24–1–92	25–3–94	31–3–94	31–3–94	31–3–94	31–3–94
6.	रामकिशोर/गोरया	25–1–92					
7.	जिन्शी/लक्ष्मण	5–2–92					
8.	खिलाड़ी/बिल्या	17–2–92					
9.	मूल्या/हरचन्द	24–2–92					
10.	भजन्या/लालमन	28–2–92					
11.	सोसहाय/गंगाबक्स	11–12–92					
12.	श्रीमती सेठानी पत्नि गिरधारी	11–7–94					
13.	शिवलाल/गणपत	23–2–95					

परिशिष्ट--13

अतारांकित प्रश्न संख्या 427 की सूची

कार्यालय जिला परिषद नागौर (राज.)

पंचायत समिति, मकराना जिला–नागौर में अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण
विद्यालय, ग्राम का नाम, ग्राम पंचायत, रिक्त पदों की सं.

क्र.सं.	ग्राम/विद्यालय का नाम		ग्राम पंचायत	रिक्त पदों की संख्या
1	2		3	4
1.	राप्रावि.	बोरावड़ नं. 1	बोरावड़	1
2.	,,	बोरावड़ नं. 2	बोरावड़	1
3.	,,	बोरावड़ कन्या	बोरावड़	1
4.	,,	ढाणी मामंडोली	सबलपुर	1
5.	,,	कालवा छोटी	कालवा	1
6.	,,	रामपुरा	बिल्लू	1
7.	,,	गूजरों की ढाणी	सबलपुर	1
8.	,,	जूसरिया	जूसरिया	1
9.	,,	कान्स्या बेरा	बोरावड़	1
10.	,,	मोरेड़	बिल्लू	1
11.	,,	दम्बोई खुर्द	गच्छीपुरा	2
12.	,,	दम्वोई कला	भैयाकला	1
13.	,,	भैयाखुर्द	भैयाकला	1
14.	,,	डोबड़ी सांवलदास	डोबड़ी कलां	1
15.	,,	खेड़ी लीलां	डोबड़ी कलां	1
16.	,,	कवांलियों की ढाणी	डोबड़ी कलां	1
17.	,,	पटटी डोबड़िया.	गच्छीपुरा	1
18.	,,	मिदयान	बाजोली	1
19.	,,	नाथा की ढाणी	खेड़ी सीला	1
20.	,,	कूचीपला	खेड़ी सीला	1
21.	,,	भूतावा	अलतवां	1
22.	,,	सिरसला	बेसरोली	1

1		2	3	4
23.	राप्रावि.	लाडोली	निमड़ी	1
24.	,,	सिरसू	निमड़ी	1
25.	,,	घान्दोली	नान्दोली मेड़	2
26.	,,	सीला की ढ़ाणी	बेसरोली	1
27.	,,	मोडी भीखा	गेढ़ा	1
28.	,,	माणवा	इटावा	1
29.	,,	बुड़सू	बुड़सू	1
30.	,,	रामपुरा	भरनाई	1
31.	,,	कचौलिया	देसोड़	1
32.	,,	मिण्डकिया	जूसरिया	1
33.	,,	चिण्डालिया	चाण्डी	1
34.	,,	लाडपुर	कूकड़ोद	1
35.	,,	सूथली	कूकड़ोद	1
36.	,,	देवला	चाण्डी	1
37.	प्रावि.	सफेड छोटी	सफेद	1
38.	,,	धानणवां	धानणवां	1
39.	,,	नावद	धानणवां	1
40.	,,	बिरजसर	मनाणा	1
41.	,,	अखेपुरा	मनाणा	1
42.	,,	कजाणां	भिचावा	1
43.	,,	तेजमाल की ढ़ाणी	कालवा	1
44.	,,	गिवादया	घाघणवां	1
45.	,,	जुजारपुरा	घाघणवां	1
46.	,,	बांसडा	घाघणवां	1
47.	,,	धीरजपुरा	मनाणां	1
48.	,,	हुड़िया	हुड़िया	1
49.	,,	अमरपुरा	मनाणां	1
50.	,,	पालड़ी महूचा	अलतवा	1

1	2		3	4
51.	प्रावि.	बिणजारी	इन्दोखा	1
52.	,,	गोरावा	रामस्या	1
53.	,,	जलामलिया	खारड़िया	1
54.	,,	नूनदड़ा	सरनावड़ा	1
55.	,,	छपारा	खारड़िया	1
56.	,,	मूण्डा खेड़ी	खारड़िया	1
57.	,,	सिणियां	राणीगांव	1
58.	,,	मागलवा	राणीगांव	1
59.	,,	गोठड़ी	इन्दोखा	1
60.	,,	भरनाई	भरनाई	1
61.	,,	नान्दोली चान्दा	भरनाई	1
62.	,,	मोड़ी चारणा	मोड़ी	1
63.	,,	डोडवाड़ी	जाखली	1
64.	,,	मनाणी	रामस्या	1
			कुल रिक्त पद	66

नोट :— मकराना पंचायत समिति के प्रा. वि. में कुल 266 पद अध्यापकों के स्वीकृत हैं, वर्तमान में 200 अध्यापक कार्यरत हैं, 66 पद रिक्त हैं, जिनकी सूची उपरोक्तानुसार है।

ह./–
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, नागौर

Page No. 236

(138)

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 430 की समय सारणी

बौली व बामनवास विधान सभा में निगम द्वारा चलाई जा रही बसों की समय सारणी ।

क. सं.	मार्ग	समय सारिणी	
1.	घाटगेट–बामनवास वाया दौसा	1710	2110
2.	बामनवास–घाटगेट वाया दौसा	0630	1030
3.	घाटगेट–बौली वाया तूंगा–लालसोट	0730	1130
4.	बौंली–घाटगेट वाया तूंगा–लालसोट	1300	1700
5.	घाटगेट–सवाई माधोपुर वाया दौसा	1750	2250
6.	सवाई माधोपुर–बौली	0730	0930
7.	बौली–घाटगेट वाया लालसोट–तूंगा	1000	1400
8.	घाटगेट–बड़ागांव सरवर वाया तूंगा–लालसोट–बौंली	1705	2105
9.	बड़ा गांव–सवाईमाधोपुर वाया बौंली	0630	0900
10.	सवाई माधोपुर–घाटगेट वाया तूंगा–लालसोट	0945	1400
11.	घाटगेट–सवाईमाधोपुर वाया तूंगा	1235	1635
12.	सवाई माधोपुर–बड़ागांव वाया बौली	1700	1900
13.	बड़ा गांव–घाटगेट वाया बौली तूंगा	0600	1000
14.	घाटगेट–बौली वाया तूंगा–लालसोट	1245	1645
15.	बौली–सवाई माधोपुर	1715	1915
16.	सवाई माधोपुर–घाटगेट वाया तूंगा	0800	1230
17.	जयपुर–बौली	1545	1900
18.	बौली–जयपुर	0700	1000
19.	टोंक-महावीरजी वाया बौली-जस्टाना-गंगापुर	0645	1245
20.	महावीरजी-टोंक	1430	2030
21.	टोंक-लिवाली वाया सवाई माधोपुर–बामनवास	1315	1930
22.	लिवाली-सवाई माधोपुर	0700	1000

परिशिष्ट-15

अतारांकित प्रश्न संख्या 437 का विवरण

जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विस्तार हेतु भिजवाये गये प्रस्तावों का विवरण

क्रम सं.	जिला	तहसील
1.	उदयपुर	1. मावली
		2. गिर्वा (81 गांव पहले ही उपयोजना क्षेत्र में शामिल हैं)
		3. वल्लभनगर
		4. गोगुन्दा
2.	राजसमन्द	5. कुम्भलगढ़
		6. नाथद्वारा
3.	चित्तौड़गढ़	7. छोटी सादडी
		8. बड़ी सादड़ी
4.	सिरोही	9. पिण्डवाड़ा
5.	पाली	10. बाली

(232)

परिशिष्ट–16

अतारांकित प्रश्न संख्या 442 का विवरण

धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में संचालित विभागीय आयुर्वेद व यूनानी औषधालयों की वर्ष 1993–94 व 1994–95 (फरवरी, 95 तक) की औषध सप्लाई व वार्षिक रोगी संख्या

क्र. सं.	स्थान औषधालय	औषध सप्लाई (रुपयों में) 1993-94	1994-95 (फरवरी, 95 तक)	वार्षिक रोगी संख्या 1993-94	1994-95 (फरवरी, 95 तक)
आयुर्वेदिक					
1.	धौलपुर- "अ" श्रेणी	40014	28689	10203	92656
2.	पुरानीछावनी-धौलपुर	5350	1668	6332	11625
3.	सांदरा	2356	2917	10452	11388
4.	विश्नोदा	3552	2850	12910	13979
5.	कोटरा	2356	2805	7997	5470
6.	मोरोली	5350	2902	15955	12497
7.	साहनपुर	3892	2917	8324	7653
8.	रतन का पुरा	2509	2902	5054	6784
9.	दुबेपुरा	1098	2902	22158	17795
10.	टेहरी	2946	6384	23572	16770
11.	सहरोली	2946	2917	5054	4141
12.	तसीमों	2948	4194	13583	15939
13.	कैथरी	3552	2902	7121	6659
14.	सखवाड़ा	4715	1668	6957	6966
15.	बहरामती	4625	2850	8807	8137
16.	नगला खरगपुर	5350	2902	9402	9067
यूनानी					
1.	धौलपुर	5807	10199	39099	33734

शुद्धि-पत्र

क्रम सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1.	140	24	(2)	(1)
2.	290	23	सभापित	सभापति